(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 5वां दिवस [संख्या 5

1] [2

शुक्रवार

दिनांक 21 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, शिक्षा, कृषि भेड़ व ऊन, अकाल सहायता, भाषा, पशुपालन, गृह, वन एवं खाद्य-विभाग ।]

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर सिंह, (चूरू)।

चूरू जिले में दुग्ध उत्पादन एवं पशुओं की नस्ल सुधारने की योजना

65. **श्री मोहर सिंह (चूरू)** : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू जिले में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि एवं पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये एक-वर्षीय अथवा पंचवर्षीय योजना क्या है?

पशु पालन मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : चूरू जिले में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि एवं पशुओं की नस्ल सुधार के लिये सरदारशहर में एक चिलिंग प्लान्ट लगाया जा रहा है व पशु चिकित्सा के लिये एक चल पशु चिकित्सा इकाई व पशुओं की नस्ल सुधार के लिये एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। पौष्टिक चारा उत्पादन कार्यक्रम राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक और चिलिंग सेन्टर, चल पशु चिकित्सा इकाई, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र व पौष्टिक चारा उत्पादन कार्यक्रम के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री मोहर सिंह : यह कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र किस जगह स्थापित होगा और क्या ये सुविधायें एक ही जगह होंगी या अलग अलग जगहों पर होंगी ताकि तीनों काम नहीं कर सकें ?

श्री शिव चरण माथुर : अभी, इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है कहां पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र होगा। बहुत से

Page No 2

(2)

(श्री शिवचरण माथुर)
पहलुओं पर विचार होने के बाद निर्णय लिया जायगा।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : यह चिलिंग सेन्टर कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरा विचार है इस साल के अप्रेल में काम शुरू कर देगा।

श्री दीपंकर : यह चिलिंग प्लान्ट लगाने का क्या आधार माना है ? क्या कोई पशुओं की संख्या से निर्धारित है या क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : आपका अलग प्रश्न है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : प्रश्न आयेगा ही नहीं।

श्री शिव चरण माथुर : प्रश्न इनका है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : लेकिन आयेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

सरकारी संस्थाओं में उर्दू, सिन्धी, पंजाबी और गुजराती भाषा की पढ़ाई

66. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किन किन सरकारी संस्थाओं में उर्दू, सिन्धी, पंजाबी और गुजराती पढ़ाई जाती है ? वर्गवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कई सरकारी संस्थाओं में जहां उर्दू और सिन्धी नहीं पढ़ाई जाती है वहां पर उर्दू और सिन्धी पढ़ाने वाले अध्यापकों का पोस्टिंग किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो अध्यापक सिन्धी, पंजाबी, उर्दू और गुजराती पढ़ाते आ रहे हैं और वे नॉन ग्रेजूएट हैं, उनको उन्हीं स्कूलों में लगाया जाय जहां इस भाषा की पढ़ाई कराई जाती है ? यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह निवेदन है, प्रश्न काफी बड़ा है। 500 से ज्यादा स्कूलों की सूचना एकत्रित करनी थी इसलिए मैं पोस्टपोनमेंट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 67

श्री राम प्रसाद बोहरा। (विराम) सोरी।

श्री महेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री राम प्रसाद बोहरा।

तेन्दू पत्तों का मुआवजा

68. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों का तेन्दू पत्ता वन विभाग द्वारा ही 1974-75 में लिया गया ? यदि हां, तो इन पंचायत अथवा पंचायत समितियों को अभी तक कोई मुग्रावजा क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समितियां अपने क्षेत्र के तेन्दू पत्ते को नीलाम कर लाखों रुपयों की आमदनी करती थी ?

(3) क्या राज्य सरकार मुग्रावजे की रकम गत तीन वर्षों की औसत आय के आधार पर देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री वन (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां। मुग्रावजे की राशि का निर्धारण नहीं होने से अभी तक नहीं दिया जा सका है।

(2) पंचायत समितियों द्वारा आय की जानकारी नहीं देने के कारण वन विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) मुग्रावजे के निर्धारण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राम प्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, दो साल का अर्सा हो चुका है। अभी तक किस औसत से यह मुग्रावजा पंचायत को दिया जाय तय नहीं करने पर उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिये निश्चित रूप से फरमाइये कितना मुग्रावजा कब दिया जायगा ?

श्री मूल चन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुग्रावजा देने का प्रश्न है यहां से बराबर कार्यवाही चालू है 72 से 74 तक रिमाइन्डर दिये गये लेकिन अभी तक सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण दिक्कत आई थी। अब यह सूचना प्राप्त हो गई है और बहुत जल्दी निराकरण कर दिया जायगा ?

श्री राम प्रसाद बोहरा : कब तक कर दिया जायगा ?

श्री मूल चन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय यह अभी 19-2-75 को ही सूचना आई है इसलिये जल्दी ही कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

सरकारी काम काज में हिन्दी भाषा का प्रयोग

69. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या मंत्री भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने किस तिथि से सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में किये जाने की घोषणा की थी ?

(2) उक्त घोषणा के पश्चात् हिन्दी भाषा को सरकारी काम काज में उपयोग में लाने के लिये राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये ?

(3) क्या यह सही है कि अंग्रेजी जानने वाले मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी जो हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं वे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन) : अधिकतर अंग्रेजी भाषा को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उन्हें हिन्दी में सम्पूर्ण कार्य करने के लिये कब तक अनिवार्य रूप से बाध्य करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) 26 जनवरी, 1968 से इस ओर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) इसके लिये अलग से भाषा विभाग की स्थापना की गई है। घोषित नीति के अनुसार विविध योजनाओं द्वारा राजभाषा के प्रयोग की अनिवार्यता की कार्यवाही की गई। उदाहरणार्थ राजपत्र में समस्त सामग्री अनिवार्यत: हिन्दी में भेजे जाने के आदेश सरकारी विज्ञापनों में केवल हिन्दी का प्रयोग, राज्य सेवा के लिये हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता कनिष्ठ लिपिकों के लिये हिन्दी टंकण जानने की अनिवार्यता, आदि कदम उठाये गये। हिन्दीकरण हेतु साधन सुविधायें भी उपलब्ध कराई गई। उदाहरणार्थ हिन्दी टंकण यंत्र हिन्दी टाइपिस्ट, शीघ्र लिपिक विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराये गये। हिन्दीकरण के लिये सहायक सामग्री के रूप में प्रशासनिक शब्दावली तथा सन्दर्भ ग्रन्थ प्रकाशित किये गये।

(3) राजभाषा के प्रचार, प्रसार के लिये विचार गोष्ठियां, भाषण, प्रदर्शनी आदि भी आयोजित की गई।

(4) यह सही नहीं है। अधिकांश मंत्री, अधिकारी व कर्मचारी हिन्दी भाषा में काम करते हैं और हिन्दी का प्रयोग करते हैं। हमने पूर्ण प्रयास किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा हिन्दीकरण की ओर ध्यान दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया आदेश निकल जाते हैं परन्तु उन आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है। अभी तक मंत्री व अधिकारी लोग सरकारी काम काज हिन्दी में जानते हुये अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में आप किस प्रकार उनको बाध्य करेंगे और किस प्रकार अनिवार्य व्यवस्था करेंगे यह मैं जानना चाहता हूं। उसका इम्पलीमेन्टेशन चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : सारा मजमून अंग्रेजी में और दस्तखत हिन्दी में यह कब तक चलता रहेगा ?

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : अंग्रेजी में पत्र और हिन्दी में दस्तखत। जो भी पत्र लिखते है अंग्रेजी में ही लिखते हैं। हिन्दी में भूल से लिख दें तो बात दूसरी है। आपने यह कहा सारा काम काज हिन्दी में हो रहा है। सही रूप में देखेंगे पत्र अंग्रेजी में जाते हैं और हस्ताक्षर हिन्दी में करके छूट जाते हैं। क्या मंत्री महोदय स्पष्ट आदेश देंगे ? अदालतों के निर्णय हिन्दी में लिखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : एक प्रश्न मेरा भी है••

श्री खेत सिंह : बहुत ज्यादा हो जायेंगे। आप (श्री चौधरी से) बाद में पूछ लेना। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निर्णय कर देना चाहता हूं यह बहुत ही दुर्भाग्य-

(श्री खेत सिंह)
पूर्ण स्थिति है जिनकी मातृ भाषा और राज भाषा हिन्दी होते हुये यदि हमारे अधिकारी अंग्रेजी में लिखते हैं तो गलामी की बू उनमें अभी तक मौजूद है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय जबकि अपने बचपन से हिन्दी में बोलते रहे हैं तो हिन्दी में लिखने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री खेतसिंह : भाषा विभाग की ओर से माननीय मंत्री महोदयों को पत्र लिखे गये हैं कि वे अपने अपने विभागों में ज्यादा से ज्यादा हिन्दी का प्रचार करें और हिन्दी में नोटिंग आये । इसमें नम्र निवेदन है कि काफी हद तक हिन्दी में नोटिंग आने शुरू हुये हैं लेकिन आप जानते हैं आई. ए. एस. सर्विसेज में ऐसे अधिकारी हैं जो अहिन्दी प्रान्तों से भी आते हैं। उन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है। हमने यह प्रयास किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा हिन्दी सीखने का प्रयास करें . मैं समझता हूं, आने वाले समय में पूर्ण हिन्दीकरण हो जायगा और उस ओर निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी । हम यह भी चाहते हैं हिन्दी क्लिष्ट न हो और बोलचाल की भाषा में हो जैसे कुछ जगह अंग्रेजी की ही भाषा को अपनाते हैं तो जैसे 'रेल' शब्द को ही ले लीजिये उसका हिन्दीकरण जो हुआ है वह है लोह पथ गामिनी तो यह एक ऐसा · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : मालूम होता है माननीय मंत्री महोदय ने हिन्दी की काफी हिन्दी की है ।

श्री खेतसिंह : मैं तो इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय हमारे मुख्य मंत्री महोदय जो हैं वह हिन्दी के बड़े समर्थक हैं और पत्रकार रहे हुये हैं और शिक्षा मंत्री जी की जो जिज्ञासा है वह भी समर्थन करने की है । किन्तु जो आदेशों की अनुपालना नहीं करते है उनके विरुद्ध क्या कदम उठायेंगे ? जब तक आप कोई सख्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक कोई मंत्री, अधिकारी आदेशों की अनुपालना नहीं करेंगे । जो हिन्दी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कदम उठाये जायें ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था सारी हिन्दी की व्यवस्था के सम्बन्ध में आपके पास क्या कोई आदेश है जो वर्ष में 6 माह में सारी स्थिति का अवलोकन कर सके नम्बर 1 नम्बर 2, जो माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया कि क्या हिन्दी की अवहेलना करने वालों के संबंध में कोई नियम, उप-नियम, आपने बनाये हैं जिसके कारण उनको नियंत्रित किया जा सके ? अगर नहीं बनाये हैं तो क्या आप इस दिशा में चिन्तन करने की स्थिति में हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि आज भी आजादी को प्राप्त हुए काफी वर्ष हो गए और आज भी सरकारी अधिकारियों में गुलामी की बू है तो क्या राज्य सरकार आज भी जहां गुलामी की बू आ रही है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ

Page No 6

(6)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कोई कानून बना रही है ताकि उनको हिन्दी भाषी बनाया जा सके ?

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हिन्दी का प्रसार हो इसके लिए हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट ईयर, सैकिण्ड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हिन्दी विषय में पास होना जरूरी नहीं है और नम्बर भी डिविजन में नहीं जुड़ते हैं तो एक आधार को तो आपने मजबूत नहीं किया और कह रहे हैं कि हम हिन्दी प्रसार का कार्य कर रहे है। तो इसका जवाब मैं मंत्री महोदय से चाहूँगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आपके विभागों में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि हिन्दी का प्रयोग कीजिए और उसी पोस्टर के नीचे बैठे हुए अधिकारी धड़ा धड़ अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपने ऐसे अधिकारियों को बाकायदा नोटिस देकर कम से कम उस पोस्टर का मजाक उड़ाने से रोका है या नहीं ? और उनके लिए आपने कोई अनिवार्यता कायम की है ? आप ऐसे अधिकारियों के नाम भी बतायेंगे कि आपकी चेतावनी के बावजूद भी अनवरत हिन्दी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और आप ऐसे आदेशों को बतायेंगे कि हिन्दी जानने वाले अधिकारियों ने अंग्रेजी में आदेश दिये है और आपने वार्निग दी हो कि हिन्दी जानते हुए भी आपने अंग्रेजी में क्यों आदेश दिये हैं, तो क्या आप ऐसे अधिकारियों के नाम बतायेंगे ?

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि अधिकांश मंत्री हिन्दी में लिखते हैं। मै जानना चाहूंगा कि कौन कौन से मंत्री अंग्रेजी में लिखते हैं ? दूसरी बात इन्होंने कहा कि आदेश दे दिये गये हैं कि विज्ञापन हिन्दी में दिये जायें, अखबारों में तो मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी अखबारों में राजस्थान सरकार के विज्ञापन आते हैं तो वह कौनसी भाषा में सरकार भेजती है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): मैं तो यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि हम हिन्दी को सरल करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कोशिश के लिए क्या आपने कोई परमानेन्ट मशीनरी स्थापित की है और कोई ऐसा बोर्ड बनाया है कि जो इसको सरल करने की कोशिश करे ? और जो एक्ट्स बना रहे हैं उनमें भी बहुत क्लिष्ट भाषा आती है और उसको अच्छी हिन्दी जानने वाले भी नहीं समझ सकते तो उसके लिए आप क्या हल ढूंढ रहे हैं कि हिन्दी ऐसी हो जाये कि हर खास और आम उसको समझ सके। इसके लिए परमानेन्ट मशीनरी बनाना चाहते हैं या बनायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): आधा प्रश्न करना चाहता हूं।

Page No 7

(7)

श्री हरिदेव जोशी : पहले मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, इस सारी समस्या को दो रूपों में बांटा जाना चाहिए, ऐसा मेरा खयाल है। एक तो प्राविधिक रूप है या जिसको हम टर्मीनोलोजी कहते हैं और दूसरे चालू कामकाज की भाषा जो प्राविधिक भाषा के शब्द हैं उसके अन्दर क्लिष्ट शब्द आयेंगे उसको हम बहुत टालकर नहीं चल सकते और उसको हिन्दी भाषी लोगों को सीखना होगा क्योंकि उस प्रकार के शब्द पहले बने हुए थे नहीं। प्रशासनिक शब्दावलियां और दूसरे साइन्स टेक्नोलाजी और ला से संबंधित शब्दों के परिभाषिक शब्द तैयार किये गये और मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में बहुत अच्छे पैमाने पर इसके ऊपर काम हुआ है।

शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो चीज कही उसके अन्दर एक चीज है कि हमारी विधि रचना का जो हिन्दी में कार्य हो रहा है वह अपने ढंग का देश भर में एक है और खासकर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी एक है। प्रश्न यह नहीं है कि यूनीवर्सिटी के अन्दर हिन्दी अनिवार्य करते हैं अथवा नहीं करते हैं सरकार की बात को भी आप नजरअन्दाज करके चलिये ऐसा मैं नहीं कहता जो आदमी न अंग्रेजी समझता है और न अंग्रेजी में काम करता है लेकिन वह बोर्ड अपना अंग्रेजी में लिख सकता है—यह आज की सामाजिक स्थिति है जो कि परिलक्षित करता है हमारी मनोवृति को। लम्बे अरसे की गुलामी ने कोई भौंडी छाप छोड़ी है तो वह है अपनी भाषा में बात नहीं करना।

आज, अध्यक्ष महोदय, जो आदमी गलत अंग्रेजी बोलता है वह फिर भी अच्छा माना जाता है और जो अच्छे ढंग की हिन्दी बोलता है उसको समाज में वह दर्जा नहीं मिलता है जो कि उसे मिलना चाहिए। बुराई तो इसमें है और इसलिए लोग अंग्रेजी की ओर आकर्षित होते हैं। जिन लोगों को सही स्पेलिंग अंग्रेजी शब्द की नहीं आती है वह भी अंग्रेजी शब्द लिखकर समझता है कि मैं अपने आपको प्रदर्शित करूं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और अंग्रेजी जानता हूं। यह मनोवृति सबसे अधिक दूषित है। कुछ विनम्र प्रयास इस दिशा में किया गया है हिन्दी समिति की मार्फत उसको कोई कभी गलत नहीं समझें कि हम हिन्दी को थोपना चाहते हैं। यह सही है इस चीज को स्वीकार करना कि जो लोग हिन्दी जानते हैं फिर भी अंग्रेजी में लिखते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि टाइपराइटर्स की कमी के कारण से बाज मर्तबा अंग्रेजी में नोट लिखे जाते हैं। मैंने कुछ इसको समझने की कोशिश की है तो 80 प्रतिशत नोट्स हाथ से लिखे हुए होते हैं। जो बहुत लम्बे नोट्स होते हैं वही टाइप किये जाते हैं वरना लोग हाथ से लिख लेते हैं। जो हाथ से लिखे हुए होते हैं उसमें तो टाइपराइटर और स्टेनोग्राफर की जरूरत नहीं है फिर हिन्दी जानने वाले को क्यों अंग्रेजी में लिखना चाहिए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह शिक्षा मंत्री जी से पूछ लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : यह मानसिक स्थिति है आदमी की क्योंकि आज का हमारा पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी में ही बोलता है और हिन्दी में तो वह ट्रान्सलेशन करके बोलता है और इसलिए यह इस सारे

Page No 8

(8)

(श्री हरिदेव जोशी)

माहौल और वातावरण की बात है। सरकार तो प्रतिबिम्ब है, जो समाज है आज का और भारतीय समाज का प्रतिबिम्ब है, सरकार। चाहे वह इलेक्टेड रिजेप्रेन्टेटिव हो अथवा सरकारी मशीनरी हो। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मेरी प्रार्थना के बावजूद आज भी कई लोग हिन्दी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में हाथ से लिखते हैं। ....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मंत्री ?

श्री हरिदेव जोशी : मंत्री हैं और ऑफिसर्स भी हैं। मैं इस मामले में किसी में फर्क करके नहीं चलता क्योंकि मनोवृति में जब मुट्ठी ढेरी में से लेते हैं तो सब दीख जाता है कौन कैसा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उत्तर देते समय लिखकर दिया करें कि भविष्य में हिन्दी में लिखें।

श्री हरिदेव जोशी : अब हम सब कोशिश करें कि राजस्थान अच्छा हिन्दी भाषी राज्य हो जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : बहुतों के जवाब नहीं आये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जब तक सचिवालय यह नहीं मानता कि हिन्दी हमारा अधिकार है तब तक हमें यह अधिकार नहीं मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

जयपुर की निजी शिक्षण संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण

70. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर की निजी शिक्षण संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण किया गया है ? यदि हां, तो इससे जयपुर नगर की कितनी शिक्षण संस्थायें प्रभावित हुई हैं ? और यदि पुनवर्गीकरण के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली अनुदान की राशि भी प्रभावित हुई है तो कितनी संस्थाओं की अनुदान राशि में बढ़ौतरी और कितनों में कटौती की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : अभी पुनर्वर्गीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस मास के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र के अन्दर मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि इन संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा। मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय ने इस ओर प्रयास किया है और वे सफलता की ओर इस सम्बन्ध में बढ़े हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्योंकि फाइनेन्शियल ईयर दुबारा आ रहा है और

Page No 9

(9)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
वही पेचीदगियां पैदा होंगी जो पुनर्वर्गीकरण के अभाव में स्वयं सेवी शिक्षण संस्थाओं को जिस प्रकार पहले होती थीं । और कई स्वयं सेवी शिक्षण संस्थायें जो आज भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही हैं उनको भी उतना ही अनुदान और ग्राण्ट-इन-एड मिल रही है और जो अच्छा काम कर रही है उनको कम मिल रही है। कई संस्थाओं को हुण्ड्रेड परसेन्ट राशि मिल रही है । यह खेदजनक स्थिति है । इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, पुनर्वर्गीकरण, के केटेगेराईजेशन के साथ ही नियमों के बाबत भी उल्लेख था कि नियमों में भी इस प्रकार की पेचीदगियां हैं कि जिनके कारण से स्वयं सेवी शिक्षण संस्थाओं के ऊपर इतनी पाबन्दियां और नियंत्रण हैं कि वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बजट सेशन फिर आ गया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर दें ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें । और मैं समझता हूं कि केटेगेराईजेशन कमेटी के अन्दर भी सारा सरकारी अधिकारियों के ऊपर ही भार छोड़ दिया गया हैं यह बिल्कुल बेकार बात है। कई स्वयं सेवी शिक्षण संस्थाओं में अच्छे आदमी हैं जो ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं ··

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं करें, प्रश्न पूछें ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर सरकारी अधिकारियों के साथ उनको भी शामिल किया जाना चाहिए यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह तो जानते हैं कि जब प्रश्न आगे की तारीख पर चला जाता है तो उस पर सप्लीमेंट्री नहीं होता है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आगे की तारीख पर नहीं गया है, जवाब दिया गया है । मेरा निवेदन है कि पुनर्वर्गीकरण के अभाव में इस साल फिर वही पेचीदगियां आयेंगी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : केटेगेराईजेशन पहले ही क्यों नहीं कर देते हैं ? आपने घोषणा की थी कि जल्दी ही कर देंगे अप्रेल–मई में कर देंगे, लेकिन यह दूसरा साल हो गया है । पहले भी घोषणा की थी तो अब कोई निश्चित तिथि तो घोषित कर दें कि यह केटेगेराईजेशन कब तक हो जाएगा । ये केटेगेराईजेशन का काम अधूरा लटका हुआ है और जो संस्थायें अच्छा काम कर रही हैं उनको नुकसान हो रहा है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं चाहता हूं कि जो संस्थायें·····

श्री खेतसिंह : अगर आप मेरा उत्तर सुनलें तो मेरे खयाल से आपको फिर कोई आपत्ति नहीं रहेगी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप किस नीति के आधार पर पुनर्वर्गीकरण करना चाहते हैं कम से कम यह तो बता दें ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, 11 वर्ष पूर्व स्वयं सेवी संस्थाओं का केटेगेराईजेशन हुआ था और उसको 11 वर्ष गुजर गए उनका केटेगेराईजेशन नहीं हो सका । इस वजह से जैसा कि प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ ऐसी संस्थायें जिन्होंने काफी इम्प्रूव कर लिया

(श्री खेतसिंह)

है उनको आज पचास प्रतिशत ही ग्रान्ट-इन-एड मिल रही है, इसके विपरीत कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिनको 80 प्रतिशत तक राशि दी गई है लेकिन उन्होंने अपना स्टेंडर्ड गिरा दिया है। इसलिए इनका केटेगेराईजेशन करने की पिछले सत्र के अन्दर घोषणा की थी और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 1200 स्वयं सेवी शिक्षण संस्थाओं का इंस्पेक्शन हो चुका है और उनकी रिपोर्ट्स मुकम्मिल तौर पर डायरेक्टोरेट में आ गई है और डायरेक्टर अपने लेवल से इन सारी रिपोर्ट्स को सचिवालय में भेज रहे ह। मैं आपको निश्चित तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि 15 मार्च के पूर्व हम केटेगेराईजेशन, री-केटेगेराईजेशन की घोषणा कर देंगे।

श्री दीपंकर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस पर जन प्रतिनिधियों से भी सरकारी अधिकारियों क नोट पर कमेंट लेंगे या नहीं ? उनकी राय लेंगे क्या ?

श्री खेतसिंह : इस प्रकार से यदि मैंने सब की राय लेना प्रारम्भ कर दिया तो यह कभी भी री-केटेगेराईजेशन का काम पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए हमने अपनी घोषणा में साफ कहा है कि राज्य सरकार भी जो केटेगेराईजेशन के लिए बोर्ड ने इन्सपेक्शन किया है उसी के आधार पर मान लेगी और उसके अन्दर किसी भी प्रकार की कोई चेंज नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री खेतसिंह : जहां तक रूल्स के सिम्पलीफिकेशन का सवाल है आने वाले सत्र के अन्दर जो ग्रान्ट-इन-एड पाने के अन्दर जो आपको दिक्कतें आती हैं वह निश्चित रूप से इतनी नहीं आयेंगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यही चाहते हैं साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

साहू मिनरल प्रोपर्टीज, किशनगढ़

71. **श्री कशरीमल** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि साहू मिनरल प्रोपर्टीज, किशनगढ़, जिला अजमेर और उनकी वर व नरवर मारबल माइन्स की व्यवस्थापकों ने बन्द कर दिया ?

(2) क्या उक्त फर्म द्वारा निकाला जा रहा मारबल बढ़िया किस्म का था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को राज्य की अलग अलग मदों से तथा विभागों से काफी पैसा उधार दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि दी गई ?

(4) क्या सरकार उक्त उद्योग को पुनः चालू कराने का प्रयास कर रही है? यदि हां, तो कब तक यह उद्योग चालू करा दिया जायेगा ? क्या सरकार इस माइन्स और फैक्ट्री को अपने अधीन लेकर चालू करने का इरादा रखती है ?

राज्यमंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं, पर राजस्थान वित्त निगम द्वारा रुपये 3,78,200) का ऋण वितरित किया गया है ।

(4) जी नहीं ।

श्री केशरीमल : यह रिकवरी के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : निगम ने दिनांक 17-1-75 को एक लीगल नोटिस कम्पनी को दे दिया है जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । ज्योंही जबाब प्राप्त हो जावेगा निगम कम्पनी से रुपया रिकवर करने के लिए न्यायालय में कार्यवाही करेगा ।

श्री केशरीमल : क्या सरकार को यह मालूम है कि यह कम्पनी अपनी मशीनरी और फैक्ट्री को बेच कर सब कुछ साफ कर रही है और जब सरकार कार्यवाही करेगी उस वक्त कुछ भी नहीं बचेगा वसूल करने को ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: मैंने जैसा निवेदन किया कि निगम ने लीगल नोटिस दे दिया है उसकी समाप्ति के बाद ही न्यायालय में कार्यवाही करेगा ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि अगर वह अपनी तमाम प्रापर्टी को मुन्तकिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं तो फिर आपके पास क्या साधन हैं पैसा वसूल करने का ? आपने उससे कोई जमानत वगैरा ले रखी है; प्रॉपर्टी अटेच कर रखी है या आपके पास कोई और तरीका है पैसा वसूल करने का? यह बतायें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह वित्त निगम ने जो ऋण दिया है तो वित्त निगम की सारी शर्तों को पूरा कराने के बाद ही दिया है ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : क्या गारण्टी है या जमानत है कि जिससे पैसा सिक्योर्ड है?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): ऐसा है कि सभी प्रकार के प्रिकोशन लिए जाते हैं जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो जाती है । अगर साधारण तौर पर किसी से वापस पैसा नहीं मिले तो अटेचमेंट करके ले सकते हैं । इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी जो कि कम्पनी के हैं, उनकी भी परसनल सिक्योरिटि होती है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो अपना मैटिरियल ही खत्म करदें.....

श्री हरिदेव जोशी : अभी तो फर्स्ट स्टेज है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फर्स्ट स्टेज है लेकिन अगर प्रॉपर्टी खत्म कर देता है तो डिग्रीधारी भी वसूल नहीं कर सकता है, आप भी वसूल नहीं कर पायेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : इतना काम करते हैं, राज्य के हजारों मामले हैं, उन सबकी डिटेल्स तो अभी नहीं है मगर

(श्री हरिदेव जोशी)
निश्चित रूप से अमुक प्रकार की सिक्योरिटी जाती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परसनल सिक्योरिटी भी होती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : जो फाइनेंशियल कारपोरेशन कम्पनी वगैरा लगाने के लिए लोन देता है, जो निगम से रुपया लिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी की या और तरह की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। क्या सरकार को जानकारी है कि कार्पोरेशन का फर्स्ट चार्ज है बिल्डिंग वगैरह के ऊपर . . .

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : यह डिफेंसिव क्वेश्चन है।

श्री हरिदेव जोशी : यह सारा कार्य होता है। इसके अलावा डायरेक्टर्स की परसनल रेस्पोंसिबिलिटी भी होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक महत्वपूर्णप्रश्न है। एक प्रश्न तो यह रखा है। मैं पहले वाले प्रश्न के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कई माईन्स ऐसी हैं जिनको बड़े 2 लोग ले लेते हैं उसके बाद एक्सप्लोर नहीं करते। 3 लाख 75 हजार की तो विशेष बात नहीं है लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे निवेदन करूं कि इतना कीमती पत्थर निकला और लाखों रुपये का पहले भी बेचा है और उनकी आपस की गड़बड़ी के अन्दर खान बन्द हुई है। अब आप कब तक आंख मूंद कर बैठे रहेंगे। इन सारे मिनरल्स में अस्सी हजार करोड़ की सम्पत्ति पड़ी है जिसको एक्सप्लोर करने की ओर कोई कदम नहीं उठायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न मुख्य रूप से आर. एफ. सी. के लोन से सम्बन्धित है . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं साहब, पहले . . .

श्री हरिदेव जोशी : आप पता नहीं क्यों बीच में खड़े हो जाते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं तो बीच में खड़ा नहीं हुआ था। मैं यह निवेदन कर रहा था . . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप इन्हें मंत्री बना दें तो यह भी खड़े नहीं होंगे।

श्री हरिदेव जोशी: मेरा निवेदन यह है कि मूल प्रश्न जो है वह इसका था कि राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन ने जो लोन दिया है वह सेफ है अथवा नहीं है। दूसरा सवाल यह था कि जो माइन्स दी गई थीं उनका मारबल बैटर क्वॉलिटी का था या नहीं। जहां तक इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सवाल है वह इस हद तक सीमित है कि जानकारी कर ली गई कि मारबल जो था वह बैटर क्वालिटी का था, रिजल्ट कितना है, उपयोग कैसे होगा उसका अलग से प्रश्न पूछना होगा क्योंकि वह माइन्स डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि काफी जखीरा है और बहुत बढ़िया पत्थर है। मेरे

(श्री केशरीमल)
प्रश्न में यह बात कही गई है कि माइन्स के बन्द हो जाने के बाद क्या सरकार अपने हाथ में लेकर उसको चालू करने की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी माइन्स बन्द हो गयीं हैं उनमें लाखों करोड़ों का माल है। पैसे वाले चलाये नहीं किसी कारण से तो सरकार उसको चालू करे अन्यथा मजदूरों को दे दे लेकिन इस प्रकार का सुझाव मानने को तैयार नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन इसमें केवल एक लाइन से है जो कि इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है। जो डिपॉजिट व माइन्स का मामला है वह माइन्स डिपार्टमेंन्ट से सम्बन्धित है। जहां तक इसकी इन्डस्ट्रीज के उत्तर देने का सवाल है मैं मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि ज्यादा दिन तक बन्द नहीं रहने देंगे, लेकिन स्पेसिफिक अभी किसी चीज को नहीं कह सकता हूं क्योंकि माइन्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है यह प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुमेर हायर सैकण्डरी स्कूल, जोधपुर को अनुदान की धनराशि का भुगतान

72. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या प० सं० 29(44) शिक्षा-5173, दिनांक 29-6-73 द्वारा सुमेर हायर सैकण्डरी स्कूल, जोधपुर को 50,000 रु० का तदर्थ अनुदान दो किश्तों में यानी मार्च 1974 में 25,000 रु० एवं 1975 में 25,000 रु० देने का निर्णय किया था ?

(2) उपरोक्त निर्णय को लागू करने के लिए अब तक कितनी धनराशि उपरोक्त स्कूल को कब-कब भुगतान की गई ?

(3) वित्तीय वर्ष 1973-74 में कितनी धनराशि तदर्थ अनुदान के रूप में बांटी गई तो 29-6-73 के पश्चात् स्वीकृत की गई थी ?

(4) क्या उपरोक्त निर्णयानुसार पूरे रु० 50,000 मार्च 1975 तक भुगतान कर दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) 5,000 रु० कि राशि का दिनांक 6-6-74 को भुगतान कर दिया गया है तथा 5,000 रु० का ड्राफ्ट दिनांक 28-9-74 को संस्था को चुकारा करने के लिए विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर को भेजा जा चुका है।

(3) 7 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई थी।

(4) वर्ष 74-75 के तदर्थ अनुदान के लिए जो कुछ धनराशि उपलब्ध होगी उसे ध्यान में रखते हुए जितना संभव होगा इस संस्था को भी अवश्य अनुदान दिया जायगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष, हमारे शिक्षा मंत्रीजी बड़े भले हैं··

श्री मीठालाल : चेहरे से।

श्री गुमानमल लोढा : काम से भी।

श्री अमृतलाल गहलोत : काम करने का भी पूरा आश्वासन देते हैं लेकिन पूरा करने में कभी-कभी काफी समय ले लेते हैं जिससे मेरे जैसे आदमी भी धैर्य खो बैठते हैं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके दुःख का निवारण करेंगे, साहब ।

श्री अमृतलाल गहलोत : आपने 19-6-72 को देवधनजी को मिसल दी उसमें 50 हजार के लिए इड स्पेसिफिकली लिखा था कि 31-3-74 तक दे दिया जायगा । इस बीच में 7 लाख रुपये दूसरों को बांट दिया और इस संस्था को 5 और 5 कुल 10 हजार ही दिया । पहले जिनको स्वीकृति दी थी उनको पहले देना चाहिए था । अब मेरा आपसे यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आपकी मारफत कि 31-3-75 तक जो 7–8 लाख रुपया और बंटेगा तो पूरी धनराशि इस स्कूल को 40 हजार रुपया जो बकाया है चूंकि 31-3-75 तक काफी समय हो जायगा, देने का आश्वासन इस पवित्र सदन में दें। आपका लिखित आर्डर है लेकिन कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ है इसलिए ही मैं यहां सदन में लाया हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अनुदान देने का क्या आधार है ? राजनैतिक आधार है या शिक्षण संस्थाओं का अर्थ आधार है या शिक्षण संस्थाओं की पढ़ाई बढ़िया होती है, इन तीनों आधारों में से किस आधार पर शिक्षण संस्थाओं को आप अनुदान देते हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उसमें आदर्श विद्या मंदिर नहीं आता है ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा· · ·

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले उनका तो जवाब दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: शिक्षा संस्थाओं में गड़बड़ होती है· · · · ·

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री का उत्तर होगा ।

श्री खेतसिंह : मैं इसलिए कह रहा था कि उन्होंने कहा था कि सीधा मेरा क्वेश्चन है इसलिए सीधा सा जवाब दे रहा हूं । सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से कहा शासन का यह कमिटमेंट नहीं है इस वक्त का । कमिटमेंट बहुत पुराना है । जिस वक्त में माननीय वित्त मंत्री श्री मथुरादासजी थे तो उन्होंने किसी प्रसंग में घोषणा की थी कि 50 हजार रुपये सुमेर हायर सैकण्डरी स्कूल को दिये जायेंगे । उसके बाद में ऐसा हुआ कि सरकार बदल गई और उसके बाद में हम यह अनुदान दे रहे हैं · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरकार तो वहीं की वहीं रही, मंत्री बदल गये हैं ।

श्री खेतसिंह : मंत्री बदल गये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री बदले गये यह कहें, सरकार कहां बदली गई ?

श्री खेतसिंह : हमने यह नियम रखा कि चूंकि हमारे राजस्थान के अन्दर कुल मिलाकर 1200 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, 1200 से अधिक संस्थाएं ऐसी हैं जो ग्रान्ट-इन-एड पर चलती हैं, इसलिए हमने यह सोचा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को मदद देनी चाहिए । यदि हम 50 हजार एक ही संस्था को दे देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा 10 संस्थाओं को ही दे पायेंगे, और बाकी की सारी सस्थाएं यों की यों ही रह जायंगी ।

Page No 15

(15)

(श्री खेतसिंह)
इसलिए गत वर्ष जैसा कि आपको मालूम है कि 350 संस्थाओं को अनुदान दिया, और यह उचित भी होता है क्योंकि आखिर आप जानते हैं कि कोरे सरकारी अनुदान से ही आप सोचे कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं को चलाया जाय यह बहुत मुश्किल का काम होगा, और यदि हम 50 हजार ही एक संस्था को दे देतें यें और बाकी की सब संस्थाएं रह जाती हैं तो वह भी हमारे लिए एक डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक तरीके में पूरा विश्वास करने वाले मंत्री के लिए उचित नहीं होगा । इसलिए मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इन्हें गत वर्ष 10 हजार रुपये, क्योंकि एक मंत्री महोदय ने कमिटमेंट दिया इसलिए, दे दिये, और इस बार भी हमने उन्हें कहा है कि कुल कितना पैसा आयेगा उस पर डिपेण्ड करेगा । यदि ज्यादा पैसा भेजेंगे वित्त मंत्रीजी की अच्छी मेहरबानी हो गई तो जो कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे। यदि पैसा कम आयेगा तो यह समझता हूं कि 10 हजार रुपया दे दिया जायगा ।

जहां तक हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में जब हम अनुदान देते हैं स्वयंसेवी शिक्षण सस्थाओं को उस वक्त में राजनीति किसी तरह की नहीं रहती है । यह आपके दिमाग में हो सकती है, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन संस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हों, जिनमें लड़कों की तादाद अच्छी हो, जिनमें अध्ययन के अलावा लड़के खेल-कूद में, स्काउटिंग आदि में पूरा भाग लेते हैं, जिन संस्थाओं का वातावरण विद्या-उपार्जन के लिए है उन्हें दिया करते हैं। राजनीति से प्रेरित संस्थाओं को हम नहीं दिया करते हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी से। वह यह बताने की कृपा करें कि क्या जोधपुर की एक शिक्षण संस्था को आपने भवन बनाने के लिए एक लाख रुपया दिया जिसके पास में जमीन नहीं है और न वह रजिस्टर्ड हुई है।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्षजी यह जो आपने बात कही है यह बिल्कुल सदन को भ्रम में डालने के लिए कहा है। मैंने किसी भी संस्था को 10 हजार से ऊपर भवन निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, सिर्फ दो संस्थाओं को मैंने 20 हजार तक दिया है। इस तरह से पर्टीक्यूलरली 1 लाख तो देना बहुत दूर की बात है । आपने कह दिया लेकिन मैंने कोई इतना पैसा अपने हाथ से स्वीकृत नहीं किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय······

श्री भानुकुमार शास्त्री : केवल एक मिनिस्टर का सवाल नहीं है स्टेट के एक्सचेकर का सवाल है। यह भ्रम में डालने वाली बात है तो आप इस रिपोर्ट (ऑडिट रिपोर्ट दिखाते हुए) जो कि आपके सामने पेश की गई उसका पेज नं० 83 को पढ़कर देख लें । उसमें यह है कि आपने एक लाख रुपया एक ऐसी संस्था को दिया है जो कि न रजिस्टर्ड है···

श्री अध्यक्ष : इसमें समय ज्यादा निकल गया है शायद··

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): मुस्लिम स्कूल के बाबत शायद उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढा: न तो वह पंजीकृत है और न उसके पास जमीन है।

श्री हरिदेव जोशी: माननीय सदस्य ने नहीं बताया है लेकिन मुझे मालूम है।

श्री गुमानमल लोढा: मुस्लिम स्कूल को आपने दिया है। आप कहते हैं, हम यह देखकर कि कहां पर पढ़ाई अच्छी है देते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री: मुझे एक बात कहनी थी··

श्री हरिदेव जोशी: मुझे मालूम है। आपको जवाब दे दूं। मुझे पता है कि जोधपुर के मुस्लिम स्कूल के बारे में कहना चाहेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री: इसमें संस्था का नामोल्लेख नहीं है, एक शिक्षण संस्था लिखा है, इसलिए मैंने एक शिक्षण संस्था कहकर पूछा है। एक लाख का अनुदान उस संस्था को दिया है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जमीन भी नहीं है। यह सरकार मानती है यह ओडिट रिपोर्ट में है।

श्री हरिदेव जोशी: मुझे ···

श्री गुमानमल लोढा: किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी: मुझे अच्छी तरह मालूम है, यह वह मुस्लिम स्कूल है, यह एक वर्ष में नहीं, कई वर्ष पहले की बात है। वह जो जमीन की बात कह रहे हैं। उसमें जमीन का झगड़ा है। उस संस्था की तरफ से कहीं कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा, यह गलती यू० आई० टी० और राज्य सरकार की ओर से हुई है। चूंकि एक मुख्य मंत्री का कमिटमेन्ट था। इसलिए हमने उसे रेग्युलराइज किया है। उनको समय दिया गया है कि अमुक अवधि में वह खर्च कर दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री: इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस समय सरकार को कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पास जमीन है। यह पंजीकृत भी नहीं है और अनुदानित संस्था भी नहीं हैं। आपके नियम ग्रान्ट-इन-एड के जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से आप ऐसी संस्था को नहीं दे सकते हैं जो पंजीकृत नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी: वह मुस्लिम स्कूल आज जोधपुर में एक मकान में चल भी रहा है। वह ग्रांट-इन-एड पा भी रहा है। अब इसमें कोई कहीं गलतफहमी हुई है, मैं नहीं कह सकता हूं। मैं सारी डिटेल में इसलिए गया था कि एक मुख्य मन्त्री ने कमिटमेन्ट किया था। एक मुख्यमन्त्री कमिटमेण्ट करके जाये। कहीं कोई ऐसी गलत बात नहीं हो जिससे कि माइनेरिटी को यह लगे कि हमारी उपेक्षा हो रही है। जहां तक जमीन की रेग्युलेरिटी की बात है, तो वह भी हो जायेगी।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री: माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि इसके पास जमीन

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
है। 5 एकड़ जमीन 74 में दी है। पैसा 70 में दिया गया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गुमानमल जी आप बैठिये। आप तो जनसंघ के लीडर हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : यह कानूनी तरीके से उल्लंघन करके साम्प्रदायिकता को फैलाया जा रहा है।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : कई माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड नहीं हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : X X X

श्री मूलचन्द सामरिया : X X X

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। स्कूल के बारे में नहीं। उस मुस्लिम स्कूल के बारे में नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि सुमेर हाई स्कूल में मन्त्री महोदय जायें और वहां पर इस प्रकार की घोषणा करके आयें कि 40, 50 हजार या एक लाख रुपया उनके स्कूल के भवन के लिए दिया जायगा। वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार की घोषणा करके आयें। सरदार स्कूल के साथ में ऐसा ही हुआ। मंत्री महोदय घोषणा करके आये कि इतने रुपये देंगे। इतने टाइपराइटर देंगे। फिर कुछ भी नहीं किया जाये। तो क्या यह उचित है कि मन्त्री महोदय इस प्रकार की घोषणाएं करें?

श्री हरिदेव जोशी : कहीं भी नियम के विरुद्ध घोषणाएं करने का प्रश्न नहीं है। अगर कहीं मिनिस्टर घोषणा करके आते हैं तो प्रॉपर वे में फाइल पर ले आना चाहिए। सेंक्शन देनी चाहिए। इसलिए नियम विरुद्ध नहीं है। जहां तक लाख रुपया नियम विरुद्ध देने की बात है...

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं सुमेर हाई स्कूल की बात कह रहा हूं। शिक्षा मन्त्री तो बदलते रहेंगे। लेकिन राज्य की नीति तो नहीं बदलेगी। सुमेर हाई स्कूल का कमिटमेण्ट पूरा नहीं हुआ। सरदार हाई स्कूल है, उसका आज तक पूरा नहीं हुआ है। गोल्डन जुबली, सिलवर जुबली, डाइमण्ड जुबली करते हैं। घोषणा करके फिर पूरा नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी भी जुबली मनेगी।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है, इस तरीके से घोषणा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कर भी ली है तो होना यह चाहिए कि मिनिस्टर उसे फाइल पर ले आयें। ताकि उन्होंने जो कमिटमेन्ट किया है, वह रेग्युलराइज करवा दें। जहां तक मुस्लिम स्कूल की बात है, वह महात्मा गांधी स्कूल था, उसको टेकओवर किया है। उसको बरकत साहब ने वक्फ से फैसला करवाया। उनको एक लाख रुपया बिल्डिंग के बदले में करवाया। इसलिए हमने इसको रेग्युलराइज करने की बात कही है।

X X X अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह सन्धु।

चक 37 बी०बी० में भूमि का स्थायी आवंटन

73. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री हरचन्द सिंह सुपुत्र केसरसिंह चक 37 बी०बी०, तहसील पदमपुर को कब और कौनसी भूमि का स्थायी आवंटन किया गया था ? हरचन्दसिंह ने इस भूमि की पहली किश्त कब, कितनी और किसके द्वारा दाखिल की ? भूमि का कब्जा कब और किसके द्वारा लिया गया और वह भूमि पहले किसके कब्जे में थी ?

(2) उपरोक्त भूमि का कब्जा लेने के बाद उसका बेचान कितने दिन बाद कर दिया गया ?

(3) क्या यह सच है कि श्री हरचन्द सिंह ने उपरोक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं किया । श्री हरचन्दसिंह उस समय नगरपालिका, गजसिंहपुर में चौकीदार का कार्य करता था और जिन लोगों के कब्जे में आज उपरोक्त भूमि है वे पाने के हकदार नहीं हैं ?

(4) यदि हां, तो सरकार उनसे भूमि छुड़वाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : श्री हरचन्दसिंह सुपुत्र केसरसिंह चक 37 बी० बी० तहसील पदमपुर को दिनांक 1-6-60 को मुरब्बा नं० 86,25 बीघा भूमि नहरी का स्थायी आवंटन किया गया था । उपरोक्त भूमि की समस्त किश्तें एक साथ दिनांक 24-6-66 को जमा खजाना हुई । किश्तें किसके द्वारा जमा हुई, इसका विवरण विक्रय रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है । भूमि का कब्जा लेने का प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि यह भूमि पहले से ही श्री हरचन्दसिंह के कब्जे में आरजी काश्त पर थी ।

(2) उपरोक्त भूमि का बेचान दिनांक 8-2-67 को हुआ ।

(3) जी नहीं । श्री हरचन्दसिंह पहले से ही भूमि पर काबिज था तथा वह दिनांक 10-6-64 से 6-5-65 तक नगरपालिका, गजसिंहपुर में चौकीदार का कार्य करता था । जिन लोगों के कब्जे में आज भूमि है, उन्होंने भूमि खरीद कर प्राप्त की है जिसको अतिरिक्त जिलाधीश, गंगानगर ने अपनी आज्ञा दि० 14-8-68 द्वारा नियमित किया है ।

(4) नियमित होने से भूमि छुड़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : क्या यह सच है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में आज वह जमीन है उस आदमी ने जो रकम दाखिल की है, वह 11,000 रुपये दाखिल करके कब्जा किया है जबकि वह जमीन लाखों रुपयों की है ।

श्री मूलचन्द मीणा : ऐसी बात नहीं है । 3 बार अदालत के सामने मामला जा चुका है और उसका फैसला हुआ है ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : क्या यह सच है कि जिस समय यह भूमि आवंटित की गई है उससे पहले मेलाराम नाम के

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
आदमी के कब्जे में थी ? यह ली हुई जमीन बदले में ली गई थी । 66 में यह जमीन इन दूसरे आदमियों ने, इन्होंने उसकी रकम दाखिल की है । क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है, यह गलत है । यह जमीन 52–53 से ही हरचन्दसिंह के कब्जे में थी । यह 66 नहीं है 65 है ए.डी.एम. ने यह मानकर कि गवर्नमेंट लैण्ड है, आवंटित कर दी । ए.डी.एम. के सामने मामला आया । उसने इस पर फैसला दिया है ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : 65 में इरीगेशन लगाया । जमीन के बदले में ली गई है । कलेक्टर ने एलॉटमेण्ट किया है । ए.डी.एम. को कोई अधिकार नहीं है । अपीलेट अथोरिटी में खारिज हुई थी । उसके बाद कैसे दे दी ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेलाराम को उक्त जमीन एस.डी.ओ. द्वारा सरकारी जमीन मान कर अलॉट कर दी । हरचन्दसिंह ने प्रार्थना की । तो यह फैसला हुआ कि हरचन्दसिंह की जमीन है । उसका कब्जा है । उसके पक्ष में फैसला रहा है । उसके बाद में हरचन्दसिंह ने बाकी किश्तें जमा कराई हैं ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करूंगा, यह उत्तर गलत है । उसने इस अपील को खारिज किया है । ए.डी.एम. ने यह अलाटमेन्ट किया है । दूसरे व्यक्ति ने 11 हजार रुपये में जमीन को रजिस्टर करा लिया है । 1-6-66 को यह अलॉटमेण्ट किया गया है । रकम दाखिल की गई है । मुख्तियारनामा में स्पष्ट किया गया है । रकम दाखिल करने का अधिकार दिया जाता है, बेचान का अधिकार दिया जाता है । जमीन का कब्जा लेने के पहले यह लिखा गया है मुख्तियारनामा और यह जमीन का तुरन्त बेचान किया गया है । यह दस लाख की जमीन है, यह मण्डी की दीवार के पास लगती है । यह बिना किसी कारण से उसको दे दी गई और हरचन्द को किसी ने नहीं पूछा । उसने लिख कर दिया, मैं यह मुख्तियारनामा नहीं मानता, यह गलत कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री रामलाल (बाड़ी) : क्या ऐसा प्रावधान है कि जो जमीन एलॉट होती है उसकी बिक्री हो सकती है ? ऐसा कानून है ?

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, सम्भवतः सरकार की जानकारी गलत हो । जो मुद्दे उठाये हैं; उनके अनुसार क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं करेंगे ? जांच करनी चाहिए । आपका पक्ष हमेशा ठीक है, आप बिल्कुल राइट हैं, या ठीक कहते हैं–यह कैसे हो सकता है । सम्भवतः आपकी जानकारी गलत हो ।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, पदमपुर की चक 37 सी बी की 25 बीघा जमीन 1952-53 में हरचन्द के पास में आराजी काश्त पर थी, जिसको कलेक्टर ने 1-6-67 को स्थाई आवंटन कर दिया । 1-6-67 को

(श्री परसराम मदेरणा)

स्थाई आवंटन के बाद चूंकि उसने किश्त की रकम जमा नहीं कराई थी इसलिए एस० डी० ओ० करणपुर ने मेलाराम सन् ऑफ हवेलीराम को एलॉट कर दी ! जब हरचन्द ने एस० डी० ओ० को एप्लीकेशन दी कि मैं काबिज हूं, मेरे कब्जे में है तो पहले आवंटन को कैंसिल करके इसको बहाल रखा है । इसके अगेन्स्ट मेलाराम ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के पास अपील की । रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी ने एक दफा केस अदम पैरवी के खारिज कर दिया । दूसरी दफा भी लिमिटेशन के पाइन्ट पर खारिज हो गया । मेलाराम पुत्र हवेलीराम गवर्नमेंट के पास रिवीजन में आया । गवर्नमेंट ने 18-7-67 को यह फैसला दिया दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, अपार्चुनिटी आफ हियरिंग देने के बाद कि कलेक्टर के आदेश के खिलाफ इसमें कोई फैसला देना पसन्द नहीं करती, ऐसे कोई इसमें वजूहात नहीं हैं । इस प्रकार का रिवीजन में फैसला हो गया । तो उसने जो जमीन बेची है उसमें कॉलोनी कन्डीशन को ब्रीच किया है, जनरल कॉलोनी कन्डीशन के खिलाफ काम किया है । इसके अनुसार वह सात साल तक जमीन नहीं बेच सकता, लेकिन उसमें 6 साल 8 महीने सात दिन की कुछ अवधि समाप्त होने पर बेच दी है, 3 महीने और 24 दिन पहले बेची है और इस प्रकार ब्रीच ऑफ कन्डीशन की शिकायत हुई है । राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट की दफा 14 के अन्तर्गत कलेक्टर ने मामले में सुनवाई करके पांच सौ रुपये की पेनल्टी का जुर्माना किया, जो कलेक्टर का राइट है (व्यवधान) आप सुनिये । आप कह रहे हैं, वह पजेशन में कतई नहीं था । यह फैक्ट्स आये हैं, इसके बाद आप कह रहे हैं, उसकी जमीन बहुत कीमती है । कुछ भी हो, यह मामला ब्रीच ऑफ कन्डीशन का है और अलॉटमेंट के बारे में गवर्नमेंट तक रिवीजन इस केस में हुआ है । तो भी कोई ऐसी चीज हो, जो गलत है तो गवर्नमेंट फाइल मंगा कर आज देख सकती है । आज इन्फार्मेशन जो हमारे पास है, उसके आधार पर कोई वजूहात नहीं है, गवर्नमेंट किसी प्रकार का कन्सीलिएशन इस सम्बन्ध में नहीं कर सकती । अब केवल रिवीजन का मैटर है, ब्रीच आफ कन्डीशन के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । उसकी लिमिटेशन कितनी साल होनी चाहिए, कितनी साल नहीं होनी चाहिए । गवर्नमेंट के पास रिवीजन की पावर्स थीं, वह बोर्ड आफ रेवेन्यू को कन्फर कर दी हैं डेढ़ साल पहले, और बोर्ड आफ रेवेन्यू के जजमेंट हो चुके हैं जो विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य जानते हैं, अनलिमिटेड पीरियड रिवीजन में नहीं होना चाहिए, लिमिटेड पीरियड में होना चाहिए । 1967 में बेचान हो चुका है, उसके बाद सात साल का समय निकल गया है, सात साल के बाद भी गवर्नमेंट के रिवीजन की बात है, जैसा आप कह रहे हैं । एक ब्रीच ऑफ कन्डीशन, मैं समझता हूं, का मामला होगा या नहीं–यह मैं पत्रावली मंगा कर देख लूंगा कि तथ्य क्या हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री गुरदयालसिंह संधु : ऐसा नहीं है । यह जमीन 1952 में टेम्प्रेरी कल्टीवेशन में थी, 1965 में उसने छोड़ दी और मेलाराम को अलॉटमेंट हो गया । 1966 में उन लोगों के दिल में यह

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

आया और उनका मुख्तियारनामा लेकर उसने फाइल किया। उसके खिलाफ अपीलेट ऑथोरिटी है, उसमें अपील खारिज हो गई। खारिज होने के बाद एडीशनल कलेक्टर ने बिला किसी कारण के उस जमीन को मेलाराम के नाम से खारिज करके इनको एलाट कर दी है। यह एलॉटमेंट जून, 1967 में होता है, उससे पहले कोई एलाटमेंट नहीं है, और 1966 का अलाटमेंट है। 1966 में परमानेन्ट अलॉटमेंट होता है, उस कलेक्टर ने छः साल और कुछ महीने लिखे हैं, यह टोटली गलत है। 1966 में एलाटमेंट होता है, अलाटमेंट से पहले वह व्यक्ति जिसका कब्जा है, उसने उससे मुख्तियारनामा लिया है, हम लोग इस जमीन की रकम दाखिल करेंगे और इसकी बिक्री अपने नाम से करवायेंगे। उसके ऊपर 11 साल की रकम दाखिल की। ए० डी० एम० के सामने फिर मामला आया, हरचन्द ने दरख्वास्त दी, मेरा मुख्तियारनामा नहीं है। उसके बावजूद अमल नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह आपका ...अच्छा! खत्म कर दिया!

श्री परसराम मदेरणा : अब पाइन्ट आफ डिस्प्यूट जो रह गया है वह केवल यह है, मेरे पास सूचना दी है जिलाधीश ने, उन्होंने बताया, 1-6-67 को परमानेण्ट अलाटमेंट हरचन्द को किया गया, आप कह रहे हैं, एडीशनल कलेक्टर ने परमानेन्ट अलाटमेंट 1966 में किया है। मैं फाईल मंगाकर देख सकता हूं, मैं दोनों फाईल मंगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट। श्री बेगाराम।

तहसील रायसिहनगर क्षेत्र में किसानों से गेहूं की लेवी

74. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिहनगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील रायसिहनगर क्षेत्र में किसानों को गेहूं की लेवी के बदले कुल कितनी रसीदों पर सीमेन्ट दिया गया और कितनी रसीदों पर सीमेन्ट नहीं दिया गया? जिन रसीदों पर सीमेन्ट नहीं दिया उसका क्या कारण था?

(2) क्या यह भी सही है कि सीमेन्ट रायसिहनगर के किसानों को न देकर, ब्लेक में बेचा जाता है?

(3) क्या यह सही है कि किसानों ने लेवी की रसीदों पर सीमेन्ट की मांग की थी परन्तु उसके प्रार्थना-पत्र अब तक तहसील में पड़े हैं और उनको सीमेन्ट नहीं दिया गया है? यदि नहीं, तो किस किस रसीद पर कितनी कितनी सीमेन्ट दी गई है?

(4) रायसिहनगर तहसील में लेवी किस किस किसान से ली गई? कृपया ब्यौरेवार सूची मय व्यक्ति के नाम, रसीद नम्बर, गांव व चक का नाम सदन के पटल पर रखें।

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) तहसील रायसिहनगर क्षेत्र में किसानों को गेहूं की लेवी के बदले में 552 रसीदों पर 1125 थैला सीमेंट दिया गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

(2) जानकारी के आधार पर यह सत्य नहीं पाया गया है ।

(3) रायसिंहनगर के किसानों ने लेवी देने पर सीमेन्ट की मांग की थी तथा सीमेन्ट उपलब्धि के आधार पर दी भी गई थी ।

(4) जो सूचना चाही गई है उसके एकत्र करने में समय लग सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह जानकारी किसने की ?

श्री बेगाराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरा प्रश्न नम्बर 1, सीधा प्रश्न है, तहसील रायसिंहनगर क्षेत्र में किसानों को गेहूं की लेवी के बदले कुल कितनी रसीदों पर सीमेन्ट दिया गया और कितनी रसीदों पर सीमेन्ट नहीं दिया गया ? मेरा सीधा प्रश्न है, कितनी रसीद बाकी हैं, पर दिया गया और किन पर नहीं दिया गया ? सीधा प्रश्न है ।

श्री शिवचरण माथुर : आपका प्रश्न बहुत सीधा नहीं है, आपने जानकारी कितनी चाही है ·······

श्री गुमानमल लोढ़ा : सीधा नहीं है तो जबाब दे दीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : जवाब जो उपलब्ध था वह दे दिया, 552 रसीदों पर 1125 थैला सीमेन्ट आवंटित की गई । आपने पूछा, कितनी दरख्वास्त थीं जिन पर नहीं दिया गया—यह सवाल है, इसकी जानकारी करने की कोशिश की ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या 550 काश्तकार ही थे जिनसे लेवी ली ?

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं । आप कह रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : आप सुन तो लें पहले ।

मैं मानता हूं, 552 रसीदें हैं, इनके अलावा और हो सकती हैं । यह नहीं है कि सबको एक साथ दे दी हो । इसकी जानकारी चाही गई थी, तो उसकी जानकारी के आधार पर यह बताया कि उसके बाद बहुत सी दरख्वास्तें सामने आयीं और लगातार सीमेन्ट दी गई । अब कितनी दरख्वास्त आईं और कितनो को सीमेन्ट दी गई—यह जानकारी नहीं है ।

श्री मीठालाल : इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री लक्ष्मण सिंह : बिल्कुल अजीब जवाब दिया है । मेरा निवेदन है, जिन काश्तकारों ने लेवी दी, उनको सीमेन्ट मिली या नहीं ? अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, कितने काश्तकारों को सीमेंट दी गई, कितनों को नहीं दी गई । साफ प्रश्न है, नहीं सीमेंट दी गई तो उसकी क्या वजह है····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह उचित है····

श्री शिवचरण माथुर : मेरा उत्तर भी बहुत स्पष्ट है, विरोधी पक्ष के नेता यदि मेरे उत्तर को सही तौर पर समझने की चेष्टा करते । मैंने यह नहीं कहा

(श्री शिवचरण माथुर)
कि सबको दे दी गई है। मैंने निवेदन किया, जो जानकारी है, उसमें 552 लेवी की रसीदों पर 1125 थैला सीमेन्ट दी गई। उसके बाद और रह गई। लेकिन जिलाधीश की जानकारी के आधार पर बतलाया कि इसकी जानकारी एकत्रित नहीं हो पाई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री मीठालाल : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री बेगाराम चौहान : 24 रुपये एक थैला सीमेन्ट के हिसाब से लिया गया है। सीमेन्ट के एक थैले के 44 रुपये के हिसाब से गांवों में लिया गया है। जिसने लेवी दी, उनको सीमेन्ट नहीं दी गई। कई लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं लेकिन उनको अभी तक नहीं दिया गया है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि जो लेवी देगा उसको ही सीमेन्ट दिया जायगा इस प्रकार की रोक लगाना उचित है? यह बतलायें, यह नीति का प्रश्न है, यह रोक क्या लगा सकते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा प्रश्न भी सुन लीजिये, साथ ही जवाब दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है कि जितने लोगों ने लेवी दी, क्या उन लोगों को सीमेन्ट......

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दिया गया? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न के सही उत्तर को लुकाया गया, आपके मस्तिष्क में बात स्पष्ट नहीं थी, या सदन में स्पष्ट नहीं थे कि जिन लोगों से लेवी ली गई उनको सीमेन्ट नहीं गई? आपकी घोषणा के अनुसार मैं सूचना के तौर पर कह दूं कि हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेवी दी लेकिन आपकी घोषणा का पालन नहीं हुआ और सीमेन्ट रायसिंहनगर के बाजार में, दूसरे बाजार में ब्लेक में, बहुत बड़े ब्लेक में बिकी? क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी जवाब दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कहीं पर भी प्रश्न के उत्तर में छिपाने की चेष्टा नहीं की··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फिर उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं आपने लिया? आपने प्रश्न के उत्तर को अवोइड किया है। यह तथ्य है कि कलेक्टर गंगानगर····

श्री मीठालाल : एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है, इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : जवाब कैसे नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : चारों प्रश्न का जवाब नहीं आया है। इसे स्थगित करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रोक इस तरह लगानी चाहिए····

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर सुनें नहीं। वह क्या कहना चाहते हैं, यह सुनना नहीं चाहेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर यह होना चाहिए······

श्री अध्यक्ष : होना चाहिए, यह कैसे होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सदन का अधिकारियों के द्वारा क्या यह अपमान नहीं है कि सारे तथ्यों को अवोइड करते हैं, यह अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : आदेश यह था कि लेवी देने वालों को, किसानों को, सीमेन्ट प्राथमिकता के आधार पर दी जाय, उपलब्धि के आधार पर दी जाय। जिस वक्त लेवी ली जा रही थी, उस वक्त उपलब्धि थी सीमेन्ट की उसके आधार पर जवाब यह है कि लेवी देने वालों को इतनी सीमेन्ट दी······

श्री मीठालाल : सीरिअलवाइज।

श्री शिवचरण माथुर : हम संतुष्ट नहीं हैं। मैंने स्वयं ने जानकारी चाही है, इसके बाद भी दरख्वास्त आती रही होंगी, आपने उनको पूरी तरह से डिस्पोज आफ किया या नहीं। आप चाहें तो मैं पूरी जानकारी बाद में दे दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : Postpone it.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा······

श्री मूलचन्द सामरिया : स्थगित कर दिया जाय इसको।

श्री अध्यक्ष : There cannot be any Point of order in Question Hour.

श्री मूलचन्द सामरिया : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं, इसको स्थगित फर्मा दिया जाय।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : जो अधिकारी हैं···

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : इसको स्थगित किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा : इसको स्थगित किया जाय।

(व्यवधान : अश्रव्य)

स्थगित किया जाय, मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन नहीं रहा हूं भाई। आप एक साथ बोलते हैं, मैं एक की भी बात नहीं समझ पाता। आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री बेगाराम चौहान : इसको स्थगित किया जाय।

श्री मीठालाल : चारों प्रश्नों का रिप्लाई सही नहीं है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप यह कह दीजिये कि इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी वही कह रहे हैं और वह भी वही कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट "1" देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर जिले के आरक्षी केन्द्रों पर मर्डर के दर्ज मामले

67. **श्री महेन्द्र कुमार (पाडव)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डूंगरपुर जिले में कितने आरक्षी केन्द्र हैं? पिछले दो वर्षों में प्रत्येक आरक्षी केन्द्र पर कितने मर्डर के केस पकड़े गये और अदालत में चालान किये।

(2) उक्त मामलों में से कितनों में सजाएं हुई और कितनों में मुल्जिम थानेदारों की लापरवाही बर्ती जाने के कारण बरी हो गये तो उन थानेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में कुल 8 आरक्षी केन्द्र हैं। इस जिले के आरक्षी केन्द्रों पर सन् 1973 में कुल 12 अभियोग कत्ल के पंजीवद्ध हुये जिनमें से 8 का चालान न्यायालय में किया गया वो सन् 1974 में 9 अभियोग कत्ल के पंजीबद्ध हुये-जिनका सभी का न्यायालय में चालान किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 1973 में 8 अभियोगों का चालान न्यायालय में किया गया था। जिनमें से 2 में सजायें हुई व 6 में बरी हुये। सन् 1974 में 9 अभियोगों का चालान किया गया था जिनमें से 5 में सजा हुई व 4 न्यायालय में विचाराधीन हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी असन्तोषजनक अनुसन्धान करने का दोषी नहीं पाया गया।

(कृपया परिशिष्ट '2' देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी एजेन्सियों द्वारा श्री गंगानगर में गेहूं की खरीद

25. **श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर)**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1973 में सरकारी एजेन्सियों द्वारा जिला श्री गंगा नगर में किस किस मंडी से कितना कितना गेहूं खरीद किया गया तथा भारत सरकार से उस गेहूं पर राज्य सरकार को कितनी रकम बोनस के रूप में मिली? उक्त बोनस की रकम काश्तकारों को अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है?

(2) यदि ऐसी कोई रकम राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई तो राज्य सरकार उपरोक्त रकम लेने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) गंगानगर में जिस जिस मण्डी से जितना जितना गेहूं खरीदा था उसकी सूची संलग्न है। राज्य सरकार की कुल खरीद पर 28.52 लाख रु० बोनस राज्य सरकार को मिला है। उक्त राशि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को दी गई है।

(खाद्य मंत्री)

(2) राशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है ।

(कृपया परिशिष्ट "3" देखिये)

भेड़ बकरियों के लिए चरागाह

26. श्री लुणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रान्त में भेड़ व बकरियों के लिए कोई अलग चरागाह न होकर अन्य पशुओं के साथ ही चरागाह है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व विभाग के नियमानुसार जो आधा बीघा प्रति पशुओं के चरागाह छोड़ने का प्रावधान है, में भेड़ बकरियों की संख्या शामिल नहीं है ? यदि हां, तो फिर ऐसे चरागाहों में भेड़ व बकरियों को चरने का क्या अधिकार है ?

(3) क्या अब ऐसे चरागाहों में भेड़ बकरियों की संख्या शामिल कर चरागाह छोड़ा जावेगा ?

(4) यदि नहीं, तो सरकार इन भेड़ बकरियों के लिए चरने की क्या व्यवस्था करती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

पाठशालाओं को मिलने वाली अनुदान की धनराशि का पुनर्वर्गीकरण

27. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान की समस्त राजकीय सहायता प्राप्त पाठशालाओं को मिलने वाली अनुदान की धनराशि को नये सिरे से निर्धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो जिस नीति के आधार पर उपरोक्त कार्यवाही की जा रही है, उस नीति पत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

(4) यदि पुनर्वर्गीकरण पूरा हो गया हो तो जोधपुर नगर की समस्त राजकीय सहायता प्राप्त पाठशालाओं की सूची मय नाम व प्रतिशत अनुदान के जो पुनर्वर्गीकरण के पूर्व मिलता रहता है और पश्चात् मिलेगा, कृपया सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) संस्थाओं के पुराने वर्गीकरण को 10 साल हो गये थे और इस काल में संस्थाओं के स्तर में परिवर्तन होना स्वाभाविक है इसी दृष्टि से सरकार ने पुनः वर्गीकरण

Page No 27

(27)

(शिक्षा मंत्री)

की ग्रावश्यकता समझी है। जिसके लिये दलों का गठन करके अनुदान प्राप्त संस्थाग्रों का निरीक्षण करवाया गया है।

(3) सम्भवतः माह जुलाई, 75 तक।

(4) पुनर्वर्गीकरण का कार्य ग्रभी चल रहा है।

तहसील कोलायत के गांवों में बालिका उच्च प्राथमिक पाठशालायें

28. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास हेतु बालिका प्राथमिक पाठशालाग्रों के उच्च प्राथमिक पाठशालाग्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ग्रौर किस किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछड़ी तहसील कोलायत के गांवों में ग्राज तक कितने बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि विद्यालय नहीं चल रहे हैं तो क्यों ग्रौर ग्रब सरकार इस क्षेत्र में कब तक बालिका प्रा० शालायें खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दो सूची संग्लन है।

(कृपया परिशिष्ट '4' देखिये)

सब डिवीजन दौसा के पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी के मामले

29. श्री मूल चन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सब-डिवीजन दौसा में वर्ष 1974 में कुल कितनी एफ० ग्राई० ग्रार० दर्ज की गई ? पुलिस स्टेशनों में जुर्मवार दर्ज एफ० ग्राई० ग्रार० की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समय में चोरी से सम्बन्धित कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिपोर्ट्स से सम्बन्धित चोरियों में कितनी चोरियों का माल पुलिस द्वारा बरामद किया गया ? ग्रनुमानित मूल्य जो दर्ज किया गया है वह भी बतलावें।

(4) बरामद शुदा माल में से कितना पुलिस द्वारा व कितना जनता द्वारा बरामद किया गया ? दोनों प्रकार की सूची पृथक 2 सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त बरामदगी सन्तोषजनक है ?

(6) यदि नहीं तो क्या सरकार इसमें सुधार का प्रयत्न करेगी ? यदि हां तो कब से व कैसे ? यदि नहीं तो क्यों ?

(7) क्या यह स्थिति राजस्थान के ग्रन्य हिस्सों की तुलना में ग्रधिक ग्रसन्तोषजनक है ?

(8) राजस्थान में चोरी व बरामदगी का क्या ग्रनुपात व प्रतिशत सन् 1974 में रहा ? कृपया तुलनात्मक दृष्टि से 1973 के

(श्री मूलचन्द सामरिया)
आंकड़े भी इस सम्बन्ध में सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) सब डिवीजन दौसा, जिला जयपुर के अन्तर्गत पांचों थानों–दौसा, लालसोट, कोलवा, मानपुर व बांदीकुई में वर्ष 1974 में कुल 643 एफ० आई० आर० दर्ज करवाई गई । थानेवार सूची संलग्न है ।

(2) वर्ष 1974 में उपरोक्त पांचों थानों में 282 चोरी की रिपोर्ट्स दर्ज करवाई गई । थानेवार सूची संलग्न है ।

(3) उपरोक्त पैरा 2 में अंकित चोरी के मुकद्दमात में 2,17,570.33 का माल चोरी गया जिसमें से 89,429.00 का माल बरामद किया गया ।

(4) उपरोक्त पैरा 3 में अंकित सारी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है, थानेवार सूची इस प्रकार है :—

दौसा	95,795.53	(मशरुका)
	37,144.00	(बरामद)
लालसोठ	15,135.00	(मशरुका)
	6,600.00	(बरामद)
कोलवा	11,625.00	(मशरुका)
	5,515.00	(बरामद)
मानपुरा	15,985.00	(मशरुका)
	4,770.00	(बरामद)
बांदीकुई	79,030.00	(मशरुका)
	33,400.00	(बरामद)

(5) उपरोक्त पैरा 4 में अंकित आंकड़ों के अन्तर्गत स्थिति सन्तोषजनक है ।

(6) स्थिति में और भी सुधार लाने की दिशा में मुकामी पुलिस सचेष्ट है ।

(7) राजस्थान के कई एक जिलों की तुलना में जिला जयपुर में वर्ष 1973 एवं 1974 में चोरी गई, बरामद की गई धनराशि की स्थिति अधिक सन्तोषजनक नहीं रही है ।

(8) राजस्थान में वर्ष 1973 व 1974 में क्रमश: 16547571.11 व 29257917.39 रुपये का माल चोरी गया जिसमें क्रमश: 8281857.41 व 19893812.66 रुपये का माल बरामद किया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

राज्य में आत्म हत्यायें

30. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1974 में राज्य में कितने लोगों ने आत्म हत्यायें कीं ? इनका क्या क्या कारण पाया गया ?

(2) इस वर्ष में कितने लोगों ने आत्महत्या का असफल प्रयास किया ?

(3) उक्त दोनों में कितने लोगों ने अभाव, भूखमरी अथवा बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया अथवा आत्महत्या की ?

(स्थगित किया गया)

कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण

31. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में दिनांक 1-4-64 से 31-3-68

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

तक नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को स्थायी करने के नियम नोटिफिकेशन दिनांक 14-9-72 को जारी किया गया है? यदि हां, तो दूसरे विभाग में अन्य केडर में 1969 में स्थानान्तरण पर गये कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थायीकरण किस विभाग द्वारा किया जावेगा ?

(2) क्या उक्त नोटिफिकेशन के अन्तर्गत 1965 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त तथा उसी विभाग में 1967 में आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 1969 में आशुलिपिक के पद पर अन्य विभाग में स्थानान्तरण पर गये, अस्थाई आशुलिपिक को कनिष्ट लिपिक के पद पर स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो ये किस विभाग द्वारा और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थायीकरण उस विभाग द्वारा किया जावेगा जहां सम्बन्धित व्यक्ति दिनांक 14-9-1972 को कार्य कर रहा था।

(2) जी हां। जिस विभाग में सम्बंधित व्यक्ति दिनांक 14-9-1972 को कार्यरत था उस विभाग द्वारा ही उसे कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थायी किया जावेगा।

जोधपुर नगर में किराये के मकानों में सरकारी कार्यालय एवं राजकीय संस्थान

32. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर नगर में कौन कौन से राज्य सरकार के कार्यालय एवं अन्य राजकीय संस्थान, उपक्रम इत्यादि किराये के मकानों में कार्य कर रहे हैं जिनका किराया राज्य सरकार एवं सम्बन्धित उपक्रम चुकाते हैं ? कृपया उनकी पूर्ण सूची व किराये की राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जोधपुर नगर में, जो जो राज्य सरकार के कार्यालय एवं अन्य राजकीय संस्थान, उपक्रम इत्यादि किराये के मकानों में कार्य कर रहे हैं, उनको सूची वार्षिक किराये की राशि सहित सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट '5' देखिये)

चावल एवं ज्वार की लेवी वसूली

33. श्री राजेन्द्र भारतीय (बून्दी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार को किस किस जिले में कितनी कितनी धान की (चावल एवं ज्वार) लेवी प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

लेवी में प्राप्त धान की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट '6' देखिये)

Page No 30

(30)

किसानों के कृषि कुओं का बीमा

34. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार किसानों को कृषि कुओं का बीमा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसे नियम कब तक बना कर लागू कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । अभी कृषि कुओं के बीमा का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । इसलिए नियम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम जेतासर (श्री डूंगरगढ़) के जोहड़ रिणा की खुदायी का कार्य

35. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जेतासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला चूरू का जोहड़ रिणा जिला कृषि अधिकारी द्वारा अकाल राहत के अन्तर्गत भू-संरक्षण कार्य में वर्ष 72-73 व 73-74 में खुदवाया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब से कब तक तथा जिला कृषि अधिकारी, चूरू ने उक्त अवधि में कितनी बार निरीक्षण किया और अपने निरीक्षण रिपोर्ट में क्या क्या कार्यवाही अंकित की ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये ।

(3) उक्त जोहड़ के लिए जिला कृषि अधिकारी ने फावड़ा, गैंती व बांस, डाण्डे आदि उपकरणों पर कुल कितना खर्चा किया ?

उत्तर

(1) ग्राम जेतासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला चूरू के जोहड़ रिणा के भू-संरक्षण कार्य कृषि विभाग के अभिकरण से वर्ष 73-74 में कराया गया था । वर्ष 72-73 में कृषि विभाग के माध्यम से कोई कार्य नहीं कराया गया ।

(2) यह कार्य कृषि विभाग के अभिकरण से दिनांक 19-5-73 से 14-6-73 तक कराया गया । जिला कृषि अधिकारी, चूरू, श्री बी० एम० जोशी ने इस अवधि में इस कार्य का निरीक्षण दिनांक 5-6-73 को किया । प्रधान, पंचायत-समिति, श्रीडूंगरगढ़ भी उस समय उनके साथ थे । निरीक्षण के समय जिला कृषि अधिकारी ने पाया कि कार्य का प्रारम्भ बीच में से न करके जोहड़ में खुदी हुई मिट्टी से भी दूसरी तरफ किया जा रहा था । अत: जोहड़ के खुदाई के कार्य को पूर्व की खुदी हुई मिट्टी के साथ आगे करने की हिदायत उन्होंने दी थी एवं हाजरी की चैकिंग भी उनके द्वारा की गई थी । उस दिन की ट्यूर डायरी का उद्धरण संलग्न है ।

(3) जिला कृषि अधिकारी, चूरू ने फावड़े, गैंती इत्यादि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू से प्राप्त किए थे जो बाद में लौटा दिये गये । बांस, गैंती के डाण्डे, फावड़े के डाण्डे, सिरकी, मूंज रस्सी, नारियल की रस्सी, बैंत की रस्सी व पानी पिलाने के लिए घड़े आदि क्रय किए हैं जिन पर कुल खर्चा 1,939.75 रु० हुआ था ।

(कृपया परिशिष्ट '7' देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के निवासी श्री लेखाराम की पुत्री हंसा देवी का गत वर्ष अपहरण होने के पश्चात् पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी न करने के विषय में,

2. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अध्यक्ष, नगरपालिका, चित्तौड़ द्वारा करीब 10 लाख रुपये की जमीन की अवैधानिक तरीके से लीज करके पक्की दुकानें बनाना प्रारम्भ कर देने के विषय में,

3. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के विभिन्न मुद्रणालयों में चल रहे आन्दोलन के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा बजट छपने के वक्त कुछ दिक्कतें पैदा की जाय इस आशय की भावना व्यक्त करने के विषय में,

4. सर्व श्री गुरदयालसिंह सन्धु व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के नवयुवकों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के विषय में,

5. सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य व केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर राजघराने की तलाशी से करोड़ों रुपयों की सम्पति प्राप्त करने के विषय में,

6. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि भूमि में विशेषकर जयपुर शहर में बनाये गये पक्के मकानों में पानी का कनेक्शन नहीं मिलने के विषय में,

7. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा अस्पताल में एक्स-रे की व्यवस्था न करने के विषय में,

8. श्री बेगाराम चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में रिडमलसर मण्डी में तथा रायसिंहनगर से पदमपुर तक सड़क न होने के विषय में।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

ये प्रस्ताव हाल की किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और इनके विषय में प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये बजट के समय भी पूछे जा सकते हैं अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : एक और व्यवस्था मुझे देनी है, अभी।

स्थगन प्रस्तावों के विषय में विशेष व्यवस्था

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी हमारे

(श्री अध्यक्ष)

नियमों की व्यवस्था एक असाधारण किस्म की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत केवल ऐसे विषय उठाये जा सकते हैं, जो अविलम्बनीय लोक-महत्व की हाल की किसी घटना से सम्बन्धित हों, जो सहसा उठ खड़े हुए हों, राज्य में अथवा उसके किसी भाग में अप्रत्याशित स्थिति के रूप में यकायक सामने आये हों। लोक महत्व के ही ऐसे बहुत से विषय अथवा प्रश्न हो सकते हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते और फलतः उन्हें स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार जिन विषयों पर सदन में हाल ही में चर्चा हो चुकी है । अथवा निकट भविष्य में जिनके उठाये जाने की संभावना हो अथवा जिन्हें अन्य माध्यम से उठाया जा सकता हो, उन्हें स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जाना चाहिए। यह भी एक सुनिश्चित संसदीय परम्परा है। विशेषतौर पर, बजट सत्र में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तथा आम बजट का उपस्थापन ये दो अवसर ऐसे हैं जिनमें माननीय सदस्यों को लोकमहत्व की विभिन्न समस्याओं को उठाने का व्यापक अवसर भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होता है फिर भी मैं ऐसा देख रहा हूं कि माननीय सदस्य गत बजट सत्र में दिनांक 9 अप्रेल, 1974 को दी गई मेरी व्यवस्था के बावजूद ऐसे विषयों को स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे हैं जो सामान्यतया स्थगन प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनमें से कुछ विषयों का उल्लेख आज की मेरी व्यवस्था में भी है। साधारणतया यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे विषयों को अध्यक्षीय व्यवस्था में सम्मिलित किया जाय और यह आसन के विवेक पर ही निर्भर है कि किस प्रस्ताव को व्यवस्था में सम्मिलित किया जाय और किसको नहीं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि भविष्य में मुझे यदि इस प्रकार के प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई जो व्यवस्था में सम्मिलित करने के योग्य नहीं हों तो उन पर माननीय सदस्य सदन में चर्चा करने का प्रयत्न न करें और यदि आवश्यक हो तो वे मेरे चैम्बर में मुझसे परामर्श कर लें, मैं उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा या स्वयं सन्तुष्ट हो जाऊंगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस संसदीय परम्परा का पालन करेंगे। साथ ही साधारणतया जिन स्थगन प्रस्तावों की तीन प्रतियां प्राप्त नहीं होंगी उन्हें भी जैसी कि मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं, अध्यक्षीय व्यवस्था में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा और जो प्रस्ताव किसी कारण से किसी दिन अस्वीकृत हो जायं उन्हें दुबारा अगले दिन या किसी अन्य दिन उठाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में भी अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोफेसर केदार और मेरी तरफ से ऐसे प्रश्न को रखा गया है जिनकी आम चर्चा सारे राजस्थान में है। मेरा खयाल है कि सदन के अन्दर और बाहर भी सब लोग राजघराने की जो तलाशी हो रही है उसके बारे में वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं और इसकी जानकारी मुख्य मन्त्रीजी को डे-टू-डे की अवश्य होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या स्थगन प्रस्ताव के बारे में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां । इसके बारे में जो भी जानकारी मुख्य मन्त्री जी को है, वह आज ही सदन को दी जानी चाहिए ।

मैं बात ही संक्षेप में रखना चाहता हूं क्योंकि यह नाजुक मसला है । बराबर अखबारों में चर्चा आ रही है कि जयपुर राजघराने की तलाशी कई दिनों से जारी है । आज अखबारों में इस तलाशी के बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति जिसमें सोना और अमूल्य जवाहरात मिले हैं, यह सारे राजस्थान का मासला है । हांलाकि यह केंद्रीय सरकार का प्रश्न है लेकिन चूंकि इसका जनता से सम्बन्ध है अतः जो कार्यवाहियां की जा रही हैं, मुख्य मंत्री की जानकारी में निश्चित रूप से होना चाहिए । इसलिए जो भी मुख्य मंत्री इस संबंध में जानते हों, इस प्रश्न में विलंब न किया जाकर आज ही मुख्य मंत्री जानकारी दे दें।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मैं ऐसा समझता हूं कि शायद यह प्रश्न इस सदन के स्कोप में भी नहीं आता है, यह आपके फैसले की बात है, कारण कि जो भी कथित एक्शन लिया जा रहा है वह राज्य सरकार के द्वारा नहीं है और न ही राज्य सरकार को उसके अन्दर किसी तरह से कान्फीडेंस में लिया गया है । कल एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था मीसा में लेते समय तो राज्य सरकार को कान्फीडेन्स में लिया गया किन्तु इस परटीक्यूलर मामले में केंद्रीय सरकार ने हमसे, न तो पूछा है न कन्सल्ट किया है और न ही किसी तरह से एसोसिएट किया है। बल्कि जब कथित रेड शुरू हो गई थी तब काफी समय के बाद मुझे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के मारफत सूचना मिली कि ऐसा हुआ है तब it was a news to me. अलबत्ता जब मैं दिल्ली गया था तब सर्सरी रेफरेंस केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मेरे सामने किया कि आपके यहां पर ऐसा हो रहा है । जब हमसे कन्सल्ट ही नहीं किया गया था तो मेरा इस बारे में ओपीनियन देने का प्रश्न ही नहीं था । आज जो जानकारी माननीय सदस्यों को है अखबारों तथा रेडियो के मार्फत, इससे अधिक जानकारी राज्य सरकार को नहीं है और मुझे कोई जानकारी होने की सम्भावना भी नहीं है इसलिए राज्य सरकार के लिए कुछ कहना कठिन है । अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं लेकिन इससे अधिक कोई जानकारी नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन इसमें एसोसिएटेड नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां उनको असिस्ट करने के लिए है ताकि तलाशी लेने वालों पर कोई असाल्ट न हो । मगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी जांच के अन्दर कहीं एसोसिएट नहीं किया गया है ।

श्री केदारनाथ : इन्वेंटरी आपके पास है कि भूतपूर्व रूलर्स की कितनी प्रापर्टी है। उसके अलावा सरप्लस जितना वेल्थ है, प्रापर्टी के नाम से, लैंड के नाम से, आपका इंटेलीजेन्स विभाग आज तक क्या कर रहा था ? मैं किसी पर्सनल वेन्डेटा के तौर पर नहीं कहता । केवल इनएडीकुएट वेल्थ जिसने ब्लैक मनी को बढ़ाया है,

Page No 34

(34)

(श्री केदारनाथ)

इन्फलेशन क्रीएट किया है। हमारी सारी फिस्कल पोलिसी को फ्रस्ट्रेट किया है। इस राजघराने का हिस्टोरीकल परस्पेक्टिव है जबसे मुगल एम्पायर आया तब से इस राजघराने का खर्चा नहीं हुआ, धन एक्यूमूलेट ही किया है। क्या आपको मालूम नहीं है कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा कृषि फार्म महारानी के नाम से है, आपको मालूम नहीं कि स्विटजरलैंड में इनका होटल है, आपको मालूम नहीं कि इनके विदेशी बैंकों में अकाऊंट्स हैं, मैं जयपुर रूलर के लिए ही नहीं कहता, बल्कि सारे एक्स-रूलर्स के लिए कहता हूं। आपका इन्टेलीजेंस विभाग क्या करता रहा? आपको रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी, रेड्स एक साथ हों ताकि आईवाश का काम न हो, दूसरों को मौका न मिले कि वे अपना अन्डिक्लेयर्ड वेल्थ इधर उधर कर दें। मैं शेयरहोल्डर के नाम से कहता हूं, इन्कम टैक्स, प्रापर्टी टैक्स जितने भी सेन्ट्रल टैक्सेज हैं उनमें हमारा शेयर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपका इन्टरेस्ट भी इसमें है कि आप जानकारी लेकर पूरा स्टेटमेंट दें और केन्द्रीय सरकार को सलाह दें कि सारे एक्स रूलर्स के महलों पर वे रे करें ताकि वे अपना अनडिक्लेयर्ड माल इधर उधर न कर दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : राज्य सरकार को क्यों नहीं एसोसिएट किया गया? या तो राज्य सरकार महारानी से सम्बन्ध रखती है ...

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर दूं। नहीं तो गलतफहमी हो जाएगी क्योंकि यह ऐसा ही मुद्दा है। इसलिए मुझे यही निवेदन करना है कि आप इन्वेंटरी की बात उठाते हैं, इन्वेंट्री डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी की होती है. अनडिक्लेयर्ड की कहां होती है ?

श्री केदारनाथ : इसके अलावा ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न यह है कि इन्वेंट्री है इसका मतलब डिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड को डिग आउट करना है।

श्री केदारनाथ : इन्टेलीजेंस विभाग आपका क्या करता रहा है अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी के बारे में ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी जो एक्शन लिया जा रहा है वह अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी के लिए है। इसलिए राज्य सरकार को कुछ पता नहीं है और हम यह मानकर चलते हैं हमारे इन्टेलीजेन्स की अपेक्षा भारत सरकार का इन्टेलीजेंस बहुत बड़ा है और हमारी कहीं कमजोरी होती है तो हम उन पर डिपेन्ड करते हैं and they have taken action.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: प्रश्न यह है कि इन्वेंटरी मौजूद है। इसमें केवल मुवेबल प्रापर्टी ही नहीं, इम्मूवेबुल प्रापर्टी, सारी ज्वेलरी भी लिखी हुई होती है। कौनसी ज्वेलरी गनगौर के मेले में यूज होती है, कौनसी ज्वेलरी डिफरेंट आकेजन्स पर यूज होती है, सारी एन्टर्ड है और इन्वेंटरी जो साइन हुई तो इसमें इसके अलावा जितनी प्रापर्टी थी चाहे वह मुवेबुल थी चाहे इम्मूवेबुल, राज्य सरकार की हो गई। इस सदन में एक बार नहीं, बीसों बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए, स्थगन प्रस्ताव 3 आए अलवर महाराजा के संबंध में, जयपुर महाराज के सम्बन्ध में उनमें स्पष्ट इंगित किया गया है कि राजा महाराजाओं के पास डिक्लेयर्ड ज्वेलरी के अलावा करोड़ों

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
रुपए की ज्वेलरी, करोड़ों रुपए का सोना, करोड़ों रुपए की चांदी है, जिसको राज्य सरकार ले सकती है। जब जब राज्य सरकार ने अपने ओवरड्राफ्ट की घोषणायें की हैं तो हम लोगों ने सदन में कहा है कि अगर आप केवल राजा महाराजाओं की अनडिक्लेयर्ड प्रापर्टी जो उन्होंने इन्वेंटरी में एन्टर नहीं कराई है, उसको ले लें तो सारे प्रश्न हल हो जायेंगे और आपकी स्टेट का बजट सरप्लस हो जाएगा। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आपके जो फ्यूडलिज्म के अवशेष ह उनको समाप्त करने की दिशा में आपकी तैयारी नहीं रही है। अगर यह तैयारी होती तो आज इस ड्रीट प्रोन राजस्थान में केवल 22 राजाओं से जिनको बेचारे राजा कहते हैं, एक बेचारे राजा के तख्तेशाही महल पर छापा मारा है लेकिन दूसरे राजाओं को पकड़िए, दुनियां की सबसे ज्यादा इन 22 राजाओं के पास से प्रापर्टी प्राप्त हो सकती हैं। क्या यह राज्य सरकार के लिए लज्जा की बात नहीं है कि भारत सरकार का इन्टेलीजेन्स विभाग यहां आया और मोती डूंगरी पैलेस की जमीन खोदकर इतनी भारी सोने की ईंटें निकाली जिनको एक व्यक्ति नहीं उठा सकता।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आपकी तैयारी नहीं थी। आपका माइण्ड नहीं था कि सामंतवादी अवशेषों को समाप्त किया जाए, उनको भूमि अवाप्त की जाए, अब 1975 में कानून ला रहे हैं। यह तो अभी महाराजा जयपुर का प्रश्न है और 21 महाराजाओं का भी प्रश्न है उनकी मुख्य मंत्री के पास जानकारी है, राज्य सरकार के पास जानकारी है, उनके इन्टेलीजेन्स विभाग के पास जानकारी है और सैंकड़ों जागीरदार और सामन्त हैं जिनके पास अमूल्य खजाना है।....

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह कोई मामूली सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव है, जरा ढंग से बात करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मुख्य मंत्री इवेड कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी: मैं कतई इवेड नहीं कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अवश्य कहें लेकिन प्रश्न यह है कि आपने खुद इस मामले में आज तक.....

श्री हरिदेव जोशी: बिराजिए, नहीं तो कैसे जवाब होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कांग्रेस राज्य की तैयारी इन राजाओं और सामंतों के पक्ष में चली आ रही है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, अभी इस स्टेज पर पूरी बात मुझे भी पता नहीं है और इसका उपाय भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह इन्कम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी एक्ट और इसी प्रकार गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट वगैरह जो है वह सारे के सारे गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया के परव्यू में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ स्टेट में लैन्ड रेवन्यू ही वसूल करती है। हम तो सिर्फ काश्तकार से जमीन का हासिल यानी कि किराया ही वसूल करते

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं। और यह दूसरे जो टैक्सेज है जिसमें कि सोना, ज्वैलरी वगैरह जो भी है दूसरी कोई पून्जी है वह वैल्थ टैक्स के तहत गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के नीचे आती है। और इन चीजों का टैक्स इवेजन करना, टैक्स की चोरी करना, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वह उसका पता लगाती है इसको हम आपरेट नहीं करते हैं। अब कितनी प्रॉपर्टी, कितनी वेल्थ अनडिक्लेयर्ड है उसके लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही इसमें ओपरेट करती है। स्टेट गवर्नमेन्ट इसमें इन्टरफियरेन्स नहीं कर सकती है। क्योंकि यह स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। हमारा तो यह क्षेत्र होता है कि अमुक किसान ने हांसिल नहीं दिया उसके लिये हम कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपरेट करना चाहे तो कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : You are an advocate my good friend !

आप यह क्या बात कर रहे हैं। आप तो खुद एडवोकेट है। किस जगह राजस्थान गवर्नमेन्ट हस्तक्षेप करने में अधिकृत है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी तक नहीं किया तो क्या ? सर्च वारन्ट से ले सकते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये तो मैं कह रहा हूं कि यह सभी चीजें स्टट गवर्नमेन्ट के ज्यूरिशडिक्शन के बाहर हैं जैसे कि गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर है गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया उसको आपरेट करती है उसके लिये यहां पर गोल्ड कन्ट्रोल, कन्ट्रोलर है जिसका गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से ही सम्बन्ध है। किसी व्यक्ति की एस्टेट के लिये एस्टेट ड्यूटी ऑफिसर ही सब करता है। स्टेट गवर्नमेन्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह स्टेट में गवर्नमेन्ट के ज्यूरिशडिक्शन के बाहर है।

एक माननीय सदस्य : सूचना तो स्टेट गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को दे सकती है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिदेव जोशी : तिवारीजी, मैं जबाब दे रहा हूं. आप सुनें तो सही।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अपन मुखबरी तो कर सकते हैं। सूचना तो दे सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें ऐसा है कि अगर होम डिपार्टमेन्ट को जो भी सूचना आती है तो वह किसी नाम से आती नहीं है। उसमें तो इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट होम डिपार्टमेन्ट का नाम वगैरह तो देते नहीं, सिर्फ इतनी इन्फोरमेशन होती है कि सच एण्ड सच इनफोरमेशन गेदर हुई, सोर्स नम्बर सो एण्ड सो उसमें लिखा होता है। उसमें यह नहीं लिखा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने इत्तिला दी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह सारी की सारी इनफोरमेशन गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के पास पहुंची होगी और वह सारा का सारा एक्शन ले रही है। इसके लिये कोम्पीटेन्ट ही गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया है। स्टेट गवर्नमेन्ट न इसके लिये कोम्पीटेन्ट पहले थी, न कोम्पीटेन्ट आज है और न भविष्य में ही कभी इसके बारे कोम्पीटेन्ट रहेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह अनडिक्लेअर्ड वेल्थ जिसके कि संबंध में यह सारा हो रहा है, क्या राज्य सरकार को इस बारे में

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा अनुमान है कि राज्य सरकार को पता था कि जयपुर राजघराने के पास डिक्लेअर्ड वेल्थ के अलावा भी अनडिक्लेअर्ड वेल्थ थी ऐसा मेरा विश्वास है। और यह बात आपके समक्ष में भी आ गयी होगी तो क्या राज्य सरकार राजस्थान के हित में अपने इन्टेलीजेंस डिपार्टमेन्ट से पता लगा कर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को सूचना एज एन इनफोर्मेन्ट नहीं दे सकती थी। इनफोरमेशन देने के लिये मैं समझता हूं राज्य सरकार को वन्चित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट आकर दखलन्दाजी करता तो हम यहां पर दृष्टा की तरह बैठे नहीं दिखायी देते।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी गृह विभाग के मन्त्री रह चुके हैं और शायद जब वह गृह विभाग के मन्त्री थे तो उन्होंने भी कानूनी अपना दायित्व निभाया होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं तो गृह विभाग का मन्त्री जरूर था लेकिन अधिकार सभी मुख्य मन्त्री जी के पास थे गृह विभाग के। मैं तो सफोकेशन में बैठा रहता था। और यही कारण है कि जयपुर में जब आठ आदमियों की लाशें निकलीं तो भी किसी ने मेरे नाम से गाली नहीं निकाली और सारे के सारे नारे मुख्य मन्त्री के खिलाफ में ही लगे।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : तो क्या माननीय सदस्य एक तरफ बैठे रहते थे और काम सारा मुख्य मंत्री जी कर रहे थे होम डिपार्टमेंट का ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे खयाल से यही कारण है कि अब मुख्य मंत्रीजी ने होम डिपार्टमेंट अपने पास ले लिया है।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं लेकिन कुछ भ्रान्तियां नहीं रह जाय इसलिये मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुख्य मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उन्हें ध्यान से सुने। इन इन्वेन्ट्रीज की तीन लिस्टें बनी थीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह आप सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जवाब तो सप्लीमेन्ट्रीज का मुख्य मंत्री जी दे सकते हैं लेकिन मैं तो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यहां मुख्य मंत्री जी ने कितने सप्लीमेन्ट्रीज छोड़ रखे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : Don't try to be more holy than the Pope himself.

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इन्वेन्ट्रीज जो लिस्टें बनी थीं उनमें तीन लिस्टें बनी थी : एक स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, दूसरी गवर्नमेंट आफ इन्डिया के पास थी, और तीसरी जिसका कि जिक्र चल रहा है राजघराने के पास थी । लेकिन यह तो भारत सरकार के इनटेलीजेन्स डिपार्टमेंट की सूचना के आधार पर अनडिक्लेअर्ड वेल्थ पर, जो कि वेल्थ टेक्स के अन्तर्गत या एस्टेट ड्यूटी के नीचे आती है, एक्शन लिया है । इसके लिये मैंने माननीय सदस्यों को बता दिया कि यह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं था । गवर्नमेंट आफ इन्डिया का सब्जेक्ट है ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लिस्टें बनी थीं उस समय एक समझौता हुआ था और समझौते के वक्त अनडिक्लेअर्ड वेल्थ को ढूंढने का सवाल ही नहीं उठता था ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह कपट द्वारे में जो चार करोड़ का माल मिला है क्या वह उस जगह नहीं था जहां पर कि डिक्लेअर्ड प्रॉपर्टी इन राजा महाराजाओं की थी ? अगर था तो यह राज्य सरकार के नोलेज में इतने दिन क्यों नहीं आया ?

(शोरगुल)

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसकी मुझे सूचना नहीं मिली ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । करीब आधे घन्टे से अधिक समय एक ही स्थगन प्रस्ताव में लग गया है ·····

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । मैं बोल रहा हूं । अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे मैंने सुन लिया आप फरमा रहे हैं कुछ । आप सुनिये । अभी स्थगन प्रस्तावों के बाद स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य होगा । इसके बाद उस पर कुछ माननीय सदस्य बोलेंगे । इसके बाद अभी तक धन्यवाद प्रस्ताव पर डिबेट होना बाकी है उसके बाद याचिकाओं का उपस्थापन होगा, कुछ विधेयक सदन में पुरःस्थापित किये जायेंगे । फिर धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का जवाब होगा । अतः इन सभी चीजों को किस प्रकार संयम के अनुसार रेग्यूलराईज करना है, यह आप देखलें ।

इसके अलावा मोहरसिंह जी ने अभी अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कहा । मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्तावों के बारे में अभी मैंने रूलिंग दी है । उसमें मैंने बताया है कि देर से आने के कारण स्थगन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं जैसे कोई

Page No 39

(39)

(श्री अध्यक्ष)

कारण नहीं दिया हो, कोई विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं हो। इसके अलावा भी किसी माननीय सदस्य को अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी करनी हो तो वह माननीय सदस्य उसकी जानकारी के लिये मेरे चैम्बर में आकर मुझसे बात करना चाहे तो करलें। मैं आपको सन्तोष कराने की कोशिश करूंगा। वैसे सादूलपुर से आने वाले माननीय सदस्य से भी मैं यही कहूंगा कि वह मुझ से चैम्बर में आकर मिल लें। वैसे तो कहना मैं नहीं चाहता पर जब बात चल रही है तो मैं उनसे निवेदन कर दूं कि उनका स्थगन प्रस्ताव मेरे पास 9 बजकर 45 मिनट पर पहुंचा। वैसे स्थगन प्रस्ताव की सूचना मेरे पास 9 बजकर 30 मिनट पर आनी चाहिये। चूंकि आज एक ऐसे ही विषय पर मंत्री महोदय श्री केदार नाथ के स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दे रहे हैं तो उस जवाब के बाद वह भी चाहे तो अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल सकते हैं।

श्री मोहनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आज मेरे भाई की औरत के जबरदस्त तकलीफ होने के कारण अस्पताल चला गया था और वह स्थगन प्रस्ताव मैंने प्रोफेसर केदारनाथ जी के हाथ भिजवा दिया। उसमें थोड़ी 5-10 मिनट की देरी हो गयी थी इसलिये समय पर नहीं पहुंच सका। आज चूंकि मुख्य मन्त्री गंगानगर में किसान संघर्ष समिति द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के संबंध में वक्तव्य देंगे तो अन्य कई जिलों में भी किसान आन्दोलन के बारे में ही मेरा स्थगन प्रस्ताव है, अतः उस वक्त स्थगन प्रस्ताव के अनुकूल ही सारे किसान आन्दोलन के संबंध में मन्त्री महोदय द्वारा कुछ बोल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : निर्णय तो मैंने निवेदन कर दिया। स्थगन प्रस्ताव का फैसला सुनाता तब भी आप बोलते। अब मैंने कह दिया है कि आप बोल लेना।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : मेरा स्थगन प्रस्ताव है अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनको दी जावेगी। आज उनमें बड़ा असंतोष है। यह कह नहीं सकते कि कब मिलेगी। बहुत लम्बे समय से उनको ये छात्र वृत्तियां नहीं मिल रही हैं। बच्चों को खाने के लिये रोटी नहीं है। इसलिये मेहरबानी करके निश्चित तौर से बता दें कि उनको ये छात्रवृत्तियां कब तक मिल जावेंगी।

श्री हरिदेव जोशी : इस वर्ष तक की—मार्च के एन्ड तक पूरी की पूरी देने की कोशिश करेंगे। यदि इस मार्च में नहीं चुका पाये तो अप्रेल में निश्चित रूप से चुका देंगे। डिस्बर्समेंन्ट में देर हो सकती है। डिसिजन में कहीं कोई पोल नहीं है। डिसिजन देने का हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का पैसा नहीं आया था। हमारे यहां की सेन्क्शन का काम था आदि ये कई चीजें थीं। जहां तक डिसीजन का सवाल था वह हो चुका है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश तो यही करेंगे कि उनको 31 मार्च तक पेमेन्ट हो जाय किसी कारण से नहीं हो सका तो अप्रेल में निश्चित रूप से हो सकेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है वह बहुत ही अहमियत का प्रश्न है। 18 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जो लोग गृह निर्माण समितियों में रह रहे हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जिनके पास मकान नहीं हैं उनको मकान दिये जावेंगे। स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने भी यह माना है कि कई सालों से लोगों को मकान के प्लाट नहीं दिये गये हैं। उन लोगों ने कृषि भूमि में गृह निर्माण समितियां बना कर मकान बना लिये हैं। पीने के पानी की व्यवस्था सब जगह पर कर दी गयी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कृषि भूमि में 136 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। अधिकांश ने पक्के मकान बना लिये हैं। लोग उनमें रहने लग गये हैं। ये वे लोग है जिनके पास मकान नहीं है। यू०आई०टी० के द्वारा प्लाट्स न देने के कारण यहां प्लाट्स लेकर लोगों ने उन पर मकान बना लिये। आप के द्वारा यह घोषणा कर देने के बावजूद भी न मालूम क्यों वाटर वर्क्स वाले वहां पर जल की लाईन नहीं डाल रहे हैं। सार्वजनिक नल भी नहीं लगाये गये हैं जिससे कि वहां लोग अपने पीने के पानी का प्रबन्ध कर सकें। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि, उन लोगों ने बिजली के कनेक्शन अपने यहां पर ले लिये हैं, कनेक्शन की व्यवस्था हो गयी है बिजली के, लेकिन जल की व्यवस्था नहीं हुई है। मकान बन गये हैं। मकान बन जाने के बाद उनको पानी का कनेक्शन देना चाहिये। राज्य सरकार ने इस पर रोक क्यों लगा दी है। उनको रेगुलराईज करने जा रहे हैं। मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे रहे हैं। कमेटी है उसमें प्लान का भी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कल चलेंगे। 11 बजे कल डिस्कशन होगा। आप हम साथ चलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको निमन्त्रण मिल गया होगा। मुझे नहीं मिला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन के अन्दर इतने जोरों की आवाज आ रही है कि कुछ अच्छी तरह से सुनाई नहीं पड़ता। मेरा इतना सा निवेदन है, मैं यह तो नहीं कहता कि माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें, लेकिन इस तरह से न करें कि जिससे डिस्टर्ब हों।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राज्यपाल महोदय के भाषण में भी कहा गया है। पहले जो कमेटी बनी थी वह तो भंग हो गयी। रामबाग पैलेस की सड़क से चलें तो आप देखेंगे कि लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं, अब उनको आप तोड़ नहीं सकते। ये सारी चीजें मास्टर प्लान में एडजस्ट होकर, जिन जिन ने ओब्जेक्शन्स दिये हैं उनको सुन सुन करके अन्तिम रूप दें। कृषि भूमि के अन्दर लोगों के आवासीय मकान बन गये। उनको तोड़ना नहीं चाहिये। बिजली का कनेक्शन उनको दे दिया। वाटर लाइन जल विभाग द्वारा नहीं डाली गयी है, वह डाली जाकर उनको कनेक्शन दिये जायं। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उन लोगों को आप मेहरबानी करके पानी का कनेक्शन दें। कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित कर दी गयी है उसके बाद पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाता है। इसलिये पानी का कनेक्शन दीजिये। मास्टर प्लान के ऊपर विचार करिये। जितनी गृह निर्माण समितियां हैं उनके प्लाट्स को उसमें एडजस्ट करके आप उनको पानी का कनेक्शन दीजिये। स्वतंत्र भारत में पीने का पानी नसीब न हो इससे बढ़कर और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती।

Page No 41

(५१)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : गत बजट सत्र में, अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी, दौसा होस्पिटल में एक्सरे मशीन लगा दी जावेगी ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा होस्पिटल में पच्चीस, तीस, चालीस मील दूर से लोग इलाज के लिये आते हैं वहां पर एक्सरे की मशीन तो आ गयी लेकिन इक्विपमेन्ट और एक्सरे प्लेंट्स की कमी के कारण लोगों को छोटी छोटी बातों के लिये जयपुर आना पड़ता है । मैं निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा की थी अब इतनी छोटी सी बात के लिये क्यों आप साख गिराते जा रहे हैं ? लोगों में यह धारणा क्यों बनाने जा रहे हैं कि मिनिस्टर की घोषणा का महत्व नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप चालू करिये ।

श्री अध्यक्ष : Thank you.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान के पाचों मुद्रणालयों में गो-स्लो संघर्ष चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में हो जाय ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : थोड़े से में ही मुझे मालूम हुआ है कि पचास फीसदी ही काम रह गया है । बजट आने वाला है उसमें भी बाधा पड़ने वाली है। गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं निवेदन करूंगा कि उनकी उचित मांगे हैं उनका जल्दी से जल्दी फैसला किया जाय । अप्रेल 1973 को जब हमारे मंत्री राव साहब मसूदा थे उस समय प्रेस कर्मचारियों को आश्वासन दिये गये थे कि जल्दी ही आर० एस आर० लागू करेंगे । और राणावत कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वेजेज भी दिये जायेंगे 26 केटेगरीज में से 15 केटेगरीज को राणावत कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इन्क्रीमेन्ट्स मिल गये हैं । 11 ऐसी केटेगरीज हैं जिनको इन्क्रीमेन्ट नहीं मिले हैं । इस आधार पर और छुट्टियों का सवाल है ये दोनों उचित सवाल हैं जिन पर मंत्री महोदय थोड़ा बहुत विश्वास दिला दें तो जो प्रेस में दिक्कत चल रही है वह कम हो जाय । अगर वे यह निर्णय लेलें कि काम नहीं करेंगे तो आपका बजट भी समय पर नहीं आ सकेगा इसलिये यह अर्ज किया चाहता हूं कि देवपुरा समिति के जो चेयरमेन हैं उन्होंने यह लिखा है कि मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह एनोमली क्यों रखी गई है । 15 केटेगरीज को तो इन्क्रीमेंट दे दिया गया और 11 को एक्सक्ल्यूड कर दिया गया एक ही डिपार्टमेंट में इस तरह का डिसक्रिमिनेशन क्यों रखा गया है ? इस तरह के डिसक्रिमिनेशन से स्टाफ में आपस में मन मुटाव होता है ।

दूसरी तरफ में राज्य सरकार, अभी उप मंत्री महोदय भी हैं प्रेस के यहां तो वे, इस बारे में कम से कम यह फरमा दें कि जो डिसक्रिमिनेशन है वह दूर कर दिया जायगा । वह बात मान ली जायगी । सिर्फ इतना सा एश्योरेन्स मिल जाय तो उनकी मांग पूरी हो जाय । प्रेस के डाइरेक्टर प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट्स इस बारे में चिन्तित हैं । पूरा बजट छापना है, 10 दिन का अवसर रह गया है इसलिये इस ओर जल्दी ध्यान फरमा दें, यही मेरी गुजारिश है ।

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आश्चर्य की बात है कि 21 फरवरी, 1974 को एक लड़की को लनकरणसर के थानेदार ने रात को 11-00 बजे अपनी जीप में बैठाकर उड़ाने वालों का साथ देकर ले जाय— इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव था। वे थानेदार महोदय उस लड़की को उड़ाकर ले गये, थानेदार अपनी जीप में ले जाते हैं और वह लड़की गंगानगर में किसी एक व्यक्ति को बेच दी जाती है। फिर तीसरे व्यक्ति ने दांता राम को बेच दी, दांता राम ने पत्ती वाले को बेच दी और पत्ती वाले ने नक्षत्र सिंह को बेच दी और वह नक्षत्र सिंह के पास ढाई महीने रही। 14-11-74 को वापस घर वालों के प्रयास से डी० वाई० एस० पी० ने उसके घर पर जाकर बरामद कर लिया। एक महिला ने अपने बयान में कोर्ट में हलफनामा दे दिया, खुद ने इस बात का कि पुलिस का एक थानेदार उन डकैतों से, उन बदमाशों से मिलकर एक लड़की को उड़ा ले जाता है। लड़की जाती रही और उसके अगेन्स्ट आप कोई एक्शन न लें। उसके माता पिता का कहना है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिखने के बाद कोई एक्शन नहीं। अगर एक्शन नहीं होगा तो इस प्रकार की घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता है। लड़की से पूछते, पता लगाते, थानेदार को निलम्बित करते। लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही राज्य सरकार ने नहीं की। मुझे स्वयं वह लड़की, जब यहां आई थी और उसके माता पिता ने कहा है कि हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास गये हैं और उनको यह सारी जानकारी दे दी है उसके बावजूद वह थानेदार वहीं का वहीं टिका हुआ है। मेरा नम्र निवेदन है, राज्य सरकार मामले की जांच करें और अपराधी थानेदार ने जो गड़बड़ की है उसको दण्डित करें।

श्री बेगा राम (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, हमारे गंगानगर जिले में एक रिडमलसर मण्डी है जिसमें कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। न गंगानगर से है और न रिडमलसर से है। वहां मण्डी है, शहर है, मैं यह निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से रिडमलसर से रायसिंहनगर सड़क का निर्माण कराया जाय और दूसरा सुझाव मेरा यह है कि छोटी छोटी सड़कें जो कृषि उपज मण्डियों में है, पदमपुर में आपके आदेश हैं कृषि-मंडी से जोड़ा जाय और छोटी छोटी सड़कों का निर्माण कराया जाय। अगर बजट न हो तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय छोटे छोटे जो गांव है उनकी सड़कों को पूरा कराया जाय और एक रिडमलसर मण्डी का निर्माण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आपका है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : वह तो मुझे मालूम है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नगरपालिका चित्तौड़गढ़ से सम्बन्धित है। वहां पर नगरपालिका समाप्त हो रही है उसके दो दिन पहले वहां के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास चौधरी ने 48 प्लाट बहुत कीमती

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जिसकी करीब 10 लाख की कीमत है नगरपालिका अधिनियम की धारा 80 के अनुमति के बिना जिसको लीज पर नहीं दिया जा सकता है, टाऊन प्लानर के बिना लीज सेल नहीं हो सकती है, उसके विपरित दो दिन पहले एप्लीकेशन लेकर अपने स्वयं को, अपने पार्टनर को, अपने मेनेजर को, अपने एम्पलाईज को 10 लाख की जमीन देकर खुर्दबुर्द कर दी। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा जब एक व्यक्ति राजा बन गया था तो उसने अपने दो दिन के शासन काल में चमड़े के सिक्के चला दिये थे। तो उसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम चौधरी ने अपने जाते हुये शासन काल में जो प्लाट काटे वे 25 पैसे प्रति वर्ग गज से दे दिये लीज पर और, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा एक प्लाट अपने स्वयं के मैनेजर के नाम पर सुगन चन्द, मैनेजर, गंभीर रोडवेज, ले लिया, दूसरा प्लाट श्री मोहम्मद सफी, पार्टनर के नाम पर जो बस एसोसियेशन के अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर ले लिया चौथा प्लाट श्री शम्भुदयाल, मैनेजर, मोटर एसोसियेशन के नाम पर ले लिया, पांचवां प्लाट सुगन चन्द, मुनीम के नाम पर दिया इसी तरह 6ठा प्लाट नगर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार के नाम पर दे दिया, सातवां प्लाट स्वतन्त्र भूषण, प्रधान कपासन के नाम पर है, आठवां प्लाट श्यामपुरी जो पुत्री भी है और वहां की सदस्या भी हैं।

इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। 48 या 49 प्लाट एक ही डेट में पहले की डेट में, जो लीगल प्रोविजन्स के खिलाफ है, राज्य सरकार के पास नगरपालिका का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया उन्होंने अपने आप एक कागज में लिखकर सबको वितरित कर दिये। अध्यक्ष महोदय, यह राजकीय भूमि और सरकारी भूमि की खुले रूप से लूटपाट हुई है और वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा तो यह एक गंभीर बात है। 10 लाख की सरकार की भूमि को खुर्दबुर्द कर दिया। जिलाधीश का भी प्रतिवेदन था, जिलाधीश ने आदेश दिया सारी कार्यवाही अवैधानिक है, उन्होंने आदेश दिया है कि यह घपला है। नगरपालिका के अध्यक्ष ने कानून को ताक में रखा है। उन्होंने राज्य सरकार को लिखा है। लेकिन उसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, आज निर्माण की कार्यवाही हो रही है। नगरपालिका के 80 हजार रुपये लगाकर उस जमीन को ठीक करवाया जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने सारे के सारे 50 प्लाट्स अनधिकृत तरीके से, अवैधानिक तरीके से अपने नाम और अपने भाई-भतीजों के नाम बांटे हैं। तो मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय तुरन्त उस निर्माण कार्य को रोकने के लिये आदेश प्रदान करें। नम्बर 1, इस सारे काण्ड के बारे में राज्य सरकार को सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये और जब तक स्पष्टीकरण न हो तब तक प्लाटों का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये अन्यथा होता यह है कि एक बार जो निर्माण कार्य हो गया, 30-30 हजार के प्लाट बन रहे हैं और 50 प्लाट हैं तो फिर सामने प्रश्न आयेगा इनको रेगूलराईज कर दिया जाय, इनको नियमित कर दिया जाय तो इसका सीधा अर्थ यह होगा 10 लाख की भूमि और 80 हजार नगरपालिका की राशि जो जमीन को समतल करने के लिये है भ्रष्टाचार का ज्वलन्त उदाहरण है - एन्टी-डेटेड है, अवैधानिक है। इसमें मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय अति शीघ्र निर्माण कार्य को रोकेंगे। यदि

Page No 44

(५५)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इसमें मैं कहीं गलती पर हूं तो चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या इस बात को कहीं अधिक अधिकृत रूप में कह सकती हैं। वे इस मामले से पूर्णतया परिचित हैं। इसमें कहीं कोई इनफ्रा स्टेटमेंट नहीं है। कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट लिखा है भाई-भतीजावाद में सारे प्लाट बांटे गये हैं। अन्धा बांटे सीरनी फिर फिर अपने को देय, यह कहावत पूर्णरूप से यहां चरितार्थ हुई है। ननिहाल का जीमन और मां परोसनी वाली तो क्यों नहीं अपने अपने को दें। मैं अध्यक्ष महोदय, केवल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे आशा है शीघ्र कोई न कोई एक्शन लेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अकलेरा से मनोहरथाना तक बने मिट्टी के रोड को डामर रोड बनवाये जाने,

(ii) नेवज नदी की ल्हास के पास वाली पुलिया को ऊंचा करवाये जाने, तथा

(iii) चाचौड़ा रोड पर कालीखाड़ नदी का पुलिया का अपूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने,

के संबंध में 6 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कालेजों में एम० ए० तक पंजाबी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं पदमपुर को गंगानगर से बड़ी रेलवे लाइन द्वारा जोड़ा जाने के संबंध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं घनश्यामदास रूईया चेरिटी ट्रस्ट, बम्बई द्वारा संचालित श्री जी० डी० रूईया सैकेण्डरी स्कूल, रामगढ़ (शेखावाटी), जिला सीकर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन की जांच करवाये जाने के संबंध में 4 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजा पार्क सिन्धी कालोनी, जयपुर-4 में निर्मित क्वार्टर्स के गलत आवंटन के संबंध में 2 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जिला टोंक में झिराणा-टोडारायसिंह सड़क पर मरम्मत करवाये जाने के संबंध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं० 27, सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट,

राजस्थान भूमि-सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि-सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं० 6 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंहजी !

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (राजस्थान अध्यादेश 22 सन् 1974) तथा राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (राजस्थान अध्यादेश सं० 2०सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान में किसान संघर्ष समिति के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पॉइन्ट ऑफ इनफार्मेशन सर। मैं सूचना के तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल यहां पर चूरू काण्ड की चर्चा हुई थी और अभी अभी मेरे पास टेलीफोन आया है कि पाली नगर के अन्दर वहां के एस०पी० श्री नारायण सिंहजी नेता विद्यार्थी नेताश्री मदनसिंह, तेजसिंह आदि को स्वयं का लड़का हनुमानसिंह दोनों को पुलिस कस्टडी में लेकर पीट रहे हैं और उसके कारण से वहां पर हड़ताल हो रही है, जनआक्रोश बढ़ रहा है तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक विधान सभा सेशन में है और ऐसी दुर्घटनायें एक के बाद दूसरी नहीं हों-इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आप प्रापर वे में उठायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन्हीं नारायण सिंहजी के द्वारा पिछली साल बिजली के करेन्ट लगाये गये थे पुलिस कस्टडी में और मैंने मामले को उठाया था। आज भी वही स्थिति बन रही है तो मैं केवल ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ऐसी चीजों को आगे नहीं बढ़ने दें ताकि चूरू के काण्ड की पुनरावृत्ति पाली में न हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर किसान संघर्ष समिति····

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव····

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तो बहुत पहले समाप्त हो गए।

श्री गुरदयालसिंह संधु : उसी का जवाब दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद तो विधेयक वगैरह आ गये!

श्री गुरदयालसिंह संधु : इसी संबंध में अर्ज कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें उसके बाद कह दें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं यह स्पष्ट कर रहा था कि मेरा स्थगन प्रस्ताव जो 18-2-75 को पेश किया गया और जिसका कि उत्तर

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)
दिया जा रहा है वह राजस्थान के संबंध में था। गंगानगर के संबंध में नहीं था।

श्री केदारनाथ : राजस्थान किसान संघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा है आन्दोलन।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में किसान संघर्ष समिति द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के समर्थन में गत 14 फरवरी, 1975 से किसान नेता सरदार श्री सेवासिंह के आमरण अनशन किये जाने के बाबत स्थगन प्रस्ताव द्वारा श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य, विधान सभा के संबंध में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है :–

किसान संघर्ष समिति द्वारा गंगानगर जिले में 17 जनवरी, 75 से दिनांक 29 जनवरी, 75 तक किसान आन्दोलन के नाम से प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

दिनांक 10 फरवरी, 75 को हनुमानगढ़ में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने के लिये धारा 151 जा०फो० के अन्तर्गत 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें बाद में मुचलके देकर छोड़ने के लिये कहा गया मगर वे इन्कार हो गये। इसलिये उन्हें जेल में रखा गया। बाद में स्थिति को ध्यान में रखकर 18 फरवरी, 75 को उन्हें जेल से छोड़ दिया।

इसी दिन आन्दोलनकारियों ने सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, गंगानगर के कार्यालय में बलपूर्वक प्रवेश कर दरवाजों के शीशे तोड़ दिये व सरकारी फाइलें भी फाड़ दी। जिस पर नियमानुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग संख्या 60 दिनांक 10 फरवरी, 75 धारा 452/440/332/353/147/149 ता०हि० के अन्तर्गत थाना कोतवाली गंगानगर में पंजीबद्ध किया गया जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। यह आरोप असत्य है कि आन्दोलनकारियों को मिथ्या अभियोगों में फंसाया जा रहा है।

दिनांक 14 फरवरी, 75 से श्री सेवा सिंह पुत्र श्री हरीसिंह, जिलाधीश कार्यालय, गंगानगर के बाहर अनिश्चित काल के लिये भूख-हड़ताल कर बैठे हैं।

इस आन्दोलन के सिलसिले में चूरू जिले में 114 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार कर बीकानेर जेल भेजा गया था। जेल में सुविधाओं के प्रश्न को लेकर आन्दोलनकारियों और जेल कर्मचारियों और कैदियों के बीच झगड़ा हुआ। इस मामले में अतिरिक्त कलेक्टर बीकानेर द्वारा तुरन्त जांच करायी गयी और जेलर की असावधानी पायी गई जिस पर उन्हें निलम्बित किया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गंगानगर जिले में आम किसान अपनी खेती के काम में व्यस्त हैं। उनकी समस्याओं को समय पर हल किया गया है, जैसे गंगानगर शुगर मिल में गन्ने की कीमत प्रति क्विन्टल 13.75 रु० दी जा रही है, नहरों में पानी पूरा दिया जा रहा है, पंजाब सरकार से ऐसी व्यवस्था की गई है कि गेहूं की फसल के दौरान पानी की कोई कमी न हो तथा रासायनिक खाद भी पूरी मात्रा में उपलब्ध है।"

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ पाया हूं कि राज्य सरकार किसानों की तकलीफों को ध्यान में नहीं रखना चाहती है। चन्द थोड़ी सी बातें कह कर कि कुछ लोगों ने गड़बड़ की और उन पर

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

मुकदमे चलाए गए, हम इसको काफी नहीं मानते हैं। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि गंगानगर के झूठे मुकदमे बनाए गए जब कि किसान बराबर अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे वे बाहर नहीं रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की गड़बड़ी की जाय लेकिन सरकार यह चाहती थी कि किसी तरह से गड़बड़ हो और किसानों की तकलीफों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि अलवर के अन्दर 65 सत्याग्रहियों को चौराहे पर एक एक ट्रक से उठा कर पीटा गया। चूरू के अन्दर अभी 2 पैंतीस आदमियों को गिरफ्तार कर बीकानेर जेल में छः माह के लिए बन्द किया हुआ है। जो लोग अपनी तकलीफें बताने गए थे उनकी किस तरह से पिटाई की गई है। सरकार को महसूस करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इस तरह से राजनैतिक आधार पर यह सारा सलूक कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है। मैं फिर अर्ज कर देना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह किसानों के साथ बैठ कर इनकी बातों को सुनें, उनसे बात करे और सरकार को अगर इस तरह से नहीं करना है तो मैं सरकार का ध्यान दिला देना चाहता हूं कि हम कोई टैक्स सरकार को नहीं देंगे। अब नहीं देंगे और अगर कुछ वसूल करलेंगे तो हम लेवी नहीं देंगे और लेवी में भी कुछ अड़चन डाल कर कुछ कर लिया तो मैं यह मानकर चलता हूं कि अब की बार लेवी में एक पाव अनाज भी गंगानगर जिले से इस दफा नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसानों को संतुष्ट नहीं करेंगे तो अगर आप यह समझते हैं कि जयपुर में बैठे हुए हम हुकूमत कर लेंगे तो हम राजस्थान के किसान इसको सहन नहीं करेंगे। अगर आप किसानों की तकलीफों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको लेवी नहीं मिलने वाली है। इसलिए, आपको चाहिए कि आप किसानों को बुला कर उनसे पूछिये कि आपको क्या तकलीफ है। सिर्फ इतना कह देना कि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करें कोई आधार नहीं है। आप कहते हैं कि पानी मिल रहा है, वह पानी आपने नहीं दिया है, कुदरत ने दिया है। आपने तो कह दिया था कि 15 जनवरी के बाद हम पानी नहीं देंगे। और इसके बावजूद पानी मिल रहा है तो वह आपने नहीं दिया है। आप चाहे पंजाब गवर्नमेंट से बात करें चाहे किसी से बात करें, पानी हमारा हक है, हम लोगों को पानी मिलना चाहिए और हम लेकर रहेंगे। इसके बावजूद अगर जो हमारी तकलीफें हैं, किसानों के सामने तकलीफें हैं अगर उनको दूर नहीं किया गया तो इस सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे। इसलिए मैं एक बार फिर सरकार को निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसानों को बुला कर उनसे बात करें और उनकी तकलीफों को दूर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जब आपने 1970 में उनको कुछ रिलीफ दी थी वह एक एक करके वापिस ले ली और जो हमारे पर जो इतना बड़ा टैक्स लगाया जा रहा है जो हम देने के काबिल नहीं हैं और फिर हम से उम्मीद करते हैं कि हम लेवी लेंगे। हम कोई टैक्स नहीं देंगे, लेवी नहीं देंगे और आपकी जेलों में जाना मुनासिब समझेंगे। यही कहता हुआ मैं फिर एक दफा आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप किसानों को बुला कर बात करें अगर किसानों की तकलीफों को दूर करें अगर नहीं करेंगे तो उसके नतीजे का जिम्मेदारी आपकी होगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय राज्य गृह मंत्री

(श्री मोहरसिंह)

गृह मंत्री महोदय के द्वारा किसान संघर्ष समिति की तरफ से 12 मांगों पर चलाए गए सत्याग्रह के ऊपर दो जिलों के बारे में मामूली सा बयान दे कर बैठ जाना इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार का किसानों की तरफ ध्यान बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान प्रान्त की रीढ़ है और वही अगर दुखी है तो सारा प्रान्त दुखी है। अकाल के प्रकोप से कतने किसान दुखी हैं और उनके खेत सूख गए हैं तो बाजार भी आज कल सूखे पड़े हैं। हर तबके के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। किसान संघर्ष समिति की बारह मांगों के अन्दर यह एक अकाल की समस्या भी शामिल है। इसी तरह से राशन की समस्या है, लेवी की, जबरदस्ती लेवी लेने की समस्या है जो छोटे किसानों से लेवी ली जा रही है वह भी समस्या शामिल है। कुल मिलाकर 12 मांगों के ऊपर दिसम्बर से लेवी के प्रश्न पर खास तौर से बूंदी के अन्दर आन्दोलन चला। 3 दिसम्बर को जुलूस निकाला गया, पांच हजार आदमी जुलूस लेकर बूंदी कलेक्टर के सामने जाकर वार्तालाप द्वारा अपनी समस्या सुलझाना चाहते थे। उसके अन्दर जबरदस्ती लेवी लेने की समस्या और गन्ने के भाव बढ़ाने की बात थी। नवम्बर में जो किसान कन्वेंशन में चार्टर तैयार किया गया था उसके आधार पर 12 मांगें उनके सामने थीं। उनको लेकर जिलाधीश के सामने वार्तालाप करने के लिए गए लेकिन आर०ए०सी० और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह 3 दिसम्बर की बात है उसके पश्चात् गांवों के अन्दर पुलिस और आर०ए०सी० ने औरतों को बेइज्जत किया, लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए। यही काण्ड अलवर में किया गया। यही बीकानेर में हुआ, राजगढ़ के सत्याग्रहियों के साथ में। अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो बाहर पिटाई होती थी लेकिन जेलों के अन्दर अपने आपको महफूज समझते थे। जिस सरकार के हाथ में हमारे सत्याग्रही हैं वहां तो वह महफूज होंगे लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जेलों में भी आज प्रोटेक्शन नहीं है। क्या बंगाल की पुनरावृत्ति जेलों में करना चाहते हैं जहां सत्याग्रहियों पर जेलों में, आन्दोलनकारियों पर जोर जुल्म किए गए हैं। एक तरफ हमारे मुख्य मंत्री महोदय इस बात की वांछना रखते हैं कि हर तरह से शान्ति रखी जाय। जब भी मैं दौरे पर जाऊं या कांग्रेस के जलसे में जाऊं तो किसी प्रकार की गड़बड़ न हो और दूसरी तरफ इस प्रकार की जोर जबरदस्ती। किसानों पर लाठी चार्ज हो, उनकी पिटाई हो, उनकी वाजिब मांगों पर ध्यान न दिया जावे, उनको पूरी तरह से परेशान किया जाय। यही बाड़मेर की शिकायत आई, यही हालत अलवर में हुई। एक तरफ तो किसान जिलाधीशों के सामने अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। नागौर में भी यही किस्सा हुआ। जगह-2, गंगानगर में हर जगह, हर जिले में इसी प्रकार की समस्यायें सामने आई हैं। अलवर और कई जगह अभी भी वारण्ट से कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है। जो गिरफ्तारशुदा हैं बीकानेर की जेलों के अन्दर उनको अभी तक सत्याग्रहियों को छः छः महीने के लिए रखा गया है। एक तरफ तो मुख्य मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि सोहार्दपूर्ण वातावरण रहे, प्रान्त में शांति रहे, हमने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया है, कहीं पर किसी प्रकार की शांति भंग नहीं की, किसी जगह कोई उत्तेजना नहीं, शांति के साथ हमारी मांगें रख रहे थे, अनाज के लिए और राहत कार्य बड़े पैमाने पर खोलने के लिए। हर जगह पर ताकीद की गई कि पूर्ण शांति के साथ, शांति-

(श्री मोहरसिंह)

पूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी जावें लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ में, सत्याग्रहियों के साथ में बुरा बर्ताव किया गया। आर०ए०सी० और पुलिस ने उनके चोटें लगाई और इस तरह से उनको परेशान किया गया और आज भी जगह-2 सत्याग्रहियों को परेशान किया जाता है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह किसान संघर्ष समिति के साथ बैठ कर बातचीत करें और किसानों को जो वास्तविक दुखदर्द है, उनकी समस्यायें हैं उनका हल निकालें। इस आशा के साथ में मुख्य मंत्रीजी इस समस्या का हल निकालेंगे, जगह-2 सत्याग्रह बन्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई वार्तालाप आरम्भ नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वह सत्ता के जोम में हैं। वे समझते हैं कि हमारे पास में आर० ए० सी० है, हमारे पास में फौज है, पुलिस है, हम किसानों के सर कुचल देंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत ऐलानिया तौर पर कह देना चाहता हूं कि किसानों के सिर तोड़ने में तो बड़े-2 राजा महाराजा जिनका पांच पांच सौ वर्ष का राज्य था वह भी नाकामयाब रहे, उनका मुकाबला नहीं कर सके। पहले भी गोलियां और लाठियां खाई हैं और आज भी गोलियां और लाठियां खाने को तैयार हैं। आज भी आप लाठियां चला कर हमें नहीं दबा सकते, हम किसानों को नहीं डरा सकते। इसलिए मेरा साफ तौर पर निवेदन है· · ·

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह : . . . कि इन हालातों को ठीक ढंग से सुलझाना आवश्यक है जिसके लिए जरूरी है कि मुख्य मंत्री किसान संघर्ष समिति के नेताओं के साथ, कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठ कर बात को और उनकी सहमति से जो उनको वास्तव में दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं उनको सुलझायें, इस समिति को अब अधिक आगे न ले जायें और इस चीज को हल करने के लिए सबसे पहले जो वारण्ट जारी कर रखे हैं कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ, उनको रद्द किया जावे। और जेल में जो छः छः माह के लिए बन्द किया हुआ है बीकानेर में, गंगानगर में, यही हालत बाड़मेर में है और दूसरी जगह है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाय। बूंदी के सत्याग्रहियों को रिहा किया जाय जिससे अच्छा वातावरण बन सके और बातचीत के जरिये हम अच्छी तरह से इस सारी समस्या को मिल कर हल कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है वह नाकाफी समझते हैं और इसके अन्दर अच्छी तरह से मंत्री महोदय दुरुस्ती करें और विश्वास दिलायें कि वास्तव में आपका दिल किसानों के बिपरीत नहीं है और इस महान दुष्काल से जो पीड़ित किसान हैं उनको राहत देने का आपका दिल है इस बात का सबूत आज इस हाउस में दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। एक बात तो यह कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल यह बताया कि वे सारी समस्याओं को फेस करते हैं। कन्फ्रन्टेशन की राजनीति से दूर करके सारी समस्याओं को सुगमता के साथ सुलझाने का उनका प्रयास रहेगा। मैं इस बात की ताईद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी समस्याओं को फेस करने के लिए तत्पर रहते हैं, समस्याओं को एवायड नहीं करते हैं जिस प्रकार कि पहले कभी हुआ करता था, लेकिन उसके

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आधार पर सुगमता से जहां तक सुलझाने का, समस्याओं को हल करने का सम्बन्ध है मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्तव्य दिया गया है वह कहीं पर लाठी चार्ज हुआ है, कहीं पर पुलिस ने गिरफ्तारियां कर लीं, उसके बारे में वक्तव्य दिया गया है, किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिवेदन है, एक मेमोरेण्डम है, उसमें उनके इर्रिगेशन ड्यूज का सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज का सवाल है, इन्टेन्सिटी आफ इर्रिगेशन का सवाल है, वहां पर गंग नहर की मरम्मत का सवाल है, केश क्राप पर टैक्स लगाया है उसका सवाल है, उनके द्वारा जबरन लेवी का सवाल है, 5 रुपये की बढोतरी का सवाल है, यूरिया का प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को टालकर एक छोटा सा स्टेटमेन्ट दिया गया। कहीं पर लाठी चार्ज हो गया है उसके बारे में वक्तव्य देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी खड़े हो गये। मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, किसान संघर्ष समिति की क्या डिमाण्ड्स हैं उनको समझने में, उनके क्या डाइमेन्शन्स हैं, किस प्रकार से नये डाइमेन्शन्स में इनको सोचना चाहिए, उसको इस प्रकार से समझने में हमारा शासन सफल नहीं हुआ, वरना इसमें निष्कर्ष अपनी अपनी ओर से विचार देकर सारे विभाग निकालते और माननीय मुख्य मंत्रीजी एक कम्प्रिहेन्सिव स्टेटमेंट देते।

अध्यक्ष महोदय, तथ्य यह है कि हनुमानगढ़ में लाठी चार्ज हो गया, टियर गैस हो गया, गिरफ्तारियां हो गईं, दमन हो गया, गंगानगर में 500 गिरफ्तारियां हो गईं, उन पर मुकद्दमे चल रहे हैं। यह एक छोटा सा आस्पेक्ट है संघर्ष के अन्दर दमन पुलिस कर रही है। उसका प्रदर्शन करें, मांग करें वह ठीक है, लेकिन मूलतः प्रश्न इस बात का है राज्य सरकार उनकी मांगों पर क्या विचार रखती है? हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस बारे में विचार करें। इस बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है उसकी घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि राजस्थान अकाल से पीड़ित है। वह एक मोटा प्रश्न है और व्यापक प्रश्न है उसके बारे में डिबेट चल रही है उसका स्पष्टीकरण मुख्य मंत्रीजी कर देंगे। उसकी अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती है वह भारत सरकार करेगी। विशेष-तौर से अकाल से संबंधित जो दूसरे प्रश्न हैं उनके बारे में राज्य सरकार कहां तक सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार है, उनको सुलझाने को तैयार है? मोती राम कमेटी बनाई गई उस कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बराबर मांग की गई, उसके कई पहलूओं को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा गया तो क्या मंत्री महोदय, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए तैयार हैं? वे कहां तक जाने को तैयार हैं, कहां रुकेंगे, कहां तक जायेंगे और कहां तक आपस में कन्सीलियेशन होगा?

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, किसानों की यह समस्याएं हैं। यह वह कहते हैं कि बिजली का ग्रिड सिस्टम लागू हो गया...

श्री अध्यक्ष : वह सभी चीजें इसका सबजेक्ट नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, वह किसान आन्दोलन का सबजेक्ट है और किसान आन्दोलन का....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जनसंघ का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांग्रेस का तो है। मैं आपकी ही तो बात कर रहा हूं। शासन की बात कर रहा हूं। जो समस्याएं प्रदेश में आई हैं उनकी बात माननीय मुख्य मंत्रीजी को पेश करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आप फेस करें लेकिन कन्सीलियेशन के लिए कहां तक जा सकते हैं उस बारे में अपनी दिशा का संकेत करें ताकि दूसरी दिशा भी अपना निर्णय ले सके। ग्रिड सिस्टम चालू करके आपने 10 हार्स पावर की मोटर पर मिनिमम 225 रु० लगा दिये कि इतना तो उनको देना ही पड़ेगा, तो यह अन्याय है किसान के साथ में। जितना वह उपयोग करें उतना ही उसको पेमेन्ट करना चाहिए। शहरों में हाउसेज के अन्दर कन्जम्पशन करने वाला व्यक्ति बिजली काम में कम लायें तो उसको कम देना पड़ेगा, लेकिन एक किसान को 225 रु० देना पड़ेगा। क्या यह अन्याय नहीं है ?

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंग नहर की रिपेयर का प्रश्न है और उस प्रश्न को यहां पर उठाया गया ...

श्री अध्यक्ष : यह डिमाण्ड के वक्त कह सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं 5 मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा, अधिक नहीं लूंगा बाई वाच।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : और मैं देखता रहूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हां आप देखते रहियेगा। उसके पहले ही आप आदेश देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

गंग नहर के बारे में 2,40,000 क्यूसेक्स का 1931 में एन्डरसन एवार्ड हुआ और वह रिवाइज हो गया। उसके बाद में 16 लाख रुपये से रिपेयर करने की बात कही गई, लेकिन उसमें गड़बड़ घोटाला हो गया। रणजीत गढ़ (पंजाब) में जाकर वह सारा सीमेंट बिका और गंग नहर की रिपेयर नहीं हुई, और बिना रिपेयर के, गंग नहर में पानी कैसे आयेगा। अगर यहां का किसान मांग करे और यहां पर चीखेगा और चिल्लायेगा नहीं तो और कहां जायगा वह राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्री महोदय के पास ही तो जायगा। उसकी चीख सुनने के बजाय डंडे के बल पर, जेल में डालकर, लाठी के द्वारा बन्द करना चाहते हैं तो यह जन-कल्याणकारी राज्य में और लोक-कल्याणकारी राज्य में कहां तक उचित है, इसका निर्णय आप करेंगे। इसी तरह से मोतीराम कमेटी के बारे में मैं निवेदन करूंगा। लेवी के बारे में बतलाया कि लेवी के गेहूं का 105 रुपया देना चाहती है। पिछले साल 5 वाइस चान्सलर अलग अलग युनिवर्सिटीज ने ...

श्री अध्यक्ष : आगे इस पर करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह उनकी मांग है कि उचित मूल्य दिलाया जाय। 150 रु० दें या कितना दें यह तो आपके देखने की बात है। यूरिया कीमत 51 रुपये से 105 रु० हो गई और उसके गेहूं का 105 रुपये मिलेगा। डबल हो गई यूरिया की कीमत। दूसरे प्रकार के खाद की कीमत 62 से 170 हो गई। 105 रुपये में फसल पर लेवी देनी पड़ेगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकलचर इम्प्लीमेंट्स पर सरचार्ज लगा दिया। हरियाणा

(श्री गुमानमल लाढा)

में सरचार्ज नहीं लगाया गया। एग्रीकलचर इक्विपमेंट्स पर और राजस्थान में लगाते हैं तो पास में हरियाणा में जाकर जो व्यक्ति एक ट्रेक्टर लेगा उसको 3 हजार रुपये कम देना पड़ेंगे और राजस्थान में 3 हजार ज्यादा, ट्रेक्टर की कीमत 10 हजार बढ़ गई है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि दमन के द्वारा उनको दबा रहे हैं यह उचित नहीं है। किसानों की समस्याओं पर सहानुभूति के साथ विचार करें।

सेवासिंहजी, वहां गंगानगर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे राजस्थान के रामुल्लू म हो जायं और कहीं सरकार को व्यापक रूप से जन-आन्दोलन का सामना करना पड़े। इसके लिए यह आपका कर्त्तव्य है कि आप सारे डिस्प्यूट को फेस करें और लोगों को रिहा कर दें और भूख हड़ताल समाप्त करायें। उनकी मांगों को किस तरीके से कहां तक मान सकते हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। यदि आज नहीं किया जा सकता है तो स्टेटमेंट पोस्टपोन कर दें और किसान संघर्ष समिति के नेताओं के साथ में बैठकर कोई रास्ता निकालें। सेवासिंहजी वहां पर बैठे हुए गंगानगर में भूख हड़ताल पर अन्य लोगों के साथ में आन्दोलन चला रहे हैं, ऐसी स्थिति के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति का प्रश्न नहीं समझें और किसानों का इश्यू समझें और उसको उनके डाइमेन्शन्स में सोचना चाहिये, जन-कल्याणकारी राज्य में और उसी प्रकार से उसका हल करने का प्रयास करें और उसी संदर्भ में स्टेटमेंट दें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी, 3 नवम्बर को किसान आन्दोलन के बारे में प्रेस कान्फ्रेंस में आगया। अगर सरकार को इत्तिला मिल गयी, और उसके बाद बराबर इलाके में जलसे, जुलूस, धरने, घेराव शुरू हो गये। यह फ्रेज है आन्दोलन का और प्रमुख रूप से सोशियेलिस्टों और मार्किस्टों और जो छोटे छोटे काश्तकारों की यूनियन है कुम्भारामजी की यूनियन नहीं, वह शामिल हैं। यह कम्पोनेन्ट है। जो घोषित नीति है, मुख्य मन्त्री महोदय की कि लोगों से बातचीत करके समस्याओं को हल करना, उस नीति के बारे में यह रवैया नहीं है। फिर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अलवर से लोग गिरफ्तार हुए। चूरू से हुए। हनुमानगढ़ से हुए। बस 10-12 आदमी पकड़े गये और शाम को 7-8 बजे उनको छोड़ दिया जाता। या उनको 10-15 मील पर ले जाकर छोड़ दिया जाता। यह उनके प्रति नीति ठीक नहीं। बीकानेर में जेलर की यह हिमाकत हो कि हार्ड क्रिमिनल्स से सत्याग्रहियों की पिटाई करवायें। क्या यह ठीक है? आपने सब कहीं छोड़ दिए हैं, यह ठीक है। लेकिन वहां 25-26 आदमी जेल में पड़े हुए हैं। एप्रिहेंसन इन पीस गिरफ्तार करना। अन्दर जेल में बन्द कर देना। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, 10-2-75 को गंगानगर जिले से एक हजार आदमियों ने गिरफ्तारी के लिए पेश किया। 15 आदमियों को पकड़ा। सिर्फ 15 आदमियों को पकड़ा। यह स्टेटमेंट उचित नहीं है। मैं इसको स्टेटमेंट नहीं मानता हूं। स्टेटमेंट हम उसे मानते हैं जिसमें राज्य सरकार की क्या कार्यवाही है? इसमें कोई हवाला नहीं है। 10 तारीख से लेकर अब तक क्या कार्यवाही हुई है। अलवर में गिरफ्तारी हुई। बांसवाड़ा में गिरफ्तारी

Page No 54

(54)

(श्री केदारनाथ)

हुई। उसका कोई हवाला नहीं है। मैं इसको स्टेटमेंट नहीं मानता हूं। इसलिए मेरा यह निवेदन है, मुख्यमंत्री महोदय से, आप यह घोषणा करें, कितने लोग गिरफ्तार हैं। जितने मुकदमें बनाये गये हैं, वह वापिस लिए जायें। किसानों ने जो संघर्ष किया है, उनसे बात करें। सेवासिंहजी भूख हड़ताल पर हैं। उनकी जान बचाई जा सकती है। मान्यवर, यह वही बातें हैं जो आपने रावत-भाटा में तय की हैं। वहां के लोग भूमिहीन हैं। शहरों में मजदूर और पढ़े लिखे लोग बेकार हैं। मैं समझता हूं कि इससे आप शान्ति का वातावरण पैदा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि आज किसानों की समस्या गम्भीर है। चाहे वह गंगानगर जिले के भूमिहीन किसानों की समस्या हो, चाहे किसानों को इम्प्यूट्स देने की समस्या हो। चाहे वह गरीब किसानों की बात हो। चाहे वह उन मजदूरों की हो जो सारी उमर पत्थर निकालते रहते हैं और मिट्टी डालते रहते हैं। फिर भी आज सागड़ी प्रथा के शिकार हैं। गंगानगर में 3 नवम्बर, 69 को नीलामी के प्रश्न को लेकर आन्दोलन हुआ। उसके बाद सरकार ने एक टेबुल पर बैठकर निर्णय लिये। किसानों की बहुत सी बातें पूरी हुई और बहुत सी नहीं हुईं। मैं अपनी पार्टी की ओर से निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में जो अच्छी कार्यवाहियां हैं उनकी प्रशंसा करता हूं। जो गलत कार्य-वाहियां हैं, उनकी निन्दा करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद में 15 हजार 50 एकड़ जमीन का वितरण हुआ है। दूसरे इम्प्लीमेण्टेशन हुए हैं। यह भी हुआ है कि जिले में 30% धरती हरिजनों को मेन कैनाल पर मिले। यह मेरी पार्टी मानती है। लेकिन उनमें से बहुत सी घोषणायें हैं जो पूरी नहीं की गई हैं। मोतीराम कमीशन कायम हुआ। आज यह है कि गंग नहर टूट सकती है। वह सारी कोलेप्स हो सकती है। यहां तक हो सकता है कि हमारी जमीन पर पंजाब ने नहर बनाकर, अगर गरीबों को पानी दे दिया होता तो दूसरी बात थी, लेकिन कुछ भूपतियों को पानी दिया गया है। जिसके संबंध में पंजाब विधान सभा में भी प्रश्न आया है। वहां की विधान सभा में इस बात की आलोचना की गई कि कुछ बड़े किसानों के लिए माइनर निकाल कर पानी दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो या गंगानगर हो। मैं समझता हूं कि हरिजनों की स्थिति गम्भीर है। विशेष कर खेत मजदूर की है। आज कई बड़े किसानों ने वहां पर कोर्ट बना रखी है। और गरीबों पर यह पैनल्टी करते हैं। अगर एक गन्ना तोड़ ले तो वहां जो सूरतगढ़ के भूपति हैं, जिन्होंने बैठक कर एक कमेटी बनाई है और फैसले किए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो आन्दोलन चलाया जा रहा है, उनकी एक मांग यह भी है कि लेवी वसूल नहीं हो।

श्री गुरदयालसिंह संधु : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्तसर में कहें। मुख्तसर में फरमा दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, जो इजलास हुए हैं, उनके मुकाबले में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है। वैसे गंगानगर जिले में कई किसान यूनियन हैं जो संघर्ष में हैं। किसानों की एक संघर्ष समिति है। एक का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया है। गरीब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किसान समिति है। मैं तो जो लीलाराम वाली है जिसमें बड़े भूपति हैं, उनको किसान संघर्ष समिति के रूप में मानता हूं। एक वह है जिसके नेता कुम्भाराम जी हैं। जब 59 का आन्दोलन हुआ था। जिनका इजलास गंगानगर में हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक दाना लेवी का नहीं दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह माना कि आज पानी की मांग है। इम्प्यूट्स की मांग है। और दूसरे प्रश्न हैं। लेकिन इन सारी बातों के संबंध में मेरा निवेदन है, इस आन्दोलन की सही बात करें तो यह है कि सत्याग्रही कहां जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सत्याग्रही नहीं जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : दो दो सौ तक जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, उनकी मांग नहीं देखी है। वह जयप्रकाश नारायण जिन्दावाद कहते हैं। वह कहते हैं कांग्रेस राज को हटाया जाये। कितने ही हमने ऐसे सत्याग्रहियों को जाते देखा है। 'इन्दिरा गान्धी मुर्दाबाद' और 'जयप्रकाशनारायण जिन्दाबाद'। यह नारे लगा रहे थे। मुझे ताज्जुब है, यहां पर आकर सी० पी० एम० के सदस्य कहते हैं, हम सरकार हटाने की बात नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी समय ले लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और स्टेज पर बोलते हैं तो और बात कहते हैं।

श्री मोहरसिंह : हम कांग्रेस हुकूमत को हटाने की बात के लिए नहीं हिचकिचायेंगे।

एक माननीय सदस्य : हांडा साहब को कहने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने आपको सुना है। आप अपने विचार रख रहे हैं। आगे भी रखेंगे। आपकी पार्टी के विचार तो सारा भारतवर्ष जानता है।

श्री मोहरसिंह : आपकी गद्दारी तो सारा भारतवर्ष जानता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सुन लीजिये, हौसले से सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था, समय काफी हो गया है। मुख्तसिर फर्मा दीजिये। मैं बन्द नहीं कर रहा हूं। कहें, समय की कमी को देखते कह दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी पार्टी का सिद्धान्त है, एण्ड कांग्रेस। कांग्रेस से विरोध है। आप जनता को भ्रम में क्यों डालते हो। आप कहिये, कांग्रेस को राज्य से हटाना है। हमारा सिद्धान्त है, एण्ड कांग्रेस के विरोधी हैं। आप झिझकते हैं, आपमें मोरल करेज होना चाहिए। मेरे में मोरल करेज है, मैं कहता हूं कि राज्य की सही नीतियां हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए मेरी पार्टी लड़ी है (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मोहरसिंह : आपको जिता कर लाये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न है, उसको लागू करने के लिए लड़े हैं। स्टेज हमारी पार्टी का प्रोग्राम है, कांग्रेस की सही नीतियां हैं। उनको इम्प्लीमेंट करायें, जो कांग्रेस की गलत पालिसीज हैं, जन विरोधी हैं, उनके विरोध में संघर्ष करना है। मैं अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट रखता हूं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अन्त में कहना चाहूंगा कि इस आन्दोलन की मांग में लेवी की बात है। इस मांग से सहमत हैं, लेकिन ग्रेडेड लेवी होनी चाहिए। मेरी पार्टी की मांग है सैस की, मेरी पार्टी इसका इसलिए विरोध करती है कि ग्रेडेड सैस होना चाहिए, सबकी एक ही नहीं हो, हर कार्मशियल क्राप पर सैस लागू नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरी पार्टी महसूस करती है, इस राज्य में भूमिहीनों को पट्टे दिये हैं, वह सही हैं। इसके साथ साथ मैंने इस सदन में दो दिनों में जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं, उनसे मालूम होगा, मैंने कहा है, उन पट्टे वालों को भूपति क्यों नहीं बना देते। खुद केदारनाथ जी की कान्स्टीट्यूएन्सी में रिछमल नारायण सिंह बहुत बड़े भूपति हैं, उनकी सबसे बड़ी जमीन है, उनके गांव के अन्दर हरिजन पट्टे लेने गये तो कलेक्टर ने दूसरा गांव दिखा दिया। वहां लच्छूसिंह लालाराम का गांव है। उनके कहने से तीसरा गांव बना दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उन लोगों को मोबीलाइज किया और उनको ले गये, इस गांव में रिछमल के गांव में इतने प्लाट पड़े हैं, इतनी जमीन पड़ी है—वह देनी पड़ेगी। आज नगलाजस बोहरा के लोग आ रहे हैं, आठ सौ लोग आ रहे हैं, जिनसे इन्दिरा गांधी के नाम से रुपया लिया गया।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा, एक कहावत है पंजाबी की, फत्ती रोये वीरा नूं, नाम लेवे वीरा नं, याद करे यारा नूं। फत्ती रो रही है, नाम भाई का ले रही थी लेकिन याद मित्र की आ रही थी। जनता के असंतोष का लाभ उठा कर इस राज्य से, देश से प्रजातंत्र को समाप्त करने वाली जो पार्टी है, उसका स्वरूप सारा देश जानता है। अगर जनतंत्र को मजबूत करने के लिये लड़ना है तो कन्स्ट्रक्टिव तरीके से, कन्स्ट्रक्टिव दृष्टिकोण को लेकर लड़ना पड़ेगा। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है और उसके द्वारा फासिस्टवाद के इस रूप में नहीं आने दिया जायगा। जनतंत्र के लिए हजारों लोगों ने, किसानों ने, खेतिहर मजदूरों ने अपना खून दिया है, इस जनतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम खून देंगे। वह लोग जो पाकिस्तान में हथियारों की वृद्धि देख कर, या अरब सागर में नाटो एक्सरसाइज करके, चिली से सबक लेकर यह सोचते हैं, अत्यन्त साम्राज्यवादी यह अमेरिका है, यहां 75 लाख लोग बेरोजगार हो गये, इस देश के अन्दर सी० आई० ए० के थ्रू अपनी साजिश को कामयाब करने में सफल हो जायेंगे–इससे इस देश के मजदूर, किसान और छोटे वर्ग के लोग जागरूक हैं और इस कारण उनकी साजिश सफल नहीं हो पायेगी।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन के बारे में माननीय सदस्य ने एसपर्शन किये हैं····

श्री मोहरसिंह : इसका स्पष्टीकरण जरूरी है।

श्री केदारनाथ : मांगों को मिस-इन्टरप्रेट किया गया है। आन्दोलन जो चल रहा है·····

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्पष्टीकरण आवश्यक है, क्योंकि आरोप लगाये गये हैं उनसे आन्दोलन का स्वरूप बदल गया है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : यहां अपनी 2 कहानी को रखते हैं, अपनी 2 निगाह है। प्रोफेसर साहब, सुन लें। आज बहुत बोलने वाले हैं।

श्री मोहरसिंह : दीपंकरजी, प्रोफेसर साहब को बोलना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पष्टीकरण की बात है। स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है।

श्री हरिदेव जोशी : जवाब दे देने दीजिये।

श्री केदार नाथ : श्रीमान् योगेन्द्र नाथ हाण्डा की नेचर है, जो उन्होंने कहा···

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी को सुन लीजिये।

श्री केदार नाथ : रामानन्दजी ने सारी मांगें पढ ली हैं। इसमें से एक भी मांग ऐसी हो, जो प्रगति के खिलाफ हो, समाजवाद के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, गरीबों के खिलाफ हो, हरिजनों के खिलाफ हो समाजवादी ताकत को खत्म करने वाली हो तो मैं आन्दोलन समाप्त कर दूंगा। हमारी मांग है, सिद्धान्ततः हम लेवी के पक्ष में हैं लेकिन उन काश्तकारों से लेवी न लें जिनकी अनइकानामिक होल्डिंग है। उन पर लेवी न लगे। बाकी कहीं उसमें जय प्रकाश जी नहीं है···

श्री अध्यक्ष : मैं रिप्लाई का समय नहीं दूंगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है, यह मांग पत्र है.··

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई काउन्टर रिप्लाई नहीं हो सकते।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : सी० पी० एम० के माननीय श्योपतसिंह कहते हैं, लेवी अदा न करो। माननीय केदार जी ने कहा कि लेवी अदा न करो····

श्री गुमानमल लोढा : जयप्रकाश जी का नाम लगा दिया ····

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी का नाम आ जाय तो क्या परेशानी है ? मुख्य मंत्री !

श्री हरिदेव जोशी : मतलब यह है, आपके विचारों की बात जो कही जाती है उसको आप रिफ्यूट करते हैं······

श्री केदार नाथ : सरदार चौधरी सिंह, जो चौधरी कुम्भा राम के हैं, बाल कृष्ण, शोभाराम, सांगरिया केम्प में पधारे थे, उसमें कांग्रेस के तीन पदाधिकारी कांग्रेस के केम्प में शामिल थे। हमारा वास्ता नहीं है। हम सिद्धान्ततः लेवी के, साथ हैं सिद्धान्ततः आन्दोलन किसानों के हित में है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : सरदार चौधरी सिंह किसान सभा के सेक्रेट्री हैं, जलसे में भाषण दें, सत्याग्रहियों को ले जाकर वह गिरफ्तार करवा रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय मुख्य मंत्री !

श्री मोहर सिंह : आपकी यह इच्छा है ········

श्री हरिदेव जोशी : मुझे अधिकार दिया है बोलने का····

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री !

श्री हरिदेव जोशी : मैं बोल रहा हूं ।

श्री मोहरसिंह : हाण्डा जी ने इलजाम लगाया है उसका उत्तर देना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : जितना समय दिया है उससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : जो इस प्रकार से एसपर्शन करते हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिये····

श्री मोहर सिंह : जो आरोप लगाये हैं········

श्री केदारनाथ : सी० पी० आई० और सी० पी० एम० की जो कन्ट्रोवर्सी है उसको हम अवोइड कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : (श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा के खड़े होने पर) आप बोल चुके हैं । फिर दुबारा बोलना क्या जरूरी है ?

श्री केदार नाथ : हमारी पार्टी के करेक्टर का यह एक उदाहरण है, यह मांग पत्र । आन्दोलन चलाने वालों का यह करेक्टर है – इसमें शक शुबाह नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि यह मांगें हैं, माननीय रामानन्द जी जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उनसे इनका मतभेद नहीं है । आप पढ़ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : यह कह दिया है । यह क्यों रिपीट कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : हो गया ।

श्री केदार नाथ : सी० पी० आई० के आन्दोलन का और तरह का दृष्टिकोण हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुख्य मंत्री जी !

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर साहब से एक-दो बातें पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कोई भूल नहीं हो इसलिए, क्या आपकी इस संघर्ष समिति ने मुझसे मिलने के लिए टाइम मांगा था ?

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैंने मांगा था । मैं आपके पास गया था और आप गोल कमरे के पास में से गुजर गये और मैंने मिलने के लिये टाइम मांगा था, आपने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : सरदारजी ! आप यह तो बताओ कि आप किसान संघर्ष समिति के क्या हो, किस पद पर हो ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि गंगानगर में या राजस्थान में किसानों को कहीं किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और अब जो हमारा शासन है वह एक ऐसा राम राज्य है कि किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिल सकता । इसलिए मैं मूल रूप में यह मानकर चलता हूं कि आपको शिकायत हो सकती है, आपको शिकायत करने का अधिकार भी है और अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो आपको पीसफुल मैथड से, शान्तिपूर्ण तरीके से, कान्स्टीट्यूशनल तरीके से आन्दोलन करने का भी अधिकार है । और अपनी उस बात को आम लोगों को समझाने का भी, लोक शिक्षण का भी अधिकार है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं, प्रोफेसर केदार आज यहां पर बोले हैं । अथवा गुमानसिंहजी साहब बोले हैं, अथवा मोहर सिंह जी साहब बोले

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं। सरदार साहब ने कहा है उन्होंने मुझसे टाइम लिया था, लिया था या नहीं यह मुझे याद नहीं पड़ता। आपमें से कोई मेरे पास तो आये होते और बातचीत करते, बैठते। मैं पूछता हूं गुमानमल जी साहब ! क्या आप मेरे से मिले थे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरे मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप कम से कम इन चीजों को हमारे सामने तो लाते, हमसे बात तो करते। मेरे पास कोई आया हो या मुझसे बातचीत करने के लिये समय मांगा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। मुझसे मिलते, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलते, इर्रीगेशन मिनिस्टर से मिलते, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे को नहीं कहा। खैर, हम लोग कल नहीं बैठे तो आज बैठ जायं, और बैठकर बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के मन में यह लगे कि यह तो शोर्ट आउट नहीं हुआ तो आन्दोलन की बात आती है। मैंने भी आन्दोलन किये हैं, अभी महारावल साहब यहां नहीं हैं। मगर हमने हमेशा बात करने की कोशिश की है और बातचीत के द्वारा ही समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है, इसको भी संघर्ष कहते हैं ? आन्दोलन और सत्याग्रह में भेद किया जाना चाहिए। सत्याग्रह तो यह है कि हमको किसी बात को मनवाने के लिये हम लोग बातचीत करें, बात करने की कोशिश करें और हर कोशिश के बावजूद यह तरीका बन्द हो जाय तो आन्दोलन का तरीका अपनाया जाना चाहिए। मैं तो हांडा साहब से भी सहमत नहीं हूं। वे जय प्रकाश की बात करते हैं, साथ ही वे इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद की भी बात करते हैं। और मोहर सिंह जी साहब, आपकी पार्टी की इन्दिरा गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो भी राय है, मेरे को इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। आप जिस किसी भी शक्ल में आवें, चाहे कम्बल ओढ़कर आवें, चाहे खाल ओढ़कर आवें मैं तो आपको सही रूप में ही पहचानने की कोशिश करूंगा। किन्तु आप जब कभी भी मेरे सामने किसानों की डिमान्ड को लेकर आयेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा।

श्री दीपंकर : मोहर सिंह जी ! मुख्य मन्त्रीजी आपको दावत देंगे तब तो...

श्री मोहरसिंह : हां मैं उनकी दावत को....

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो यहां तक कहता हूं, प्रोफेसर साहब को कहता हूं कि किसान यूनियन वहां नहीं है। यह है जिस जगह पर आपने उसे बिठाया है। उस जगह पर अगर कुम्भाराम जी की यूनियन भी आयेगी तो मैं बात करूंगा, बात करने के लिए मना नहीं कर सकता हूं, मुझे बात करनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। किसानों को जेल में बन्द किया जाय, मैं इसको पसन्द नहीं करता हूं मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। मगर यह तो आप भी सोच सकते हैं कि यदि गंग केनाल टूट जाय तो अल्टीमेटली रेस्पोन्सिबिल्टी किसी की होगी। क्योंकि मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि मोहर सिंह जी की पार्टी किसी तरह से गवर्नमेन्ट को एम्बरेस करना चाहती है। मैं तो यह कभी नहीं चाहूंगा और न मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं। आपकी

(श्री हरिदेव जोशी)

पार्टी के नेता पिछली बार जब मेरे पास आये थे और उन्होंने मांग की थी कि जयपुर शहर में इतना किलो अनाज मिलना चाहिए तो मैंने प्रोफेसर साहब से यही कहा था कि, आपके जो त्रिलोकचन्द जी हैं, घासीराम जी हैं, उनसे, मेहरबानी करके कहिए तो सही कि वह अपनी लेवी तो दे दें। अगर सोशलिस्टवादी, समाजवादी या साम्यवादी इस बात में विश्वास करते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छी तरह से इन्ट्रोड्यूस किया जाय, अगर वे ऐसा चाहते हैं तो उनको सरकार के साथ सहयोग भी करना चाहिए। सरकार की नीति को अमल में लाने के लिए सहयोग देना चाहिए। अगर मुझे क्षमा करें, मोहरसिंहजी साहब, आपकी पार्टी लेवी के खिलाफ है, इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते और आप जानते हैं कि जब तक प्रोक्योरमेन्ट पूरा नहीं होगा तो वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से कैसे हो सकती है। मैं यह पूछता हूं मोहरसिंहजी साहब कि क्या आपकी पार्टी ने एक्सेप्ट किया है लेवी को ? क्या लोग आई हुई लेवी को छीन कर नहीं ले गए और मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमेबाजी हुई है। इसलिए इस चीज को तो आप यहीं पर छोड़ दीजिये। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब आपसे, सरदार साहब आपसे, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य से, मोहरसिंह जी साहब, आपसे, और सभी माननीय सदस्यों से कि मेहरबानी करके शान्ति का वातावरण बनाइये, और आन्दोलन को बन्द कीजिये और सरदार सेवासिंहजी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी भूख हड़ताल समाप्त कराइये, मुझे खुशी होगी इस बात में। मुझे भी बहुत दुख होता है जब देखता हूं कि एक 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी भूख हड़ताल पर बैठता है। मगर मोहरसिंहजी साहब ! अगर इसके पीछे यदि किसानों की मांग का कोई प्रश्न नहीं है और उग्र क्रान्ति की बात है तो मैं क्या, कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को ठीक नहीं कहेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आन्दोलन को समाप्त करिए। मगर मैं समझता हूं, कई लोग ऐसे भी हैं जो कन्स्ट्रक्टिव विचारों के हैं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे आशा है कि आप भी प्रयत्न करेंगे कि आन्दोलन बन्द हो जाय तो ठीक रहेगा। मेरे मन में निश्चित रूप से यह परेशानी है कि 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो बात अब तक नहीं हुई वह अब हो सकती है, जो अब तक नहीं हुआ वह अब हो सकता है, बाजे वक्त ऐसे भी आते हैं कि सब के साथ बैठना होता है। मैं तो आपके साथ बैठूंगा और फैसला दूंगा और करूंगा। मेरे मन में कोई बात नहीं है। आपके लोग या गंगानगर के या राजस्थान के कितने ही लोग आयें मुझे एतराज नहीं है, दो सौ आदमी आयें, हजार आदमी आयें तो भी मैं बात करूंगा। मूल चीज यह है कि यह विवाद कल से खत्म हो जाय, सरदार सेवासिंह जी की भूख हड़ताल समाप्त हो जाय, आप और हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। जो कुछ भी कर सकते हैं वह हम करेंगे। मुझे इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है कि साम्यवादी पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो या जितनी भी पार्टीज हैं चाहे कांग्रेस पार्टी भी क्यों न हो, लोगों के अन्दर अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार पोलिटिकल एजुकेशन देवें और प्रजातन्त्र के मायने भी यही हैं। इसलिए अपने अपने प्लेटफार्म के ऊपर अपनी-अपनी बात को कहना चाहिए, यह मैं मानता हूं। यहां पर आप बैठ कर अपनी

(श्री हरिदेव जोशी)
पार्टी की बात कहें मुझे तो इसमें भी शिकायत नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कल यहीं बैठें, आज बैठ जांय, अब भी बातचीत कर सकते हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर के केसेज'' वापस ले लीजिये, हम आन्दोलन वापस लेते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सरदार साहब,

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : इन केसेज को विथड्रा कर लीजिये, हम सेवासिंह को बैठा लेते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे आप आफ हैंड कहते हैं, पता नहीं किया है, किस प्रकार के केसेज हैं, किस केस में गिरफ्तार हुए हैं, सत्याग्रहों में हिंसा भी होती है, गड़बड़ भी होती है। मगर मैं कहता हूं कि किसी भी आदमी को जेल में रखने की बात नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अच्छा वातावरण बनाइए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जोर से आप बोल रहे हैं, मैं तो धीरे धीरे बोल रहा हूं, इससे अच्छा वातावरण और क्या हो सकता है ?

श्री दीपंकर : मुख्यमंत्री की दावत मंजूर कीजिए।

श्री मोहरसिंह : मुख्यमंत्री के दिल में कुछ पसीना आया है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने लेवी के प्रश्न को'''

श्री अध्यक्ष : No speech

श्री मोहरसिंह : उन्होंने जो कुछ मेरे लिए कहा है उसके लिए कुछ तो कहूं।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद।

श्री मोहरसिंह : मेरे ऊपर जो उन्होंने इलजाम लगाए उनका उत्तर देने का मौका मिलना चाहिए।

श्री केदार नाथ : पर्सनल एक्सपलेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने में 10 मिनट लगायेंगे।

श्री मोहरसिंह : बीकानेर के सत्याग्रहियों के लिए आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : रेग्यूलर रिप्लाई तो नहीं देने दूंगा।

श्री दीपंकर : चेम्बर में मिल लीजिए।

श्री मोहरसिंह : एक मिनट। लेवी का जहां तक प्रश्न है, सारे राजस्थान की बात है क्योंकि हमारी पार्टी की नीति है कि छोटे किसानों से लेवी न ली जाए जो बड़े किसान हैं उनसे ही ली जाए।

खास तौर से चूरू जिले का जहां तक प्रश्न है, दो तीन जिले और भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री को याद होगा कि आज से 20-21 वर्ष पहले सरदार पटेल के सामने हमारा लेवी का सवाल गया था। उन्होंने भी कैल्क्यूलेशन करके पूछा था। उस समय शोभारामजी राजस्व मंत्री थे और हीरालाल शास्त्री मुख्य मंत्री थे, सरदार पटेल ने मंजूर किया कि घाटे के इलाके में इन पर लेवी नहीं लगनी चाहिए

(श्री मोहरसिंह)

आज कौनसी नहर चूरू जिले में आ गई, कौनसे ट्यूबवेल्स के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है कि छोटे किसान लेवी दें 10 में से 7 साल खास तौर से जहां अकाल पड़ता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से देखिए, जो बड़े भूमिपति हैं, लेवी देने योग्य हैं, उनसे लिया जाए, गरीब किसान को परेशान न किया जाए।

साथ ही साथ बीकानेर के अंदर जो 32 व्यक्ति अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह कर रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा किस प्रकार के केसेज हैं, कैसे जेल में गए हैं। मेरा निवेदन है कि वे अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे और आप अच्छा वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो उनको रिहा करने के आदेश जारी करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद विवाद

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर अपना मत व्यक्त करते समय मेरी सहानुभूति राज्यपाल के प्रति और अभिभाषण के प्रति होना स्वाभाविक है इसलिए कि राज्यपाल रुग्ण हैं

(1.55 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

और अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी हालत में, उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए मैं अपना मत प्रकट करता हूं। सन् 1954 में अभिभाषण 12 पृष्ठ का था और सन् 1975 में अभिभाषण 39 पृष्ठ का है। यह जरूर एक उपलब्धि है कि पृष्ठ बढ़ गए हैं लेकिन पृष्ठों के साथ उसका महत्व, उसका तत्व इस अभिभाषण में नहीं मिला। फिर भी नैशनलाइजेशन आफ रोडवेज बहुत प्रगतिशील कदम रहा, उसके लिए भी और प्राइवेट प्रेक्टिस रोकी गई उसके लिए भी और तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह प्रगतिशील कदम के लिए भी तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इन प्रगतिशील कदमों का, इनकी प्रगति का, इनके विकास का इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसका जिक्र होना अत्यंत आवश्यक था। रोडवेज के संबंध में सारे सदन को चिंता है। अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच में यह रोडवेज का मसला चल रहा है; मैं संकेत देना चाहता हूं कि बसेज का अभाव यातायात में संकट पैदा करने वाली स्थिति है। ऐसा मालूम होता है कि पड़ौसी राज्य सरकारों के बीच में समझौता हुआ है और मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत में, हरियाणा और पंजाब में बसेज चलाने का कोई आपसी समझौता हुआ है। ऐसा लगता है कि पड़ौसी प्रान्तों की गाडियां तो हमारे प्रांत में चल रही हैं लेकिन हमारे प्रांत की गाड़ियां उन पड़ौसी राज्यों में चल रही हैं ऐसा नहीं लगता। जिसका अर्थ मैं अव्यवस्था मानता हूं। इस अव्यवस्था के कारण इस राज्य को, प्रतिदिन कितना ही नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं जन भावनाओं को व्यक्त करता हूं कि रोडवेज की व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए। गाडियां जो कम हैं उनको उचित संख्या में चलाया जाना चाहिए और दूसरे राज्यों में जहां हमारी बसेज का आवागमन नहीं होता, वहां इनकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की अव्यवस्था के बारे में नहीं कहता। भविष्य में यह कितनी सफल होगी कितनी नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उत्तरप्रदेश में यह व्यवस्था नहीं चल पाई, कर्नाटक में यह व्यवस्था नहीं चल पाई और राजस्थान में यह व्यवस्था चल रही है, यह एक शुभ संकेत है लेकिन इसकी प्रगति का लेखा जोखा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना अनिवार्य था ।

तेंदू पत्ते के प्रश्न के साथ आदिवासी जुड़ा हुआ है, आपके फारेस्ट के साथ । मैं वन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या खोली गई और उनकी क्या प्रगति हुई । यदि आदिवासियों को इससे रोजगार मिल सकता तो इसका भी लेखा जोखा इस अभिभाषण में होना चाहिए था ।

बहुत बड़े प्रश्न जो अभिभाषण में नहीं मिलते हैं । वे प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । एक भ्रष्टाचार का, दूसरा दूषित शिक्षा पद्धति का और तीसरा बेरोजगारी और नशाबंदी का । ये समस्यायें सारे देश को संतप्त कर रही हैं और इन समस्याओं पर जन चेतना है फिर भी इन समस्याओं का कोई समाधान, निराकरण इसमें पढ़ने को नहीं मिलता यहां तक कि उल्लेख भी बहुत ही संक्षेप में किया गया । इन समस्याओं को सदन के समक्ष रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता न उनको इससे जोड़ना चाहता हूं । लेकिन समस्यायें समस्यायें हैं । यदि किसी ने समस्याओं का भले ही राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर दिया और इन समस्याओं को जनता समझने लगी कि बेरोजगारी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार खतम होने चाहिए और शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए; यह कोई भी व्यक्ति उजागर करता हो, और उपाध्यक्ष महोदय आज इससे जन चेतना पैदा हुई इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र है । मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि अब तो यह प्रश्न जनता ने ही नहीं लिया है बल्कि अब राजनैतिक दलों ने भी इस समस्या के निराकरण की मांग की है । इसके साथ ही कांग्रेस के नेता जिसमें, श्री मोहन-धारिया हैं उन्होंने भी जहां तक इस समस्या के हित का ताल्लुक है इसको उजागर किया है । श्री चन्द्रशेखर ने भी इस समस्या को उजागर किया है, श्री कृष्ण कान्त ने भी इसको उजागर किया है । और इसके अलावा जैसी कि मुझे जानकारी मिली है कि पार्लियामेंट के करीब करीब 100 माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के निराकरण के लिये एक मेमोरेन्डम दिया है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं राजनैतिक क्षितिज के ऊपर कौनसी समस्या कब उजागर हो सकती है, कौनसा व्यक्ति राजनैतिक क्षितिज पर पुनः ऊजागर हो सकता है यह कोई नहीं जान सका । मैं इसका ज्वलन्त उदाहरण आपके सामने श्री शेखअब्दुल्ला का रखना चाहता हूं । श्री शेख अब्दुल्ला जो कि पहले कभी काश्मीर के वजीरे आजम थे आज 23 साल बाद पुनः जैसी की मुझे जानकारी मिली है कि वह पुनः जम्मू और काश्मीर की सत्ता को अपने हाथ में लेने वाले हैं । शेख साहब को जब सत्ता से हटाया गया था तो इन्ही शेख साहब को हमने प्रतिक्रियावादी कहा और न जाने क्या क्या कहा । और आज परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ पुनः राजनैतिक प्रांगण पर वे आ रहे हैं । मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि कभी कभी कोई समस्या चौंका देने वाली समस्या हो जाती है । उसका निराकरण होना जरूरी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चौंका देने वाली समस्या का कुछ न कुछ हल जरूर होना चाहिये ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उपाध्यक्ष महोदय । मैं इसके साथ ही दो समस्याओं के बारे में और निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसे दो मसले हैं जिनका भी जिक्र इसमें नहीं किया गया। इसमें पहला है पंचायतों, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव के बारे में। यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज पंचायतों के चुनाव हुए करीब 13 साल हो चुके हैं। आज इन तेरह सालों में ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों और पंचायतों के चुनाव के बारे में आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होने से राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का, नेताओं का अकाल हो गया है। आज राजस्थान के स्तर पर जिन नेताओं और कार्यकर्त्ताओं का इन ग्राम पंचायतों के माध्यम से, पंचायतों और पंचायत समितियों के माध्यम से जो निर्माण हो रहा था उनका निर्माण होना बन्द हो गया है। उनके निर्माण होने की गति अवरुद्ध हो गई है और मैं तो इतना तक कहूंगा कि आज वह पंचायतें, ग्राम पंचायतें बिलकुल ही निष्क्रिय हो गयी हैं, अर्थहीन हो गयी हैं। उनका अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं तो यह कहूंगा कि ग्राम पंचायतों और पंचायतों का नेतृत्व ही समाप्त हो गया है। ऐसा होने से जो हमारे राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की लम्बी पंक्ति तैयार हो रही थी वह समाप्त हो गयी। एक नेतृत्व जो ग्राम पंचायत स्तर तक पंचायत स्तर तक उभर रहा था वह उभरना बन्द हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में करीब 7 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, अगर इसका मूल्यांकन किया जाय तो इन 13 सालों में कार्यकर्त्ता निर्माण मौन हो गया है, जिनका नेतृत्व रूज गया है। अगर हर तीन साल में चुनाव हो पाते तो करीब इन तेरह सालों में 8 लाख कार्यकर्ता राजनैतिक कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों के माध्यम से उभरते। 8 लाख कार्यकर्ताओं का निर्माण होता। यह किसका नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह नुकसान हमारे उभरते हुए नेतृत्व का हुआ। उपाध्यक्ष महोदय 8 लाख राजनैतिक नेताओं का हट जाना एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है। मैं तो यह कहूंगा कि आपने पंचायतों के चुनाव नहीं कराकर, करीब 8-9 लाख कार्यकर्ताओं को जो कि ग्राम पंचायतों के चुनावों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से, पंचायत समितियों के माध्यम से उभरते उनको आपने दफनाया है। आपने अपने आप की हत्या की है। और इसका असर यह है कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं का अकाल है। उपाध्यक्ष महोदय, कार्यकर्ताओं पर भविष्य की जिम्मेदारी होती है। आज भविष्य की जिम्मेदारी सिर्फ आप और हम पर ही नहीं है। आपने कार्यकर्ताओं का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। आज राजस्थान नेतृत्व विहीन हो गया है। मेरी मान्यता है कि राजस्थान में आज हर स्तर पर नेतृत्व का अकाल और अभाव है। कार्यकर्ता और नेतृत्व रूज गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जुड़ा हुआ है—भ्रष्टाचार का प्रश्न। आज आप सभी जानते हैं कि पंचायतों और ग्राम पंचायतों में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्योंकि चुनाव हुए नहीं, अतः लम्बे समय से वे ही लोग बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो उसके निराकरण के लिये आपके पास तीन ऐजेन्सी है। पहला है एन्टीकरेप्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है लोकआयुक्त और उप-लोकआयुक्त

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

और तीसरा है आपका ग्रिवेन्सेज डिपार्टमेंट जो कि छोटी-मोटी बातों से ताल्लुक रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट का सवाल है आपके एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के क्या एचीवमेंट हैं ? सिर्फ यही कि जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते हैं कि उस डिपार्टमेंट के लोगों ने 2 रुपये से लेकर 100 रुपये तक केसेज करप्शन के पकड़े हैं। तो यह तो कोई मैं एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं समझता हूं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आपका एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट अकर्मण्य है। एक तरह से निष्क्रिय है। अब दूसरी जो आपकी एजेन्सी है हमारे सामने आती है वह लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त की एजेन्सी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार सदन में जब लोक आयुक्त के बारे में बिल आया था तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। क्योंकि लोक आयुक्त के कानून से हम राजनेताओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, बड़े राज्य के अधिकारियों पर नियंत्रण रख सकते हैं और इसके अलावा जो पंच, सरपंच और जो पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज होते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनकी जांच कर सकते हैं। लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त के विभाग में काफी स्टाफ भी रखा गया और जो भ्रष्टाचार के मामले पहले विजीलेन्स कमीशन के पास थे वह सभी मामले लोक आयुक्त के आफिस में ट्रान्सफर हो गये। इसके अलावा जहां तक सवाल उप-लोक आयुक्त का है वह पद तो कई दिनों से खाली पड़ा हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि उप-लोक आयुक्त के पद का कोई अर्थ नहीं है। उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज तक का आयजा लिया जाय तो पता लगेगा कि लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त के पास कोई काम ही नहीं है। उसकी कोई उपलब्धि ही नहीं है। आपने ऐसा कानून बनाया है कि जिससे लोकयुक्त को एक तरह से पंगु बना दिया है। यह पंगु बनाने के लिये मैंने इसलिये कहा है कि जो लोकायुक्त की नियुक्ति पहले विजिलेन्स कमिश्नर ने कुछ केसेज में जिसमें करीबन 30-40 ऐसे मामले थे जिनमें कि इनवेस्टीगेशन पूरा हो चुका था और वह राज्य के बड़े राज्याधिकारियों के बारे में था, उनके चालान होने के आदेश किये जाने वाले थे वह भी लोकायुक्त के बनने के बाद दफना दिये गये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकायुक्त का कानून बना कर हमने भ्रष्टाचार को दाद ही दिया है। क्योंकि विजिलेन्स कमिश्नर ने तो इन्वेस्टीगेशन 30-40 मामलों में पूरे कर दिये थे आपने उनको लोकायुक्त के पास भेज कर उन मामलों को दफना कर भ्रष्टाचार को पनपाया है। भ्रष्टाचार को हम समाप्त तो पूर्ण तरह से इन एजेन्सियों द्वारा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इन एजेन्सियों द्वारा उसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। मैंने लोकयुक्त और उप-लोकायुक्त को निरर्थक और पंगु इसलिये बताया कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति होने के साथ साथ उनका स्टाफ भी बढ़ा जिस पर काफी रुपया राज्य सरकार का खर्च हो रहा है और उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिये मैं इसे निरर्थक ही मानता हूं। इसलिये जिस उम्मीद से यह लोकायुक्त वाला कानून बनाया गया था वह निरर्थक हो गया। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से कहूंगा कि इस कानून के बनने से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ।

इसके अलावा राज्य सरकार के पास एक तीसरी एजेन्सी है ग्रिवेन्सेज कमिश्नर

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

की। राज्य सरकार ने एक ग्रिवेन्सेज कमिश्नर राज्य में बना रखा है। एक पद अलग कर रखा है। और क्या कर रखा है? लोकायुक्त के प्रावधान में इसको समाप्त नहीं किया है। सेक्शन 2 में ग्रिवेन्सेज और एलीगेशन्स हैं। एलीगेशन्स मीन्स ग्रिवेन्सेज। इतनासा अमेन्डमेंट कर दें, ग्रिवेन्सेज मीन्स एलीगेशन्स। ग्रिवेन्सेज में ही एलीगेशन्स भी समाहित कर दें, और लोकायुक्त के कानून को आप इस प्रकार से अमेन्ड कर दें तो इतना आपका ग्रिवेन्सेज कमिश्नर का खर्चा बचता है। इसलिये ग्रिवेन्सेज और ऐलीगेशन्स को एक परिभाषा में समाहित करने के लिये आपको इस कानून में संशोधन करना चाहिये। लेकिन आप नहीं करना चाहते।

लोकायुक्त कानून में आप किसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं? आपने प्रिविलेज्ड व्यक्तियों को तो इसमें से निकाल दिया। Exclusion of Panchas and Surpanchas and co-operative societies आज 'कोआपरेटिव सोसाइटीज' सबसे अधिक भ्रष्टाचार में पड़ी हुई हैं। हर एक कोआपरेटिव में भ्रष्टाचार। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज जाली सदस्यों से बनी हैं। उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि वे उस स्थिति की जांच करेंगे और निरस्त करने का प्रयास करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को इसमें से निकाल कर आपने उनको प्रोटेक्शन दे दिया है, भ्रष्टाचार करने का उनको आपने लाइसेन्स दे दिया है। इसीलिये आपने इसमें प्रावधान किया है exclusion of Panchas and Surpanchas and co-operative societies इसको आप इसमें से निकाल करके लोकायुक्त के कानून को आपने पंगु बना दिया है। लोकायुक्त कानून में आपने यह प्रावधान भी रखा है कि पांच साल पुराने मामले हों तो लोकायुक्त किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। पांच साल तक मंत्री मंत्रीपद पर रहता है किसकी हस्ती है कि उसके खिलाफ आवाज उठाये? पद पर से हटने पर ही आवाज उठती है। पांच साल की मयाद देकर आपने भूतपूर्व और वर्तमान के मंत्रियों को इससे एक्जम्प्ट कर दिया है। आपको मालूम है कि इसी सदन के प्रांगण पर मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की काफी गूंज हुई है। संतप्त हुआ उससे सदन। पांच साल हो गये, इसलिये छूट दे दी। कोई ओफेन्स अब नहीं। लेकिन ओफेन्स के लिये कोई मयाद नहीं होती है। आपने पांच साल का इसमें बन्धन डाल कर भ्रष्टाचार और ओफेन्स करने का लाइसेन्स दे दिया है। आपने भ्रष्टाचार और ओफेन्स को वाजिब करार दे दिया है। इसलिये लोकायुक्त इस सम्बन्ध में काग्नीजेन्स ले सके ऐसा इसमें अमेन्डमेंट कराइये। प्रोसिजर को जो क्लिष्ट बना दिया है, उसको सरल कराइये।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त की फाइंडिंग्स क्या हैं? लोकायुक्त को कानून बना कर उसमें ट्रायल करने का अधिकार नहीं दिया है। उनकी फाइंडिंग्स कौन देखेगा? लोकायुक्त फाइंडिंग्स भेजेगा राज्य सरकार को। आपने कोई इसके लिये इन्डिपेन्डेन्ट बोडी नहीं बनायी, आपने तो एक मशीनरी बना दी। जिसको आप सजा देना चाहेंगे उसको देंगे, जिसके विरुद्ध आप कार्यवाही करना चाहेंगे करेंगे और जिसके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे चाहे वह कितना ही भ्रष्टाचार करे, आप तो उसको प्रोटेक्शन देंगे। अब और भी मजाक देखिये, लोकायुक्त की

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

फाइंडिंग्स गवर्नमेंट के पास जायं और गवर्नमेंट तीन महीने तक उसके विषय में अपना नतीजा न दें, अपना निर्णय न दें तो गवर्नर के पास लोकायुक्त शिकायत करेंगे कि मेरे निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिणाम भी उसका यही है कि लोकायुक्त ने जितनी भी मेहनत की भ्रष्टाचार को उजागर करने की, वह सब बेकार होगी। वह कुछ नहीं कर सकता। आपने एक लोकायुक्त को बैठा कर रख दिया। उसके हाथ आपने अपने पंजे में जकड़ लिये। जिन लोगों के खिलाफ वह कार्यवाही करना चाहे नहीं कर सकता।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एन्टीकरप्शन अकर्मण्य। लोकायुक्त कानून प्रभावहीन, लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति निरर्थक। इस जमाने में भी आप इनमें अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकते हैं जबकि चारों तरफ से आवाज उठती है कि भ्रष्टाचार का निराकरण किया जाय। आप स्वयम् संतप्त हैं चारों तरफ से। आप समझें इसको। राइटिंग्स ऑन दी वाल्स को आप समझें। और इन अमेन्डमेन्ट्स के साथ इस कानून को आप प्रभावशाली बनायें। स्वास्थ्य मंत्रीजी से ज्यादा कहना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रगतिशील हैं और प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं। लोकायुक्त कानून पर विशेषात्मक टिप्पणी मैं अपने साथ लाया हूं। आप चाहें तो मुझ से लीजिये और यह समय है कि आप इस लोकायुक्त कानून के अन्दर अमेन्डमेन्ट कीजिये और इसको प्रभावशाली और उपयोगी बनाइये।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं, "पुलिस एन्ड पब्लिक" पुलिस का व्यवहार जनता के साथ क्या होना चाहिये, इस पर आता हूं। समय समय पर यह प्रश्न आता रहा है लेकिन अब तो यह बड़ा उग्र होता जाता है। ब्रिटिश जमाने की पुलिस में और आज की पुलिस में इतनी विषमतायें हैं, अब तो घेराव, आन्दोलन आदि विकृतियों से समाज में परिवर्तन आता जा रहा है, स्थिति बदलती जा रही है। पुराना पुलिस प्रशिक्षण और व्यवहार अब इस युग में काम नहीं दे सकता। पुलिस के व्यवहार को बदलना चाहिये। उसके प्रशिक्षण को बदला जाना चाहिये। यदि पुलिस के प्रशिक्षण को नहीं बदला गया है, तो जो स्थितियां पैदा हुई हैं, चाहे चूरू में जो कुछ स्थिति पैदा हुई हो या लखनऊ में लाठी चार्ज हुआ हो, विश्वविद्यालय में या बोस होस्टल, उदयपुर में जो कुछ हुआ दर्दनाक है। लखनऊ में पुलिस ने होस्टल में घुस कर लड़के और लड़कियों को पीटा। इन बिगड़ती हुई स्थितियों में पुलिस की मनोवृत्ति और उसके व्यवहार को बदलना जरूरी है। यह कैसे बदला जा सकता है यह चिंतन का विषय है। यदि मैं कहूं कि पुलिस 'सेवा भावी' हो, तो बोर्ड लग जायगा "सेवा-भावी" होने का। यदि मैं कहूं पुलिस डेमोक्रेटिक हो तो कहेंगे हम डेमोक्रेटिक हैं। व्यवहार और मन से इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है और जब तक मन और व्यवहार से मनोवृत्ति नहीं बदलेगी आजकी स्थितियों में तो काम चलेगा नहीं। बोस होस्टल में घुस कर जिस प्रकार छात्रों को पीटा और जो तांडव नृत्य पुलिस के रंगरूटों ने मचाया वह आश्चर्यजनक है। उस मनोवृत्ति को बदलना बहुत जरूरी है। टेक्निकल साइड की ट्रेनिंग पुलिस की हो लेकिन पुलिस अधिकारी को प्रिन्सिपल बना कर आप यह अपेक्षा करें

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)
यह डेमोक्रेटिक सैट पर जमेगा, यह आप उससे अपेक्षा मत कीजिये। ट्रेनिंग सेंटर पुलिस में जनप्रतिनिधियों की सहायता कीजिए, मैं यह नहीं कहता कि सत्ता पक्ष के लोग हों, प्रशिक्षण के लिए ऐसे लोग होने चाहियें जो प्रजातान्त्रिक पद्धति में विश्वास रखते हों, जो निष्पक्ष हों, उनका आपको इसमें सहयोग लेना चाहिये : प्रशिक्षण ऐसा हो जिससे उनकी मनोवृत्ति बदल सकती है वरना यह पुलिस की विकृत स्थिति बराबर बनी रहेगी, पुलिस के अत्याचार हिन्दुस्तान में बढ़ रहे हैं। उन सारी स्थितियों का पूरा अध्ययन करना चाहिये और पुलिस किस प्रकार बदले इस पर चिन्तन और मनन होना चाहिये।

इसके साथ ही मैं शिक्षा पद्धति के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कि प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक सभी लोग जब विश्वविद्यालयों में, विद्यार्थियों में और शिक्षकों में जाते हैं तो पहला पॉइन्ट ही यह कहते हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। वे पहले ही प्रोटेक्शन ले लेते हैं। कहीं विद्यार्थी हल्ला न करें, उनमें असंतोष पैदा न हो। उनके मुंह से यही कहा जाता है कि परिवर्तन होना चाहिये। शिक्षा और हमारी शिक्षा पद्धति दूषित है। मैंने एक पुस्तक सन् 67 में लिखी थी। मुझ पर उस वक्त बड़ा आक्रोश हुआ था। पुस्तक शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में लिखी गयी है और श्री जयप्रकाश-नारायण को उसको समर्पित की है। इसकी भूमिका में श्री जयप्रकाश नारायण ने यह तो माना गंगोत्री में विष घोला गया हो। जो व्यक्ति पद पर है वह जब बोलता है कि पद्धति दूषित है मैं उनको आगाह करना चाहता हूं यह बोलना बन्द करें। चूंकि आप उस आसन पर बैठे हुये हैं और परिवर्तन करने की स्थिति में हैं इसलिये आप दूसरों को नहीं कह सकते हैं। मैं इसीलिये कहना चाहता हूं हमारे शिक्षा मंत्री ने एक कमेटी बनाई है और उसमें विचार मन्थन हो रहा है जॉब ओरियन्टेशन का यह आने वाली पौध वर्तमान से कटती जाती है। अतीत से भी कट गई है। अतीत में पैदा हुआ वर्तमान पर नियंत्रण नहीं कर सकता और न भविष्य पर कर सकता है। वर्तमान और भविष्य का इन्वोल्वमेंट होना चाहिये। इसलिये वे शिक्षा शास्त्री, जो अंग्रेजी के जमाने के हैं, उनके चिन्तन में अतीत के अलावा कुछ नहीं हो सकता है।

जॉब ओरियन्टेशन का प्रश्न, शिक्षा मंत्रीजी से अर्ज करना चाहता हूं यह आपके बस की बात नहीं है। उभरते हुये छात्र असन्तोष पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। आज के युवक को जब तक रोजगार का आश्वासन न मिले, उसको भविष्य का भी आश्वासन न मिले तब तक इस स्थिति पर काबू पाना मुश्किल है और यह आपकी स्थिति से बाहर हो गया है। मेरा विश्वास है युवा चेतना, युवा जागरण उसका कारण है भविष्य पर अविश्वास होना। उचित शिक्षा पद्धति आप उसे दे नहीं सकते हैं।

मैं चेतावनी देता हूं कमेटी के फेर में न पड़कर राज्य स्तर पर ही नहीं, हिन्दुस्तान के स्तर पर चिन्तन होना चाहिये। चिन्तन ऐसा हो? जो जॉब चाहते हैं, जो रोटी-रोजी चाहते हैं, उनके लिये सेपरेट शिक्षा का माध्यम होना चाहिये। मैं यह भी कहूंगा एज्यूकेशन और साक्षरता में मैं बड़ा फर्क

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मानता हूं । साक्षरता के बाद शिक्षा का मतलब अलग हो जाता है । सारे संसार में वन-फोर्थ निरक्षरता हिन्दुस्तान में है । इस ज्वलन्त समस्या का प्रश्न हमारे सामने है । स्वतन्त्रता से पूर्व का हिन्दुस्तान का आंकड़ा लें तो वह आता है 33% । 35% और सन् 71 में यह 38%, सन् 75 हो गया है । अब राजस्थान का प्रश्न ले लीजिये । राजस्थान जम्मू को छोड़कर इस मामले में सबसे पीछे है । जम्मू न मालूम कैसे हमसे इस मामले में नीचे हो गया है । वहां 18.79 प्रतिशत है तो यहां 28.42 है । पुरुष की अपेक्षा महिलायें भी आगे बढ़ रही हैं । 24 के मुकाबले 28.81 है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान पर राज्य सरकार का कोई ध्यान हो, मैं नहीं मानता हूं ।

अगर इस ओर कोई प्रयत्न भी किया जा रहा है तो वह स्वयं-सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है । राजस्थान में इस प्रकार की कई संस्थायें हैं, अगर राज्य सरकार उनको अनुदान दे सके, उनको सक्रिय कर सके तो इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य कर सकती हैं । राज्य सरकार के मार्फत मैं कार्य में बिलकुल कम मानता हूं ।

तीसरा प्रश्न है कन्ज्यूमर का । इस सम्बन्ध में रेल्वे का उदाहरण ले लीजिये, मिलिटरी का उदाहरण ले लीजिये । आप राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाते चले जायं उससे समस्या को कोई हल नहीं होगा । जिनके पास ज्यादा पैसा है वे बाजार में जायं और बाजार में जाकर प्राइसेज को ज्यादा ऊंचा करें जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा खरीदें । जिस प्रकार रेल्वे उपभोक्ता भण्डार हैं, मिलिटरी के उपभोक्ता भण्डार हैं । रेल्वे के कर्मचारी और मिलिटरी अपने पैसों को बाजार में बिखेरने नहीं जाते हैं । अगर प्राइसेज कम करना है तो मैं राज्य सरकार को सलाह देना चाहता हूं इस स्तर पर आप तनख्वायें बढ़ाते चले जायं, उससे कोई हल नहीं होगा ।

मैं समझता हूं राज्य कर्मचारियों को कुछ तो कैश पेमेन्ट कर देना चाहिये और कुछ रुपये रोक लिये जाने चाहियें । उनके आवश्यक आर्टिकल्स क्या क्या हैं, किन-किन चीजों की उनको जरूरत है, दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर आप उपभोक्ता भण्डार खोलिये और उनको उस आधार पर खरीदने को कह दीजिये । मिड्डिल मैन नही होने से वह वस्तु उचित दाम पर उपलब्ध हो पायेगी । उसमें कोई प्रॉफिट जैसी वस्तु नहीं होगी । यह एक चिन्तन का विषय है । कन्ज्यूमर को किस तरह और खास तौर से सरकारी कर्मचारियों को असन्तोष से बचाया जा सकता है । इस स्तर पर चिन्तन करें और ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता भण्डार खोलें तो बाजार में कर्मचारी एक्सप्लाइट होने से बच सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न अन्त में और निवेदन करना चाहता हूं । आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का एक निगम बनाया है उनके प्रिविलेज का प्रश्न है उस पर आप बड़े जागरूक हैं । लेकिन एक जाति जो बची है जो बोलती नहीं है और राष्ट्रीय प्रवाह में है उस जाति के लिये आप बिलकुल मौन हैं । मैं उसकी एडवोकेसी नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं गरीब मुसलमान के बारे में कहना चाहता हूं । आपने जमीनें दी हैं गांवों में पिछड़ी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जाति को । इसके लिये आपको बहुत मुबारक है । यह प्रश्न अलग है कि वह कितनी जमीन झगड़े में है, कितनी जमीन का उनको पट्टा मिला है या नहीं, जमीन है तो किस प्रकार की है उसका तो आपको अलग से सर्वे करना पड़ेगा । लेकिन यह प्रश्न शहरों के लिये भी है । मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और बड़ी खुशी की बात है कि हम म्यूनिसिपल एरिया में भी इसको लागू करेंगे । लेकिन लागू करने के साथ अल्प-संख्यकों की स्थिति के बारे में ध्यान देना होगा । जो पावर्टी रेखा से नीचे है आप उन्हें स्वयं नगर में जाकर देख लीजिये । मैं उन अल्प-संख्यकों के बारे में नहीं कहता हूं जो साधन सम्पन्न हैं । केवल उनकी बात करता हूं जो दैनिक रोजी रोटी कमाते हैं यू० पी० ने एक कमीशन बनाया है, अल्प-संख्यकों की हालत का अध्ययन करने के लिये । मैं चाहता हूं आप भी इस प्रकार का एक कमीशन स्थापित करें ताकि राष्ट्रीय प्रवाह में आपकी हित कामना, शुभ कामना और मंगल कामना के साथ अल्प-संख्यक घुल-मिल सकें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अल्प संख्यकों की जो अवहेलना हो रही है उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये और यह आपका पहला कदम होगा कि इस बारे में आप कमीशन कायम करें, उन अल्प-संख्यकों का अध्ययन करने के लिये ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा । सुपर जिन्क स्मैल्टर के बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं । यह एक विवाद का प्रश्न बना हुआ है । मैं उस विवाद में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन राजस्थान के स्तर पर किसी भी क्षेत्र में कायम किया जाय लेकिन जैसा हम पहले ही नुकसान उठा चुके हैं कई एन्टरप्राइजेज के सम्बन्ध में । इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कहां होना चाहिये और कहां नहीं होना चाहिये यह विवाद राजस्थान में जड़ न पकड़े । 160 करोड़ की योजना यदि राजस्थान में आ जाती है तो राजनैतिक और आर्थिक उत्थान में बहुत सहयोग दे सकती है ।

मैं माही योजना, देवास योजना जो आरम्भ की गई हैं और जिसका अन्त नहीं दिख रहा है, के संबंध में आपसे कहना चाहता हूं इन योजनाओं को पूरा किया जाय ।

आखिर में स्वतन्त्रता सैनानियों के बारे में कहना चाहता हूं । स्वतन्त्रता सैनानियों के सम्मान का प्रश्न है, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है । उन्होंने स्वतन्त्रता के इतिहास में कुर्बानी दी है लेकिन नकली स्वतन्त्रता सैनानी कई उभरने लगे हैं । जगह-जगह दिखने लगे हैं । राज्य सरकार की तरफ से कुछ सक्यूलर भी निकाले गये हैं उनमें कहा गया है स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पब्लिक शिलालेखों पर लिखे जायं । नरेना पंचायत समिति को आदेश दिया गया है कि स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम लिखे जायं । आप देखिये कि शिलालेखों पर स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम लिखे जा रहे हैं और नाम किस के लिखे जा रहे हैं जो सक्रिय आदमी, प्रभावशाली आदमी, पैसा देने वाले आदमी हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं । स्वतन्त्रता सैनानी तो कहीं रह गए और नकली स्वतंत्रता सैनानी राजस्थान भर बिखर रहे हैं और जिनके नाम शिलालेखों पर लिखे जा रहे हैं । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि पहले नकली

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और असली में क्या फर्क होता है इसका पता लगायें, क्योंकि इस समय बहुत नकली सेनानी आ गए हैं। एक राजा के यहां एहदी अधिक भर्ती हो गए थे। तो राजा ने कहा कि इन एहदियों के कपड़ों मे आग लगवा दो। अपने आप मालूम हो जायगा कि कौन असली है, कौन नकली है। तो आग लगने पर नकली, नकली तो सारे भाग गए और चार-पांच असली रह गए। इसलिए मेरा कहना यह है कि स्वतन्त्रता सेनानियों में नकली लोग बहुत आ गए हैं। इनकी जांच कीजिये कि कौन कौन नकली आ गए हैं जिनके स्कूलों में, पंचायत समितियों में इनके नाम के शिलालेख लिखे जा रहे हैं।

अब मैं थोड़ा प्राहीबीशन के संबंध में कह रहा हूं। हमारी प्रधान मंत्रीजी ने भी विनोबाजी से बात की है और कुछ विश्वास दिया लगता है और प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि राजस्थान में प्राहीबीशन लागू होगा। जब यह स्थिति पैदा हो गई है तो आप जो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं जगह-जगह शराब की दुकानें खोल दी हैं और आप इसकी आमदनी बढ़ा रहे हैं, उस कदम को आप रोकिये और मेरा विश्वास है कि जो सरकार कहती है कि हमारी रेवेन्यू हमारे हाथ से जाती है, खून चूसकर रेवेन्यू हमारे हाथ से जाती है ऐसा कहने वाली सरकार कल्याणकारी राज्य की सरकार नहीं हो सकती। मैं तो आपको एक सुझाव देता हूं कि जहां मीठा पानी नहीं मिलता है उन रेगिस्तानी इलाकों में कह दिया जाये कि मीठा पानी का प्रबन्ध हम कर देंगे और शराब को रोकने का प्रबन्ध आप कर दो, तो रेगिस्तानी इलाका आपकी रेवेन्यू की जिम्मेदारी ले लेगा। इसलिए प्राहीबीशन आज नहीं तो कल होगा, इसका आन्दोलन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी आप शीघ्रता से ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में जो अभाव हैं उनके संबंध में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है और खास करके मैंने जो भ्रष्टाचार आदि के मसले रखे हैं। मेरा खयाल है राज्य सरकार उस पर ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण के सन्दर्भ में राज्यपाल जो कि रुग्ण हैं और जो सहानुभूति के अधिकारी हैं–इसको समर्थन देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी !

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हम तीन दिनों से इन्तजार कर रहे हैं और समझ में नहीं आता कि हमें मौका क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी समय देंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : वैसे भी महिलावर्ष मनाया जा रहा है और हमारी स्वतंत्रताबोलने की है उसे भी आप छीन रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : बोलने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सभी को है।

श्री गोपाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम हम सब को मालूम तो हो जाये कि आज समय बढ़ेगा या निश्चित समय पर ही समाप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुख्य सचेतक महोदय से पूछ लीजिए।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब दिया जाये कि यह भेद-

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
भाव क्यों किया जा रहा है ? मैं तीन दिन से इन्तजार कर रही हूं लेकिन आखिरी समय तक भी समय नहीं दिया जाता तो यह कौनसा न्याय है आपका ?

एक माननीय सदस्य : महिलाओं के लिए व्यवस्था कीजिए, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : अवसर दिया जायेगा । श्री पी० के० चौधरी !

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है कि आजकी जो मौजूदा समस्यायें हैं उनके संबंध में इसमें कोई अरजेन्सी हो । मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूं । हां, इससे ऐसा आभास होता है कि राजस्थान सरकार में एक प्रकार से काम्पलीसेन्सी की बात बनी हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल निवेदन कर दूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि अनाज के वितरण की समस्या, सीमेन्ट चीनी, कपड़ा–इन सबकी वितरण व्यवस्था ठीक ठीक चल रही है । तो यह तो हम जानते हैं कि अनाज की वितरण व्यवस्था कैसी है, सीमेन्ट और कपड़े आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं । मैं समझता हूं कि यह जो उन्होंने कहा है यह तथ्यों के विपरीत है । आज सीमेन्ट हमको नहीं मिलती है । कुए बनाने के लिए नहीं मिलती है । हां, रिपेयर्स के लिए जरूर सीमेन्ट मिलता है । इसलिये यह कहना कि व्यवस्था ठीक चल रही है वह ठीक नहीं है । मैं आपको एग्जेक्ट वर्ड्स पढ़कर सुना देता हूं । उन्होंने यह कहा है कि अनाज के अलावा राज्य सरकार ने और दूसरी चीजों के बांटने का इन्तजाम भी किया है । चीनी, वनस्पति, केरोसिन आदि की वितरण व्यवस्था सन्तोषजनक है । मोटा कपड़ा, सीमेन्ट और कोयला भी ठीक प्रकार से दिलाया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह बात तथ्यों के बिलकुल विपरीत है और हमने देखा है कि आज की मौजूदा समस्यायें हैं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से ऐसा आभास होता है कि सारी व्यवस्थाओं से सरकार को सन्तोष है । यह इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार का आज की समस्याओं को टेकल करने के संबंध में अरजेन्सी के बजाय काम्पलीसेन्ट एटीट्यूड है ।

पिछले साल के जो कार्यकलाप हैं उनमें एक ही बात दिख पाती है जो कि काबिले तारीफ है और वह है 5।। लाख भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाट्स दिये हैं और जो पर्चा उन्होंने निकाला है उससे जाहिर होता है कि 1 साल में 38 हजार भूमिहीनों को प्लाट दिये थे जब कि पिछले साल में दो महीनों में ही याने 2 दिसम्बर से 26 जनवरी तक याने करीब 7 सप्ताहों में 5।। लाख लोगों को प्लाट्स दिये हैं । इस बात से हमको दो चीज जाहिर होती हैं । If there is a political will, it can be done.

और इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार कोई काम करना चाहे और पालिटिकल विल हो तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हमारी है ब्यूरोक्रेसी और जिसको हम गालियां देते हैं वह भी ठीक तरह से काम करती है । हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी ने अब से ठीक काम किया है । इसमें पैसे खाने का काम नहीं हुआ है । प्लाट्स का अलाटमेंट सही ढंग से हुआ है । हमने हमारे जिले में देखा है कि यह काम सही ढंग से हुआ है ।

(श्री पी०के० चौधरी)

तो दो बातें साबित हुई हैं और वह यह हुई है कि सरकार कहती है कि हम सीलिंग कानून को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसमें 1 लाख 54 हजार एकड़ भूमि सीलिंग में अवाप्त की है और अलाटमेंट किया है करीब 30 हजार एकड़ ही। याने इस काम में सरकार की तरफ से विल की कमी है। जहां विल है हम देखते हैं कि machinery never comes in the way. गवर्नमेंट कोई काम करना चाहे तो वह मशीनरी से करवा सकती है क्योंकि हमारी मशीनरी एफीशियेन्ट है। यह दो बातें उससे जाहिर होती हैं।

तीसरी बात माननीय सदस्यों ने कही कि प्लाट्स दे दिये लेकिन मकान बनाकर दे देने चाहिए। मैं समझता हूं कि मकान बनाने के लिए जो सरकार ने उनको पर्चे में लिखा है वह तरीका मुझे ज्यादा पसन्द आता है। सब अपना मकान कच्चा और पक्का भी बना लें और मैं कहना चाहता हूं कि आज हम यह समझें कि सब को मकान दे देंगे, 1 लाख मकान एक साल में बना देंगे वह हम नहीं कर सकेंगे। केरल ने बनाये हैं लेकिन वह शहरों में ही कालोनी बनायी गयी है। गांवों में अलग 2 जगह, दस दस, बीस बीस घर, पचास घर का एक लगा दिया गया है वहां फुल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, न हमारे पास रिसोर्सेज ही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मकानों के संबंध में जो सरकार ने तरीका अपनाया है वह फिजिबल तरीका है। जितना कर्जा हम दे सकते हैं हम देंगे और बाकी कच्ची झोंपड़ी बना कर रहें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि पांच लाख लोगों को जिनमें आज भी अनअथोराइज्ड बना कर बैठे हैं जिनमें हरिजन हैं, लैंडलेस हैं, जो रहते हैं जिनका रेगुलराईज नहीं किया है उन बाकी का भी रेगुलराईजेशन कर देना चाहिए जिससे पांच लाख ही नहीं बल्कि दस लाख को फायदा पहुंच सकता है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जो आलरेडी मकान बना कर कच्ची झोंपड़ी बना कर रहते हैं उनको रेगुलराईजेशन करना चाहिए।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आऊंगा फैमिन के संबंध में, फैमिन के संबंध में सारे माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार जाहिर किए हैं और फैमिन में इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमको पैसा नहीं मिला है। एक जो कैलिमिटी फण्ड सिक्स्थ फाईनेंस कमीशन ने कायम किया है उसमें राजस्थान को 10 करोड़ 19 लाख रुपया हर साल नेचरल कैलेमिटी को मीट आउट करने के लिए मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी फैमिन रिलीफ के नाम से कोई पैसा हमको नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यों ने इस पर कहा कि उनको देना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो निर्णय है जो 10 करोड़ रुपया देंगे उससे एक पाई अधिक नहीं देंगे यह बहुत वाजिब है, वाजिब निर्णय हुआ है। बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और राजस्थान के हित में हुआ है। वह इसलिए हुआ है मैं आपसे निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, फैमिन राजस्थान में पहले भी हुआ करता था, अनावृष्टि पहले भी हुआ करती थी लेकिन पिछले 15 साल में हमने एक सिलसिला शुरू कर दिया और 15 साल में हमने सेंटर से कर्जा लेकर, असिस्टेंस लेकर, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये फैमिन रिलीफ के नाम से खर्च कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फर्स्ट और सैकिन्ड फाईव ईयर प्लान में

(श्री पी०के० चौधरी)

कुल 316 करोड़ रुपया खर्च किया और इससे दस साल में कई सड़कें बनाई, हमने कई कुंए खोदे, स्कूलें खोली हैं। हमने नहरें बनाई हैं, हायडल प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन फैमिन के नाम पर 350 करोड़ रुपया पन्द्रह साल के अन्दर खर्च करके हमने लोगों को भिखारी बना दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि हमने साड़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च करके कोई रिजल्ट नहीं निकाला, कोई हल नहीं निकाला और भिख-मंगे बनाए हैं। हर साल हमारी यह मांग रहती है कि फैमिन हो जावे और हमको रिलीफ मिलनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने, इन्दिरा गांधी ने जो फैसला किया है कि दस करोड़ रुपया दिया जाएगा और इसी से अपना इन्तजाम करो, नहीं कर सकते हो तो अपने साधनों से करो। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए फैमिन कोई नई बात नहीं है, अनावृष्टि कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होता आया है और आज तक कभी भूख से मरते नहीं थे। उस समय भी मवेशी को चारा देकर जिन्दा रखते थे, उसका भी रास्ता था। आप कहेंगे कि पहले निष्क्रमण करके सिंध चले जाते थे, सिंध के इलाके के अन्दर चले जाते थे लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज साड़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च किये तो आपने क्या किया इनसे। क्यों नहीं ट्यूबवैल लगा कर इसका परमानेन्ट हल करते। हमने कई दफा सदन में कहा है कि इसका परमानेंट हल निकालना चाहिए। वास्तव में राजस्थान के वेस्टर्न जोन के अन्दर कैटल फीडर और शीप फीडर लोग हैं जो माईग्रेट होते हैं। जैसे 2 उनके तालाब सूखते जाते हैं, रिजर्व बैंक में कमी आती जाती है, पानी सूखता जाता है वे आगे बढते जाते हैं। हमने जैसलमेर के गांवों को देखा है, बाड़मेर के गांवों को देखा है, जैसे 2 रिजर्व बैंक सूखता जाता है आगे बढते जाते हैं। उनकी लाईफ इस तरह की रही है। हमने कई बार यहां पर सुझाव रखा है कि हण्डरेड माईल के अन्दर, विदिन रेडियस आफ हण्ड्रेड माईल बैल्ट बनाते जहां पर उनको पानी मिल सके, चारा मिल सके। यह भी करना चाहिए। आपको ये रिसोर्सेज डवलप करना चाहिए, ट्यूबवैल से डवलप करना चाहिए। जैसे पहले सिंध में चले जाते थे उसी तरह से कोई जगह कोई जिला रिजर्व कर दीजिए जहां पर वो माईग्रेट होकर जा सकें। माईग्रेशन उनकी हाबी है। यह उनका हर साल का फीचर है और हर साल में कैटल माईग्रेशन होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसिजन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए दस मिनिट से ज्यादा कोई नहीं बोलें।

श्री पी०के० चौधरी : मैं समाप्त कर रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ पोलिटिक्स आफ स्केयरसिटी है, यानि इसमें राजनीति है और राजनीति के आधार पर पोलिटिक्स आफ स्केयरसिटी के आधार पर फायदा उठाते हैं। फैमिन के अन्दर भी पोलिटिक्स चलती है और भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि फैमिन के अन्दर जरा सी रिलीफ चाहिए वह दो-तीन जिलों में चाहिए लेकिन आज यह होता है कि जरासी स्केयरसिटी हुई और रिलीफ की मांग सब जगह करते हैं। एक्चुअल नीड दो तीन जिलों में इमीजियेटली हो सकती है और दस करोड़

Page No 75

75

(श्री पी० के० चौधरी)
एकचुमली इसको मीट करने के लिए इज इनफ, यह मेरा मानना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इण्डस्ट्रियलाईजेशन के संम्बंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि उसकी जो प्रोग्रेस है वह सेटिस्फेक्ट्री नहीं है। दूसरी बात हमको अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि वह जागरुक है लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है इसलिए हमको शंका पैदा होती है । स्टेट गवर्नमेंट ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है ? क्यों इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका इसमें जिक्र होना चाहिए । नहीं होता है तो हमारे दिमाग में एप्रिहेंशन पैदा होता है ।

It creates apprehension,

हम जानना चाहते हैं कि जहां आपके पास पायराइट के भण्डार हैं उसके लोकेशन के सम्बंध में क्यों चुप रहते हैं ।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के संबंध में एक ही शब्द कहना चाहता हूं । पहले भी सदन में इसकी मांग की गई थी कि फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के दूसरे साल में प्रवेश करने जा रहे हैं परन्तु आज तक फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के अन्दर न तो सदन में डिस्कसन हुआ, न और कहीं । मैं आपको कहूंगा कि उसका हमको आइडिया तक नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा । कोई आइडिया नहीं है । अगर पूरा प्लान नहीं तो कम से कम प्लान प्रायोरिटीज है उसको डिस्कस कर सकते हैं । इसमें क्या है ? मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो ड्राफ्ट प्लान हैं उसमें 635 करोड़ रुपया आप तय करना चाहते हैं उसमें हम यह देखना चाहते हैं कि प्रायोरिटी किसीको है । आपने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी है जो प्लान एलोकेशन रखा है वह गवर्नमेंट का जो ओब्जेक्टिव है उसको फुलफिल नहीं कर सकता है, या कर सकता है, यह देखना है । आपका ओब्जेक्टिव 4.2 परसेंट का है एग्रीकल्चर में लेकिन हम देखते हैं कि 4.2 का आप 3.2 भी ग्रोथ पैदा नहीं कर पायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इस 635 करोड़ में से आपने 229 करोड़ रुपया ऐसा रखा है जो चम्बल और इन सब इलाकों में होंगे। इससे कोई इमीजिएट रिजल्ट आने वाला नहीं है । राजस्थान नहर एरिया के लिए जो आपका कुल एलोकेशन 229 करोड़ का है उसमें से राजस्थान कैनाल पर 88 करोड़ रुपया, चम्बल कमाण्ड पर 10 करोड़ रुपया और इस प्रकार का, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा है । तीन सौ करोड़ रुपये में से 22 करोड़ रुपया डेजर्ट डेवलपमेन्ट के लिए और राजस्थान कैनाल के डेवलपमेंट के लिए, कमाण्ड एरिया को डेवलप करने के लिए, चम्बल एरिया और ट्यूबवैल के लिए होल एरिया के लिए हमने रखा है ।

We have produced some things.

राजस्थान फर्टाइल लैंड है यहां ईस्टर्न-जोन फर्टाइल है । यहां पर आपको इरीगेशन फैसेलिटी देनी चाहिए । मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप जहां राजस्थान कैनाल के लिए, जिसके बारे में नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन ने भी माना है और it has been accepted by the Planning Commission

(76)

(श्री पी०के० चौधरी)

प्लानिंग कमीशन ने भी यह कहा है कि यह कमाण्ड एरिया डवलप करने में आपको पन्द्रह साल लगेंगे। राजस्थान कैनाल बन जाने के बाद भी दस बीस साल आपको लेवलिंग करने और कमाण्ड एरिया डवलप करने में लगेंगे उसके बाद फसल होगी। इससे क्यों नहीं आप लिफ्ट इर्रीगेशन के जरिए से जो नागौर का एरिया है, चूरू का एरिया है, जो बारानी जमीन है, जहा पर खेती हो सकती है वहां पर पानी नहीं देते हैं। And that is accepted. छः लिफ्ट इर्रीगेशन को राजस्थान कैनाल का पानी लाने के लिए प्लानिंग कमीशन ने एप्रूव किया है। इस अरेंजमेंट से हम काफी पैदावार ले सकते हैं। हमारी जगह समतल है, हमारी जमीन खेती के नीचे आ सकती है लेकिन हमारी जमीन पर पानी नहीं है। जब बंशीलाल यमुना का पानी झुंझुनू के बोर्डर पर ला सकता है और झुंझुनू के बार्डर एरिया में खेती होती है, यह हम देखते हैं कि झुंझुनूं जिले के पास के एरिया में होता है on the other side of the border there is lot of water. हमारे यहां कोई बिजली नहीं है। जब वे पानी ला सकते हैं, गंगा और यमुना का पानी अपने एरिया में ला सकते हैं तो क्यों नहीं हम चूरू में लिफ्ट इर्रीगेशन से पानी ले जा सकते हैं जहां जमीन अण्डर कल्टीवेशन हो। लेकिन आप तो सपने देखते हैं to blossom the desert. जो 25 साल लगेगा तब तक क्या भूखों मरेंगे? आप भीख मांगेंगे फैमिन रिलीफ के लिए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जो प्रायोरिटीज हैं, प्लान प्रायोरिटीज हैं उनको सदन में डिसकस करना चाहिए जिससे हम बता सकें उन लोगों को। ब्यूरोक्रेसी के स्टेट गवर्नमेंट के जो परवर्टेड व्यूज हैं, जो बायस्ड व्यूज है उनको इन्फलुएन्स कर सकें। This the time, quick maturing steps, आपको लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री पी० के० चौधरी : रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। मैं कहता हूं कि जयपुर डिवीजन में 45 परसेंट राजस्थान की एग्रीकलचरल लैण्ड है। वह जयपुर डिविजन में है। राजस्थान के 40-50 पर्सेन्ट वैल्स आज जयपुर डिविजन में हैं। हम कहते हैं कि बिजली दी जाय। मुख्य मंत्री महोदय की मनोहरपुर में प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो मीटिंग हुई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम बैंक्स से बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले 50 लाख रुपये की अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुन्झुनू, सवाई-माधोपुर और सीकर इन 6 जिलों के लिए एक स्कीम मुकर्रर करेंगे यह कहा था और पानी देंगे, लेकिन अफसोस है कि गवर्नर साहब के अभिभाषण में उसका कोई उल्लेख नहीं है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि क्रेडिट स्कवीज हो रहा है। कोई क्रेडिट स्कवीज नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए there is no ban on the credit expansion to agriculture. बैंकों का कोई क्रेडिट स्कवीज नहीं हो रहा है। कौन सच कहता है? दोनों में से? मुख्य मंत्रीजी सच कहते हैं या गवर्नमेंट आफ इंडिया के फाइनेन्स मिनिस्टर झूठा बयान कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के संबंध में एक बात

(श्री पी०के० चौधरी)

निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 31,32,000 ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं। उनमें से उदयपुर डिविजन में रहते हैं 13 लाख और बाकी जो रहते हैं, जयपुर में, सवाई माधोपुर में और कोटा डिस्ट्रिक्ट में इनमें रेस्ट आफ दी पीपल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 20 साल से कान्स्टीट्यूशन के अन्डर में शिड्यूल्ड एरिया के नाम से वहां पर खर्चा हो रहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, और आज तक जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, 154 लाख का प्लान बनाया है, यह सारा खर्चा हो गया उन लोगों पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के सलूम्बर, खैरवाड़ा, कोटडा, झालोड, धरियावद तहसीलों में खर्चा हो गया। मैं स्वयं उन आदिवासियों से पूछना चाहता हूं कि 20 साल में शिड्यूल्ड एरिया के नाम पर और तुम्हारे नाम पर खर्चा हो रहा है तो उस एरिया का क्या डेवलपमेंट हुआ ? हम यह जानना चाहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आदिवासियों का हालत हमारे यहां के हरिजनों की हालत से भी खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड एरिया के नाम पर 20 साल से खर्चा हो रहा है। क्या होता है डेवलपमेंट ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम पर आया हुआ पैसा क्या पोलिटिकल पर्सन्स पर खर्च हो गया ? बाकी सवाई माधोपुर, कोटा का जो रेस्ट आफ दी शिड्यूल्ड एरिया है, जो आदिवासी एरिया है, वहां के आदमियों को कोई फायदा मिले यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक जो अभिभाषण सदन के सम्मुख दिया उसके धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं स्वागत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रान्त के सामने और देश के सामने वह तीन प्रमुख समस्याएं हैं—गरीबी, बेकारी और युवा-आक्रोश। इन तीनों समस्याओं की यदि हम एक राक्षस से तुलना करें, जो कि मुंह फाड़ खड़ा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी...

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर) आर्डर प्लीज।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : गरीबी तो हमारी बहुत पुरानी समस्या है, परन्तु इन दिनों गरीबी या गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। आज देश की 40 प्रतिशत जो जनसंख्या है वह गरीबी की सीमारेखा के अन्तर्गत निवास कर रही है। उनको, कम से कम जो आवश्यक उपयोगिता की चीजें हैं, वह नहीं मिल पाती हैं। आवश्यक से आवश्यक आवश्यकता भी पूरी नहीं होती है, अर्थात् न तो रोटी ठीक से मिल पाती है, न रहने के लिए ठीक से मकान मिल पाते हैं और न ही ठीक से कपड़े पहन सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं हैं ये सारी की सारी हमारे देश को और हमारे प्रान्त को घेरे हुए हैं, और पांचवी पंचवर्षीय योजना इन्हीं मुख्य समस्याओं के निवारण के लिए इसी के इर्द गिर्द निर्मित की गई है, मान्यवर। परन्तु एक प्रश्न दिमाग में आता है कि गरीबी का निवारण फिर से सारी की सारी सम्पत्ति को समान रूप से बांट कर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि यह एक जवाब हास्यास्पद है, क्योंकि देश की सम्पत्ति जो है वह सारी रुपये-पैसे में नहीं है। मशीनों के रूप में, खनिज के रूप

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

में, मानव-श्रम के रूप में और बुद्धि के रूप में है जिनको समान रूप से बांटा नहीं जा सकता । तो ऐसी स्थिति में हमारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया है वह विकास का प्रारूप है, अर्थात् विकास के जरिए हमें इनको दूर करना है, और हमारे राज्य ने भी, हमारे प्रान्त ने भी, इस प्रारूप से कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है । परन्तु हमारी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनकी वजह से इन कदमों को ठीक प्रकार से नहीं निभा सकते हैं । वह मजबूरियां हमारे प्रान्त की भौगोलिक स्थिति है ।

आज यदि हम यह देखें कि देश का जो सबसे बड़ा थार मरुस्थल है वह हमारे एक तिहाई भाग पर खड़ा हुआ है । उस मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवायें वहां की वनस्पतियों की ही नहीं, मानव को लगातार जलाने के लिए पर्याप्त हैं । इस प्रकार से उनमें चलने वाली तेज हवायें जो हैं वह मानव मात्र को दफनाने के लिए पर्याप्त हैं । तो ऐसी स्थिति में यह कह देना कि एकदम सारी की सारी उस गरीबी का निराकरण किया जा सकता है, यह नहीं हो सकता है, मान्यवर । ऐसी स्थिति में जो थार मरुस्थल हमारे प्रान्त में फैला हुआ है और इसकी वजह से आये दिन हमारे यहां अकाल पड़ता है । राजस्थान के 27 वर्षों के इतिहास को यदि अकाल-गाथा कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । ऐसी स्थिति में अकाल के लिए इस वर्ष पैसा नहीं होते हुए भी प्लान-वर्क्स पर कई मजदूरों को लगाया गया है । जो भूखों मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें भेजा गया है । यह सब तो हुआ है, मान्यवर, परन्तु स्थिति यह है कि प्लान-वर्क्स को लेकर हम अकाल से पीड़ित लोगों की सही समस्याओं का समाधान नहीं कर सके हैं, क्योंकि प्लान-वर्क्स दूर दूर होते हैं । वहां पर जाने की कुछ मजबूरियां लोगों की होती हैं । उन लोगों के कई के बूढ़े मां-बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, मवेशी होते हैं जिन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं । इसलिए मेरा, राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि यदि उनको राहत पहुंचाना है तो उनके पास के एरिया में, उनके पास के क्षेत्र में हमें राहत पहुंचाना है, मान्यवर । खास समस्या जो है, वह यह है कि जो कुछ हमने अभी तक कार्य किए हैं, वह इतने अधिक या संतोषप्रद रहे हैं, यह नहीं कह सकते हैं । क्योंकि यह अकाल की छाया हमेशा आती है । इसके लिए हमें सही ढंग ढूंढना होगा । और इस समस्या का स्थाई समाधान करना होगा । इस बारे में, मैं सुझाव के रूप में कुछ निवेदन करना चाहती हूं । मेरा पहला सुझाव यह है कि मरुस्थल का विकास करने के लिए एक मरुस्थल विकास अधिकरण बनाया जाना चाहिए । जो विकास का नियोजित कार्यक्रम बनायें । यह कार्यक्रम कागजों में नहीं भौतिक वास्तविकता में होना चाहिए । इसकी वास्तविकता में दृढ़ता होनी चाहिए ।

दूसरा इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, हमें कृषि की बात थोड़ी करनी चाहिए और पशुपालन की बात ज्यादा सोचनी चाहिए । क्योंकि पशुपालन के जरिए से रूखे-सूखे और मुरझाये हुए चेहरों में हम कुछ कान्ति ला सकते हैं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस संबंध में कुछ बातें कही गई हैं । परन्तु अभी तक जो कार्य हुए हैं उन्हें संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता । अकाल के स्थायी हल के लिए हमको वन सम्पदा को बढ़ाना होगा । यह एक राष्ट्रीय कार्य है, जिसको निभाना होगा ।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
क्योंकि हमारे प्रदेश में धन सम्पदा का बहुत अधिक शोषण ठेकेदारी प्रथा से हुआ है। हमें यह राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाना होगा। इसके लिए यह होना चाहिए कि 60 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र में और 20 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र में वृक्षों को लगाना चाहिए। वन महोत्सव न केवल हमारे देश में ही होता है किन्तु कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्वीडन और जापान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह हमें मनाना चाहिए। इससे हम रेगिस्तान को बढ़ने से रोक सकते हैं। इससे हम अकाल से रक्षा कर सकते हैं। और कृषि को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से रेगिस्तान की जो तेज हवाऐं हैं, उनको ऊर्जा के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके लिए काम होना चाहिए। राजस्थान नहर के बारे में मैं विस्तृत रूप से न कुछ कह कर इतना ही कह सकती हूं कि राजस्थान नहर का कार्य राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

मानव की गरीबी की जो समस्या है, उसमें मुख्य रूप से अन्न की समस्या है। रोम में जो अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन हुआ है, उसमें यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया को छोड़कर जो अन्य देश हैं, उनमें खपत की मात्रा से कम उत्पादन होता है। हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। हम राजस्थान में अन्न का भण्डार बना सकते हैं। परन्तु हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह तथ्य सभी लोग जानते हैं। इसके लिए हमें सिंचाई के साधन बढ़ाने होंगे। परन्तु आप सभी यह जानते हैं कि एकदम साधन नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। हमारे प्रान्त में जो सूखा क्षेत्र है, उसमें 6% सिंचाई की व्यवस्था है। दूसरी जगहों पर 27% है पर यह भी संतोषप्रद व्यवस्था नहीं है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। हमारे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ओराई और गम्भीरी केनाल है। वहां पर पानी आधे से अधिक नष्ट हो जाता है। किसान अपनी सोने जैसी फसल को सूखती हुई देखता है और रोता है। परन्तु पानी नहीं मिलता है पानी नहीं दे पाता है। इसके अलावा सीपेज से जो जमीन ऊसर हुई है उसकी करुण कहानी सुनी नहीं जा सकती है। क्या आप नहरों को पक्का नहीं कर सकते हैं? इस प्रकार से क्या इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान एक दूसरे कारण से भी अधिक परेशान हैं। क्योंकि जो चीजें वह पैदा करते हैं, उनके लिए मार्केट नहीं है। खास तौर से जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां गन्ना बहुतायत में पैदा होता है। इतना पैदा होता है कि हम प्रान्त की ही नहीं राष्ट्र की खुशहाली के साथ में उसको जोड़ सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। किसान चाहता है कि वह बहु फसली कृषि कार्य-क्रम अपनायें, परन्तु कोई लेने वाला नहीं है। उनका लेने वाला एकमात्र मेवाड़ शुगर मिल है। उसमें बहुत थोड़ा सा गन्ना लिया गया है। हर किसान अनुनय विनय करता है देने के लिए, उसकी बहुत कम लोगों को गन्ने की पर्ची मिलती है। किसान मिल की गन्ना की चिट पाने के लिए उसी प्रकार इन्तजार किया करता है, जिस प्रकार से चातक पक्षी इन्तजार किया करता है। फिर ऊपर से तुर्रा यह है कि 10 मील के रेडियस में कोई गुड़ नहीं बना सकता है। खण्डसारी नहीं बना सकता है। क्या हम इस प्रकार से किसानों के हितों और उत्पादन पर कुठाराघात

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
नहीं कर रहे हैं ? इन बातों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए ।

दूसरी बात जो में निवेदन करना चाहती हूं, हमारे यहां विकास का काफी क्षेत्र है, किन्तु किसानों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है । आज किसान उचित मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार है । परन्तु हमारे अधिकांश कार्य अधूरे हैं । वह व्यक्ति, जिन्हें कृषि विशेषज्ञ कहते हैं, वह अपने ज्ञान को पुस्तकों में ही रखते हैं । किसानों के पास नहीं जाते हैं । जहां तक मिलावट की बात है, आज बीजों में भी मिलावट चलती है । पन्त नगर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर ने कहा है, दुख है कि बीजों में भी मिलावट होती है । किसान अच्छा बीज समझकर लेकर जाता है परन्तु उसकी फसल खराब होती है । इसके लिए प्रान्तीय स्तर पर बीज निगम की व्यवस्था करें । और हरित क्रान्ति के लिए विद्युत् की अनिवार्य आवश्यकता है । निस्संदेह इस ओर कार्य हुआ है । राजस्थान बना उस समय यह विद्युत् केवल 42 गांवों में थी । इस समय बिजली 6 हजार गांवों में पहुंच गई है । आज बिजली की उत्पादन क्षमता 482 मेगावाट है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 331 मेगावाट तक पहुंच जायेंगे । फिर भी हम बहुत पीछे हैं । आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका प्रति व्यक्ति 6,600 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करता है । हिन्दुस्तान में यह प्रति व्यक्ति 90 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करता है । राजस्थान 165.54 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करता है इससे अधिक क्या हम क्षमता नहीं बढ़ा सकते हैं ? रावतभाटा परमाणु बिजली घर की क्षमता बढ़ा सकते हैं । इसे एक हजार मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है ।

इसके साथ ही एक और विद्युत् के संबंध में परेशानी आती है, वह यह है कि एक किसान को बिजली का खम्भा लेने के लिए 850 रुपये जमा कराने पड़ते हैं । एक सीमान्त कृषक से विद्युत् के आठ दस खम्भे प्रति खम्भा 850 रुपये की दर से लें, तो ऐसी स्थिति में कोई कृषक अन्न उत्पादन में विकास करना चाहे, खेती का विकास करना चाहे तो वह कर नहीं पाता । मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि कम से कम सीमान्त कृषक और लघु कृषक को, जो एक खम्भे के 850 रुपये जमा कराने का जो नियम है, इसको समाप्त करके छूट दी जानी चाहिए

दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता मानव की है, वह है मकान । राजस्थान में बहुसंख्यक लोगों के पास मकान नहीं है, यह हमारी सभ्यता के लिए एक कलंक है । आज यदि हम यह देखें कि गरीब गन्दी बस्तियों में रहते हैं उन गन्दी झोंपड़ियों में न रोशनी की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न ही उनमें हवा आने की व्यवस्था है । दरवाजे के नाम पर केवल एक टाट का पर्दा लटका हुआ रहता है जो उसकी करुण कहानी कह रहा है । यद्यपि राज्य सरकार ने नरौरा में जो सम्मेलन हुआ उसके आधार पर साढ़े पांच लाख लोगों को भूमि के पट्टे वितरित किये एवं आगामी समय में, मार्च में 12 हजार मकानों के लिए लोन भी दे दिया जायगा, यह सब, उपाध्यक्ष महोदय, कदम राज्य सरकार के सराहनीय हैं, इनकी मैं सराहना करती हूं । साथ साथ कहना चाहती हूं, गन्दी बस्तियों और मकानों की समस्या है यह ग्रामीण नहीं, नगरीय हैं । तो नगर की ओर विशेषतौर से ध्यान दें । यद्यपि राजस्थान आवासन बोर्ड इस क्षेत्र में प्रयत्नशील है परन्तु उसका कार्य पर्याप्त नहीं कहा जा सकता ।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है, मैंने जिसका विवेचन पहले ही किया, वह है, बेकारी की समस्या। आज देश के कई नौजवान बेकार हैं और बेकारी की समस्या...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, साढ़े चार बजे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद का माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे, इसलिए आप सभी माननीय सदस्यों को अपने समय पर स्वयं संयम रखने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी!

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : पांच मिनिट!

श्री विजय सिंह : साढे चार बजने वाले हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : बेकारी की समस्या है, बेकारी दो भागों में बंट जाती है, वह मैं निवेदन करना चाहती हूं। एक तो शिक्षित बेकारी, एक अशिक्षित बेकारी। शिक्षित बेकारी, उस शिक्षित बेकारी के 2 उप-वर्ग किये जा सकते हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं दूसरी अन्य शिक्षा प्राप्त। तकनीकी शिक्षा प्राप्त वह युवक हैं जो डाक्टर, इंजिनियर, कृषि स्नातक के रूप में सामने आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, यह जो बेकारी है, इन बेकारों की समस्या है, इनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन है, एक आक्रोश है....

श्री विजयसिंह : एक मंत्री महोदय बिराजे हैं वह भी बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मूलचन्दजी, आपको यह मंत्री मानते ही नहीं हैं। मुश्किल यह है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : बेकारी की समस्या के साथ समस्या है युवा आक्रोश की।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, सहकारिता मंत्री हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : यह समस्या बड़े रूप में सामने आ रही है, जिनके सम्बंध में कल परसों सदन में बराबर चर्चायें होती रही हैं। युवा आक्रोश बढ़ रहा है। यह जो युवा आक्रोश है, इसको पुलिस फोर्स के जरिये या और दमनात्मक तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। युवा आक्रोश की तुलना मैं क्षय रोग से कर सकती हूं। क्षय रोग को बुखार की दवाई या दूसरी दवाई से नहीं दबा सकते जब तक कि कीटाणु समाप्त नहीं किये जायं। इसलिये जब तक बेकारी की समस्या का समाधान नहीं किया जायगा तब तक युवा आक्रोश बढ़ता रहेगा, क्योंकि युवक समाज में आता है तो उसमें गरीबी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आदत नहीं होती है, गरीबी किसे कहते हैं वह यह नहीं जानता है। गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में कोई सुझाव उसे देता है तो क्योंकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें सुझाव ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इस कारण हिंसात्मक मूवमेंट हमें समय समय पर देखने को मिलते हैं। मैं कहना चाहूंगी, तकनीकी शिक्षा भी इसका समाधान नहीं कर पायी, तो क्या हमारी तकनीकी शिक्षा में भी दोष है। तकनीकी शिक्षा है, वह रोजगार के अवसर नहीं दे पायी, युवकों के अन्दर स्वयं अपना मालिक बनने का साहस नहीं दे पायी, उनको अपने पैरों पर

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

खड़ा नहीं कर पायी, तो इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा का क्या आधार मान सकते हैं ? मैं निवेदन करूंगी कि हमारी तकनीकी शिक्षा में एक तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक हैं, वह देश में एक विस्फोटक का रूप ले सकते हैं।

साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में व्यवसायिक शिक्षा के बारे में झलक मिली है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी नियुक्त की गई है। इससे व्यवसायिक शिक्षा फैलेगी लेकिन व्यवसायिक शिक्षा देते समय भी····

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा के बारे में शिक्षा की अनुदान की मांग के समय विस्तृत रूप से कह सकती हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं संक्षेप में कह रही हूं····

श्री किशोरी लाल : मैंने तीन दिन से समय देने की मांग की है, कृपया····

श्री श्रीराम गोटेवाला : शिक्षा के बाद अशिक्षितों पर बोलना है।

श्री किशोरी लाल : पहाड़ी इलाके के कोई माननीय सदस्य नहीं बोले हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैंने निवेदन किया····

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, समय पर संयम आप रखें।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : ऐसा न हो कि व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त नवयुवक भी नियोजन कार्यालयों की लाइनों की शोभा बढ़ाते रहें, इससे युवकों मे आक्रोश उत्पन्न होता है इस समस्या के समाधान के लिए, औद्योगिक विकास के लिए खास तौर से इन्हें उद्योगों की ओर मोड़ना होगा। परन्तु दुर्भाग्य की बात है आज हमारे प्रान्त में जितने उद्योग लगे हुए हैं, उनमें निजी व्यक्तियों की पूंजी कम होते हुए, निजी क्षेत्र में पूंजी कम होते हुए भी, राजस्थानियों को रोजगार नहीं मिलता है। हमारे यहां तीन यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी राजस्थान के जो प्रखर बुद्धि के लोग हैं, उनको प्राथमिकता नहीं मिलती है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी, अन्य राज्य, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल में यह निर्णय लिया गया है, 90 पर्सेंट व्यक्ति स्थानीय होंगे। क्या राजस्थान की जो प्रतिभा है उसके लिए यह निर्णय नहीं ले सकते ? क्योंकि राजस्थान की प्रतिभा कहां तक····

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) महिला वर्ष है, इसलिए महिलाओं के बारे में दो शब्द कहने का अधिकार मुझे होना चाहिए। यद्यपि इस वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है, परन्तु हमारे प्रान्त में महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, इसके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहींकिसी प्रकार का संकेत नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा से महिला को हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है। यद्यपि संवैधानिक रूप से हमारे को बराबर का अधिकार मिल गया है परन्तु पुरुषों की निगाह में अभी तक अपने आपको उससे उच्च····

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम तो आपको सर्वोच्च मानते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : हमारे दिल में बड़ी श्रद्धा है। हम काबिल मानते हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : प्रधान मंत्री का एक उदाहरण है उसके आधार पर सामान्यकरण नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : बोलने तो दीजिये। मैं क्या बोलना चाहती हूं? मान्यवर, मुझे बोलने की इजाजत तो दी जाय। मैं क्या बोल रही हूं। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहती हूं, इस वर्ष कम से कम हमारे देश की कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन व्यवस्था होनी चाहिए। और इस विधान सभा सत्र में इस प्रकार का विधेयक आना चाहिए कि जो स्त्रियां उद्योग में या निजी क्षेत्र में जहां जहां काम करती हैं, वहां पर उन्हें समानरूप से वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही यह कहना चाहती थी कि गांवों में स्त्रियों की स्थिति बड़ी शोचनीय है। मैं यह कहूं कि वहां यह कहावत चरितार्थ होती है, "ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी" तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी···

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको वह याद है, हमें यह याद है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : गांवों में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय है, जातिवाद से, अनेक प्रकार की प्रथाओं से दबायी-हुई हैं। मेरा सुझाव है कि पंचायतों में उनके लिए निश्चित स्थान का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, उनको पंचायतों में आगे आने का अवसर देना चाहिए··

श्री मूलचन्द सामरिया : एक फूड मिनिस्टर हैं और केबिनेट रेंक के दो मिनिस्टर हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। आज राजस्थान में 19 पर्सेंट पुरुषों का शिक्षा का पर्सेंट है और स्त्रियों का 18.2 पर्सेंट है। उसके लिए विशेष प्रकार का प्रोविजन बजट में होना चाहिए, जिससे हम····

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : स्त्री समाज को ऊंचा उठाने में मदद दे सकें इतना कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह मसूदा! (व्यवधान) तीन वर्ष में बोल रहे हैं।

श्री किशोरी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पहाड़ी इलाका है, हमको भी बोलने का समय दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास सूची है, पांच-पांच मिनिट का समय सभी को दीजिये।

श्री मनोहरलाल (कामां) : पांच-पांच मिनट दें।

श्री उपाध्यक्ष : (कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर) प्लीज-प्लीज। श्री नारायणसिंह मसूदा!

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के द्वारा हमारी प्रगति को जिस प्रकार से रखा है उसके लिये तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव में सम्मिलित होने में, बिल्कुल खुशी से सम्मिलित होता हूं, परन्तु मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी इस सारे प्रगति विवरण से और इस प्रकार के

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

विवरण से कहीं आत्मविभोर न हो जाय। कम्प्लेसेन्स में न आ जाय। खेद की बात है कि निरंजननाथजी आचार्य नहीं हैं, नहीं तो वह मुझे कम्प्लेसेन्स का हिन्दी में सही अर्थ बताते। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इस प्रगति विवरण से आत्मविभोर न हो जायें, मैं समझता हूं काफी सीमित समय है हमारे पास, उसमें जितना कह सकता हूं, वह कहने का प्रयत्न करूंगा। हमें राज्यपाल महोदय ने बताया है कि पर केपिटा इन्कम 72-73 में 281 रुपये थी जो 73-74 में बढ़कर 304 रुपये हो गई है। चीजों के भाव भी बढ़े हैं परन्तु फिर भी हिसाब लगायें तो यह बढ़ोतरी 17 पर्सेंट हुई है। और उसमें उसके साथ-साथ मैंने आगे के पैराग्राफ्स को देखा तो उसमें लिखा था कि 1974 में थोक भावों में 35 परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई है और खुदरा भाव 29 परसेन्ट बढ़े हैं। अगर यही स्थिति है तो मैं यह नहीं कह सकता कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है कि जो कारगर है और चीजों को खरीद सकें। असल में वह घटी हुई भी मानी जा सकती है। हम पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में 316 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और इस हिसाब से 126 रु० प्रति व्यक्ति हमने खर्च किए हैं। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि 126 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च के अन्दर आते हैं तो हमको चीजों के ऊंचे भाव भी नजर आते हैं। जिनका इन्डेक्स है, जनरल इन्डेक्स है वह 292 है और फूड इन्डेक्स आता है 307, 72 में, 1960 के हिसाब से। तो अगर यह इन्डेक्स बढ़ता रहा, अगर प्राइसेज बढ़ती रहीं तो हमको निश्चय ही इस बात को जान लेना पड़ेगा कि जो कुछ भी योजना में खर्च कर रहे हैं उस खर्चे के अन्दर कितना वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर हो रहा है, कितना ओवर एक्सपेन्डीचर हो रहा है और कितना इन्डेक्स ऊंचा जाता है जिससे चीजों के भाव बढ़ते हैं और कितना सही उपयोग हो रहा है, यह हमको देखना पड़ेगा। और कितने एक्स्पेन्डीचर हो रहे हैं। विस्तार में जाओ तो, और अगर हम सेक्टर-वाईज एलोकेशन की बात करने का प्रयत्न करें तो कम से कम अच्छी आय उसको मानी जाती है जो 10 परसेन्ट बढ़ती हो। जो 10 परसेन्ट बढ़ोतरी देवे। परन्तु एक एक सेक्टर का अगर विश्लेषण किया जाय तो 5 परसेन्ट आय भी बढ़ी हुई दिखाई नहीं देगी। ऐसी स्थिति में हमको यह देखना होगा कि आज यह प्राइसेज क्यों बढ़ रही हैं। खास तौर से फूड प्रोडक्शन की बात आती है। फूड प्रोडक्शन में जो क्षेत्र रहा है, दृष्टिकोण रहा है, जो प्रयास इस ओर किये गये हैं, और जो दूसरे प्रयास हैं वह अलग हैं, अकाल की स्थिति की बात अलग है, सूखे की बात अलग है और उनका सामना करने के लिए जो खर्चे हुए हैं वह अलग हैं, लेकिन उनके साथ-साथ यह भी कह सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन 68-69 में 35 लाख टन, 69-70 में 49.28 लाख टन, 70-71 में 88.40 लाख टन, 71-72 में 63.74 लाख टन और 72-73 में 51.49 लाख टन हुआ था। यह फूड प्रोडक्शन पिछले सालों में आता है तो इस हिसाब से यदि हिसाब लगायें तो जहां 25 लाख टन उत्पादन होता था एवरेज इसकी 50 या 60 लाख टन से ज्यादा नहीं आती तो बेसिक प्रोडक्शन जो फूड का होना चाहिए उसमें हमें कमी तो अनुभव हुई है। इसका कारण मैं राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की स्थितियों में बताऊंगा कि इन्फ्लेशन-पैरेलल इकानोमी की जो स्थिति है और स्मगलिंग है और जो दूसरे कारण हैं। यह पैरेलल इकानोमी करीब पचास हजार करोड़ की चल रही है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि इन्दिरा गांधी ने इसको रोकने के लिए

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

कुछ भारी कदम उठाये हैं, और स्मगलिंग को और जो लोग धन इकट्ठा करके रखते हैं उनको पकड़ने के लिए मीसा का प्रावधान किया है। परन्तु फिर भी जबरदस्त प्रोब्लम हैं हमारे सामने कि कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने स्मगलर्स हैं अभी भी इसका पता नहीं है। आज राजस्थान में और हिन्दुस्तान में कितने ही स्मगलर्स हैं जिनका पता नहीं चलेगा। और कितनी ही चीजें स्मगल होती होंगी, यह पता नहीं है। इसलिए जब तक इसकी जड़ों में नहीं पहुंचते, उसमें शिथिलता आने लगती है और इसी कारण से यह सारी चीजें होती हैं। इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए जब तक इन्फ्लेशन-पेरेलल इकानोमी रहेगी, तो फूड प्रोडक्शन कम होना भी इसका कारण है और इससे प्राइसेज बढ़ेंगी। इन कारणों को यदि हम देखकर ठीक नहीं कर सकेंगे तो हमारी गलती रहेगी। इन्फ्लेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ल्डवाइड फिनोमिना है परन्तु मैं यह निवेदन करूं कि यह दुनियां के दूसरे देशों में भी है अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी 5 से 10 परसेन्ट इन्फ्लेशन हुआ है, हमारे यहां 40 परसेन्ट इन्फ्लेशन हुआ है। हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते, उसको कृत्रिम रूप से आगे बढाना चाहते हैं। इससे आखिर होगा क्या? एक रुपये का आज भाव क्या है? आज रिजर्व बैंक भी कहता है कि एक रुपये का भाव 30 पैसे है, या 28 पैसे रह गया है तो उस हिसाब से लगा लीजिये कि यहां रुपये का भाव आज यहां क्या रह गया है. और पुराने रुपये का भाव लगाना चाहें तो क्या होगा? फेमीन के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने बताया उनसे मुझे मालूम पड़ता है कि राजस्थान कैनाल पर और दूसरे ऐसे ही बड़े बड़े कार्यों पर केन्द्र से हमको 10.24 करोड़ रुपया मिल रहा है और 10.19 करोड़ रुपया छठी फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार एक राशि नियत कर दी गई है वह हमको मिल जायगी और 1.50 करोड़ रुपये 1974-75 की प्लान में से राज्य सरकार ने भी राहत कार्यों के लिए डायवर्ट किये हैं। बाकी के लिये हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी? 24 जिले प्रभावित हैं और 1.33 करोड़ पापूलेशन प्रभावित है। उस समय 55 से 60 करोड़ खर्च हुए थे और इससे भी पहले 1968-69 में 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा हुआ था। हमने डोल्स देना सिखा दिया और अब सिखाने के बाद कहते हैं कि हम 25-26 करोड़ से और वह भी अप्रेल-मई से काम शुरू करके दिला देंगे। मैं जब गांवों में जाता हूं तो यह सोचता हूं कि आगे वोटर हमें वोट देगा भी या नहीं ···

श्री लक्ष्मण सिंह : जिंदा रहेंगे तब तो वोट देंगे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह सही है कि आज हम इतने से खर्चे से कहां तक सारा काम कर सकेंगे वह भी प्लान के अंदर ले लिए जायें, आगे की योजना हमारी खतम हो जाएगी। अब प्लान में ले लिए जायेंगे तो आगे क्या प्लानिंग करेंगे? हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे? एक फंडामेंटल इश्यू है अकाल का और अकाल के विषय में एक पुख्ता कार्यवाही होनी चाहिए।

लेवी का भी यहां प्रश्न आया, वह होनी चाहिए। मेरी पार्टी मानती है कि लेवी ली जानी चाहिए, अगर लेवी नहीं ली जाएगी तो धान कहां से देंगे? परन्तु मैं गत वर्ष का निवेदन करूं कि मई के महीने में कहा गया कि व्यापारी से लेवी ले ली जाएगी, काश्तकार ने सारा अनाज बेच दिया और, जून में उत्पादक से लेवी लेने का निर्णय हुआ। अब इसके

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

अंदर मेरी कान्सटीट्यूएन्सी का अनुभव हैं कि कई ब्यूरोक्रेट्स नीचे से ऊपर तक अपनी अपनी सफाई बताने के लिए इस प्रकार से लेवी लें तो वे कहां से लायें ? शायद तानाशाही और सामन्तशाही के समय भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोगों ने खरीद खरीद कर अनाज दिया । इस मामले में गंभीरता से विचार करना है कि कितनी लेवी लें और कितना प्राइस रखें । मैं पहले की बात करता हूं, काश्तकार समय पर लेवी देने को तैयार था उत्पादक से ग्रेडेड लेवी लीजिए, सी०पी०आई० वाले भाई भी कह रहे हैं, परन्तु व्यापारी से डरते क्यों हैं ? व्यापारी के खजाने को क्यों नहीं टटोलते ? यह हमारी कमजोरी है, इसलिए उत्पादक पर ही आक्रमण करते हैं । हमें यह देखना होगा कि 5 एकड़ या कम से कम 15-20 बीघा जमीन जोतने वाले से कभी लेवी नहीं ली जानी चाहिए। बजट के समय यदि मुझे समय मिला तो मैं आंकड़े इकट्ठा करके लाऊंगा कि काश्तकार 10 बीघा या 20 बीघा में कितना प्रोड्यूस कर सकता है । कुएं की सिंचाई से भी जहां 12 मन पैदा होता था आज अच्छे अच्छे उर्वरक से 10 मन भी पैदा नहीं होता है । कृषि आयोग ने रिपोर्ट दी है कि हमने अपनी धरती को उजाड़ा है, जंगलों को हमने खत्म किया है और नीचे की तराई को साफ किया है । अनाज को आप ले लीजिए, कोर्स ग्रेन्स को लिया जाए, व्यवस्था पूरी की जाए वितरण व्यवस्था की ।

इसके अलावा मैं उद्योगों के बारे में निवेदन करूंगा । हमने मिक्स्ड इकोनोमी अख्तियार की । नेहरूजी की अकलमंदी थी कि उन्होंने समझा कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनाने के लिए इतना पैसा लाना पड़ेगा । अगर मिक्सड इकोनोमी बढ़ती चली गई और अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डेफीनेशन नहीं हुआ तो यह मिक्सड इकोनोमी क्या माने रखेगी ? हम किस प्रकार किसी को समझा सकेंगे, समाजवादी भाइयों को कैसे समझा सकेंगे कि वाकई हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं ।

अभी बताया गया है कि अलवर, भरतपुर, सीकर और जोधपुर में सब कारखाने प्राइवेट सेक्टर में लगाए हैं । ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली है । क्यों नहीं सरकार इसको लगाती है ? जब उर्वरक में, सीमेंट में, स्टील में सरकार रुचि रखती है तो यह सरकार को अपने लिए डिमार्केट करना चाहिए, यह तो पब्लिक सेक्टर की चीज है । प्रगतिशील जिलों और पिछड़े हुए जिलों के लिए अलग अलग नार्म्स बनाए गए हैं । उसमें भीलवाड़ा पिछड़ा हुआ है, अलवर प्रगतिशील अजमेर जिसमें 3 साल से मिलें बंद पड़ी हैं, इंडियन टेक्सटाइल कारपोरेशन ने तीन तीन दो दो मिलें हाथ में ली हैं ब्यावर में महालक्ष्मी मिल है, उधर विजयनगर में 28 लाख का घाटा है और वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं रहा है । विजयनगर और गुलाबपुरा पिछड़ा हुआ है । विजयनगर में फैक्ट्री लगने वाली थी । केवल इसलिए वहां की इंडस्ट्री बंद पड़ी थी । जो लाइसेंस मिला उसका डाइवर्शन इसलिए किया गया कि उधर उसको एक करोड़ रुपए मुनाफे की व्यवस्था इंडस्ट्री में हो तो इस प्रकार आप पूंजीपति और पूंजीवाद को समर्थन दे रहे हैं या हम समाजवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ? आवश्यकता कहां है ? पब्लिक सेक्टर के अंदर काफी फायदे बताए गए हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हमें कई वर्ष हो गए ....

श्री उपाध्यक्ष : Now sum up

श्री नारायणसिंह मसूदा : 25 वर्ष हो गए आजादी को । हमें एक कॉमर्सियल सर्विस, एक इंडस्ट्रीयल सर्विस, एक टेक्नीकल सर्विस इस प्रकार की बनानी चाहिए जो इन चीजों को देखें कि पब्लिक सेक्टर क्या मुनाफा ले लेता है कि जिससे इसमें जो घाटे होरहे हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन आज तक आइ०ए०एस०, आई०सी०एस० और आर०-ए०एस० के व्यक्तियों को सर्वगुण सम्पन्न माना जाता है और इनको फैक्ट्रीज पर लगाया जाता है और 28-29 लाख रुपए का घाटा होता है। इस तरह से पब्लिक सेक्टर को हम चलायेंगे तो हम ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते ।

आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं । उनके आंकड़े देखें । कितनों को मेरे जिले में ही जहां यह प्रोग्राम चल रहा है भेड़ बकरी मिलने से उनको उत्पादन में वृद्धि मिली ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर आंकड़ों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहता और न हीं अभी मेरे पास समय ही है। इसके साथ साथ स्मृति भी मेरी वर्षों तक मन्त्री पद पर बने रहने के कारण कम हो गयी थी क्योंकि उसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी । मैं और कभी समय आने पर सदन के समक्ष आंकड़े रखूंगा । इसलिये मैं उसको यहीं पर छोड़ देता हूं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप तो हमारे ऊपर छोड़ दें और आप समाप्त कर दें ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति अगर रहती है तो हम सभी को इस पर विचार करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं शिक्षा मन्त्री था, उस वक्त भी मैंने सदन में बताया था कि हमारे यहां पर जो शिक्षा की पद्धति है वह मैकाले की शिक्षा पद्धति पर ही आधारित है । अभी भी शिक्षा के विषय को जिस प्रकार से लेना चाहिये था उस प्रकार की भावना से शिक्षा का विकास हमारे यहां पर नहीं हो रहा है । क्योंकि हमारा जो शिक्षा का बेस है, जो फाउन्डेशन है वह मैकाले पद्धति पर है । उसमें वोकेशनल शिक्षा के बारे में बहुत ही कम ध्यान दिया गया है । आज कितनी इन्डस्ट्रीज हमारे यहां हैं, कितने टेक्नीकल कालेजेज हमारे यहां पर हैं । पोलीटेकनिक कॉलेजेज हमारे यहां पर और खोले जाने चाहिए । उसके बजाय उल्टे कम किये जा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार जानती है कि अगर इनमें से बच्चे पढ़-लिख कर निकलेंगे तो हम इनको काम कहां से देंगे। राज्य सरकार के पास इनके लिये कोई फोलो अप प्रोग्राम नहीं है इसलिये मेरा अनुरोध है, राज्य सरकार को सुझाव है कि वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिये, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं मेडिकल के बारे में भी निवेदन करूंगा । अभी जैसा कि सदन में माननीय सदस्य श्री आचार्य जी ने कहा कि मेडिकल सर्विसेज का सोशियलाईजेशन हो रहा है । हमारे यहां पर अब पे-क्लिनिक खुल गये हैं । मैं थोड़े समय पहले एक दिन अस्पताल में गया तो मैंने इसके बारे में डाक्टरों से पूछा कि आप लोग इस व्यवस्था से क्या अनुभव करते हैं, तो उन्होंने मुझे बतलाया

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

कि हम तो इस पे–क्लिनिक की वजह से खूब ही आनन्द में हैं हमारे पास कोई पे–क्लिनिक में रसीद नहीं मांगता है। उसको तो हम देख लेते हैं। और पैसे अपने पास रख लेते हैं और रसीद मांगते हैं उन्हें रसीद दे देते हैं। तो जहां तक पे-क्लिनिक का सवाल है उससे राज्य सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने जो बात बताई उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि अभी तक जो हैबीचुअल आदत डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस की थी वह आज तक चालू है। वह ठीक नहीं हुई है।

श्री लक्ष्मणसिंह : और न वह आदत इन की ठीक होनी ही है राज्य सरकार से।

श्री नारायण सिंह मसूदा : आज स्थिति ऐसी है मेडिकल सर्विसेज की कि अगर कोई आदमी बीमार अस्पताल आता है तो पहले वह केजुअल्टी में जाता है, उसके बाद में कागज वगैरह बनाता है, उसके बाद में उसे वार्ड में भेजा जाता है, फिर हाउस सर्जन साहब आते हैं जिनको कि एक्सपीरियन्स होता है नहीं, उसके बाद में जाकर कहीं एक्सपर्ट आते हैं और जब तक एक्सपर्ट उस मरीज तक पहुंचता है तब तक तो शायद उस मरीज का जी ही निकल जाता है। तो यह जो मेडिकल सर्विसेज अभी चल रही है वह डिफेक्टिव है। एक बार का मैं उदाहरण देता हूं मैं टूर में गया था वहां बीमार हो गया था तो उस वक्त पद्धति कुछ अलग थी। मुझे तुरन्त ही मेडिकल फैसीलिटीज मिली। लेकिन आज स्थिति खराब है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए मेडिकल जोन बना दिये जाने चाहिए और एक्सपीरियन्स्ड और होशियार डाक्टर्स जोन में रहने चाहिए जिससे कोई डाक्टर चाहे तो बड़े और होशियार डाक्टर को रेफर करदे ऐसा करने से ठीक हो सकता है। This is sociolisation.

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं समय लूंगा। मेडिकल मन्त्री जो अभी हैं श्री छंगाणी जी इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। काफी अच्छे प्रोग्रेसिव मन्त्री हैं। एक बार जब मैं शिक्षा मन्त्री था तो मेरा मेरे सेक्रेट्री से झगड़ा हो गया तो उन्होंने बड़ा समर्थन किया।

एक माननीय सदस्य : किनका ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मेरा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आपको सोशियलाइजेशन मेडिकल सर्विसेज का करना है तो इस प्रकार कीजिये कि जिससे कि वहां पर किसी प्रकार का तमाशा नहीं बने। मैं आपको नोन-प्रेक्टिसिंग इन्स्टीट्यूशन के नाम बताता हूं जैसे आल इन्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट, दूसरे चन्डीगढ़ में मेडिकल इन्स्टीट्यूट है, मेडिकल इन्स्टीट्यूट जो वैलोर में है मेडीकल हास्पिटल टाटा इन्स्टीट्यूट का है, यह है। आपने इनकी नकल की है। लेकिन वहां पर पद्धतियां अलग हैं, बहुत ही हाइली क्वालिफाईड डाक्टर्स हैं, प्रवीण हैं तथा इसके साथ में बहुत ही ईमानदार हैं। वहां पर प्रोपर इलाज होता है। यहां पर स्थिति अलग है। मैंने पे क्लिनिक के शुरू होने के बाद डाक्टरों से पूछा कि क्या आप प्राइवेट कहीं देखने नहीं जाते ? अगर आपको मिनिस्टर बुलावे तो उसके घर भी नहीं जाते ? उन्होंने कहा यह तो देखना पड़ेगा। यह तो कोई सोशियलाइजेशन नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

उपाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार घंटी बजाते हैं और मैं यह भी मानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए बैठे हैं वैसे मेरी आदत भी नहीं है कि आप घंटी बजाते रहें और मैं बोलता रहूं । आपके घंटी की अवहेलना करना मैं ठीक नहीं समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो स्वयं जानते ही हैं । आप खुद भी उपाध्यक्ष इस सदन में रह चुके हैं ।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसीलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसमें काफी दिक्कतें आती हैं फिर भी जो जरूरी बातें हैं वे मैं निवेदन करना चाहता था ।

श्री केदारनाथ : आप तो जो डिवाईसेज हैं उनको सोशियलाईज कर दिया जाय इसका फरमा दें ।

श्री नारायण सिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । आज हमारे देश में प्रगति काफी हुई इसके लिये सो मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करता हूं कि चाहे कोई सेक्टर हो, चाहे कोई क्षेत्र आप ले लें, आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है । आज देश में सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही है जो सोशियल डेमोक्रेसी को ला सकती है बाकी कोई ऐसी देश में पार्टी नहीं जो कि फासिस्ट ताकतों से लड़ सकती है जो तानाशाही वाली पार्टी और तानाशाही को देश में रोक सकती है । इसके अलावा कोई भी पार्टी आपको देश में नहीं मिलेगी जो कि अराजकता को होने से देश में रोक सकती है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप स्थान ग्रहण करें काफी समय नष्ट हो गया है । हमें भी बोलने का मौका दें ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलना तो काफी था पर समय नहीं है । बस अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि राज्य सरकार को मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर ध्यान देगी ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी ।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आया है.....

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने बोलने वालों की लिस्ट में हमारा नम्बर नजर नहीं आ रहा है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरलता का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और दूसरे लोग बोल रहे हैं हमें आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । एक माननीय सदस्य तो एक घंटे तक बोलते रहे और उसमें कोई मतलब की बात ही नहीं निकली । और पांच मिनट में सभी बातें बोलना चाहते हैं तो आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । (श्री गोपाल जोशी की तरफ देख कर) आप आगे बढ़िये ।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि राजस्थान के लोग इस साल सूखे-कमी और अभाव की चपेट में आ गये, और उनके दुःख दर्द और उन कारणों का तथा राज्य सरकार ने किस प्रकार उनका हल निकालने की कोशिश की उसका विवेचन किया है। उसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना भरसक प्रयत्न किया है और उसके लिये लोगों को जहां अकाल की हालत है वहां पर लोगों को इससे बचाने के लिये कार्य किये हैं। उनमें कुछ बातें बतायी गयी हैं उनके बारे में कुछ मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं।

सर्व प्रथम तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनाज के अलावा जो दूसरी चीजें जरूरी हैं उनके बांटने के बारे में कहा कि लोगों को सस्ता अनाज, कपड़ा व चीनी वगैरह वितरण की गयी उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिये तो मैं यह कहूंगा कि इसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके। यह ठीक है, राज्य सरकार ने दो-तीन किलो गेहूं शहरों में एक माह में बांटे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गांवों में तो गेहूं व चीनी वगैरह बिलकुल ही नहीं पहुंची। जहां तक शहरों का सवाल है आपने जरूरी गेहूं दो-तीन किलो वितरण किया है लेकिन होना तो यह चाहिये था कि राज्य सरकार को 8 - 10 किलो गेहूं वितरित करना चाहिये क्योंकि दो-तीन किलो गेहूं कम होता है, गेहूं कम जनता को दे सके हैं इसका कारण यह है कि हम अनाज की लेवी प्राप्ति कर नहीं सके। लेवी प्राप्त नहीं होने का कारण था, लेवी का विरोध जब आप अनाज वसूल ही नहीं कर पाये तो आप किस प्रकार अनाज बांट सकते हैं ? लेवी दूसरे अपने हाथ नहीं आने का कारण यह भी था कि पिछले साल हमने लेवी के लिये व्यापारियों पर भरोसा किया था जो कि एक सुसाईडल एक्शन था। उसको फिर हमने रेक्टीफाई किया और उसके बाद में गवर्नमेंट ने यह तय किया कि सीधे प्रोड्यूसर्स से लेवी ली जावेगी। मसूदा साहब ने कहा कि हम असफल रहे हैं, व्यापारियों को कम्पेल नहीं कर सके हैं और उनसे लेवी वसूल नहीं कर सके हैं। अब दुबारा भूल सुधार ली है और हमें आशा है कि अधिक से अधिक अनाज लेवी में वसूल होगा और हमारी पार्टी इसके लिये अधिक से अधिक सक्रिय भी रहेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : इन्डिविजुअल की बात कहो।

श्री गोपाल जोशी : कोओपरेटिव सेक्टर में, जहां तक मैं समझता हूं, इसमें जो वितरण प्रणाली है उसमें हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाये हैं और उपभोक्ता भण्डारों को भी पूरी तरह से उपयोगी बनाने में हम सफल नहीं हुए हैं।

पर केपिटा इनकम का जहां तक सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 80-85 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से पड़ते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खा सकता है।

(3.55 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

31) रुपये के मुकाबले में 80-85 पैसे में क्या कोई खाना खा सकेगा यह सोचने की

(श्री गोपाल जोशी)

बात है। यह संतोषजनक नहीं है। सात साल में भी हम इन्डिया के प्रति व्यक्ति आमदनी के मुकाबले में नहीं हो सकते। डेवलप्ड कन्ट्रीज के व्यक्तियों के बराबर तो कब हो सकेंगे ?

वर्ल्ड बैंक के लोन के बारे में बात कही गयी। यह लोन राजस्थान नहर और चम्बल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिये दिया गया है। यह कहा गया कि इस लोन के कारण से हमारे यहां अमेरिकन प्रभाव बढ़ेगा और नया डिग्रोगार्सिया बन जायगा राजस्थान। माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने यह बात कही, यह न्यायसंगत नहीं लगी, अपनी कन्डीशन पर लोन किसी से भी ले सकते हैं। हमने ऐसी कोई उनकी कन्डीशन नहीं मानी है जिससे कि अपनी सार्वभौम सत्ता को गिरवी रख दिया हो। अमेरिका रूस से समझौता कर सकता है अमेरिका चीन से समझौता कर सकता है तो हमारा देश उनसे समझौता क्यों नहीं कर सकता जब कि यह समझौता तो वर्ल्ड बैंक से है। यह मुझे समझ में नहीं आता। आखिर यह रुपया लगेगा हमारे हाथों से। जैसा हम ठीक समझेंगे वैसा करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल जोशी : वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की ज्यादा हिस्सा पूंजी हो सकती है। लेकिन अमेरिका की बपौती नहीं है। विश्व बैंक को सब लोग कर्जा देते हैं। उसकी अपनी शर्तें होती हैं और उनके अनुसार ही काम होता है। इससे अमेरिका का कोई प्रभाव बढ़ जायगा ऐसा नहीं है। रूस से भी इतना ही फायदा ले रहे हैं। रूस ने हमारी जितनी सहायता की है उतनी किसी ने नहीं की है। चाहे कश्मीर इश्यू हो और चाहे बंगलादेश इश्यू हो, इन दोनों इश्यू तक मौके पर वीटो किया है, कितने वीटो किये हैं यह गिना कर नहीं बता सकते। यह हमें मानना पड़ेगा कि रूस की सहायता सबसे अधिक है। हवाई जहाज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमको मिग हवाई जहाज दिये, मिग हवाई जहाज ही नहीं दिये, उन्होंने मिग हवाई जहाज बनाने के कारखाने भी दिये, इस्पात के कारखाने दिये, हमें लो हाऊर्ड दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि इससे रूस का प्रभाव बढ़ जावेगा। कहने वाले ऐसे कहते ही रहेंगे :

"जवांई ऐसे जीमते रहेंगे और रोने वाले रोते रहेंगे।"

"सर्वे भवन्तु सुखीना, सर्वे सन्तु निरामया'।

इससे अमेरिका का प्रभाव यहां आ जाय मैं यह नहीं समझता हूं। हमने कोई चीज गिरवी नहीं रखी है और रूस से संधि की उससे स्पष्ट रूप से हमारी नोन अलाइन्ड पोलिसी को रेस्पेक्ट किया गया है। और वे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहे हैं इसमें। मैं यह नहीं समझता कि इससे कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा।

इससे अतिरिक्त राजस्थान नहर की बात मैं कहूं तो, सभापति महोदय, राजस्थान नहर हमारे देश के लिये, हमारी स्टेट और हमारे राष्ट्र के लिये बहुत उपयोगी हो सकती है। हमको इसको युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिये। फर्स्ट स्टेज और सैकण्ड स्टेज पर 189 करोड़ और 190 करोड़ रुपया लगने वाला है। जैसा कि कहा गया है कि 75 में फर्स्ट स्टेज इसका पूरा हो जावेगा। मुझे इसमें सन्देह है कि मार्च में

(श्री गोपाल जोशी)

इसका फर्स्ट स्टेज पूरा होजाय । पन्द्रह करोड़ 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जो हम इस साल नहीं दे सकते । लिफ्ट कैनाल 74 में तैयार होनी चाहिये थी वह नहीं हुई । 75 में होगी या नहीं यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । लिफ्ट कैनाल से बीकानेर की जल प्रदाय योजना की रूप रेखा बनायी गयी थी, प्रारूप इसका तैयार किया जाना है, मैं निवेदन करूंगा कि लिफ्ट कैनाल से जल्दी से जल्दी इस रूप रेखा का प्रारूप तैयार करके कार्यान्वित किया जाय और बीकानेर की जल प्रदाय योजना को पूरा किया जाय । इससे बीकानेर को पानी देने की सोचें । लूणकरणसर को रेल के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है । जब कि पास ही में नहर है और वहां से बीकानेर क्यों नहीं पानी पहुंचाया जाता है ? यदि नहर से ही पानी पहुंचाया जाय तो रोज का जो इतना खर्चा होता है वह नहीं होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो अभी तक दो तीन मिनिट ही बोला हूं । पांच मिनिट और लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ओर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल जोशी : राजस्थान कैनाल के लिये एक बात और कहूंगा । फर्स्ट स्टेज के पूरा होने पर इससे 13 लाख और समथिंग एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । सैकिण्ड स्टेज में इतनी ही सिंचाई होगी । इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें तो तीन, चार लाख, पांच लाख टन अनाज पैदा अधिक हो सकता है । एक बात और कहनी पड़ेगी, पूर्वी क्षेत्र वाले अक्सर यह कहते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान कैनाल आ रही है, विकास के काम हो रहे हैं, और करोड़ों रुपया लगा है और लग रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां तक स्थानीय लोगों को जमीन अलाटमेन्ट में हिस्सा नहीं मिला है । या तो पंजाब वाले ले गये । 2।। लाख एकड़ जमीन का अभी करार हुआ था । 60 × 60 की लैंड थी, उसमें हक दे दिये हैं उन लोगों को, लोकल लोगों के पास में से नहरें निकाल रही हैं लेकिन उनको कहा जाता है कि इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है । यह दुःखप्रद बात है । लोकल लोगों को भी उसमें हिस्सा दिया जाना चाहिये । मैं यह कहूंगा ।

हमारी सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय बात की वह यह है कि 5।। लाख भू-खण्ड 25 फरवरी तक दे देने का तय किया है । चार हजार रुपया हर एक को मकान निर्माण के लिये दे पायेंगे यह डाउटफुल है । जब उन लोगों को पट्टे दिये गये हैं तो गाडोलिया लोहार की बात कहूंगा जिसको माणिक्यलालजी वर्मा ने अपने हाथों से बसाया । उनको भी इन्ट्रेस्ट फ्री लोन क्यों न दिया जाय और बसाया जाय ? वे भी घुमक्कड़ लोग हैं । आज तक बसे नहीं हैं । उनको भी जमीनों के पट्टे दिये जायं और इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाय ।

पशु विकास के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री सभापति : कृपया दो मिनिट में ही समाप्त करें । आप देख रहे हैं सदन के कितने माननीय सदस्य बोलने हैं ।

श्री गोपाल जोशी : चार दिन से कोशिश कर रहा हूं बोलने की ।

(श्री गोपाल जोशी)

पशु विकास का जहां तक सवाल हैं, मैं निवेदन करूंगा कि भारतवर्ष में बीकानेर डिवीजन 60 पर्सेन्ट ऊन प्रोड्यूस करता है। और बीकानेर सबसे बड़ी ऊन मण्डी है राजस्थान में ही नहीं इंडिया में। इसको जैसा कि मुंशी लालजी यहां नहीं हैं, एक बोर्ड बनाने की बड़ी इच्छा है। बीकानेर में वूलन मिल है बड़े घाटे में चलती है...

(श्री मूलचन्द सामरिया के व्यवधान करने पर अश्रव्य)।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बीच में न बोलें।

श्री गोपाल जोशी : जबकि, उससे इनफीरियर क्वालिटी की मशीन लगाकर फायदे में जाते हैं तो हम घाटे में क्यों जाते हैं ? जितना धागा बनता है वह कारपेट बनाने में जाता है। कारपेट की फैक्टरी बीकानेर में लग सकती है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है।

एक शीप ब्रीडिंग फार्म है लेकिन ये सब ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने दान में दे रखे हों। केमिल से हालांकि राजस्थान नहर बनाई है लेकिन लाखों रुपयों का बजट बेकार गया है। 554 भेड़ें फतहपुर में जहां फार्म हैं वहां से आई हैं हालांकि मेरीनों भेड़ के लिये हाई आफिसर्स आस्ट्रेलिया से आये थे। शीप और वूल प्रोसेसिंग एरिया में मेरीनों तो देते हैं शीप नहीं देते हैं। लेकिन आप मत दें, रूस दे रहा है 554 भेड़ें अभी मिली हैं। इसलिये जो ब्रीडिंग है उसको निश्चित रूप से बढ़ाना है।

बीकानेर में राठी गाय की नस्ल बहुत अच्छी है और राजस्थान में ही नहीं इंडिया में मानी जाती है। राठी की नस्ल को प्रिजर्व करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो मिनिट और लूंगा। राठी नस्ल की बीकानेर में 4-5 लाख गायें हैं अभी जो प्रदर्शनी हुई उसमें 10-10 किलो दूध देने वाली गायें थीं। उसका इम्प्रूवमेंट कर लेवें तो निश्चित रूप से जो दूध वृन्दावन और मथुरा में बहने की बात थी वह राजस्थान में बह सकता है। इसका सदुपयोग किया जाय तो निश्चित रूप से आपको दूध की कमी, वैसे भी बीकानेर सरप्लस है कमी नहीं रहने वाली है।

इन्टेन्सिव केटिल डवलपमेंट का कोई उपयोग नहीं हुआ। 5 लाख से घटकर इनकी संख्या तीन लाख के करीब रह गई है। इसलिये सघन पशु विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं दूसरे मुद्दों को छोड़ता हुआ प्राइवेट प्रेक्टिस आपने बन्द की, बड़ी सराहना की बात है लेकिन जो अनएम्पलाइड यूथ हैं इनको राइट वे में एब्जोर्ब नहीं किया, काम में नहीं लगाया तो जो जबरदस्ती दूसरे लोग हैं, जय प्रकाशजी का जबरदस्ती में नाम लेते हैं और गड़बड़ी खुद करते हैं उनको डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। यूथ को धन्धे में लगाना जरूरी है -- यह एक अहमियत की बात है।

हमारे उधर के लोगों को जो अन-एम्पलायड हैं यदि उनको राजस्थान कैनाल में लैन्ड दे दी जाय तो कुछ लोग उसमें भी पनप सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार को निश्चित रूप से खयाल रखना चाहिये। इतना ही कहते हुये मैं राज्यपाल महोदय के अभि-

(श्री गोपाल जोशी)
भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो लिस्ट दी है उसी क्रम में आप सबको अवसर दे सकूं इसलिये 5-5 मिनिट से अधिक समय नहीं लेंगे। यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव है····

श्री मूल चन्द सामरिया : हमारा नाम है लिस्ट में।

श्री सभापति : आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि विजनिस एडवाईजरी कमेटी में अलग अलग दलों को जिस प्रकार का समय देना तय किया गया है उसमें आपके दल को समय दिया गया है। आपके दल के नेता बोले हैं, आपको भी समय दिया जायगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : उधर से दो बोल लें तो इधर से भी बोल लें····

श्री सभापति : ऐसा कोई क्रम नहीं है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने अकाल की स्थिति पर और अभाव की स्थिति पर प्रकाश डाला परन्तु अभाव की स्थिति पर जो प्रकाश डाला है उससे मैं कत्तई सन्तुष्ट नहीं हूं और राज्य सरकार अकाल और अभाव का जिस प्रकार मुकाबला कर रही है उससे राजस्थान की जनता और विशेष तौर से हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र की जनता बाड़मेर की जनता कत्तई सन्तुष्ट नहीं है। अभी बाड़मेर जिले में एक हजार दो सौ मजदूर काम कर रहे हैं और जिस जिले में भी ज्यादा अफेक्टेड हैं, जहां ज्यादा अकाल की तीव्रता है वहां एक भी काम नहीं खोला है और एक भी मजदूर नहीं है। सं० 2025 इन दी मन्थ आफ फरवरी 75 हजार मजदूर काम कर रहे थे और जून जुलाई तक पौने दो लाख बढ़ गये थे। मैं मुख्य मंत्रीजी से और राज्य सरकार से जानना चाहता हूं वे अकाल का मुकाबला करने के लिये बाड़मेर जिले में फरवरी के अन्दर कितने मजदूर लगायेंगे, मार्च में कितने मजदूर लगायेंगे, अप्रेल में कितने मजदूर लगायेंगे, जून में कितने मजदूर लगायेंगे और जुलाई में कितने मजदूर लगायेंगे, यह चाहता हूं क्योंकि बाड़मेर की जनता अकाल से पीड़ित है। जो जिले के 852 गांव हैं वे सभी पीड़ित हैं। अकाल इस प्रकार का कि जिसमें सारी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। अब अगर उन जिलों में 60 प्रतिशत नुकसान हुआ हो तो उसको भी और जहां हन्ड्रेड पर्सेन्ट नुकसान हुआ हो उसको भी, दोनों का कम्पेरिजन करके चलें और अकाल राहत कार्य खोलें तो इन्साफ की बात नहीं होगी इसलिये यह आवश्यक है कि जहां अकाल की उग्रता है, वहां राहत कार्य ज्यादा खोलें जायं।

हमने मुख्य मंत्रीजी को, जितने भी एक एम०एल०ए० हैं उस क्षेत्र के एम०पी० ने

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

यह वात रखी कि अकाल की समस्या के हल के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं वे प्रयास बिलकुल सम्पूर्ण नहीं हैं, बिलकुल अधूरे हैं यानि कोई प्रयास इस ओर नहीं हुआ है। योजना बद्ध कार्यों की तरफ देखें तो हमारे जिले में योजना वद्ध वहुत कम कार्य आता है। बेसिक मिनिमम नीड्स को यहां लें तो 2,500 की आवादी वाले गांव वाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में वहुत कम हैं। अगर 2,500 की आवादी वाले गांव लें तो पांचवी पंच वर्षीय योजना का सम्पूर्ण काम कर दें तब भी हम 20 हजार से ज्यादा आदमी नहीं लगा सकते हैं। हमसे कहा जाता है राजस्थान नहर में जावो। हमारे राजस्थान नहर में आदमी काम करने भेजे लेकिन जोधपुर जिले से जो आपने प्रयास किया और तीन-तीन मंत्री वहां के वैठे हैं, उन्होंने अकाल राहत कार्यों में आदमी नहीं भेजे। जो मंत्री लोग हैं वे आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं।

लेवी में हमने सहयोग दिया। राजस्थान में जो मोटे अनाज की खेती हुई उसमें हमारा जिला अग्रणी रहा है। एक तरफ हम और दूसरी तरफ सारे राजस्थान का हिस्सा हमारे से जो वसूली की गई वह वसूली गर्मियों के दिनों में वसूली की गई। जबरदस्ती वसूली की गई, कुर्की से वसूली की गई और 90 लाख की वसूली की गई। अब इस प्रकार का हमने लेवी में अनाज लिया और फिर भयंकर अकाल और समस्या को हल करने के लिए जो मुख्य मंत्रीजी और राज्य सरकार प्रयास कर रहे हैं, हमने जनता की स्थिति देखी है। जनता की यह हालत है कि दो दिन में एक दफा वह खाते हैं और वह भी उनको दलिया मिलता है। किसी किसी परिवार में ऐसी स्थिति है कि एक किलो मक्की ले जाते हैं और 6-6 सदस्य परिवार में हैं और वह अपना गुजारा चार दिन तक चलाते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमने देखा है, जिला प्रशासन ने देखा है और उनकी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम समस्या का इस प्रकार से हल कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। पहले तो यह भूख से मरते थे लेकिन अब यह सड़-सड़ कर मर रहे हैं। यह स्थिति हो गई। गर्मी के दिनों में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होंगे, तपेदिक के रोग से पीड़ित होंगे और पहले रोग आया था वह फिर आयेगा, आंत्रशोथ की बीमारी आयेगी और फिर आपको वहां पर मेडिकल टीम भेजनी पड़ेगी और लोग मृत्यु की शैया पर पड़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को यह चाहिए कि अकाल राहत कार्य खोलने में वह दिलचस्पी दिखायें और जहां तीव्रता है अकाल की वहां पर कार्य खोलें। अगर अकाल राहत कार्य नहीं खोल सकते हैं तो हमारी यह बात भी रखें कि जीने के लिए 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आप लोन के रूप में दे दें। हम सबसीडी नहीं चाहते, उनको लोन के रूप में दे दें, फ्री आफ इन्टरेस्ट अगर जमाना आया तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हम वहां के एम०एल०ए० पूरा इन्टरेस्ट लेकर आगे वाला जमाना आये तो हम पूरी वसूली करा देंगे। लेकिन हमको जीने का अधिकार है और इसमें आपको पूरा सहयोग देना चाहिए। क्योंकि समय कम है इसलिए एक ही विषय पर संक्षेप में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना पसंद करूंगा।

श्री सभापति : श्री शंकर लाल (पाली)।

श्री शंकर लाल (पाली) : सभापति महोदय, वैसे जो कम समय है उसमें जितनी बात कहना चाहता था वह नहीं कह पाऊंगा

Page No 96

(96)

(श्री शंकर लाल)

लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में कुछ कहने का प्रयास करूंगा ।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के उन 23 जिलों में जहां अकाल की स्थिति है सबसे पहले अपने भाषण के अन्दर इसको ओर ध्यान आकर्षित किया है । उन्होंने यह कहा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पेयजल की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था सरकार करे । हमें देखना यह है कि राज्य सरकार कितना कर पा रही है ।

सभापति महोदय, मैं पूरी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि मूल के अन्दर जहां अकाल घोषित किया गया है मुझे मालूम नहीं ऐसे ऐसे गांव जहां पर पीने का पानी टैंकों से पहुंचाया जा रहा है, जहां खाने को अनाज नहीं है और लोग जड़ें निकाल निकाल कर खा रहे हैं वह गांव भी अकाल में क्यों नहीं हैं । पाली जिले में 41 गांवों की लिस्ट है जो कि अकाल में नही हैं बाकी पूरा जिला अकाल में है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जब जिला प्रशासन कमेटी ने और राजस्व अधिकारियों ने सब ने लिखा है कि पूरे पाली जिले में अकाल है तो आपने इन गांवों को कैसे निकाल दिया । सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर मंडला, गाड़िया और खारड़ा में लोग जड़ें खा रहे हैं लेकिन फिर भी यह गांव अकाल में नहीं हैं । वहां पानी बन्द करना पड़ेगा वह कह रहे हैं कि अकाल में नहीं हैं । तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो राज्यपाल महोदय ने बताया है कि अभी कुछ गांवों के लिए आपने निर्णय करना शेष है तो उसमें इस बात का ध्यान दें कि पाली जिले में 41 गांव हैं वह अकाल के अन्दर क्यों नहीं घोषित किये गये ।

सभापति महोदय, जहां अकाल में सबसे पहले पीने के पानी की बात आती है आप ताज्जुब करेंगे कि आज पाली जिले में और खासकर रोड़ पंचायत समिति के ऐसे गांवों में जहां पीने का पानी तीन-चार मील से लाते हैं और जहां तालाबों में पानी सूख गया है, कीचड़ हो गया है और लोग गड्डे खोदकर पानी निकाल कर पीते हैं, उनके पेट सूख गये हैं, उनको पहिनने के लिए कपड़ा नहीं है, अनाज नहीं है । आज, सभापति महोदय, अगर मैं यह कहूं कि जब महात्मा गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस संस्था मूक प्राणियों की संस्था है जो बोल नहीं सकती लेकिन आज तो बोलने वाली है और जो ज्यादा बोलते हैं उनके लिए ही वह ज्यादा करती है । मैं यह नहीं कहता कि शहरों में कुछ नहीं किया जाये । शहरों में अनाज मिलता है, पैसों से मिलता है, ज्यादा मिलता है और गांवों में, सभापति महोदय, आधा किलो और कहीं एक किलो अनाज मिलता है और वह भी कहीं महीनों तक नहीं मिलता है । यह बात समझ में आती है कि जितना भी हमारा कोटा होगा उससे हम ज्यादा वितरण नहीं कर सकते लेकिन वितरण की जो प्रणाली है उसके संबंध में कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि उसमें कुछ सुधार किया जाये और सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां फेमीन एरिया है वहां पर सरकारी दुकानें खोली जायें क्योंकि जितना धान आप देते हैं कम देते हैं वह और हमने नरोरा के अन्दर जो 13 सूती

(श्री शंकरलाल)

कार्यक्रम बनाया है उसमें हमने जिम्मेदारी रखी है और उसमें बताया है कि निश्चित तारीख तक कुछ विशेष क्षेत्रों में सरकार की ओर से जरूरी चीजों की व्यवस्था की जायेगी । तो सरकार कम से कम फेमीन एरिया में सरकारी दुकानें खोलकर जितना धान है उसके वितरण की व्यवस्था करें ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां टैंकों से पीने के पानी की व्यवस्था है वह अपर्याप्त व्यवस्था है। आपने कहा कि 5 मील के एरिया के अन्दर लोगों को पानी देने के लिए टंकी को जाना चाहिए । क्या बात हुई । इसका मतलब पांच मील की दूरी से पानी ले जाइये । हमने कहा कि इस गांव में पानी क्यों नहीं जाता तो वह कहते हैं कि पांच मील से ला सकते हैं । क्या आप यह उचित समझते हैं कि 5 मील से पीने का पानी लायें और वहां पर आप टैंक की व्यवस्था नहीं करें तो इस प्रकार से जो पानी पहुंचाने की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है ।

मैं निवेदन, करूंगा कि जितनी भी रोजगार की व्यवस्था की है उसमें आपने किसी बात का ध्यान नहीं रखा है और लोगों से पहले जितना काम लिया जाता था उससे ज्यादा अब लिया जाता है । आज फेमीन के अन्दर बताया है कि इतना काम करना पड़ेगा । पहले गये फेमीन में छूट थी और आज अनाज नहीं है, पानी नहीं है और इतना काम लेते हैं कि उनके हाथों में छाले पड़ गये हैं । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको देखें कि कितना काम लिया जा सकता है और उनको रोजगार अधिक से अधिक दें ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस फेमीन के अलावा जो मुद्दे की बातें हैं जो कि राज्यपाल महोदय को अपने भाषण में कहनी चाहिए थीं और सरकार को रखनी चाहिए थी उसका हमें अभाव दिखाई दिया है । सीलिंग की बात कही । लेकिन शहरी सम्पत्ति के सीलिंग के बारे में कोई नियम नहीं है । हमने कानून पास किया । आज बहुत से लोगों में इस बात का आक्रोष है कि भूमि की सीलिंग की बात कही जाती है लेकिन शहरी सम्पत्ति की सीलिंग की बात नहीं की जाती । इस सदन में कानून पास किया था उसका क्या हुआ ? क्या शहरी सम्पत्ति जो कि लोगों के पास है करोड़ों और लाखों के अन्दर और आपने कानून बनाया उसको स्क्रेप करना चाहते हैं । सभापति महोदय, भूमि की सीलिंग का कानून आया, 53 में कमेटी बनी सुखाडिया कमेटी, 4 साल के बाद उसने रिपोर्ट दी, फिर उसके बाद में संशोधन आया 60 में कानून बना और 73 के अन्दर कानून फिर बदला और तब तक कई प्रकार के ट्रान्सफर्स हो गए और आज जो आंकड़े आये हैं कि हम इतनी सीलिंग की जमीन बांट पायेंगे – सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि आपको अपनी नीति बदलनी पड़ेगी । आपको यह कानून बनाना पड़ेगा कि चाहे आपने सीलिंग की मिकदार मुकर्रर की हो लेकिन वह जमीन उसके पास जाये जो कि स्वयं काश्त करता है । 'लैण्ड शुड गो टू दी टिलर' और जिन्होंने ट्रान्सफर्स कर दिये हैं वह सब अवैध घोषित होने चाहिए और तभी ऐसे सीलिंग के कानून से सही रूप में फायदा लैण्ड लैस टिनेन्ट्स को दे सकते हैं । लेकिन जो आज लैण्ड लैस टिनेन्ट्स हैं उनसे पैसा वसूल किया जाता है । उनके पास पैसा नहीं है उनके पास जमीन पर हल चलाने के लिए

(श्री शंकरलाल)

पैसा नहीं होता है, उनके पास कोई साधन नहीं है और वह जमीन दी जाती है उसमें अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते, अपना उद्देश्य पूरा नहीं होता इसलिए आपको, सरकार को, उनके साथ साथ, उनको जमीन के साथ साथ जो जोतने के साधन हैं, ऋण देने के साधन हैं, उनका प्रबन्ध करना चाहिए। जमीनों की सीलिंग के सम्बन्ध में अन्ततः मको नेशनेलाईजेशन का नारा लगाना पड़ेगा कि जो जमीन है उस जमीन पर वही काबिज रह सकता है जो उसको बोता है। हमने कई सालों के अन्दर यह कहा है कि लैंड शुड गो टू टिलर। जो जोते उसकी जमीन हो। जब आप इस प्रकार का कानून बनायेंगे तभी जमीन टिलर के पास जा सकेगी, अन्यथा आपने जो कानून बनाए हैं इतने सालों तक इन कानूनों की जो छिछालेदारी हुई है, इतने सालों तक जो ट्रांसफर्स हुए हैं इससे कोई चीज मिलने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, चूंकि आपकी घण्टी बज चुकी है, फिर भी मैं एक बात सदन के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने और हमारे प्रान्त के सामने है, चाहे हिन्दुस्तान का कोई सा कोना हो, उसके अन्दर आज जो युवा-वर्ग है उसको गलत रास्ते पर ले जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जो फासिस्ट शक्तियां हैं जो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं वहां युवा वर्ग को भड़काना चाहते हैं। हमें इस बात का अभाव मिलता है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कि राज्य सरकार उस युवा वर्ग को, इन स्टुडेंट्स को किधर ले जाना चाहती है और उनके लिए क्या करना चाहती है।। सभापति महोदय, यूथ बोर्ड की स्थापना की काफी समय पहले घोषणा की गई थी लेकिन क्या हुआ उस यूथ बोर्ड का ? वैसे युवकों को, स्टुडेंट्स को गलत रास्ते पर ले जाने के कई और भी कारण हो सकते हैं। सिनेमा भी कारण रहा है। राजनैतिक पार्टियों का भी कारण रहा है। जो राजनीति में कई सालों पहले कहते थे कि स्टुडेंट को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए आज वही राजनैतिक पार्टियां हिन्दुस्तान में इस दिशा में लगी हुई हैं कि स्टुडेंट को राजनीति में घसीटें। मैं समझ सकता हूं कि ये किधर ले जाना चाहती हैं युवा वर्ग को और हमारे देश को दूसरी सारी राजनैतिक पार्टियों को इस पर सोचना होगा युवा वर्ग के लिए हमें सोचना पड़ेगा और कोई योजना बनानी पड़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कह कर एक बात और कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आवास का प्रस्ताव हैं। उसका समर्थन मैं इसलिए भी करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार ने भूमि का पट्टा देने का अभियान चलाया और समय के पहले पूरा किया पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, उसके लिए वास्तव में हमारी राज्य सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन, सभापति महोदय, यह समस्या है गांवों में इतनी नहीं है, यह समस्या अधिकतर शहरों के अन्दर अधिक है। वह चाहे पाली हो, जयपुर हो, बीकानेर हो जहां पर लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है और जहां आवास के लिए आपस में झगड़ते हैं और जिन्होंने सरकारी भूमि के ऊपर मकान बना रखे है जिनको मकान गिराने के नोटिस मिल चुके हैं, जहां पर उनके पास मकानों की समस्या है, मैं यह कहना चाहूंगा कि

(श्री शंकरलाल)
समस्या आवास की बड़े बड़े शहरों के अन्दर अधिक है। इसलिए राज्य सरकार अपना ध्यान इस तरफ अधिक देकर वहां पर समस्या हल करें। गांवों के अन्दर पट्टों की जरूरत नहीं है वहां पर रोजी-रोटी और पानी की जरूरत है, वह गांवों में दीजिए और शहरों के अन्दर आवास की जरूरत है इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूल चन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने जो अपन असफलताओं का लेखा–जोखा और कुछ सीमित आंकड़ों का जाल जैसा दिया है, ऐसे अभिभाषण के लिए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय सभापति जी, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा इसलिए मैं सर्व प्रथम लेवी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह माना कि वितरण व्यवस्था को सरकार ने जब हाथ में लिया है तो लेवी लेना सरकार उचित समझती है। लेकिन एक प्रश्न मैं सरकार के सामने रखूं और विनम्र शब्दों में निवेदन करूं कि जब इसके जवाब में सरकार बोले तो इसका अवश्य जवाब देने की कोशिश करे। प्रश्न यह है, कि आज राजस्थान के किसान की जो खेती है वह मोटे तौर पर घाटे का धन्धा है। उस घाटे के धन्धे में भी आप अगर यह समझें कि विकसित बीज और खाद्य मशीनों आदि से अगर उसकी ऊपज बढ़ी है, वहां लेबर तो कम हुआ है किसान को कम मेहनत करनी पड़ी है लेकिन उसकी लागत अनुपातिक तौर पर पहले से बढ़ गई और उससे कुछ बेरोजगारी अधिक बढ़ गई। उधर उसकी पैदावार का मूल्य जो है वह अधिक बढ़ गया है। जब अन्य सब लोगों को सरकार कोटे परमिट और लाईसेंस के द्वारा उद्योगपतियों को सस्ते भाव पर मेटिरियल देती है और उनके द्वारा उत्पादित माल को उनकी मर्जी के मुताबिक उनके द्वारा तय की हुई दर पर बेचने की जब उन लोगों को छूट है तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि फिर सरकार उस किसान को जिसके अनाज का बाजार भाव 160) और 200) है किस आधार पर 105) रुपये के भाव में गेहूं लेने का क्लेम कर सकती है। इसके पीछे क्या औचित्य है और क्या न्यायसंगत बात है? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जब हर व्यक्ति को अपने द्वारा उत्पादित माल की कीमत तय करने का अधिकार है तो यह कौन सी उस अभागे किसान की दुर्दशा है कि सरकार उसके उत्पादन की कीमत उसके लागत मूल्य को नजरन्दाज करके स्वयं तय करे और उस मूल्य पर नहीं दे तो आप उसका चालान करें और उसमें सजा कम से कम तीन माह की है। और उसकी सुनवाई लोकल कोर्ट में न होकर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हो यह कौन सा इतना बड़ा डाकू है कि जिसकी सुनवाई स्थानीय जगह पर नहीं हो सकती है।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लेवी लेते समय सरकार यह समझती है कि जिस किसान ने अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप ही उत्पादन किया है या किसी भी तरह से इतना अनाज हुआ है कि वह अपने और अपने परिवार का साल भर तक पोषण क लिए भी काफी

Page No 100

(100)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
न हो तो क्या उसके लिए यह छूट है । अगर छूट नहीं है तो क्या कारण है कि आपको 105) रु० में अपना अनाज बेच कर अपने द्वारा पैदा किए हुए अनाज को 105) रुपये में दे और जब उस किसान को दो तीन महीने बाद खुद के परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यकता हो तो वह 210 और 220 के भाव में लेकर खाए । क्यों इतना बड़ा दण्ड है ? इस तरह का कानून क्या आपने शहरों में भी लागू किया है, अगर नहीं तो इस किसान से लेवी लेते समय क्यों आपने यह प्रतिक्रियावादी आधार बनाया है । किसान चूंकि मूक है उसके जबान नहीं है इसलिए उसको तंग किया है, उसको परेशान किया है, उसको एक्सप्लोयट किया जावे और शोषण भी उस नारे के साथ किया जाय कि जिस किसान की तरफ जो कहे तो वह प्रतिगामी होगा और जो इस किसान का खून चूसने में समर्थन करेगा वह प्रगतिवादी कहलाएगा । इस तरह से किसान से लेवी में ज्यादती है और मैं इसका अवश्य आपके द्वारा जवाब चाहूंगा । पहले तो यह कि उसके लागत के अनुरूप लेवी की कीमत क्यों नहीं दी जाती ? उसका आपने परिवार के भरण-पोषण के लिये अनाज क्यों नहीं छोड़ा जाता है और जब उस किसान के लिए पूरे साल भर खाने के लिये अनाज की आवश्यकता होती है तो क्यों सरकार रूरल एरिया में गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री उस मात्रा में नहीं देती जितनी कि शहरों में । इसका क्या औचित्य है ? क्योंकि शहरों में लोग संगठित हैं और एक साथ रहते हैं और वे आन्दोलन कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और दूसरे हथकण्डे करके अपनी बात मनवा सकते हैं इसलिए शहरों में जल्दी सप्लाई करें, शहरों में सेठों के लिए, बड़े बड़े नौकर पेशाओं के लिए जिनकी हजारों की आमदनी है उनको अनाज कण्ट्रोल रेट पर दिलायेंगे, कपड़ा दिलायेंगे, सीमेंट भी दिलायेंगे और केरोसिन आयल भी दिलायेंगे । केरोसिन भी उस हालत में दिलायेंगे जब कि शहरों में बिजली है ।

(4.29 म० प०)

(श्री राम सिंह, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

गांवों के रहने वालों को इसलिए नहीं देंगे कि गांवों में रहने वाले लोग छोटी छोटी ढाणियों में रहते हैं, वे अगर हड़ताल करते हैं, एक दिन की हड़ताल करने के लिए आते हैं तो शाम को उनके बच्चों को भोजन कहां से आए, इस मजबूरी का फायदा उठायें, यह मेरा आरोप है कि जिनका जवाब आप अवश्य दें । यदि आप उचित समझें तो इसका जवाब दें मैं बहुत आभारी होऊंगा । दूसरा प्रश्न यह है कि जहां तक अकाल का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "कांग्रेस सरकार" और "राजस्थान का अकाल" पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। क्योंकि इतने लम्बे अर्से के बाद भी जो अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहती है क्या कारण है कि इस अकाल का स्थाई हल नहीं कर सकती है या हो सकता है ? इस सरकार के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अकाल के नाम पर जो पैसा मिलता है उसको जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि कहीं पर अकाल घोषित करते हैं और कहीं पर नहीं करते हैं यह सरकार की मर्जी की बात होती है । बराबर की हालत में कहां पर कर सकते हैं और कहां पर नहीं कर सकते हैं और उसका फिर जो राजनैतिक फायदा होता है वह उठाया जाय····

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : क्या मरने दें ?

श्री मूलचन्द सामरिया : समान स्थितियों में जब अकाल की हालत हो गई तो सभी जगहों पर अकाल घोषित किया जाय ? एक लिस्ट दी थी पूरे जिले की। एक ऐसी स्थिति में उन 41 गांवों को अलग करके अकाल घोषित नहीं किया। वहां पर लोगों की क्या स्थिति है ? अकाल के वातावरण में जो होता है उसके बारे में विचार करें। तो अकाल से पीड़ित लोगों की स्थिति दुःखदायी और असहनीय होती है। अकाल के बारे में और मैं यह निवेदन करूं (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) मैं संक्षेप में कह रहा हूं।

बहुत पहले से ही विचार किया होता तो मैं समझता हूं हमारे राजस्थान के नेचुरल रिसोर्सेज को अगर अच्छी तरह से काम में लिया होता, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने में भेदभाव को छोड़कर अगर अच्छी तरह से सिंचाई की तरफ ध्यान दिया होता, और राजनैतिक दृष्टिकोण से परे जहां इमीजियटली फसल पैदा हो सकती है ऐसे इलाकों में बिजली दी जाती और बड़े बड़े शहरों में न केवल रहने के लिए लेकिन आराम के लिए सुख-सुविधाएं फ्रिज वगैरह के लिए बिजली आप दे सकते हैं लेकिन किसान को अपने कुए से पानी निकालने के लिए बिजली देने के पीछे बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रोसेस अपनाते हैं, उसका ही यह नतीजा है कि हमारे प्रदेश में से अकाल नहीं जा सकता है।

अकाल और इस प्रदेश की बेकवर्ड कौमें, जिनके लिए समाज कल्याण विभाग काम करता है, यदि यह कौमें ऊपर उठ जायं और इनका रहन-सहन ऊपर आ जाय और अगर देश में अकाल समाप्त हो जाय तो दूसरे ही दिन कांग्रेस समाप्त हो जायगी, क्योंकि कांग्रेस जिन्दा ही शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की गिरी हुई हालत पर है और दूसरी तरफ अकाल से पीड़ित लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाती है और मनमाने तरीके से राजनैतिक फायदा उठाते हैं।

शहरों में आवश्यकता की वस्तुएं देते हैं वहां यह मानकर क्यों चलते हैं कि गांवों में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए हर चीज उपलब्ध हो जाती है।

मुझसे पूर्व सी० एम० साहब ने यह फरमाया था कि बिजली की कटौती नहीं होगी। यह बात गलत है। हमारे यहां पर बिजली का जो उत्पादन हो रहा है उसमें कटौती हो रही है। अभी मेरे क्षेत्र में मशीनें नहीं चलती हैं, पंपिंग सेट्स नहीं चलते हैं और उससे फसल को नुकसान हो सकता है।

चूंकि आपने घंटी बजाई है इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार गांधीजी के नाम पर चलती है। गांधी के नाम का अब बैंक बैलेन्स खत्म हो गया है फिर भी उनकी दुहाई देते हैं। उन्होंने एक बात कही शराबबन्दी की तो उसके बारे में गम्भीरता से विचार करें। एक तरफ तो अकाल से पीड़ित लोग हैं, जिनको दो जून रोटी मुहैया नहीं होती है, लेकिन एक आदमी अपनी आदत से लाचार है, और उसकी वजह से शराब पीता है तो उसका परिवार भूखों मरता है। वह आपके लिए शोभा की बात नहीं है। वह राष्ट्रपिता थे और राष्ट्रपिता की सबसे बड़ी मांग यह थी। उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके आदर्शों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं जो कि कर्मा उचित नहीं होगा।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आपने लेबर के लिए खास कोई प्रभावशाली बात नहीं की है। इधर भी आप ध्यान दे सकेंगे ?

मैं इसके बारे में एक निवेदन और करूंगा कि डेमोक्रैसी को हमें डेफिनिट तौर पर डिफाइन करना चाहिए। क्या जनतंत्र का मतलब यह मानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव समय पर हो जायं तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और विधान सभा के चुनाव हो जायं वही डेमोक्रेसी है ? मैं यह मानता हूं कि यह सरकार पंच, सरपंच, जिला परिषद् के प्रमुख के चुनाव के लिए लगातार टाइम बढ़ाती जा रही है। घोषणाओं के साथ वह कितनी भद्दी बात लगती है। एक प्रदेश के सी०एम० साहब यह कहें एक बार कि इससे ज्यादा नहीं होगा फिर दुबारा यह कहे कि इससे ज्यादा नहीं होगा। तीन साल और बढ़ा दिये इसका मतलब यह है कि पंच, सरपंच जनता की छाती पर तीन साल तक मूंग दलते रहेंगे और उनकी राजनैतिक द्वेषता के बल पर जब तक लोगों को परेशान करते रहेंगे। इस बारे में सरकार को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) एक तरफ तो लोकतान्त्रिक संस्थाओं का इलेक्शन नहीं करते हैं और दूसरी तरफ इन्टरनेशनल फील्ड में बंगला देश की एक दल की सरकार को खुले दिल से बधाई देते हैं तथा पाकिस्तान के वातावरण से ऐसा लगता है कि शायद सरकार आन्दोलनों से घबराकर हालांकि मंहगाई, भुखमरी, बेरोजगारी वही की वही बढ़ती जा रही है, इस तरह का वातावरण बनाना चाहती है वह इस डेमोक्रेसी को खत्म करदें और एक तरह की तानाशाही हुकूमत लाये इसकी स्पष्ट शक्ल पंचायतों के चुनाव नहीं कराने से और बंगला देश को बधाई देना इस तरह से प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उपहास करना है। इसलिए निवेदन करूंगा कि अगर आप यह समझते हैं कि जनतंत्र है प्रदेश में तो कोई कारण नहीं है कि पंचायतों के चुनाव न हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपा करके इस सदन में पधारकर जो अभिभाषण दिया और उसकी जो प्रति हमें उपलब्ध है उसको पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है कि आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार के बहुत अच्छे इरादे हैं और उन इरादों को इसमें वर्णित किया है। मैं राज्य सरकार द्वारा अभी तक उठाये गये जो अच्छे कदम हैं उनके लिए तो और कुछ बोलने के पहले एडवान्स में ही बधाई दे दूं तो अच्छा रहेगा। उनमें डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करना जहां कि मेडिकल कालेजेज हैं, वहां के अस्पतालों के लिए है, उसके लिए और गांवों में दूसरी जगहों पर शहरों में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है लोगों को अभाव है रहने की भूमि का और लाखों लोगों को पट्टे दिये हैं यह बहुत ही हिन्दुस्तान भर में राजस्थान का लीडिंग कदम है। इसलिए सरकार बधाई की पात्र है।

परन्तु और जितनी योजनाएं इसमें लिखी गई हैं उन योजनाओं के लिए मैं बड़ा भारी चिन्तित हूं कि सरकार का जो इरादा इसमें जाहिर किया गया है उसको पूरा कौन करेगा ? बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं परन्तु उन योजनाओं को मूर्त रूप कौन देगा? आपने मुझे 5 मिनिट का ही समय दिया है इसलिए 5 मिनिट में 5-7 बातें कह पाऊंगा।

(श्री दीपंकर)

उदाहरण के रूप में एक चीज यह पाई गई है, ग्रामीण क्षेत्र से मैं आ रहा हूं जहां लोगों को मिट्टी का तेल, कपड़ा, चीनी और दूसरे सीमेंट आदि सामान नहीं मिलते हैं। इसके वितरण के लिए राजस्थान में व्यवस्था है और सरकार ने भी एक निर्देश जारी किया है कि जहां पर सहकारी समितियां हों उनको दिया जाय या यदि वे नहीं लेती हैं तो हरिजन को दिया जाय और यदि वह भी नहीं लेते हैं और किसी को दिया जाय। इस सर्क्यूलर का सहारा लेकर गांव के पटवारी स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों में हजारों रुपयों का लेन देन होता है । अगर इसके डटाज कलेक्ट करवाये जायं सरकार की तरफ से कि प्रति दिन प्रति जिले में कितने रिटेलर्स बदले गये हैं तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहुत बड़ा स्कैण्डल है। एक एक हरिजन को 1000 या 1500 रु० देकर उसको दुकान लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहित करते हैं फिर चाहे एक कोटा ब्लेक में ही वेच दो। यह बड़ा भारी काम हो रहा है और लोगों के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है । यह राज्य सरकार ने उन तक पहुंचाने का जरिया बनाया है और उन तक कोई चीज पहुंचती नहीं है। जो होलसेल भण्डार है, उसके अध्यक्ष से मिले तो उन्होंने कहा कि हमने एक सरकुलर निकाला है । लेकिन वह सरकुलर किसी अधिकारी की फाइल में हैं । उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। यह बहुत आवश्यक है। दूसरा यह है कि सरकार ने मिलावट विरोधी अभियान चलाया है। वह भी शहरों में है । दरअसल मानव जीवन को बचाना पहली वात है। मिलावट के लिए 25 हजार की आवादी के एरिया को माना है। मैंने पत्र लिखकर निवेदन किया कि जव जयपुर शहर में मावा छेना बनाने पर रोक लगा दी गई थी और मावा छेना वनाना बन्द कर दिया गया था तो जयपुर के आधा मील पर ही छेना वनाते थे। इस तरह से आंखों के सामने ही कानून की अवहेलना होती थी । अब वह 25 मील के एरिया के बाहर सब के सामने मिलावट करते हैं तो मिलावट करने वाला चाहे गांव का रहने वाला हो चाहे शहर का रहने वाला हो। उसका एक ही नियम रखा जाना चाहिए। अन्यथा यह मिटेगा नहीं। दूसरा यह है कि आज जो भी सरकारी अधिकारी हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि सारे के सारे वेईमान हैं। यह भी नहीं कहता हूं कि जो नये आये हैं, वह सभी अच्छे हैं। पुराने भी कुछ अच्छे हैं। लेकिन मनमाने तरीके से सरकारी नीति को तोड़ कर रख देते हैं ।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

यह सारी की सारी भ्रष्ट मशीनरी है। इसको सुधारने का उपाय नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे कि योजना मंत्री जी योजना बनाते हैं, करें या नहीं करें। नहीं करें तो योजना पूरी होने वाली नहीं है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं, वहां का पानी पीने से लोग टेढे हो जाते हैं। खारी पेट है। लाखों मवेशी मर जाते हैं। नागौर जिला खारी पेट में स्थित है। 60 लाख रुपया दिया गया है। 60 लाख रुपये में क्या क्या किया जायेगा। कुछ क्षेत्रों में आज हम देखते हैं कि हर गांव में पानी की टंकी है। तो हम चाहते हैं कि यह योजनावद्ध तरीके से दें तो पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। नागौर जिले को विशेषतौर से ध्यान देना चाहिए। जहां तक अकाल का सवाल है, उसके लिए माही वांध

(श्री दीपंकर)
या राजस्थान नहर पर जहां जमीन लेवलिंग करने के लिए आदमी बसाये जायें....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तीन दिन बाद मौका मिला है। आप तो बड़े दयालु हैं।

तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर काश्तकार के लिये जब तक यह नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। राजस्थान कैनाल जब तक जैसलमेर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। यह राजस्थान नहर जैसे बढ रही है, वैसे वैसे राजस्थान में दूसरी जगहों के आदमी बढते जा रहे हैं। राजस्थान कैनाल पर आप देखें तो कितने पंजाबी आ गये हैं। वह जंगलों में पड़े हुये हैं। उससे पूछो तो कहते हैं कि कभी न कभी तो यहां पर नहर आयेगी। हमारे पास नक्शा है। इसलिये इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये। राजस्थान के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं तो उसका नाजायज फायदा गरीबी के कारण दूसरे क्षेत्रों के लोग नहीं उठा पाये। तो इसकी तरफ भी ध्यान दिये जाने की काफी जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दीपंकर : अभी समाप्त हो जायगा।

जहां तक उत्पादन का सवाल है, धान का उत्पादन और अकाल, दोनों मिले-जुले प्रश्न हैं। राजस्थान सरकार के पास अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट है। हर जगह आवश्यक मीठा पानी है। अगर वह कर दिया जाये तो अनाज की समस्या हल हो सकती है। अन्यथा इन बांधों की ही केवल बात करें तो मैं समझता हूं की यह पुराना तरीका है, इससे समस्या हल नहीं होगी। वैज्ञानिक पद्धति के रूप में करें। थोड़ा रुपया ले आयें, लेकिन ज्यादा राजस्थान का भला कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिये लघु सिंचाई योजना आपके विचाराधीन हैं। उनको आप.....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपकी तरफ से उसको बनाये जाने की जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

डेअरी फार्म के लिये एक बात कह कर आसन ग्रहण कर रहा हूं। राजस्थान फाइनेंस कमीशन को लागू किया है नागौर जिले में। मिल्क प्लान्ट लगाने के लिये चुना है। मैं निवेदन करूंगा, सबसे दुधारु परवतसर है। यहां बैठकर यों ही नागौर चुन लिया, मेड़ता चुन लिया। राजस्थान में और चूरू नागौर जिले में उद्योग धन्धों के लिये प्रोजेक्ट खोल गये हैं। (व्यवधान)

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

इसलिये जो लघु उद्योग अपनाये जाने का कार्यक्रम है, उसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन दिनों में माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये हैं। कुछ विचार समग्र रूप से राजस्थान के विकास के बारे में और कुछ विचार अपने क्षेत्र की स्थितियों के बारे में हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने जो आज राजस्थान में हालात है, सूखे के, असन्तोष के, मंहगाई और चीजों के अभाव

Page No 105

(105)

(श्री हरिदेव जोशी)

के, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं सूखे के, असन्तोष के; मंहगाई और चीजों के अभाव के उनके बारे में अपने विचार व्यक्त हैं। तो किन्हीं महानुभावों ने एक राजनैतिक फिलासफी को हमारे समक्ष रखने का प्रयत्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां बैठा होऊं अथवा न बैठा होऊं किन्तु मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुना है और उनको समझने की कोशिश भी की है। मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता से सहमत हूं कि राजस्थान एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ प्रदेश है और पिछड़ा हुआ होने

(4.44 म० प०)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

के कारण यहां के जन-प्रतिनिधियों के मन में यह चिन्ता होना आवश्यक है कि राजस्थान किस प्रकार से और कैसे द्रुत गति से आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात के ऊपर भी चिन्ता व्यक्त की कि राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा इस वर्ष अकाल ग्रस्त है और आम तौर पर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में और दक्षिणी जिलों में बरसात कम होने के कारण सूखा पड़ता है और उसके कारण वहां पर पैदा नहीं होना पूरे राजस्थान के पिछड़ेपन का कारण बना जाता है, तो हम कैसे और किस तरह से इन चीजों का मुकाबला करने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, इस एक वर्ष में हमने बहुत बड़ी बातें नहीं कह करके और स्थितियों पर काबू पाने की ज्यादा कोशिश की है। बजाय इसके कि हम सौ कामों को छोड़ दें और उन सौ को अधूरा छोड़ दें, हमने यह कोशिश की कि कहीं चीजें काबू से बाहर होती दिखाई देती हैं, उन्हें मजबूती से पकड़ कर उन्हें सुधारने की कोशिश करें। इस दृष्टि से इस एक वर्ष में बिगड़ती हुई राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सम्भालने के लिए हमने अपने आपको ज्यादा लगाया बजाय इसके कि हम बहुत बड़ा राजनैतिक जादू कर सकते, इसके अन्दर हम कुछ करें। और मैं, अध्यक्ष महोदय, नम्रतापूर्वक अगर यह कहूं कि इस दिशा में एक सही शुरूआत की गई है तो मुझे क्षमा किया जाना चाहिए। अगर यह वर्ष अकाल का वर्ष नहीं होता और अगर दस करोड़ का रॉक फास्फेट बिक गया होता तो निश्चित रूप से राजस्थान की वित्तीय स्थिति के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट मालूम होता और माननीय सदस्य भी इस चीज को महसूस कर सकते। अगर कहीं पर शक्ति से वसूली करने का कारण हुआ है तो यह हुआ है, अगर कहीं दूसरे प्रकार के काम नहीं करने का फैसला नहीं किया गया है तो इसलिए ही कि आखिर सारे का खमियाजा ान्त के तीन करोड़, ढाई करोड़ लोगों को ह. उठाना पड़ता रहता है। इसका खमियाजा जो सरकार है, उसको नहीं उठाना पड़ता, जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको नहीं उठाना पड़ता। इसलिए मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को इस चीज को इस रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पूरी वित्तीय स्थिति का, क्योंकि बजट भी कुछ ही दिनों में आने को है, उस समय हम उस पर अधिक विवेचन करेंगे। परन्तु माननीय सदस्यों को पता होगा, पिछले वर्ष का बैलेन्स आपने डेफिसिट में शुरू किया था, लगभग 14 करोड़ के, और इस सबके बावजूद भी इस वर्ष का

Page No 106

(106)

(श्री हरिदेव जोशी)

क्लोजिंग आप उस तरह से नहीं करेंगे । यह बात मैं आपसे कह सकता हूं, और फिर मैं इस बात को जोड़ता हूं कि अगर अकाल न होता और रॉक फास्फेट बिक गया होता तो स्थितियां बिल्कुल दूसरे प्रकार की होती ।

ठीक, उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के अन्दर भी हमने बड़ी बात नहीं कह करके, बहुत बड़े प्रशासनिक सुधार की बात नहीं कह करके आज तक जिन चीजों के ऊपर निर्णय नहीं किया गया, उन चीजों को सुधारने की दिशा के अन्दर काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है यहां पर अकाल की बावत में । मैं समझ सकता हूं, राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं है, जब कि इन महीनों के अन्दर मैं वहां पर न गया होऊं, मैं वहां के लोगों को नहीं मिला होऊं और मैंने वहां के लोगों से बात न की हो । इन पिछले महीनों में, एक डेढ़ महीने में मैं 15-16 जिलों के अन्दर गया हूं, डेढ़ महीने के अन्दर और घूम घाम करके वहां की स्थितियों का अध्ययन करने की ही कोशिश की है । निश्चित रूप से बरसात नहीं होने के कारण से हालत काफी खराब है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राजस्थान के 26 जिलों में से 24 जिलों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है, किन्तु प्रत्येक, 24 जिले जो हैं, एक प्रकार से प्रभावित नहीं हैं, उनमें बहुत बड़ा अन्तर है । और इसलिए अगर आज हमारे बाड़मेर से आने वाले साथी, जालौर से आने वाले साथी, पाली से आने वाले साथी, जैसलमेर से आने वाले साथी अकाल का पिंच ज्यादा महसूस करते हैं तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, न बुरा मानने की बात है, और इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं····

श्री जयनारायण : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री का जवाब होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

मुख्य मंत्री के उत्तर तक सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था, मैं उन कठिनाइयों को महसूस करता हूं, मगर माननीय सदस्यों के समक्ष मैंने कई बार कहा है, आज फिर निवेदन करना चाहता हूं, हालातों में एक बहुत बड़ा फर्क आया है इन 27 वर्ष की आजादी के अन्दर, इन पिछले वर्षों में, या यों समझ लीजिये, इन दो वर्ष पहले जो आर्थिक व्यवस्था के अन्दर स्थिति थी उसमें और आज में एक सबसे बड़ा अन्तर है, वह ओवर ड्राफ्ट प्राप्त करने का और खर्च करने की छूट करने का । मैं हंस करके लोगों से कहा करता हूं, आज से दो वर्ष पहले कोई व्यक्ति कहीं जाता, अमुक काम कर दो, अमुक काम कर दो, अमुक काम कर दो-इस बात की घोषणा करता हुआ राजस्थान के अन्दर निकल सकता था । लेकिन मैं आज ऐसा नहीं करता । राजस्थान के बनने से लेकर और दो वर्ष पहले तक राजस्थान की आमदनी से लगभग (विराम) काफी

(श्री हरिदेव जोशी)

बड़ा हिस्सा हमें, रकम ओवर ड्राफ्ट के रूप में ड्रा कर सके मगर आज राज्य सरकार को 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा ओवर ड्राफ्ट लेने का अधिकार नहीं है । अगर 3 करोड़ 60 लाख से ऊपर हम ड्रा कर लेते हैं तो रिजर्व बैंक हमारे चैक को नहीं सिकराता । अध्यक्ष महोदय, और इसलिए आज एक बहुत बड़ी वित्तीय कठिनाई हमारे सामने है । छठे फाइनेन्स कमीशन ने अकाल की विभीषिका को ध्यान में रखकर, नेचुरल कैलेमिटी को ध्यान में रख कर 10 करोड़ 19 लाख रुपया मार्जिन मनी के रूप में स्वीकार किया । हम उपयुक्त ढंग से उसको खर्च कर सकते हैं । मगर उससे अधिक अगर हम होते हैं तो भारत सरकार हमारे प्लान के अगेन्स्ट एडवान्स के रूप में उसे देती है । माननीय सदस्यों को खयाल होगा, पिछले सैशन में मैंने कहा था, जब बरसात नहीं हुई थी तब कि हम भारत सरकार से बात करेंगे और उपयुक्त फैसला करेंगे । अध्यक्ष महोदय, लम्बे जद्दोजहद के बाद पहले तो मिस्टर मनचन्दा आया करते थे, जो प्लानिंग कमीशन के एडवाइजर थे, इस बार श्री शिवरमण आये, जो प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं, वह आये और डिस्कस किया, हमारी बात को सुनी और सुनकर जाकर उन्होंने सिफारिश की, वह भी वही थी जो आम तौर पर फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश है, अर्थात् हमारे प्लान के अगेन्स्ट वह हमें एडवान्स देंगे...

उन्होंने 10 करोड़ 24 लाख रुपये हमारे प्लान के अगेन्स्ट एडवान्स हमें दिये । मगर वह कैसे दिये ? 5 करोड़ 24 लाख राजस्थान कैनाल के लिए दिये, दो करोड़ रुपया इर्रिगेशन–मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिये दिया–अर्थात् हमको उसी के अन्दर खर्च करना पड़ेगा, हम उसी के अन्दर खर्च कर सकेंगे । बाज मर्तबा दिल्ली में और दूसरी जगहों में कई लोग बगैर सोचे हमारी स्थिति को समझ नहीं पाते । मैंने एक नहीं अनेक जिम्मेदार लोगों से कहा है, भारत सरकार के अधिकारियों से भी कहा है और बड़े से बड़े राजनीतिक नेताओं से भी यह कहा है कि आप यह जो चाहते हैं कि हम ज्यादा मैन-पावर लगाकर; लगायें और राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा करें । यह बात इस राज्य में पड़ने वाले अकाल की स्थिति में सम्भव नहीं है, इसलिए सम्भव नहीं है कि हम पूरी प्लान को उसके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय, डिफ्रेन्ट एरियाज में उनकी कई प्रकार की डिफिकल्टीज हैं । कभी-कभी आश्चर्य होता है कि क्या सोल्यूशन है और किस प्रकार की हालत है । अभी भी अखबारों में आया करता है, संभव है-मगर मैं नहीं कह सकता । लेकिन आज से लगभग डेढ़ वर्ष पहिले मैं जब बीकानेर, शेरगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके की तरफ गया था, वहां के लोगों ने मुझे कहा था, नौ-नौ साल के बच्चे थे उन्होंने कहा कि धरती के ऊपर पानी कैसे बरसता है, इसको उन्होंने नहीं देखा । ऐसी भयंकर हालत होते हुए भी इसके, बावजूद भी लोग वहां, हजारों लोग बसे हुए थे और हैं । वे लोग पानी पीते हैं, बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, एक जगह जिसे वह कुण्ड कहते हैं, उनके अन्दर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको वह पीते हैं और जहां भी जाते हैं–आदमी भी जाते हैं और उनके मवेशी भी जाते हैं मगर जब बरसात नहीं होती है तब जहां कहीं से भी सोर्स होता है, दो मील, पांच मील, बीस मील दूर से भी वे पानी लाकर पीते

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं। इस काम के लिए वे ऊंट को लेकर जाते हैं और पानी लेकर आते हैं अर्थात् सुबह से रात तक परिवार के एक सदस्य का काम पानी लाने का होता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात यह है कि उधर का जो इलाका है, वह खेती का नहीं है, पशु-पालन का इलाका है। वहां के जो लोग हैं हम उन्हें किसान तो कहते हैं परन्तु सही मायने में वह किसान नहीं, पशु-पालक हैं, उनको पशु-पालक कहना चाहिए। उनको खेती से उतनी आमदनी नहीं होती। बरसात हो जाती है और खेती पक जाती है तो खुदा छप्पर फाड़कर देता है यह समझ लेना चाहिए। बाकी सही स्थिति यह है कि पशुओं को पालते हैं इससे आमदनी होती है, पशुओं के दूध, घी और ऊन से आमदनी होती है। जो बैल होते हैं उनको बेचकर अथवा बछड़ों को बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। यह उनकी जीविका का आधार है। यदि हम चाह कि वे लोग राजस्थान कैनाल के ऊपर जावें और कमाई से अपना पेट भरें तो अध्यक्ष महोदय, दो मुख्य चीजें हैं–एक तो यह है कि वे प्रोफेशनल लेबर नहीं हैं इसलिए उनका प्रोफेशनल लेबर के मुकाबले उतना आउट-पुट भी नहीं आता है। हमारे प्लान के अन्दर जो पैसा आता है, जो हमको मिलता है, तब हमको यह भी देखना होता है कि काम का आउट-पुट कितना है–इसके ऊपर भी हमको विचार करना होता है, विचार करना पड़ेगा। प्लान के तौर पर जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी सारी फोर्मेलिटीज को देखना होगा। मैंने भारत सरकार से कहा है कि हमें प्लान का नजरिया बदलना होगा। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान के अजमेर जिले की, जो क्रोनिकली अकाल के अन्दर रहता है, उदयपुर का कुछ हिस्सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का हिस्सा–ये आदिवासी क्षेत्र भी ऐसे हैं और भील इलाके के अन्दर–अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर शायद सबसे अधिक अभागा इलाका है जहां पर राजस्थान के अन्दर सबसे कम आदमियों के पास जमीनें हैं और वे भी अनप्रोडक्टिव हैं और गरीब आदमियों को भगवान सन्तान भी ज्यादा देता है, उनकी आबादी बढ़ती जाती है, कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। मुझे रेगिस्तानी इलाके का तो सोल्यूशन दिखाई देता है, मगर मुझे डूंगरपुर इलाके का हल दिखाई नहीं देता। कुछ माननीय सदस्य अकाल के स्थायी हल की बात करते हैं, मैं सहमत हूं अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या तरीके हो सकते हैं इसको हम बराबर सोचते हैं और इस दिशा में कुछ करने की कोशिशें भी की हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया कि हमें कुछ शोर्ट टर्म और लोंग टर्म योजनाएं बनानी होंगी। मैं अभी जोधपुर के इलाके में, जैसलमेर के इलाके में, बाड़मेर और चूरू के इलाके में, बीकानेर के इलाके में गया था और वहां पर अधिकारियों से भी बातचीत की, वहां के कांग्रेस के साथियों से बात की और दूसरे लोगों से भी बात की है। तत्कालिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि खेती के सिवाय दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं–एक तो दूध और दूसरी ऊन–इन दोनों के विकास पर जोर दिया जाय तो निश्चित रूप से हम कुछ राहत उन इलाकों को दे सकते हैं और इसको जब मैं पिछली बार पहली बार जब जैसलमेर गया था तो मैं खादी की जो संस्थाएं हैं उनको संगठित किया था और उन लोगों से बात की थी और मैं ऐसा समझता हूं कि जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में, जोधपुर के फलोदी में और

(श्री हरिदेव जोशी)

उधर के इलाकों में ऊनी खादी के काम को बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, उसके लिए करोड़ दो करोड़ रुपया भी तत्कालिक रूप से खर्च करना पड़े तो करना चाहिए। चूरू और बीकानेर के इलाके को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हर बार वहां के लोग स्त्री और बच्चों को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर काम पर आज जाते हैं, हम उनको इस प्रकार की स्थितियों के अन्दर नहीं छोड़ सकते और नहीं इसका यह कोई सोल्यूशन है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वहां के दूध के आधार पर अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। मैंने पोकरण में, जैसलमेर में और बाड़मेर में बैठकर व्यक्तियों से बातचीत की है। पोकरण में चिलिंग प्लान्ट का उद्घाटन मेरे से करवाया गया। मैंने उनको पूछा था, वहां एक किलो दूध की कीमत 50 पैसे आती है और चिलिंग प्लान्ट में जो दूध जायगा उसमें 15 पैसे के ऊपर एक किलो दूध देते हैं। अर्थात् अगर अधिक पशुओं के दूध का संग्रह किया जा सके तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उनके पशुओं के चारे-पानी की और ठीक ढंग की व्यवस्था की जा सके तो उनका आर्थिक आधार एक छोटा-मोटा आर्थिक आधार बन सकता है, ऐसा मैं मानकर चल सकता हूं। किन्तु अध्यक्ष महोदय, यही आखिरी चीज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी आगे की बात को कुछ मित्र पसंद कर सकते हैं, कुछ नापसंद भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान कैनाल को जिस रूप में आज हम एनविसज करते हैं उसके स्वरूप को कुछ दूसरे ढंग से सोचने की आवश्यकता है। उसकी लेंथ रहे मुझे एतराज नहीं है मगर जो इंटेन्सिटी पानी की सोची जा सकती है उसको थोड़ा कम करके और राजस्थान कैनाल के नीचे के हिस्सों में पश्चिम अथवा दक्षिण की तरफ पानी का लिफ्टिंग करना चाहिए और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना चाहिए। किनारे पर पीने के पानी की, हरे चारे की और एक परिवार को भरपेट भोजन मिल सके उतना अनाज पैदा करने की योजना बनानी चाहिए। सारे पाप्यूलेशन का रीसेटलमेंट करना होगा जिससे आज लाखों लोग पशुओं को लेकर अपने घर से सैकड़ों मील दूर जाते हैं और पशुओं को रास्ते में छोड़कर वापस लौटते हैं, यह स्थितियां पोस्टरिटी तक नहीं चल सकती। इसलिए आने वाले 25 वर्षों में राजस्थान का क्या स्वरूप होगा यह सोचने की आवश्यकता है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय कृषि आयोग ने जो विस्तृत स्कीम की पूर्ण भूमिका दी है उसका डिटेल्ड सर्वे करने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है और मैं आशा करता हूं कि 6 महीने में इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। उसके बाद में फीजीबुल है या नहीं सारी चीजें मालूम पड़ सकेंगी। तब हम आने वाले 25 वर्षों में क्या कर सकते हैं, इस बारे में अपना दिमाग बना सकेंगे।

किन्तु एक चीज बहुत स्पष्ट है, इसके लिए कन्संट्रेट करना होगा और कन्संट्रेट करके निश्चित आधार बनाने होंगे। इसलिए रावतभाटा में जो राज्य स्तरीय कैंप हुआ था उसमें भी मैंने कहा था कि हम राजस्थान डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बनायेंगे और वह बोर्ड इन सारी डिटेल्स में जाएगा और फैसला करेगा। तो राज्य सरकार जल्दी ही स सिलसिले में निर्णय करके इस सदन को सकी सूचना देगी।

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय सदस्यों को जो मानसिक परेशानी है अकाल के बारे में, मैं उनका भागीदार हूं इसके अन्दर । आखिर कहीं कोई महसूस करता है कि अमुक आदमी भूख से मर गया है मैं उसको यहां रेफ्यूट करूं कि नहीं मरा है, उससे न तो मुझे संतोष मिलता है न क्रेडिट मिलती है । प्रयत्न करने चाहिएं, कि हम अपनी क्षमता बढ़ायें, जितनी मदद कर सकते हैं गरीबों की, वह करें । मैं समझता हूं थोड़े दिनों में ही स्थिति में फर्क आएगा । चाहे दूसरे प्रकार काम बंद करने पड़ें राज्य सरकार को, लेकिन राहत पर नए दृष्टिकोण से सोचना होगा ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य के सभी कोनों से माननीय सदस्यों को सहयोग देना होगा । आखिर एक परिवार के और एक प्रांत के माइने हैं कि कठिनाई के समय एकपन महसूसन करें, एक तरफ से सोचें और एक दिशा में चलें । मैं यह भी मानता हूं कि अनाज की जो कमी है, उस कमी को केवल कहने से दूर नहीं कर सकते । इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि रबी के अंदर सहयोग दें प्रोक्यूरमेंट में । जो लोग प्रोक्यूरमेंट में मदद नहीं देते हैं वे राज्य में भूखमरी से एक प्रकार से नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा मेरे मन पर असर पड़ता है । मेरे मन में है, कि आज जितना अनाज मिल रहा है उससे ज्यादा प्रोक्योअर करें और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी करें । डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा तभी हो सकेगा जब प्रोक्यूअरमेंट ज्यादा हो सकेगा । इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से आग्रह करूंगा कि कम लेवी से हमें राजनैतिक नुकसान होता है, इस बात को हम देखकर चलते हैं । मगर आप अगर अच्छा अनाज और ज्यादा अनाज ला सकेंगे तो इस राजनैतिक नुकसान के मुकाबले में राजनैतिक लाभ ज्यादा होगा । इसलिए मैं यह सोचकर चलता हूं कि आज भी यहां पर उनकी पार्टी का लीडर बोल रहा है तो कृषि व खाद्य मंत्री जिनको यहां होना चाहिए था, मगर वह इसलिए नहीं है कि अभी उनको जगजीवनरामजी से मिलना था खाद्य के बारे में । इसलिए वह दिल्ली गए हुए हैं । हम निरन्तर भारत सरकार से संपर्क में हैं । जितनी मुझमें क्षमता है उतना असर डालने की कोशिश करता हूं ज्यादा अनाज पाने की ।

कई कांग्रेसी सदस्यों ने नरोरा की बात कही है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए । आपको पता है कि वह होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है । डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेशन में नहीं हो सकता है, वह लिंक होगा उत्पादन के साथ । जब तक उत्पादन स्टेबीलाइज नहीं होता है अथवा बढ़ता नहीं है तब तक डिस्ट्रीब्यूशन हवा में ही है, यह समझा जाएगा । इसलिए नरोरा सम्मेलन के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम पर फैसला तब तक इम्पलीमेंट नहीं हो सकता है जब तक उत्पादन पर आपका नियंत्रण न हो । नैशनेलाइजेशन को मैं नियंत्रण नहीं कहता, उत्पादन स्टेबीलाइज न हो उसको रेग्यूलट न कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन चैनेल्स से चैनेलाइज नहीं कर सकते । भारत सरकार भी इस स्थिति में नहीं है कि वह डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से चैनलाइज कर सके । यह हार्ड फैक्ट है, इसको स्वीकार करना चाहिए चाहे हम पर उसका दूसरे ढंग का असर पड़ता हो मगर यदि 15 दिन पहले यथेष्ट मात्रा में सामग्री मुझे दीजिए, मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा कर दूंगा, होम डिपार्टमेंट छोड़ दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन को अपने पास रखूंगा परंतु जो चीज आपके पास में है वही तो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, इसलिए कई बड़े बड़े प्रश्न केंद्रीय सरकार के समक्ष और हमारे समक्ष हैं, जो कन्ज्यूमर गुड्स हैं और जो वाइटल इम्पार्टेंस के गुड्स हैं, जिनके अंदर बिचौलिए मुनाफा उठाते हैं, आर्टीफिशियल स्केयरसिटी दिखाते हैं, आखिर उनकी व्यवस्था कैसे की जाए ? यह फैसला मेरी लेवो पर नहीं होगा, वह फैसला वहां होगा, मगर मैं मानता हूं आने वाले कुछ वर्ष इस देश में शांति और व्यवस्था तभी कायम रख सकते हैं जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टैबीलाइज हो जाएगा। भूखा आदमी, जिसको अनाज नहीं मिलता हो, जिसे दूसरी आवश्यकता की चीजें नहीं मिलती हों, उसका मानस असन्तुलित न हो, यह योगी ही कर सकता है, साधारण आदमी कर नहीं सकता है। आज की जो कठिनाइयां हैं उसमें 50 प्रतिशत कठिनाइयां इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं मानता हूं। इस अर्से में जब कहता हूं कि प्राडक्शन होगा तब ठीक से प्राडक्शन होगा, तब एक वर्ष के अंदर हमने प्राडक्शन पर अपने आप को ज्यादा खपाया है, मैं यह कहना चाहता हूं। पूरे वर्ष का जो बजट था बिजली का, उसको तीन महीने में खर्च करने का अर्थ ही यही था कि कम से कम एक फसल के अंदर उसका पूरा फायदा मिल जाए। अगर किसान को रबी के अन्दर रबी बुआई से लेकर कटाई तक पानी मिल जाता है तो जिसके पास में एक बीघा जमीन भी है उसको कम से कम 500) रु० का अधिक मुनाफा हो जाता है। इस दिशा में हमने यह करने की कोशिश की कि अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में 10 हजार कुओं पर जो बिजली दी उसके मायने यह हैं कि कम से कम 50 हजार एकड़ नई जमीन को हम वेल इर्रिगेशन के तहत लाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के के अन्दर इर्रिगेशन के लिये राजस्थान सरकार ने स्पेशियल एफर्ट्स किये। इसके एक साल के अन्दर हमने लैण्ड का अलॉटमेन्ट किया, एलोकेशन किया तथा जहां धोरे थे उनको हटाकर वहां पर चेनल्स बनायीं। और इस प्रकार हमने करीब 50 हजार एकड़ जमीन अतिरिक्त इर्रिगेशन के लिए तैयार की। इससे बहुत बड़ा फर्क इसके अन्दर इर्रिगेशन के लिये आयेगा। यह हमने 50 हजार एकड़ जमीन जो ज्यादा इर्रिगेशन के लिए तैयार की वह हमारे यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायता देगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों में यह कहा था कि हम राजस्थान में सीकर, झुन्झुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जो कि ज्यादा पोटेन्शियलिटीज वाले इलाके हैं वहां पर काश्तकारों को अधिक बिजली देकर, अधिक पानी देकर, अधिक सिंचाई करके इस इलाके में ज्यादा प्रोडेक्शन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य जो इस बारे में काफी बोलते हैं दुर्भाग्यवश यहां पर अभी नहीं बैठे हैं परन्तु मैं उन्हें इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सार पूरे वर्ष में हमने जहां की पोटेन्शियलिटीज ज्यादा है वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम किया जायेगा। उन जिलों में ज्यादा से ज्यादा पानी देकर, उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा कुओं पर बिजली देकर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर ज्यादा बिजली देने से उसके आफस्यूट भी हो जाते हैं। कुछ स्टेरिंग हो जाते हैं कनेक्शन ज्यादा देने से ओवर लोड इलेक्ट्रिसिटी में हो जाता है जिससे कई वार कठिनाईयों पैदा हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर यह भी कही गयी है कि आप बिजली काश्तकार को रात को क्यों देते हैं उससे काश्तकार को

(श्री हरिदेव जोशी)

परेशानी होती है। अध्यक्ष महोदय, जो भाई यह कहते हैं वह माननीय सदस्य खुद तो शहर से आते हैं और अपनी सहानुभूति किसानों के प्रति प्रदर्शित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि किसान कब काम करता है। इसके लिये आप अगर चाहें तो प्रोफेसर केदार से पूछें, माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा से पूछें और श्री गुरदयालसिंहजी, सरदार जी से पूछें जो कि उस ऐरिया से आते हैं, गंगानगर वाले क्षेत्र से आते हैं, जहां पर कि सबसे ज्यादा खेती इरिगेशन से होती है। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को इरिगेशन के लिये पानी रात को ही मिलता है। रात में ही पाली जब उनकी आती है तो उन्हें पानी मिल जाता है। अगर वह रात को अपनी पाली में पानी लेना चूक जाते हैं तो उन्हें बाद में पानी नहीं मिलता। तो यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार को ऐसा चाहिये कि जब भी उन्हें बिजली मिले चाहे रात को मिले चाहे दिन को, जब भी मिले, तब वह लेकर उससे काम चलावें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सदन में माननीय सदस्य किसानों के एडवोकेट बनते हैं वह खुद तो शहर से आते हैं उन्हें इन बातों का पता नहीं है इसलिये मैं उन्हें यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें भी यह चाहिये कि वह भी किसानों को यही राय दें कि जब भी उन्हें पानी या बिजली रात या दिन में मिले उसको ले लें और इस बारे में किसी प्रकार का आन्दोलन करना उचित नहीं है। इससे पैदावार बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया है कि एग्रीकल्चर के बारे में हम किसानों के लिये क्या कर रहे हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कि अध्यक्ष महोदय, हमने काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट देने की तरफ ध्यान दिया है। हमने इस पिछले एक वर्ष में ऐसे प्रयत्न किये हैं कि उत्पादन कैसे बढ़े। और मैं तो यह कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस एक साल उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं वह रिमार्केबल हैं।

अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमने शोर्ट टर्म क्रेडिट लोन काश्तकारों को करीब 7 करोड़ 73 लाख रुपये दिये हैं। और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में यानि की इस वर्ष के अन्त वह क्रेडिट 35 करोड़ रुपया हो जायेगी इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, लोंग टर्म क्रेडिट हम 28 करोड़ रुपये काश्तकारों में बांट देंगे ऐसा मानकर हम चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर कुदरत हमारा खरीफ की फसल में साथ देती तो इस वर्ष रबी की फसल मिला कर एक रिकार्ड फसल की पैदावार हमारे यहां होती।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आज किसानों को जो चीजें चाहियें वह महंगी हो रही हैं उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। आज किसानों को चीजें महंगी मिलती हैं और उससे राज्य सरकार लेवी सस्ते भाव में लेती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां देश में एक फेडरल फोर्म आफ गवर्नमेन्ट है, इसलिये यहां का सिस्टम भी फैडरल है। इसमें होता यह है कि अनाज के भाव तय करने के लिये राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। जैसे कि रबी की फसल कितनी होगी और उसमें कीमतें उस पैदावार की कितनी होगी तय किया जाता है। इसी प्रकार खरीफ की फसल की पैदावार की कीमत क्या होगी, प्रोड्यूसर से लेवी किस भाव से ली जायेगी

(श्री हरिदेव जोशी)

यह तय की जाती है। इसमें कोई एक स्टेट फैसला नहीं करती। सारी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं उसमें खरीद करने वाली स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के प्रतिनिधि होते हैं वह सभी मिलकर फैसला करते हैं कि क्या कीमत अनाज की होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उसमें जो इनपुट्स के भाव बढ़ते हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है अगर इसमें आप यह सोचें कि खाने वाला यह सोचे कि उसे सस्ते भाव में अनाज मिले और बेचने वाला यह सोचे कि वह महंगे भाव से बेचे तो मैं समझता हूं कि अनाज के भाव कभी भी फिक्स नहीं हो सकेंगे। अनाज के भाव तो वहां पर सभी की सहमति से तय होते हैं और इसमें भी एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं अगर इनपुट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन इसका फैसला करता है इसमें तो प्रोड्यूसर को ठीक पैसा मिलना चाहिये। इसमें हम कुछ नहीं करते वही अपनी राय देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अलबत्ता मैं एक बात को निश्चित रूप से मानता हूं कि अगर इनपुट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर को अपने पैदावार की कीमत ठीक मिलनी चाहिये। अगर आप उसे ठीक कीमत नहीं देंगे तो इस स्टेज पर वह रेजिसटेन्स जरूर करेगा अन्यथा अगर ठीक कीमत उसको मिल जाती है तो वह रेजिस्टेन्स नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल लेवी देने का है अगर प्रोड्यूसर को पैसे ठीक मिलते ह और उसमें कोई पोलीटिकल मोटिव नहीं हो तो कोई भी विरोध नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े समय पहले मैं, जब कांग्रेस का कैम्प गंगानगर में लगा था तो उस सिलसिले में गंगानगर गया था मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैं वहां के लोगों से मिला और लेवी देने के बारे में जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बहुत ही मुक्त हृदय से लेवी देने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग गंगानगर वाले लेवी देने के विरोध में नहीं हैं। यह तो पंजाब में, जहां कि मोनोपोली प्रोक्योरमेंट है वहां पर किसान को नुकसान पहुंचता है वहां विरोध हो सकता है लेकिन इसमें हमारा एक अनुरोध है कि एक बार आप लेवी ले लें उसके बाद में जो भी अनाज काश्तकार के पास हो उसे वह अपने मन चाहे भाव से बेचे इसकी छूट होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, उनकी इस मांग के प्रति मुझे भी किसी हद तक सहानुभूति है और यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक बार किसान से लेवी लेने के बाद किसान को यह छूट होनी चाहिये कि वह अपने अनाज को किसी भी भाव से बेच सके। अध्यक्ष महोदय, इसलिये राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि आयन्दा, सम्भवतः भारत सरकार हमको यह छूट दे देगी कि मोनोपोली लेवी इन्ट्रोड्यूस करो, मिडिलमैन से लेवी लो अथवा प्रोड्यूसर्स से डाइरेक्ट लेवी चाहते हो, जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है राजस्थान सरकार ने सिद्धान्ततः यह तय कर लिया है कि प्रोड्यूसर्स से लेवी लेंगे अलबत्ता एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन उसकी प्राइस को तय करें। इसके लिये हमने एक केबिनेट सब-कमेटी फोर्म करदी है जो यह तय करेगी कि कितनी लेवी कितनी जमीन पर लेनी चाहिये, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूं, जो मेरे साथी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि जहां फ्लो ऑफ ईरिगेशन अच्छा है वहां पर, पर एकड़ ज्यादा स्केल के अनुसार लेवी ली जानी चाहिये, जो बारानी है उससे बिलकुल कम

(श्री हरिदेव जोशी)

लेनी चाहिये और जो वेल इरिगेशन है उसमें दोनों के बीच में लेनी चाहिये। जो कैनाल इरिगेशन है वह सस्ता पड़ता है और वेल इरिगेशन हैं वह मंहगा पड़ता है। वेल इरिगेशन में कम होल्डिंग्स होती हैं, होल्डिंग्स छोटी होती हैं और कैनाल इरिगेशन में बाज मर्तबा होल्डिंग्स भी बड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान कैनाल को जल्दी पूरा किया जाना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस बात में क्या तुक है कि आपने एरिया डेवलपमेन्ट के लिये कर्ज लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान कैनाल को फिफ्थ फाईव इयर प्लान में पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि पूरा नहीं करते हैं तो इसकी लागत और कीमत बढ़ती चली जावेगी। यदि हम इसको आज से पांच वर्ष पूर्व ही पूरा कर लेते तो आज तक इसका फायदा उठा कर चलते और इतनी लागत भी नहीं बैठती। इसलिये मैं इस बात को बराबर प्रोपर क्वार्टर्स में कहता रहता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि यह पूरे के पूरे राजस्थान की राय है। मैं यह भी समझता हूं कि राजस्थान अपने साधनों से राजस्थान कैनाल को कभी पूरा नहीं कर सकेगा और इसलिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया इसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में नहीं लेती है तो इसको एक स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाना चाहिये इसमें भारत सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल प्रोजेक्ट को मैं यह समझता हूं चाहे वर्ल्ड बैंक से होवे, या किसी से होवे, लोन लेकर इसको पूरा किया जाना चाहिये। और इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाना चाहिये। भारत सरकार के आयोजना मंत्री से इस सम्बन्ध में मेरी बात हुई है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से इस सम्बन्ध में मेरी बात हुई है, मेरी यह कोशिश है कि छः-आठ महीने में राजस्थान कैनाल के सैकिन्ड स्टेज का प्रोजेक्ट तैयार करके भारत सरकार को सुपुर्द कर दें। इस सम्बन्ध में साधारण तौर से काम करते हैं तो दो तीन वर्ष इसी में ले लेते। इसलिये इसको छः-आठ महीने में ही कम्पलीट करके एक प्रोजेक्ट बना कर हम भारत सरकार को सौंप देंगे। माही-कडाना बांध के लिये जैसे हमको वर्ल्ड बैंक से लोन मिल सका, अथवा एरिया डेवलपमेन्ट के लिये हमको लोन मिल सका, उसी प्रकार हमको राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिये भी वर्ल्ड एजेन्सी से लोन मिल सकेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि नेशनेलाइज्ड बैंकों से ऐसे प्रोजेक्ट के लिये आप पैसा लीजिये, कौन आपको रोकता है। इतना आसान नहीं है यह। फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स पैसा दे सकती तो कर लेते। आपको मालूम है, सीकर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार हुए आठ-आठ महीने हो गये। हमें मिल नहीं सका। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान की समस्याओं का समाधान चौथी पंचवर्षीय योजना 330 करोड़ की और पांचवीं पंचवर्षीय योजना 690 करोड़ की बना लें, फिर भी समस्या का समाधान नजदीक नहीं दिखायी देता। इसलिये मेरे दिमाग में निरन्तर प्रश्न उठता चला जाता है। मैंने योजना मंत्रीजी से निवेदन किया था कि हम राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के साथ एक सप्लीमैन्टरी योजना बनाना चाहते हैं जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले

(श्री हरिदेव जोशी)

की होगी और जो हमारे आम फहम लोगों के काम के लिये होनी चाहिये। मैं सप्लीमेन्टरी योजना बनाने के हक में हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स को इन कामों के लिये टेप किया जाना चाहिये, चाहे राजस्थान कैनाल हो, चाहे ड्रिंकिग वाटर योजना हो, चाहे सीवेज का काम हो, अथवा दूसरे काम हों इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम हों। इन सब कामों के लिये मेरी ऐसी मान्यता है कि आउट ऑफ प्लान एफर्ट्स करें तो ज्यादा काम कर सकते हैं और मैंने अपने टारगेट्स योजना मंत्रीजी को बतायें और उनको कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा राजस्थान का प्लान फीगर था उसके अनुरूप ही हम एक सप्लीमेन्टरी योजना पांच पंचवर्षीय योजना के अलावा बनाना चाहते हैं। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना 330 करोड़ की थी। 105 करोड़ रुपया एरिया डेवलपमेन्ट के लिये, 50 करोड़ रुपया डेरीज के लिये, और नागौर और जोधपुर जिलों के लिये, इस प्रकार कुल मिला कर हम 169 करोड़ रुपये के लॉन प्राप्त कर चुके हैं। 330 करोड़ की सप्लीमेन्टरी योजना के अगेन्स्ट लगभग 175 करोड़ के लोन प्राप्त कर पाये हैं। इस प्रकार इसके लिये हमने एफर्ट्स किये हैं। अभी भी मेरा दिमाग इस रूप में घूमता रहता है।

पिछले दिनों रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को हमने यहां पर इन्वाइट किया था और उन्होंने इस चीज को एम्फेटेकली सोचने की बात कही थी। अभी हमारे जो कोआपरेटिव सेक्टर के डाइरेक्टर हैं गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के यहां आये थे। उन्होंने भी हमको कहा कि उन्होंने भी इसमें हमारी मदद करेंगे। इस तरह से आउटसाइड ऑफ दी प्लान सीलिंग 300।350 करोड़ की योजना करवा सकते हैं। विशेष बात बजट के दरमियान में डिस्कस करेंगे। परन्तु मैं इस राय का हूं कि इस दिशा में प्रयत्न करने चाहिये। एक वर्ष में प्रयत्न किये भी हैं और 74-75 में जहां हम 87 करोड़ 58 लाख के करीब आउटसाइड दी प्लान कर सकते हैं तो इस वर्ष में 115 करोड़ के करीब की बात सोच कर चलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने टैक्स की बात कही, टैक्स बढ़ा दी, यह हुआ, वह हुआ, इसकी काफी चर्चा हुई है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। इसका एक लम्बा इतिहास है, जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता। पर राजस्थान को एक बात का फैसला करना है। हम विकास चाहते हैं या नहीं, और वह तेजी से लाना चाहते हैं या नहीं। दोनों तरफ से हम नहीं चल सकते, और खास तरह से रूलिंग पार्टी दो तरफ से नहीं चल सकती। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य तो कह सकते हैं कि लेवी भी मत लो और अनाज भी लाकर दो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम यह चाहते हैं कि प्रदेश का तेजी से विकास हो तो जो टैक्सेज जरूरी होंगी वह लगानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, जब बरकत साहब जीवित थे, उस समय हमने पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाई थी और हमने फैसला किया था कि हम 680 करोड़ की पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाएंगे। अब उसके बाद प्राइस राइज हुआ। मैं उदाहरण देता हूं कि मान लें कि प्राइस राइज 20 प्रतिशत हुआ और हमने रोड्स के अन्दर 10 करोड़ का प्रावधान रखा था और 100 मील का

(श्री हरिदेव जोशी)

टार रोड का फिजीकल अचीवमेंट हमने सोचा। अब अगर बीस प्रतिशत कीमतें बढ़ गई तो दस करोड़ रुपया तो खर्च हो जायेगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन सड़क बनेगी केवल 80 मील। तो अगर आपकी योजना 10 करोड़ रुपये खर्च करने की है, तो वह तो आप पूरी कर लेंगे लेकिन आपका जो फिजीकल टार्गेट है 100 मील सड़क का, उसको अगर पूरा करना चाहते हैं तो आपको प्लान भी बढ़ाना पड़ेगा और खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा। और आज भी मैं इस राय का हूं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसको आगे बढ़ाने के लिये आपको कई प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी और प्रयत्न करने पड़ेंगे। और जब प्रयत्न करने होंगे तो आपको रिसोर्सेज भी बढ़ाने होंगे। रिसोर्सेज बढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले यह बात आती है कि रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि मान लीजिये कि डूंगरपुर या बांसवाड़ा के अन्दर हमें पीने के पानी की पाइप लाइन द्वारा व्यवस्था करनी है। अब अगर एक हजार गैलन पानी का खर्चा एक रुपया आता है और हम अगर चार्ज करते हैं 1.25 रुपया तो हमें 25 पैसे दूसरे काम के लिये बच जाते हैं। और यदि हम एक रुपया ही चार्ज करते हैं तो वह स्कीम नो प्रॉफिट, नो लोस में चलती है। लेकिन अगर हम 1 हजार गैलन पानी के लिये 75 पैसे चार्ज करते हैं तो हमें 25 पैसे सब्सीडाइज करने पड़ेंगे। अब सब्सीडी कौन देता है ? वह वहां के लोग नहीं देते हैं, वह राजस्थान की ढाई करोड़ जनता देती है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो बेनीफीशरीज हैं, जो लोग फायदा उठाते हैं, खमियाजा भी उन्हीं लोगों को उठाना चाहिये, दूसरे लोगों पर उसका भार नहीं डालना चाहिये। और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस बार जो टैक्स का वतीरा रखा वह यह कि जो सर्विस पाते हैं, अगर उनमें क्षमता है तो पहले भार उन्हीं को उठाना चाहिये और बाद में दूसरों पर डालना चाहिये। जिनमें क्षमता नहीं है और जो बेनीफीशरीज नहीं हैं अगर आप उनको वह करते हैं तो उन पर आप एक थोथा और अनावश्यक भार डालते हैं। इसलिये जब हमारा राजस्थान कैनाल बना, जब हमारा भाखरा बना, जब चम्बल बना, जब हमारा माही बन रहा है, जब हमारा जाखम बन रहा है, भोपालसागर बन रहा है, तब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम केवल चार पांच बांध बना कर ही रुकना चाहते हैं अथवा राजस्थान को और आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि यह प्रोजेक्ट्स वायबिल हों, इतना तो हो कि उन पर लिये हुए कर्जे की किस्तें जो चुकानी पड़ती हैं, वह तो चुक जायें। लेकिन माही बांध बन जाये, और माही बांध बनने के बाद कर्जा चुकाने के लिये राजस्थान भर से पैसा कलेक्ट करने की बात करें या भारत सरकार से कर्जा चुकाने की बात करें, तो पूरे राजस्थान को बांसवाड़ा को खिलाना पड़ेगा यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यही बात भाखरा, राजस्थान कैनाल, जाखम, चम्बल, माही, जैतपुर, भोपालसागर, सब से लागू है। और अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहता हूं कि जिसको सर्विस देते हैं, उस सर्विस का पूरा पैसा उसी से चार्ज करना चाहिये। इसमें प्राफिट करने की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह जवाई बांध पर लागू नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये जो भाई यह कहते हैं कि आपने रातों रात टैक्स बढ़ा दी, मुझे उनसे यह बात कहनी है कि टैक्स तो उससे ले रहे हैं जिसको पहले फायदा दे चुके हैं और तब ले रहे हैं जब वह कई वर्षों तक लाभ उठा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, यू० पी०, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान के अगर ईरिगेशन के रेट्स देखें तो राजस्थान के अन्दर शुगरकेन का ईरिगेशन का रेट 30 रुपया, पंजाब में 34 रुपया, गुजरात में 190 रुपया, मध्य प्रदेश में 60 रुपया, यू० पी० में 60 रुपया है। और इसी प्रकार दूसरों का भी है। तो मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा पैसा चाहिये तो आपको सबसे पहले उन लोगों को देखना पड़ेगा जिन लोगों को पिछले वर्षों में राजस्थान की इकोनामिक डेवलपमेंट से फायदा हुआ है। और इसलिये मैं प्रोफेसर साहब से कह रहा हूं कि गंगानगर तहसील और भादरा तहसील जहां पर पानी है, और जहां पर कि पानी नहीं है, उसके फर्क को देखने की कोशिश करें।

श्री केदार नाथ : हम तो चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा . . .

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो एक बात जानता हूं कि जिसको सर्विस देते हैं, उसी से चार्ज ली जाये। और मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि दिल को मजबूत करके, हिम्मत से हमें आगे बढ़ना है। कमजोरी से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। कमजोर लोग आगे नहीं बढ़ सकते और जो लोग पिछड़ेपन का नारा लगाकर सुविधाएं लेने की बात करते हैं, आने वाला जमाना उनको बैगर्स की संज्ञा देगा और मैं राजस्थान को बैगर्स की श्रेणी में नहीं रखना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, कई बातें यहां पर कहीं कई, पोलीटीकल फिलासाफी में जाऊं या नहीं। मगर मैं ऐसा समझता हूं कि हम हमारे काम को चाहे समाजवाद कहें अथवा लोक कल्याणकारी काम कहें, समाज में अगर डिसपैरिटीज रहेंगी, छोटे और बड़े का भेदभाव रहेगा, तो असन्तोष बना ही रहेगा। तो जितनी भी आपकी क्षमता है, उतनी इस भेदभाव को मिटाने की कोशिश की जाये। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस एक वर्ष के अन्दर, और इसके पहले भी हमने इस दिशा में तेजी से प्रयत्न किये हैं जैसा मैंने कल भी कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो पिछड़े हुए भाई हैं, उनको जो सुविधाएं राजस्थान सरकार ने दी हैं, शैडयुल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को, वैसी सुविधाएं किसी राज्य सरकार ने नहीं दी हैं। नौकरियों के अन्दर भी रोस्टर प्रणाली के अनुसार 28 प्रतिशत प्रोमोशन और रिजर्वेशन केवल राजस्थान और केन्द्र सरकार ने ही किया है। किसी दूसरी राज्य सरकार ने यह सुविधाएं नहीं दी हैं।

और मैं उसको इम्पलीमेन्ट करवाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 5॥ लाख या 6 लाख जो हाउस साइट्स दी हैं उसकी तारीफ की जा रही है। मैं उस तारीफ के लिए शुक्रगुजार हूं, किन्तु मैं यह समझता हूं कि यही कोई आखिरी चीज नहीं है। अलबत्ता इन लोगों के मकानात बन जायेंगे, इनकी सामाजिक हैसियत बन जायेगी—यह बात मैं मानकर चलता हूं लेकिन इसके कारण से कई चीजें पैदा हुई हैं। वह दूसरों के लिए न सही लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नयी प्रकार की चुनौती है जिसको समझने की आवश्यकता है। टोंक के अन्दर हरिजनों

(श्री हरिदेव जोशी)
को हाउस साइट्स देने के बाद मैं हरिजन और लैण्डलैस को छोड़कर दूसरो को हाउस साइट्स नहीं दें तो यह बात चल नहीं सकेगी ज्यादा अरसे तक। इसलिए उनको भी देना होगा······

श्री श्रीराम गोटेवाला : शहरों वाली बात भी कह दें।

श्री हरिदेव जोशी : ····और अध्यक्ष महोदय, जो यह समझा जाता है कि राज्य सरकार सारे 5।। लाख लोगों को पैसे देकर मकानात बनवा सकेगी यह इम्पासीबल है और इसको भी बहुत साफ साफ समझना चाहिए। और 4–4 हजार रुपया अगर हम 5 लाख लोगों को दें तो इसके माने यह होते हैं कि 200 करोड़ रुपया। आप यह 200 करोड़ रुपया नहीं बांट सकेंगे इसलिए इस हार्ड फैक्ट को आपको समझना चाहिए। जो हाउस साइट देने की बात थी उसको हमने पूरा कर दिया। और जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप स्थानीय साधनों से मकानात बनवा सकते हैं उसको बनाने की जिम्मेदारी हमको अपने सिरों पर लेनी चाहिए और अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए, स्थानीय रिसोंसस का उपयोग किया जाना चाहिए और राज्य सरकार भी उसमें जितनी मददगार हो सकती है उतनी होने की कोशिश करेगी।

इस एक वर्ष में शायद कोआपरेटिव सोसायटी के पास में लगभग 10 हजार से 15 हजार एप्लीकेशन्स पैन्डिग है और ऐसा सदन को विश्वास दिलाया था कि उसका जो प्रोसीजर है उसको हम सिम्पल कर देंगे और उसको हमने सिम्पल कर दिया है और अब प्रत्येक जिले के अन्दर एक सैल कायम कर दिया गया है और उसका इन्चार्ज है एडीशनल डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर। वह एडीशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर एक प्रकार से प्रमोटिंग एजेन्सी है। जैसे हम किसी डाक्टर के पास जाकर कहते हैं कि डाक्टर साहब मुझे बुखार आया है। इतना सा कहने के बाद डाक्टर को यह देखने की आवश्यकता है कि बुखार कैसा है, क्या है और क्या नहीं है। जांच पड़ताल करके उसका दवा देने का फर्ज है। ठीक उसी प्रकार से जब कहीं के लोग जायें और कहें कि हम सोसाइटी फार्म करना चाहते हैं तब एडीशनल डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर जो कि प्रमोशनल एजेन्सी है उसको फार्म भरवाने का, फार्मेल्टीज पूरी करने का, कर्जा दिलवाने का और उनको पूरा करवाने का जिम्मा एडीनशल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के सैल का है। जिसका कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार भी एक मेम्बर है। इसके लिए हमने इसमें मेरे खयाल से एक एक क्लर्क दे दिया है और सारी सुविधाओं को हमने पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने पैन्डिग एप्लीकेशन्स के लिए जितने लाख रुपये की जरूरत थी शायद 20 लाख रुपया एडीशनल उनको दिया है। इसके मायने यह है कि लगभग 4 करोड़ रुपया एडीशनल रेंज कर सकें और 4 करोड़ रुपया 31 मार्च तक डिसबर्समेंट हो जाय–इसको मैं देखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मगर मैं ऐसा समझता हूं कि आदमी का मकान बन जाये यह भी आखिरी चीज नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर बांसवाड़ा आई थीं तब मैंने उनके सामने एक प्रश्न को खड़ा किया था और वह यह था कि रूरल इनडेटेडनैस का और विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों के कर्जे का। जिस इलाके में मैं पैदा हुआ हूं उसके भी इनडेटेडनैस को समझने की कोशिश की है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा

(श्री हरिदेव जोशी)

और उदयपुर के भील इलाके का भी यही हाल होगा। मेरा खयाल है कि प्रत्येक भील के ऊपर प्रति व्यक्ति 800 रुपये के करीब के आसपास का कर्जा है और वह अपनी जिन्दगी में आने वाले कई वर्षों तक इस कर्जे से मुक्त नहीं हो सकेंगे और इसलिए राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक इस बात को सोच रही है कि 'विद वन स्ट्रोक ऑफ पैन' किस प्रकार से सारे कर्जे को खतम किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा भी मानता हूं कि एक बार किसी को कर्जे से मुक्त कर देना ही कोई आखिरी चीज नहीं है। आज की जो सामाजिक स्थितियां हैं उन सामाजिक स्थितियों के अन्दर या तो कोई ड्रास्टिक परिवर्तन आये, बहुत बड़ी तब्दीली आये अथवा फिर आप कोई बहुत बड़ी तब्दीली का होसला नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसी एजेन्सी कायम करें जिससे आदमी शोषक के पास नहीं जाये और उसका शोषण नहीं हो। इसलिए रावतभाटा में हमने यह फैसला किया है कि हम एक ऐसी एजेन्सी कायम करें जिसमें कि न केवल उनकी व्यवसायिक और आर्थिक कारणों के लिए बल्कि इन सब पिछड़े हुए वर्गों को उनकी सामाजिक आवश्यकताओं के लिए कर्जा मिल सके और वह उसकी बोरगत करे, न कि कोई बोहरा करे। मेरा मतलब यह है कि हम समाज के पिछड़े हुए वर्गों के बीच में से बोरगत करने वाले मनी लैण्डर्स को किसी दूसरी क्रांति के जरिये बल्कि इस प्रकार के कामों के जरिए हम उनको एलीमिनेट कर देना चाहते हैं। इसके लिए हमने रिजर्व बैंक से बात की है और मुझे आशा है कि इस दिशा में हमको उनसे मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक विचारधारा के बारे में, हमारी राजनैतिक संगत पर भी यहां चर्चा हुई। सदन के एक माननीय सदस्य ने इस बारे में एक मौजू प्रश्न उठाया और आजकल इस देश के अन्दर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अन्दर कुछ इस प्रकार के इनफिल्ट्रेटर्स आगय हैं कि आज कांग्रेस के अन्दर खासकर कांग्रेस को खराब कर रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं। लोग छंगानीजी की ओर इशारा करके हंस रहे हैं और अध्यक्ष महोदय·····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप भारतीया साहब को देख रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, नहीं। मैं तो किसी की ओर नहीं देख रहा हूं। मैं अपनी ओर ही देखकर हंसता हूं और रोता हूं। अध्यक्ष महोदय, मोर जोम में नाचता है लेकिन पावों की तरफ देख कर रोता है। इसलिए किसी की तरफ देखकर हंसने की बात नहीं है। आज इस देश के अन्दर एक पालिटिकल बहस हो रही है। वह बहस है कि देश प्रजातांत्रिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है अथवा प्रजातन्त्र इस देश के अन्दर खतम हो रहा है। एक राजनैतिक पक्ष, अध्यक्ष महोदय, यह है जो यह कहता है कि जयप्रकाशजी के साथ में जो तबका लगा हुआ है वह फासिस्ट तबका है वह प्रजातन्त्र को खत्म कर रहा है और अब तो जयप्रकाशजी ने भी कहा है और दूसरे भी हैं जो यह कहते हैं कि कांग्रेस के विचार खूब अच्छे हैं मगर सी०बी०आई० कांग्रेस के साथ ऐसी लग गई है कि यह यहां पर डिक्टेटरशिप को कायम करके रहेगी। बची हुई डेमोक्रेसी भी समाप्त हो जायगी बकौल प्रोफेसर साहब।

श्री केदारनाथ : मैं नहीं कहता कांग्रेस के एम० पीज कहते हैं, वे बात करते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह एम० पीज० के साथ एनीमीज भी हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : एक बात और साफ है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के अन्दर एक लम्बे अर्से से चर्चा का विषय रही है । मेरे कम्युनिस्ट साथी मुझे क्षमा करें वे उस समय भी चर्चा के विषय थे जिस समय यह देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था । कम्युनिस्ट्स निश्चित रूप से इस देश की मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से बाहर थे ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते ।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे क्षमा करें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह क्षमा करने की बात नहीं, यह डिस्कसन की बात है । आप बैठें, हम बैठें फिर तय करें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुख्य मंत्रीजी वाजिब बात कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए ।

श्री हरिदेव जोशी : अभी मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जरा शांति से सुनें मुझे थोड़ा सा । अध्यक्ष महोदय····

श्री केदार नाथ : आपने रीढ़ में चोट मारी है, करारी चोट मारी है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद हुआ था उस समय यह भी कहा गया था कि हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ है इस देश में बुर्जुवा शासन कायम हो है । मगर, अध्यक्ष महोदय···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह आज भी कह रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं फिर आ रहा हूं उस पर । अध्यक्ष महोदय, मगर रूस के अन्दर रिविजनिस्ट पैदा हुए । खुश्चेव ने कहा – हिन्दुस्तान आजाद हुआ है । महात्मा गांधी इस देश के मुक्तिदाता थे, राष्ट्रपिता थे और जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी, नॉन एलाइनमेंट की पॉलिसी बुर्जुवा नहीं प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी । यह कहा गया, अध्यक्ष महोदय । उसके बाद में जो विचार संघर्ष रूस में था उसकी प्रतिध्वनि इस देश में भी हुई और एक जगह बैठ करके और उस समय की जो सी० पी० आई० थी उसके अन्दर स्पिलिट हुआ अध्यक्ष महोदय । एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुई और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) हुई । और जैसा मैंने कहा····

श्री केदारनाथ : एक नैक्सलाईट भी थे ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इन दो की ही बात कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस देश के ऊपर उसके पड़ौसी राष्ट्र चीन ने हमला किया, उस समय इस देश की एक पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने सी० पी० आई० ने यह कहा कि चीन ने हमला किया और हिन्दुस्तान अग्रेसर नहीं है । हिन्दुस्तान अग्रेसन का शिकार है किन्तु, अध्यक्ष महोदय, सी० पी० एम० एक पार्टी थी जिसने यह कहा कि माओत्सेतुंग के चीन ने हमला नहीं किया, हिन्दुस्तान हमलावर है, हिन्दुस्तान ने हमला किया है । यही नहीं सी० पी० एम० ने यह कहा कि······

श्री केदारनाथ : उस समय दोनों विंग

(श्री केदारनाथ)

एक थी। यह कहा था कि यह बाउण्ड्री डिस्प्यूटेड है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सन् 62 में हमला हुआ है और सन् 64 में दो टुकड़े हुए। उस समय दो ग्रुप थे।

श्री हरिदेव जोशी : उस समय दो ग्रुप थे यह मैं मानता हूं। और इस चीज ने सी० पी० आई० के स्पिलिट को एग्रीवेट किया। आज वही सी०पी०आई० यह कहती है, सी०पी० आई० यह कहती है कि हम वायलेंस को नहीं मानते। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं और चेंज बैलट बोक्स के जरिये चाहते हैं। आज सी० पी०आई० यह कहती है कि कांग्रेस जो प्रोग्रेसिव पोलिसीज को अख्तियार करेगी उसको हम सपोर्ट देंगे। अध्यक्ष महोदय, उसके अगेंस्ट जयप्रकाशजी सत्ता में जिसका सहयोग चाहते हैं, जिसके बारे में वह बार बार स्टेटमेंट देते हैं वही सी०पी०एम० यह कहती है कि उनका मसीहा माओत्सेतुंग है न कि दूसरा कोई और अध्यक्ष महोदय····

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : आप गलत बयानी मत कीजिए। यह बड़ा गलत बयान है····

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय,···

श्री मोहरसिंह : माओत्सेतुंग हमारा मसीहा नहीं है। सी०पी०एम० तो यह कहती है कि आप अग्रेसिव से भी दोस्ती कीजिए। हमारा आज भी चीन के साथ खिलाफत है। आप गलत बयानी सदन में मत कीजिए।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : मैंने पहले भी कहा था कि मेहरबानी करके सुनते रहिए।

श्री मोहरसिंह : यह तो आपका सौभाग्य है कि आपको सबसे आखिर में बोलने का मौका मिलता है जिसके बाद कोई नहीं बोल सकता।

श्री हरिदेव जोशी : यह सौभाग्य आप से नहीं मिला है, यह मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री मोहरसिंह : आप भाग्यवान हैं कि आपके बाद दूसरों को बोलने का चांस नहीं मिलता है इसलिए जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यही मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं····

"कलेजा थाम के सुनिए मेरी बारी आई"

श्री मोहरसिंह : बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं लेकिन अब सुना नहीं जाता है इस तरह की गलत बयानी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी आजाद मुल्क के अन्दर किसी दूसरे मुल्क ने हमला किया होता और हमलावरों को अगर अग्रेसर नहीं कह के और अपने ही मुल्क के अन्दर अपने ही मुल्क को दूसरे पर हमला करने वाला कह दिया होता तो हिन्दुस्तान को छोड़ करके दूसरे मुल्क के अन्दर ऐसा कहने वाले लोग वह वहां पर बैठ नहीं सकते थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मीसा हो जाते।

श्री हरिदेव जोशी : मगर यह हमारा ही मुल्क है जिसके अन्दर आप कह सकते हैं कि चीन के ऊपर हिन्दुस्तान ने हमला किया।

(श्री हरिदेव जोशी)
यह कह भी दीजिए और चुन कर यहां पर आ भी जाइये।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री मोहरसिंह : अमेरिका और चीन के अन्दर भी दोस्ती हो रही है।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : आप कहिये कि हिन्दुस्तान अग्रेसर नहीं था। हम तो हरएक से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान से भी बढ़ाया है और चीन के साथ भी बढ़ाया है। भारत तो अपने हर पड़ौसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दुनियां के साथ शांति का व्यवहार चाहता है। आप कहिये कि आपने हिन्दुस्तान को अग्रेसर नहीं कहा। हिन्दुस्तान ने चीन पर हमला किया यह कहा है। आप कहिये कि नहीं कहा है। और मुझे परेशानी, अध्यक्ष महोदय, यह है कि भानुकुमारजी और मोहरसिंहजी बात कर रहे हैं····

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपके ही हित की बात है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक बेंच पर दो ही आदमी हैं 4-5 होते तो कुछ होता।

श्री हरिदेव जोशी : कम्युनिस्ट पार्टी यह कहे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम बैलट के मारफत यहां पर चुनकर आना चाहते हैं, वह यह कहें कि एक बार असेम्बली चुन ली जाय उसको डिस्टर्ब नहीं की जानी चाहिए, वह यह कहें कि हम वायलेंस के कल्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, वह यह कहें कि एक दफा गवर्नमेंट को पूरा मौका दिया जाना चाहिए अपने काम को करने का, और अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप डेमोक्रेटिक वे में उसका विरोध भी कीजिये और उनका काम भी कीजिये। वह हमको कहते हैं कि हम आपको सहयोग देना चाहते हैं तो आप मुझसे यह चाहते हैं क्या कि मैं उनसे कहूं कि तुम मुझे सहयोग मत दो, और क्या शास्त्रीजी को, और जयप्रकाशजी को और दूसरे राजनैतिक दल····

श्री गुमानमल लोढ़ा : बुरा नहीं कहते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्रता का विरोध किया था उनके साथ में आपका जो गठबन्धन है उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : डेमोक्रेसी में राजनैतिक विरोध जयप्रकाशजी को हो सकता है, वह मेरी समझ में आ सकता है, मगर इस देश को एग्रेसर बताने वालों के साथ समझौता करते हैं वे मुझे इस बात का दुःख है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हिन्दुस्तान के दो टुकड़े करने वाली मुस्लिम लीग के साथ केरल में आपने समझौता किया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मेरे कहने का बुरा लगेगा इसलिए मैंने पहले ही माफी मांग ली थी।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपको बुरा लगता होगा इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : केरल में गठ-बन्धन आपने मुस्लिम लीग के साथ किया जिस मुस्लिम लीग ने ....

श्री हरिदेव जोशी : अच्छा भाई आप अगर सी० पी० एम० से समझौता करते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे कहने से छोड़ेंगे नहीं यह मैं जानता हूं।

श्री केदारनाथ : एक समझौता राज्य करने का है और दूसरा सरवाइवल का है तो कौनसा ठीक है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपको यदि यह सूट करता हो तो आप यह कीजिये, मगर मेरे कहने में एक ही बात है कि वह सफाई है। मेरी सफाई यह है जिसकी आलोचना की गई थी उसकी यहां पर सफाई दी है। जो हमको सहयोग देना चाहते हैं, जो प्रजातंत्र में विश्वास व्यक्त करते हैं ....

श्री मोहरसिंह : प्रजातंत्र की तो आप हत्या कर रहे हैं, 14 वर्षों तक पंचायतों का इलेक्शन भी नहीं करा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ... और जो बात हम ठीक करते हैं उसको ठीक कहते हैं, विरोध के लिए ही विरोध नहीं करते हैं। उनसे अगर यहां विधान सभा में बैठकर यह कहें कि उनका सहयोग भी मत लो तो मेरे यह बात समझ में नहीं आई। इसलिए भी कि प्रोफेसर साहब आपने पोलिटिकल क्राइसिस की बात कही इसलिए आपसे कहने की कोशिश की।

श्री केदारनाथ : फैक्ट्स आर पेटेन्ट, यहां पर नहीं किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : आप यह कहकर और राजनैतिक रूप से कुछ नहीं पायेंगे, प्रोफेसर, मैं यह कह सकता हूं।

श्री केदारनाथ : मैं स्पष्ट चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक व्यक्तिगत रूप से आपका सवाल है, प्रोफेसर, मुझे कुछ नहीं कहना है। आप संगठन से परे हैं, सबसे परे आप एक हैं, अकेले हैं, और इसी लिए आपने अपनी जिन्दगी में शादी नहीं की ताकि आप पर दूसरे का असर न पड़े।

श्री केदारनाथ : बेचलर फिलासफी और थिसिस में विश्वास करता है इसलिए शादी नहीं करता है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक प्रोफेसर साहब का सवाल है इनकी राजनैतिक ईमानदारी में मुझे कोई अविश्वास नहीं है, मगर जो पोलिटिकल थिसिस आपने रखा है तो मैंने समझा कि इस बात की सफाई मुझे कर देना चाहिए, इसलिए इस बात को छेड़ा है।

माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी अच्छे विचार यहां पर रखे हैं। कमियां हैं उनको दूर करेंगे। सबका सहयोग मिलेगा तो अच्छी तरह से करेंगे और अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो कठिनाई है। मार्ग में रोड़े आयेंगे, असफलताएं आयेंगी। यह असफलताएं किसी केबिनेट की नहीं हैं, 10-15 आदमियों की नहीं होंगी, यह असफलताएं राजस्थान की होंगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम सब मिल कर काम करेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ पायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव श्री प्रद्युम्नसिंह ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनको धन्यवाद देने का ....

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्स्प्लेनेशन और इल्यूसिडेशन के

(श्री लक्ष्मण सिंह)
लिहाज से दो मिनिट के लिए आप इजाजत देंगे तो मैं आभारी हूंगा ।

श्री अध्यक्ष : कठिनाई रहेगी इतना कहने के बाद में । मैं आपको ना तो नहीं कहता लेकिन थोड़ी कठिनाई है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ दो-तीन बड़ी-बड़ी बातें निवेदन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : 3 मिनिट में फरमा दें ।

श्री लक्ष्मण सिंह : तीन मिनिट ही लूंगा इससे ज्यादा नहीं लूंगा ।

जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन का मुद्दा उन्होंने उठाया उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं । मैंने अनुचित राजनैतिक लाभ कभी भी नहीं उठाया है, और मैं इस पक्ष का हूं कि लेवी ली जाय । लेवी अगर सरकार नहीं लेती है तो सरकार अपना काम किस तरह से पूरा कर सकती है ? लेवी लेने के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपको कलेक्टरों को खलिहानों में अनाज आये उसके पहले–पहले सूचना दें ताकि वह तैयार हो जायं । खलिहानों से अनाज उठ जाता है और फिर आप लेवी लेते हैं यह ठीक नीति नहीं है ।

आपने यह भी कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, कि गंगानगर में आन्दोलन हुआ तो आज गंगानगर खाद्य का राजस्थान का भंडार है, ग्रेनरी आफ राजस्थान ही नहीं बल्कि ग्रेनरी आफ इंडिया भी मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है । आपने यह कहा कि वहां का किसान लेवी देने से गुरेज नहीं करता है । जब लेवी देने को तैयार है वहां का किसान और वहां पर इतना बड़ा आन्दोलन छेड़ा हुआ है तो आप कोई न कोई ग्रेसफुली सूझबूझ के साथ उदारतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक ऐसा निर्णय लें जिससे कि जो काश्तकारों के अन्दर रोष और आक्रोश उत्पन्न हुआ है वह कम हो । वह आपके हित में और समाज के हित में बहुत अच्छा कदम होगा ।

रूरल इन्डेटेडनेस के लिए आपने जो सुझाव दिया है वह महत्वपूर्ण है । पेमेन्ट पालिसी की नीति को अपनाकर बहुत सारे कर्जे हैं उनसे इनको उऋण कराया जाना चाहिए; मुक्त करना चाहिए, लेकिन आपके पास एफिशियेन्ट सब्स्टीट्यूट नहीं है तब तक आप भावुकता को लेकर इस इन्डेटेडनेस को एक झड़प के साथ खत्म करना चाहते हैं तो वह सम्भव नहीं होगा ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, और मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं यह निवेदन करने का कि आपस की कशमकश किस बात की है । जयप्रकाशजी ने जो मुद्दे उठाये हैं वे आपके इलेक्शन मेनिफेस्टो में हैं । केवल मात्र एक्स्ट्रा डिमाण्ड यह की है असेम्बली बिहार में डिजाल्व हो । आपने गुजरात असेम्बली को डिजाल्व किया है । असेम्बली डिजाल्व करने की कोई डिमाण्ड को अनडेमोक्रेटिक मैं नहीं कहता, और मेरे खयाल में अपने संविधान को देखा जाय तो मैं उस डिमाण्ड को एक हद तक वाजिब मानता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इस डिमाण्ड से अधिक कोई अनडेमोक्रेटिक डिमाण्ड नहीं हो सकती ।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह शासनारूढ़ दल के पक्ष में है कि उनको बुलाकर बात करें । जब

(श्री लक्ष्मण सिंह)
आप पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, चाइना से आप हाथ उठाकर मिलनेकी बात कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायणजी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनसे कि इन्दिराजी बात नहीं कर सकती हैं। अतएव इन्दिराजी कोई ठोस कदम उठाकर समझौता की बात कर सकती हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं। (व्यवधान) विरोधी दल के नाते मैंने कुछ समय दिया था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : क्षमा करें। मैं अब समय नहीं दे सकता।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य प्रद्युम्नसिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 24 फरवरी, 1975 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.22 बजे, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)।

———

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

अकालग्रस्त क्षेत्रों के अपाहिजों, निराश्रितों, वृद्धों एवं असहायों को आर्थिक सहायता

75. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गत अकाल के दौरान अकालग्रस्त क्षेत्रों के अपाहिजों, वृद्धों एवं असहायों को भरण-पोषण हेतु एक रुपया प्रति दिन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) उक्त व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता का भुगतान कितने माह तक किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे लोगों को कुछ माह की आर्थिक सहायता दी जानी अब भी शेष है ? यदि हां, तो कितने माह की और क्यों ?

(4) कृपया तहसील स्तर पर ऐसे लोगों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

देवपुरा समिति की सिफारिशें

76. **श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवपुरा समिति ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें कब भेजीं ? समिति की सिफारिशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त समिति की कितनी सिफारिशें अमल में लाई गयीं ? इसके लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) देवपुरा समिति ने अपने प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 10-5-74 व 12-11-74 को प्रस्तुत किये। दोनों प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) दिनांक 10-5-74 को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर मुख्य मंत्री महोदय का निर्णय दिनांक 27-8-74 को घोषित कर दिया था और स्वीकृत समस्त सिफारिशों की क्रियान्विति की जा चुकी हैं । दिनांक 12-11-74 को प्रस्तुत प्रतिवेदन अभी मुख्य मंत्री महोदय के विचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डीग तथा सूरोठ की शिक्षण संस्थाओं में एस० टी० सी० के प्रत्याशिय का चयन

77. **श्री रामकिशन (भरतपुर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डीग, जिला भरतपुर तथा सूरोठ जिला सवाई माधोपुर

(श्री रामकिशन)

में दो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को एस० टी० सी० का प्रशिक्षण देने का आदेश राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, दिसम्बर, 1974 में दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षण संस्थाओं में एस० टी० सी० के लिये जिन प्रत्याशियों को चयनित किया गया है उनको बगैर किसी कमेटी के द्वारा सीधे ही भर्ती किया गया है ? अगर इनका चयन किसी कमेटी द्वारा किया गया है तो उसके कौन कौन सदस्य थे तथा चयन के बाद जो मैरिट लिस्ट बनाई गई है, क्या इस पर इन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रत्याशियों के चयन में भारी अनियमिततायें बरती गई हैं और प्रत्येक प्रत्याशी से हजार दो-दो हजार रुपया लिया गया है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच कराने को तैयार है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रत्याशियों का ट्रेनिंग का समय एक साल का होता है ? अगर हां, तो दिसम्बर में जब उक्त संस्थाओं ने प्रशिक्षण शुरू किया है तो उक्त प्रत्याशी इसको कैसे पूरा कर पायेंगे ।

उत्तर

(1) डीग में माह नवम्बर, 74 एवं सुरोठ में माह अक्टूबर, 74 में दो प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं को एस० टी० सी० प्रशिक्षण देने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(2) नियमानुसार निर्धारित कमेटी द्वारा चयन नहीं किया गया है ? जिन व्यक्तियों ने चयन सूची पर हस्ताक्षर किये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(3) अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार की ओर से जांच चल रही है डीग के बारे में विद्यालय निरीक्षक, भरतपुर की रिपोर्ट तथा सुरोठ के बारे में संयुक्त निदेशक, जयपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

(4) एस० टी० सी० का कोर्स 2 वर्ष का है जिसमें से एक वर्ष नियमित विद्यालय एवं एक वर्ष पत्राचार द्वारा होता है । कमी की पूर्ति प्रत्याशी स्वयं के अतिरिक्त परिश्रम से ही पूरा कर पायेंगे ।

बजरंग एस० टी० सी० के चयन समिति के सदस्यों की सूची

(1) श्री ब्रह्मदत्त, वरिष्ठ अध्यापक, एस० टी० सी० भरतपुर ।

(2) श्री नारायणलाल चतुर्वेदी, प्र० अ०, माध्यमिक विद्यालय, नादेती ।

(3) श्री हरिदत्त भारद्वाज, प्र०अ०, उ०मा० विद्यालय, टोडाभीम ।

(4) श्री बाबूलाल, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ।

(5) श्री प्रसादीलाल, मैनेजर ।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, सुरोठ के चयन समिति के सदस्यों की सूची

(1) श्री नारायण स्वरूप पारासर, भूतपूर्व उप-विद्यालय निरीक्षक, करौली, वर्तमान प्रधानाध्यापक ।

Page No 128

(128)

ग्राम पंचायत, खरोड़ा, नागौर को नियंत्रित शक्कर का परमिट

73. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला नागौर, तहसील नागौर की ग्राम पंचायत खरोड़ा क्षेत्र की नियंत्रित शक्कर वितरण में जांच के बाद किन किन अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं ?

(2) लेप्स कोटे की शक्कर तारीख 1-1-73 से 31-12-74 तक नागौर जिले में किन किन परमिट अधिकारियों ने परमिट जारी कर किन किन डीलर्स को कितनी कितनी मात्रा में दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) खरोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र की शक्कर की 17 बोरी का परमिट किस अधिकारी ने किस किस माह का किस किस तारीख को किस डीलर के नाम जारी किया ? उस अधिकारी का नाम व मौजूदा पोस्टिंग का पता बताने की कृपा करावें ।

उत्तर

(1) जांच के बाद सर्वश्री एस० सी० त्यागी, प्रवर्तन अधिकारी, नागौर एवं श्री रामजीवण प्रवर्तन निरीक्षक को निलम्बित किया गया । आरोपों की सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) ग्राम पंचायत, खरोड़ा के ग्राम खाटिका रिटेलर श्री गणेशराम को 17 बोरी शक्कर का परमिट माह फरवरी से जून, 1974 तक (लेप्स कोटे) का श्री शिवचरण अग्रवाल, तत्कालीन उप-जिलाधीश (नागौर), नागौर द्वारा जारी किया गया ।

आरोप-पत्र विरुद्ध श्री एस० सी० त्यागी, प्रवर्तन अधिकारी, नागौर

आरोप नं० 1 : आपने (श्री एस० सी० त्यागी), प्रवर्तन अधिकारी, नागौर के पद पर तैनात होते हुए ग्राम साटिका कला स्थित राशन की दुकान जो श्री गणेशराम द्वारा चलाई जाती थी का निरीक्षण माह नवम्बर, 73 से फरवरी, 74 तक कि या आपको प्रत्येक माह अधिकृत राशन की दुकान का निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करनी चाहिये थी ।

आरोप-पत्र विरुद्ध श्री रामजीवन, प्रवर्तन अधिकारी, नागौर

आरोप नं० 1 : आपने (श्री रामजीवन) प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए ग्राम साटिका कला में स्थित अधिकृत राशन की दुकान जो श्री गणेशराम द्वारा चलाई जाती थी का निरीक्षण नहीं किया जबकि आपको प्रत्येक माह अधिकृत राशन की दुकानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करनी चाहिये थी ।

आरोप नं० 2 : श्री गणेशराम अधिकृत राशन विक्रेता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, नागौर ने आपको दिनांक 30-8-74 को उक्त दुकान का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए थे परन्तु आपने उस दुकान की जांच नहीं की और न ही इस सम्बन्ध में कोई जांच प्रतिवेदन जिला रसद अधिकारी, नागौर को प्रस्तुत किया जिससे उक्त दुकानदार द्वारा राशन की शक्कर का गबन सम्भव हो सका ।

प्रश्न 2 के भाग की सूची

क्र० सं०	परमिट जारी करने की तारीख	नाम डीलर	मात्रा शक्कर की जो दी गई	माह जिनके लिए दी गई	नाम व पद परमिट अधिकारी जिनके द्वारा परमिट जारी किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	9-5-73	भागीरथ राम, रिटेलर सिणोद, तहसील नागौर	34	फरवरी व मार्च, 73	गोरधनराम प्रवर्तन निरीक्षक, नागौर	जिलाधीश की स्वीकृति पर ।
2.	22-12-73	गणेशाराम, रिटेलर साटिका, तहसील नागौर	3	अक्टूबर, 73	मदनलाल लखावत, सहायक जिला रसद अधिकारी, नागौर	,, ,, ,,
3.	12-7-74	,, ,, ,,	14	फरवरी, 74 से मई, 74	शिवचरण अग्रवाल, उप जिलाधीश (जागीर), नागौर	शिवचरण उप-जिलाधीश (जागीर) ने अपने स्तर पर दी ।
4.	17-8-74	मनोहरसिंह, रिटेलर, भोजास	18	फरवरी, 74 से जून, 74	,,	,,
	तहसील जायल					
5.	2-2-74	श्री भंवरखां, रिटेलर ग्राम टांगली ।	3 क्वि०	जनवरी, 74	तहसीलदार जायल	रिटेलर की नियुक्ति 31-1-74 को होने पर तहसीलदार ने माह फरवरी, 74 में परमिट जारी किया ।

1	2	3	4	5	6	7
6.	11-10-74	श्री पूरणसिंह, रिटेलर, पंचायत, छापड़ा	8 क्वि०	अगस्त, 74	तहसीलदार जायल	रिटेलर बीमार था इस वजह से बाद में तहसीलदार द्वारा परमिट जारी किया गया ।
7.	6-12-74	श्री दुरगाराम, रिटेलर, पंचायत, अड़वड़	7	नवम्बर, 74	,,	,, ,,
	तहसील डेगाना					
8.	12-9-74	श्री हीराराम, रिटेलर, नीम्बड़ी कला।	24 क्वि० 8 बोरी प्रति माह	जनवरी से मार्च, 74	तहसीलदार डेगाना	जिलाधीश रसद की स्वीकृति प्राप्त करके ।
9.	29-7-74	श्री राधाकिशन, रिटेलर, डेगाना	36 क्वि० चीनी प्रति माह 12 क्वि०	जनवरी से मार्च, 74	,,	,, ,,
	तहसील मेड़ता					
10.	20-5-74	श्री मोहनलाल, रिटेलर, ग्राम पंचायत, इन्दावड़	8 क्वि० चीनी	मार्च, 74	तहसीलदार मेड़ता, कार्यवाहक उप-खण्ड अधिकारी, मेड़ता	रिटेलर बीमार होने से समय पर परमिट प्राप्त नहीं कर सके थे इसलिए बाद में परमिट जारी तहसीलदार मेड़ता ने किए ।
11.	22-5-74	शिवजीराम, ग्राम सेवा सहकारी समिति, खाखड़की ।	8 क्वि० 50 किलो	मार्च, 74	,,	
12.	22-4-74	प्रहलादराम मोदी, रिटेलर ग्राम पंचायत, नेतडिया ।	5 क्वि० चीनी	मार्च, 74	,,	
13.	23-4-74	,, ,, ,,	5 क्वि० चीनी	फरवरी, 74	,,	

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के ग्रेड

79. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969-70 में 29 शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय बन्द किये गए थे ? यदि हां, तो क्या इन शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक जो 150-15-300 या 170-385 की ग्रेड में थे सरप्लस हुए थे ? क्या यह सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर ने उक्त सरप्लस अनुदेशकों को जो 150-15-300 या 170-385 की ग्रेड में थे और 1-7-66 के पहले के थे, वेतन श्रृंखला 160-360 में समायोजन करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक इनका समायोजन क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या 1-7-66 के पहले के पदोन्नत अनुदेशकों से अब कोई धनराशि वापस तो नहीं ली जा रही है ?

(3) क्या 1-7-66 के पहले के पदोन्नत अनुदेशकों को जो 150-15-300 की अथवा 170-385 की ग्रेड में थे, पदावनत (रिवर्ट) (तृतीय वेतन श्रृंखला) तो नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) यह सही है । 1-7-66 से पूर्व के अनुदेशकों का समायोजन वेतन श्रृंखला 160-360 में किया गया । इन सभी अनुदेशकों का समायोजन किया जा चुका है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

अजमेर वन मण्डल में फोरेस्ट गार्डों की पदोन्नति

80. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) अजमेर वन मण्डल में जनवरी, 1974 से 15 जनवरी, 1975 तक किन किन फारेस्ट गार्डों को पदोन्नत किया गया ? उनकी योग्यता, सर्विस व पदोन्नति के कारणों की सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(2) क्या यह सही है कि कई फोरेस्ट गार्ड जिनकी योग्यताएं व सेवा-काल पदोन्नत किये गये गार्डों से अधिक थी ? उदाहरण के रूप में कालूसिंह ब्यावर व शेरसिंह, ब्यावर फिर भी इनसे जूनियर रामनरेश, गार्ड को हैड गार्ड के पद पर किस आधार पर पदोन्नत किया गया ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । केवल एक वन-रक्षक श्री कालूसिह की शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत वन-रक्षकों से अधिक थी किन्तु नियमानुसार पदोन्नति के पात्र नहीं होने से उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सका ।

सूची

अजमेर वन मण्डल में जनवरी, 1974 से 15 जनवरी, 1975 तक पदोन्नत वन रक्षकों की सूची।

क्र० सं०	नाम वन रक्षक	वन रक्षक पद पर नियुक्ति दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	पदोन्नति दिनांक	विशेष विवरण
(1)	श्री शंकर लाल	6-6-67	हायर सैकण्डरी पास	वन रक्षक प्रशिक्षण 1970-71 बैच में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण	12-12-74	..
(2)	श्री राम नरेश	16-8-66	सैकण्डरी पास	वन रक्षक प्रशिक्षण 1968 बैच में उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण	28-12-74	..

भेड़ों के विकास हेतु चरागाह की योजना

81. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या मंत्री, भेड़ व ऊन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में भेड़ों के विकास हेतु चरागाह विकास आदि की कोई खास योजना अभी तक सरकार द्वारा हाथ में नहीं ली गई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि राजस्थान के भेड़पालकों को सारे हिन्दुस्तान में अपनी भेड़ों के साथ चारे व पानी की तलाश में मारे मारे फिरना पड़ता है और इससे राजस्थान को ऊन का बड़ा भारी नकसान उठाना पड़ रहा है? अगर हां, तो क्या अब तक राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही की गई है?

(3) क्या इस समस्या के निराकरण हेतु कोई खास योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो क्या और वह कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी?

(4) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष के अकाल में भी हमेशा की भांति हमारे पशु एवं भेड़ बकरी मध्य प्रदेश में चरने के लिए गई थीं? अगर हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हमारे भेड़-पालकों एवं पशुपालकों को उनसे ऊंची चराई की दर वसूल कर, बड़ा भारी परेशान किया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष पशुओं एवं भेड़ बकरियों के लिए चराई हेतु क्या रेट्स चार्ज की गई है?

(5) क्या यह सत्य है कि निष्क्रमण पर गए पशुओं एवं भेड़ बकरियों को चराने के लिए पशुपालकों एवं भेड़ पालकों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की मार्फत प्रयत्न समय पर नहीं किए गए? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो इस विषय में कब कब, क्या क्या प्रयत्न किए गए?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत चरागाह विकास कार्य की योजना स्वीकृत की गई है। जोधपुर एवं नागौर जिलों में इस साल से कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति तथा यह कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(4) जी हां।

भेड़ पालकों से मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा चराई की ऊंची दरें जो दो रुपये प्रति भेड़ बतलाई जाती है वसूल करने की शिकायतें प्राप्त हुई है।

(5) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश सरकार को लिखा है। सत्य नहीं है। समय समय पर हर वर्ष यहां से अधिकारियों को मध्यप्रदेश भेजकर आवश्यक कार्यवाही भी की जाती रही है।

राजस्थान दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटड, बीकानेर

82. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उत्तर राजस्थान दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर (उरमूल डेयरी) को किस तारीख से चालू किया गया ? इस संघ की दैनिक संग्रह क्षमता कितनी है ? यह संघ किस किस दूध उत्पादन सहकारी समिति से दूध प्राप्त करता है ? इसके कार्य क्षेत्र में जो जो डेयरी समितियां हैं के पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में अनुसूचित जाति व जन-जाति का कोई भी सदस्य सरकार द्वारा जानबूझकर नहीं लेने से ग्रामीण अनुसूचित व जन-जाति के पशुपालकों में भारी निराशा है ?यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त संघ (उरमूल डेयरी) में कई लाख के घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो कितना घाटा इसको चालू रखने पर सरकार को हुआ ? इसकी जानकारी वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर दिनांक 29-8-72 को पंजीकृत होकर दूध संग्रह कार्य 9-6-73 से कर रहा है । संघ इस माह में लगभग 16,000 लीटर दूध एकत्रित कर रहा है । जिन समितियों से दूध प्राप्त किया जा रहा है उनकी एवं उनके पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी नहीं । ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(3) संघ के लेखों का अंकेक्षण अधिनियम के अनुरूप होना बकाया है । अत: ऐसी स्थिति में हानि लाभ की सही सूचना देना संभव नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि कॉलेज के विद्यार्थियों को पी-एच० डी० की उपाधि

83. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि कालेज के डीन डा० प्रसाद ने अपने एक पी-एच० डी० के विद्यार्थी श्री पी० डी० गैमावत के शोध ग्रन्थों के बाह्य परीक्षक ने अस्वीकृत कर दिया था किन्तु अपने अनुचित प्रभाव द्वारा डा० प्रसाद ने उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि दिलवा दी ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में डा० प्रसाद ने बाह्य परीक्षक को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) डॉ० प्रसाद तथा बाह्य परीक्षक नीरगार्ड के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियों सदन की मेज पर रखदी गई हैं ।

Copy of D.O. letter No. PA/7-7-63, dated May 26, 1968 from Dr. N. Prasad, Dean Rajasthan College of Agriculture, Udaipur addressed to Dr. Paul Neerga and, Danish Govt. Institute of Seed Pathology, 78 Ryvange-alle, Hellerup Copenhagen, Denmark.

....

I duly received your letter of 3rd April, 1968 and have been thinking over that letter. I must say that I have gone through uneasy period particularly when I have thought over the work and behaviour of Gemawat. I have known him as an undergraduate student, as a student for M. Sc. degree and later-on he worked for the Ph. D. Degree under my guidance. Somehow or other, I could not come to the conclusion that he has deliberately tried to cheat us. I have seen your report and have gone through the thesis. I have tried to assess the value of the photograph in question on the ultimate value of the thesis. I have come to the conclusion that it contributed practically nothing to his findings. And even in his letters to me he mentioned to me that this mistake has occurred inadvertently and without his intention of doing it deliberately. We may not grant him this position, but all that I request you is that the punishment meted out to him for this mistake on his part is too severe. This will ruin all his future career. My only appeal to you is that whatever punishment you give to him should be in consonance with the degree of error made by him. I can only request you and it is up to you to acceed to the request. I have written to the Registrar that I agree with Professor Neerga-ard that this should never have occurred but in view of all this Professor Neerga-ard should be requested to review his decision and give the candidate another chance. I do hope that you will respond to this and will try to mould the career of a young man in profitable channels. You are such an experienced and reputed scholar and has also been a great teacher. As teachers it is expected of us that we try to mould the career of a student rather than come in the way of his further development. I would apologise to you if you think it is improper form to write to you, but whatever little I have known you during your brief sojourn at Jobner, I am tempted to make this request again to you and I do hope you will act with your conscience and not come in the way of the career of a youngman. From the type of a person that Gemawat is, I am sure that he will profit by the trial which he has undergone and would improve and become a good, honest and sincere worker. Please for give me for this intrusion on your time.

Let us hope that we will meet at London and we can then talk about it.

With the very best wishes.

Copy of letter No. PN/Bej, dated June 19, 1968 from Dr. Paul Neergard, Director, Danish Govt. Institute of Seed Pathology, 78, Rvyangs—alli, Hellerup, Copenhagen, Denmark to Dr. N. Prasad Dean, College of Agriculture, University of Udaipur, Udaipur.

Thank you for your letter of 26th May, 1968. It is a good suggestion that we take up Mr. Gemawat's case when we meet in London.

May I just point out your expression 'punishment' given in your letter about my conclusion on this thesis. I do not agree that the result of my evaluation should be regarded as being an action of punishment. But let us discuss everything when we meet.

Looking forward to this and with kindest regards.

Copy of letter No. PA/9717, dated June 26, 1968 from Dr. N. Prasad, Dean, Rajasthan College of Agriculture to Dr. Paul Neerga-ard, Director, Danish Government Institute of Seed Pathology, 78, Ryvangs-alli, Hellerup, Copenhagen, Denmark.

I am grateful to you for your letter of June 19, 1968, I am thankful to you that you have agreed to discuss Gemawat's case when we meet in London. The present position seems to be quite favourable and I may be able to meet you in London on July 14.

As regards the expression 'punishment', it only refers to the part of rejection. I have not commented upon any of the suggestions that you have put forward you are perfectly entitled to make comments on the thesis and it is for the candidate to satisfy you but I was only unhappy about the outright rejection which to my mind was not commensurate with the extent of fault on the part of the candidate and only I wanted you to reconsider your decision on the request of the Registrar when it reaches you. I am sorry if I have given you any other impression in my letter. I would offer my unqualified apology for the same.

Looking forward to meeting you.

ग्राम जेतासर (श्री डूंगरगढ़) के जोहड़ रिणा का कार्य

84. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जेतासर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू का जोहड़ रिणा अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 72-73 व 73-74 में खुदवाया गया था ?

(2) यदि हां, तो इसका कार्य किस माह व सन् में किस एजेन्सी द्वारा आरम्भ करवाया गया व कब समाप्त हुआ, कुल कितनी कितनी राशि मस्ट्रोल काम कराने वाली किस किस एजेन्सी ने तैयार किये और उनमें से कितनों का भुगतान हुआ तथा कितनों को भुगतान किस एजेन्सी द्वारा कार्य का कितने रुपयों का नहीं हुआ ? भुगतान न होने का कारण क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त कार्य किसकी देख रेख में हुआ था। और किस किस अधिकारी ने कब कब इसकी चैकिंग की थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो कब कब ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह भी सही कि अतिरिक्त अकाल सहायता आयुक्त ने भी इस कार्य की कार्य समाप्ति के एक साल पश्चात् जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

नागौर जिले में चिलिंग प्लांट योजना

85. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या पशपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के कृषि आयोग की राय पर जिला नागौर में मेड़ता व नागौर दो स्थानों पर चिलिंग प्लांट लगाया जाना तय किया गया है ? अगर हां, तो इन दो स्थानों पर ही यह योजना किस आधार पर स्वीकृत की गई है ? क्या राज्य सरकार ने इस विषय में कोई आधार रिपोर्ट जांच करवा कर तैयार करवाई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चिलिंग प्लांट लगाने के लिए तहसील स्तर पर दुधारू पशुओं की संख्या का आधार भी एक गुणक है ? अगर हां, तो नागौर जिले की प्रत्येक तहसील में दुधारू पशुओं की संख्या क्या है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस योजना को नागौर जिले के अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी लागू करने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो इस योजना का प्रकार क्या है ? किन किन मुख्यालयों पर योजना कितनी अवधि में लागू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

Page No 138

(138)

(अकाल सहायता मंत्री)

भारत सरकार के कृषि आयोग द्वारा नागौर जिले के मेड़ता व नागौर दो स्थानों पर चिलिंग प्लांट लगाने का सुझाव दिया गया था। किन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने केवल मेड़ता सिटी में ही चिलिंग प्लांट स्वीकृत किया है।

(2) जी हां। चिलिंग प्लांट लगाने के लिए दुधारु पशुओं की संख्या के साथ उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता एवं दुग्ध उत्पादन वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखा जाता है।

प्रत्येक तहसील में दुधारु पशुओं की संख्या की सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

अन्य स्थानों में इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में तकनीकी दृष्टि से जांच कराने के पश्चात् ही इस विषय में निर्णय लिया जावेगा।

सूची

दुधारु पशुओं की संख्या, जिला नागौर

वर्ष : 1972

तहसील	गायें	भैंसें	योग
डेगाना	26532	8919	35451
डीडवाना	27630	6815	34445
जायल	27812	5942	33754
लाडनूं	19920	3218	23138
मेड़ता	31512	8200	39712
नागौर	41515	11052	52567
अनावा	25766	8516	34282
परबतसर	48324	12012	60336

ग्रामों के राशन कार्डों पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर

86. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामों के राशन कार्डों पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विकास अधिकारी के बजाय सरपंच के हस्ताक्षर कराना उचित नहीं समझती ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, राशन कार्ड बनाना प्रशासनिक कार्य है। अतएव उस पर हस्ताक्षर की जिम्मेवारी भी प्रशासनिक अधिकारी की होनी चाहिये ।

(2) प्रश्न के भाग एक के उत्तर में वर्णित कारणों से मौजूदा व्यवस्था ही उचित है ।

अलवर जिले के अभावग्रस्त गांव

87. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बांसूर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस साल अलवर जिले के कौन कौनसे गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? कृपया सूंची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त गांवों में जनता को राहत देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष सम्वत् 2031 के दौरान अलवर जिले के 257 ग्रामों को खरीफ की फसल खराब होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित किय गया है । इन ग्रामों के नामों की सूची परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है।

(2) इन अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में भू-राजस्व की वसूली स्थगित करदी गई है । अलवर जिले का कन्टीजेन्सी प्लान प्राप्त हो गया है । जिसके आधार पर राहत देने पर विचार किया जा रहा है

सूची

सूची उन ग्रामों की जो सं० 2031 की फसल खरीफ की नष्ट होने पर अभावग्रस्त घोषित किये जा रहे हैं।

नाम जिला	नाम तहसील	क्र० सं०	नाम ग्राम
1	2	3	4
अलवर	किशनगढ़ बास	1.	हजारीपुरा
		2.	बीरानवास

(140)

1	2	3	4
अलवर	किशनगढ़ बास	3. गिरवास	
		4. साहूवास	
	रामगढ़	1. लालपुरी	
	अलवर	1. काली कोल	
	मुडावर	1. सीलगांव	
		2. शोपुर	
		3. पीपली	
		4. मेनपुर	
		5. सीरको	
		6. गोपीपुरा	
		7. जालमीवास	
		8. देलावास	
		9. अगवानी	
		10. नागलिसिंगनल	
		11. काडग आगर	
		12. सोदार खान कलां	
		13. सोदार खान खुर्द	
	तिजारा	1. सेखपुरा घाट	
		2. बालोज	
		3. आदिपुर	
		4. सदीपुर	
		5. मिरचूनी	
	बाम्सूर	1. लेखराही	
		2. अनन्दपुरा	
		3. घाट	
		4. बीलाट	
		5. बास दीगूवास	
		6. उबो का बास	
		7. थूराना	
		8. नयाबास	
		9. चैनपुरा	
		10. निमूचना	

1	2	3	4
अलवर	बान्सूर	11. हाजीपुर	
		12. धमला का वास	
		13. मुण्डली	
		14. कोरी	
		15. बास दयाल	
		16. बास करनावट	
		17. खेवरी	
		18. मण्डी जवासी	
		19. इन्दरदा	
		20. नाथूसर	
		21. ज्ञानपुरा	
		22. करवा	
		23. बारांगांव	
		24. मरोदी	
		25. उखलेखा	
		26. केटिया	
		27. पारसा का बास	
		28. बसाय चौहान	
		29. सनथलपुर	
		30. नागल भावसिंह	
		31. कोथल	
		32. भूरी डूंगरी	
		33. हमीरपुर	
		34. बामनवास	
		35. भूरीयावास	
		36. नारोल	
		37. तालवास	
		38. किशोरपुरा	
		39. वावली का वास	
		40. चुल्हा	
		41. रघुनाथपुरा	
		42. मुकन्दपुरा	
		43. कल्याणनगर	
		44. लाडपुर	

(142)

1	2	3	4
अलवर	राजगढ़	1. धंवर	
		2. राजरोली	
		3. कानियावास	
		4. भिगावत	
		5. नाडोलो	
		6. डवकन	
		7. केरियावास	
		8. गढ	
		9. राजौर	
		10. टीला	
		11. श्यालूटा	
		12. नमदरपुरा	
		13. कुडुकी	
		14. पावटा	
		15. गुडका खेडा	
		16. नगलादासा	
		17. ताखावास	
		18. तालाब	
		19.	
		20. नाथू	
		21. उमरी देहरी	
		22. मुरलीपुरा	
		23. चेहा का वास	
		24. रूपवास	
		25. खो	
		26. टोडाजीसिंहपुरा	
		27. टिलवाड़	
		28. टिलवाड़ी	
		29. डूंडपुरी	
		30. बेरेली	
		31. थूमेका	
		32 घाटडा	
		33. पाटी वीना	
		34. बरवा डूंगरी	

Page No 143

(143)

1	2	3	4
अलवर	राजगढ़	35. नांगल चडील	
		36. घिरोडा	
		37. गोरधनपुरा	
		38. सीतावत	
		39. हांडाहेली	
		40. फिरोजपुरा जागीर	
		41. माधोगढ़	
		42. देवाती	
		43. कोडला	
		44. कुन्दा	
		45. खेडाली	
		46. रामसिंहपुरा	
		47. दौलतपुरा	
		48. टोडी	
		49. चान्दपुरा	
		50. बाद धींगवाड़ा	
		51. सूरेर	
		52. गोट	
		53. अघूका	
		54. मानुपरा	
		55. आंडपुर	
		56. झाकदा	
		57. मोरोद कलां	
		58. बिलेता	
		59. गावेदी	
		60. पुण्डराका	
		61. पिनान	
		62. पाली	
		63. खुरद	
		64. जम्डोली	
		65. संथाल	
		66. लडिया	
		67. बनादको कलां	

1	2	3	4
अलवर	राजगढ़	68. बनादको खुर्द	
		69. प्रयागपुरा	
		70. बुधा	
		71. ऊकेरी	
		72. परवेनी	
		73. रामसिंहपुरा	
		74. चन्द्रपुरा	
		75. निमबोला	
		76. अहमदपुरा	
		77. मुण्डिया	
	थानागाजी	1. बेरवावास	
		2. लीलामाण्डला	
		3. दुरकियावास	
		4. बासदीसा	
		5. बासीजोगीयान	
		6. थानागाजी	
		7. बुरियावास	
		8. डुरमला	
		9. झाकेदी	
		10. मजाद	
		11. गुडा किशोरीदास	
		12. बकतापुरा	
		13. गढवासी	
		14. डेहूरीसर	
		15. नाथूसर	
		16. अमरकावास	
		17. लाखावास	
		18. मुण्डियावास	
		19. करन का बास	
		20. गनेशपुरा	
		21. राजपुरा	
		22. मनकोद	
		23. बिराता	
		24. हमीरपुर	

1	2	3	4
अलवर	थानागाजी	25. जेतपुरा गूजराना	
		26. गुवाडा भूरियावाली	
		27. गुहाडाघासी	
		28. गुहाडाहनुमान	
		29. पादाक छापली	
		30. अगका	
		31. माधोगढ़	
		32. नागल	
	लक्ष्मणगढ़	1. ऊकासी	
		2. कन्टवारी	
		3. नागलरुपा	
		4. लाहरपुरा	
		5. टीटपुरा	
		6. राईला	
		7. मासारी	
		8. खेरली टाराफराना	
		9. घूधारी	
		10. भानवर	
		11. तिलकपुरा	
		12. अमरपुरा	
		13. माहराना	
		14. ईरानियां	
		15. बरेला	
	बहरोड़	1. खुण्ड रोड	
		2. पेरातापुर	
		3. रघुनाथपुरा	
		4. रामचन्द्रपुरा	
		5. बीजपुरा	
		6. जेतपुरा	
		7. हुन्दी कलां	
		8. हुन्दीया खुर्द	
		9. चाहा मण्डास	
		10. कथूवास	

Page No 146

(146)

1	2	3	4
अलवर	बहरोड़	11. सान्थू	
		12. बीगाना जाट	
		13. राई साराना	
		14. बीगलाना	
		15. बासी भोपालीसं	
		16. खानावास	
		17. थीकारावास	
		18. मजरा	
		19. मजरी खुर्द	
		20. डबरावास	
		21. डूमरोली	
		22. अगलीपुर	
		23. गोमनी	
		24. बवारी	
		25. इसारीसिंहपुरा	
		26. जनकसिंहपुरा	
		27. काली पुजारी	
		28. प्रतापसिंहपुरा	
		29. माधोसिंहपुरा	
		30. बटिना	
		31. सिरानी	
		32. जूनीचक कलां	
		33. बटाना	
		34. गिलोट	
		35. बीरनावास	
		36. निमाराना	
		37. प्रतापपुरा–3	
		38. सालमपुर	
		39. नवहोरी	
		40. उमरावगढ़	
		41. हिरागढ़	
		42. कोली सांजोग	
		43. कोलिला रबार	
		44. खापरिया	

Page No 147

147

1	2	3	4
अलवर	बहरोड़	45. खोरी	
		46. उन्तोली	
		47. बनहार	
		48. महाराजाबास	
		49. बिजोरावास	
		50. गुलाबवास	
		51. अनन्तपुरा	
		52. जखराना कलां	
		53. बालपुरा	
		54. कुराली	
		55. भावरी खुर्द	
		56. जुखराना खुर्द	
		57. नागलखोरिया	
		58. निम्बोर	
		59. खोर	
		60. बनियासिंहपुरा	
		61. बासी	
		62. जयसिंहपुरा	
		63. भवारी	
		64. पहरी	
		65. जेनपुरावास	

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 67 की सूची)

तालिका बाबत अपराध कतल सन् 1973 में मण्डल डूंगरपुर के विभिन्न आरक्षी केन्द्रों पर पंजीबद्ध हुए

नं०	श०मु० नं० तारीख व धारा	नाम थाना	नाम फरियादी	नाम मुलजिम	नतीजा तफतीश	नतीजा अदालत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	138, 30-11-73, 302 ता० हि०	डूंगरपुर	कन्हैयालाल, डूंगरपुर	—	अदमपता 18-7-74	—	—
2.	2, 12-1-73, 302 ता० हि०	गलियाकोट	आलमखां, सा० चीतरी	हुरजी, कुरा, बालजी	चालान 2-2-73	बरी	ता० 28-11-73 को सेशन उदयपुर से मुलजिमान बरी हुये।
3.	7, 2-3-73, 302 ता० हि०	,,	खेमजी, सा० छोटा दीवड़ा	—	अदमपता 6-11-73	—	—
4.	54, 1-10-73, 302 ता० हि०	धम्बोला	मंगला, सा० अनपुरा	पूनिया, ईश्वर	चालान 18-10-73	बरी 19-3-74	—
5.	61, 1-11-73, 302 ता० हि०	,,	श्रीमती मांगली, पत्नी पूंजा, सा० टकारी	पूंजा व भाना	चालान 7-12-73	बरी	मुलजिम 24-7-74 को अदालत सेशन उदयपुर से बरी हुये।

6. 11, 1-12-73, 302, 380 ता० हि०	कनबा	हकरा, सा० गामड़ी	अहाड़ा, सगा व लालू	चालान 10-12-73	बरी 7-8-74	—
7. 21, 20-3-73, 302 ता० हि०	कनबा	कादर मीना	कोदार, पुत्र बेचात मीणा	चालान 11-5-73	बरी 27-3-74	—
8. 65, 15-8-73, 302 ता० हि०	कनबा	लालजी मीणा, नि० छोटा ग्रांडा	धनजी पटल	चालान 17-10-73	सजा	27-5-74 को मुलजिम को आजीवन कारावास व 100/- जुर्माना अदालत सेशन उदयपुर में हुआ।
9. 5, 3-3-73, 302, 201 ता० हि०	गणेशपुर	कामी, सा० नवागांव	—	एफ० आर० अदमवकूआ 26-8-73	—	—
10. 20, 22-6-73, 302 ता० हि०	गणेशपुर	वीरसिंह राजपूत, सा० देवला	—	अदमपता 11-7-74	—	—
11. 6, 17-2-73, 302, 326 ता० हि०	निठउवा	भगजी, सा० सागोट की धाणी	माला, चतरा, भूरा	चालान 5-6-73	बरी 27-3-74	—
12. 18, 14-12-73, 302 ता० हि०	निठउवा	वाला मीना, सा० लिम्बोता	सूर्यसिंह	चालान 28-12-73	सजा	ता० 28-4-74 को अदालत सेशन उदयपुर में जुर्म धारा 325 ता० हि० में प्राबेशन का फायदा दिया गया।

तालिका बाबत अपराध कतल सन् 1974 में मण्डल डूंगरपुर के विभिन्न आरक्षी केन्द्रों पर पंजीबद्ध हुये

क्र० मु० नं० तारीख एवं धारा	नाम थाना	नाम फरियादी	नाम मुलजिम	नतीजा तफतीश	नतीजा अदालत	विशेष विवरण
1 2	3	4	5	6	7	8
1. 50, 30–4–74, 302 ता० हि०	डूंगरपुर	धाना मीना सा० पातापुर	नाथू मीना	चालान 26-5-74	सजा	तारीख 26-9-74 को अदालत सेशन उदयपुर आजन्म कारावास व 100/- जुर्माना अदम अदाये छः माह क।
2. 90 17–8–74, 302 ता० हि०	सागवाड़ा	वेलजी पाटीदार सा० मचडिया	धूला पाटीदार	चालान 4-9-74	जैर तजवीज अदालत	—
3. 16, 2–3–74, 302 ता० हि०	बम्बोला	लक्ष्मण सा० केसरपुरा	जीवा डामोर	चालान 30-3-74	सजा	ता० 21-8-74 को अदालत सेशन, उदयपुर जुर्म 304 ता०हि० में 3 माह की कैद 100/- जुर्माना अदम अदाये तीन माह के।
4. 55, 14–7–74, 302 ता० हि०	बम्बोला	नानू साकिन चौतरा	रामलाल	चालान 21-7-74	जैर तजवीज	—
5. 90, 13–11–74, 302 ता० हि०	बम्बोला	मंगला, मीना सा० पापटली	शंकर, श्रीमती सगमली	चालान 15-11-74	जैर तजवीज	—

6. 17, 2—4—74, 302, 307, 323 ता० हि०	आसपुर	मंगा, बन्जारा सा० खती	भावसिंह 'उर्फ बूटिया'	चालान 15-5-74	सजा	दि० 20-7-74 को अदालत सेशन उदयपुर से जुर्म 302, 307 ता० हि० में बरी तथा जुर्म धारा 323 में एक साल कैद को सजा दी गई।
7. 18, 13—5—74, 302 ता० हि०	गणेशपुर	वाना सा० माण्डव	श्रीमती केसर पत्नी देवराम मीण	चालान 8-6-74	सजा	दि० 23-11-74 को अदालत सेशन उदयपुर से 3 माह की कैद 100/- जुर्माना की सजा हुई ।
8. 37, 23—8—74, 302 ता० हि०	गणेशपुर	नाना सीमा सा० मसाणा	बलजी, रामजी	चालान 1-9-74	जेर तजवीज	मुलजिम कलजी को अदालत सेशन, उदयपुर में जुर्म 302 ता० हि० का चार्ज सुनाया तथा मुलजिम रामजी को डिस्चार्ज किया ।
9. 13, 4—6—74, 302, 379, 201, 404 ता० हि०	निठाउवा	सरकार जरिये जहूर-अहमद थानाधिकारी निठाउवा	देवराम, देवजो बदिया, भेरा, बेलजी	चालान 19-7-74	सजा	ता० 12-12-74 को अदालत सेशन उदयपुर में मुलजिम देवरामजी को जुर्म 379 ता० हि० प्राबेशन का फायदा दिया व बकाया मुलजिम को बरी किये गये ।

परिशिष्ट 3

(अता० प्र० सं० 25 की सूची)

आंकड़े मैट्रिक टनों में

नाम मन्डी	कुल खरीद
गंगानगर	19914
गजसिंहपुर	4392
हनुमानगढ़	4344
केसरीसिंहपुर	7371
पदमपुर	7908
पिलीबंगा	1632
रायसिंहनगर	5130
सादूलशहर	3950
संगरिया	3914
श्रीकरणपुर	8897
श्री विजयनगर	2845
सरतगढ़	213
रामसिंहपुर	865
हिन्दूमलकोट	1223
अनूपगढ़	836
देवली	177
गुलूवाला	717
जैतसर	585
हनुमानगढ़ (जंक्शन)	411
रीडमलसर	1041
टिबी	1479
मिर्जावाली	315
गुलाववाला	269
चुलवाड	437
बिन्जूवाली	841
पातूनी	607
हेतवाली	528
लालगढ़	373
तलवाडा झील	238
	कुल योग 81452

परिशिष्ट 4

(अता० प्र० सं० 28 की सूची)

कोलायत तहसील में चल रहे बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

(1) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोलायत।

(2) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गजनेर ।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्र० सं० 32 की सूची)

जोधपुर नगर में राजकीय कार्यालयों आदि के वार्षिक किराया की सूची

क्र०सं० 1	कार्यालय का नाम 2	वार्षिक किराया 3
1. (अ)	उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर	12000/-
(ब)	विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर	
2.	निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर	792/-
3.	उप-निबंधक, सहकारी समितियां, जोधपुर	2400/-
4.	मख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	4785/-
5.	राजकीय चिकित्सालय, सूरसागर, जोधपुर	648/
6.	उप-क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी कार्यालय, जोधपुर	3600/-
7.	जिला भेड़ ऊन अधिकारी, जोधपुर	135/-
8. (अ)	खनि अभियन्ता	12000/-
(ब)	खनि अभियन्ता, याचिका (रिट्स)	
(स)	वरिष्ठ भूगर्भ अधिकारी, कार्यालय, जोधपुर	
9.	तृतीय राजस्थान आर्म एवेर्डन एन० सी० सी०	4800/-
10.	राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शाला, जोधपुर	1320/-
11.	उपायुक्त (अपील्स, वाणिज्य कर विभाग, जोधपुर	3000/-
12. (अ)	जिला परिवार नियोजन अधिकारी, कार्यालय, जोधपुर	7000/-
(ब)	शहरी (अरबन) परिवार नियोजन केन्द्र, सूरसागर	3000/-
(स)	शहरी (अरबन) परिवार नियोजन केन्द्र, बागर	3000/-
(द)	शहरी (अरबन) परिवार नियोजन केन्द्र, महामन्दिर	3000/-
13.	नेशनल केडेट कोर्प्स (एन० सी० सी०) हैडक्वार्टर, जोधपुर	3600/-
14.	उप-महानिरीक्षक, आर० ए० सी०, जोधपुर	5724/-
15.	उपायुक्त, निरोधक दल, आबकारी राजस्थान, जोधपुर	1800/-
16.	तृतीय बटालियन नेशनल केडट कोर्प्स (एन० सी० सी०), जोधपुर	4800/-
17. (अ)	वाणिज्य कर अधिकारी, विशेष वृत्त (कार्यालय), जोधपुर	1800/-
(ब)	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, एन्टी एविएशन 1, 2, 3, जोधपुर	588/-
18. (अ)	जिला भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय, जोधपुर का स्टोर	286
(ब)	जिला भू-संरक्षण अधिकारी का कार्यालय, जोधपुर	
(स)	प्रभारी अधिकारी, ट्रेनिंग सेन्टर, भू-संरक्षण कार्यालय व होटल, जोधपुर	3200/-
19.	12 राजस्थान बटालियन (एन० सी० सी०), जोधपुर	4800/-

क्र०सं० 1	कार्यालय का नाम 2	वार्षिक किराया 3
20.	जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर	6492/-
21.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर	624/-
22.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन इकाई योजना, जोधपुर	7800/-
23.	उप-निदेशक, महिला शिक्षा विभाग, जोधपुर किराये के मूल्यांकन हेतु मामला विचारार्थ	
24.	सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, जोधपुर	2400/-
25. (अ)	प्रादेशिक उपश्रम आयुक्त, जोधपुर	1176/-
(ब)	लेबर वेलफेयर सेन्टर, जोधपुर	1500/-
(स)	लेबर वेलफेयर सेन्टर, फिदूसर, जोधपुर	720/-
26.	सहायक अभियन्ता (प्रथम), भू-जल विभाग, जोधपुर	2592/-
27.	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, जोधपुर	3432/-
28.	परियोजना अधिकारी, शुष्क खेती योजना कृषि, जोधपुर	3000/-
(अ)	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अधि०वि० डी० पी० ए० पी०, जोधपुर	6000/-
(ब)	अधीशासी अभियन्ता ,, ,, जिला खंड	10800/-
(स)	सहायक अभियन्ता ,, ,, उप-खण्ड (प्रथम)	
(द)	,, ,, ,, ,, (द्वितीय)	
(इ)	अधिशासी अभियन्ता ,, ,, ,, (प्रथम)	7200/-
(एफ)	सहायक ,, ,, ,, ,, (प्रथम)	
30.*	अतिरिक्त कृषि निदेशक, (भू-संरक्षण, जोधपुर)	13000/-
31.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वे वि०, जोधपुर	6132/-
32.	सहायक विद्युत् निरीक्षक, खंड, जोधपुर	3000/-
33.	वाणिज्य कर अधिकारी वृत्त 'बी' जोधपुर	6684/-
34.	निदेशक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान निदेशालय, राज० भू-जल विभाग	4716/-
35. (अ)	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जोधपुर	3000/-
(ब)	बाल गृह, जोधपुर	
36.	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षण), राजस्थान भू-जल विभाग, जोधपुर	1800/-
37.	वरिष्ठ भूगर्भ अधिकारी, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान भू-जल विभाग	3936/-
38.	अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय), भू-जल विभाग, जोधपुर	3600/-
39.	परियोजना निदेशक, डी० पी० ए० पी०, जोधपुर	10800/-
	राजकीय संस्थान एवं उपक्रम आदि	
(1)	पश्चिमी राजस्थान दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० जोधपुर	किराये के मूल्यांकन हेतु मामले विचाराधीन

* क्र० सं० 29 सूची में नहीं थी।

(156)

परिशिष्ट 6

(अता० प्र० सं० 33 की सूची)

क्रमांक	नाम जिला	पड़ी	ज्वार
1	गंगानगर	4652.3	—
2.	बून्दी	5060.0	150.0
3.	कोटा	2084.1	2011.9
4.	झालावाड़	—	4000.0
5.	सवाई माधोपुर	—	922.2
6.	टोंक	—	92.5
	योग	11,766.4 टन	7176.6 टन

परिशिष्ट 7

(अता० प्र० सं० 35 की सूची)

5-6-73	DEPARTURE:	9.00 A.M.
	ARRIVAL:	3.00 P.M.

Started from Shri Dungargarh to Daulat Ram field along with Pradhan and fieldman the work was stopped. From there check-up Jaitasar, tank site and labourers were suggested to take-up work in middle of the tank. Returned back to Churu by Jeep; check-up office work. Total labourers were No. 207. From Churu again started to Bikaner to attend Distt. Agriculture Production meeting at Bikaner by bus which reached at 10.30 P.M. Night halt at Bikaner.

Sd/—
जिला कृषि अधिकारी,
चरू, बीकानेर. चूरू

शुद्धि--पत्र

क्रम संख्या	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1	3	ऊपर से 11 व 12	या क्या ?	?
2	18	नीचे से 10	गिरघारीलाल	गिरधारीलाल
3	20	ऊपर से 6	केशरीमल	केसरीमल
4	20	ऊपर से 8	कशरीमल	केसरीमल
5	21	ऊपर से 6	केशरीमल	केसरीमल
6	21	ऊपर से 15	केशरीमल	केसरीमल
7	24	नीचे से 3	केशरीमल	केसरीमल
8	25	ऊपर से एक	(केशरीमल)	(केसरीमल)
9	32	नीचे से 3	(शोरगुल–	—
10	40	नीचे से 5	संघु	संधु
11	44	ऊपर से 6	शिवरण	शिवचरण
12	49	नीचे से 7	वो	व
13	51	ऊपर से 5	लुणाराम	लूणाराम
14	65	ऊपर से 13	मामला	मसला
15	82	ऊपर से 4	आश्वास	आश्वासन
16	83	ऊपर से 4	लनकरणसर	लूणकरणसर
17	84	नीचे से 6	थी	श्री
18	96	नीचे से 13	जो	—
19	96	नीचे से एक	गह मंत्री	—
20	99	ऊपर से 9	को	के
21	100	ऊपर से 2	समिति	समस्या
22	139	ऊपर से 16	हूँ	हैं
23	145	नीचे से 12	ी	भी
24	147	नीचे से 3	बैंक	टैंक
25	148	ऊपर से एक	बैंक	टैंक

(158)

1	2	3	4	5
26	148	ऊपर से 16	है।	है....
27	152	ऊपर से 2	This	This is
28	152	नीचे से 712,13	स्कवीज	स्क्वीज
29	154	नीचे से 4	कसते	सकते
30	157	ऊपर से 9	मैं	में
31	167	ऊपर (शीर्षक)	975	1975
32	176	ऊपर से 5	श्री नारायणसिंह मसूदा	--
33	180	ऊपर से 11	युसर्स	-यूसर्स
34	188	नीचे से 2	एक	--
35	189	ऊपर से 14	हमारे	हमने
36	190	नीचे से 10	हम	--
37	195	नीचे से 5	आभाव	अभाव
38	214	नीचे से 8	इकटा	इकट्ठा
39	235	नीचे से 5	ह	हैं
40	238	ऊपर से 5	आगय	आ गये
41	240	नीचे से 8	नहीं	--